त्रयोदश माला, खंड 21, अंक 16

NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2001

20 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवी लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 12/6/2002

(खण्ड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2001/20 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	301 से 320	4-70
अतारांकित प्रश्न संख्या	3326 से 3545	70-414
सभा पटल पर रखे गए पत्र		415-426
राज्य सभा से संदेश		426
लोक लेखा समिति		
छब्बीसवां प्रतिवेदन		427
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
विवरण		427
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
उन्नीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		427-428
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		428-430
केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को वित्तीय पैकेज न दिया जाना		
श्री प्रभुनाथ सिंह		428
श्रीमती वसुन्धरा राजे		429
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के बारे में दिनांक 14.8.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण		
श्री सीएच. विद्यासागर राव		430
कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		430-431
आतंकवाद निवारण विधेयक		431-432

लोक सभा

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2001/20 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 301, श्री कोडीकुनील सुरेश,

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, उन्होंने कारगिल के शहीदों के ताबूतों में पैसा बनाया है। यह सरकार सत्ता में बनी रहने की हकदार नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर के बाद।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर के बाद उठाना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल में अनावश्यक रूप से बाधा क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल में अनावश्यक रूप से बाधा क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्यों आप रोज–रोज क्वश्चन ऑवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. टेलीकास्ट बंद करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट है तो जीरो ऑवर में उठा सकते हैं लेकिन क्वश्चन ऑवर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि. बसु, आप सीनियर मैम्बर हैं। क्या आप लोगों को क्वश्चन ऑवर नहीं चाहिए?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्होंने कारगिल के शहीदों के ताबूत से पैसे बनाए हैं। यह गंभीर मुद्दा है, प्रश्न काल निलंबित किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है किंतु आप ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। यह किसका नुकसान है? प्रश्न काल न होना किसका नुकसान है? मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं।

[हिन्दी]

यह क्वश्चन ऑवर पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की एक प्रक्रिया है। आप क्वश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपको प्रश्न काल निलंबित करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को निलंबित क्यों करें? आप लोग यह क्या कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल में बाधा क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पंचायतों और नगरपालिकाओं के समक्ष वित्तीय संकट

*301. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पंचायतों और नगरपालिकाओं को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायतें और नगरपालिकाएं गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला पंचायतों के जरिए निधियां क्रमशः मध्यवर्ती पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को रिलीज की जाती

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों को रिलीज की गई निधियां नीचे दी गई हैं :

(लाख रु. में)

वर्ष	ज.ग्रा.स.यो. के तहत रिलीज की गई धनराशि	सु.रो.यो. के अंतर्गत रिलीज की गई धनराशि
1999–2000	168527.86	173641.95
2000–2001	132756.77	116027.08
कुल	301284.63	289669.03

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (जो स्थानीय शहरी निकायों को देखता है) शहरी स्थानीय निकायों को सीधे निधियां रिलीज नहीं करता है।

देश में अनेक पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय हालत कमजोर है। यद्यपि, स्थानीय निकाय राज्य का विषय है, तथापि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के पारित हो जाने के उपरांत भारत सरकार स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करती रही है तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर आग्रह किया गया है कि वे इन निकायों को शक्तियां हस्तांतरित करने की गति को तेज करें ताकि ये स्व-शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और कर्मियों का हस्तांतरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थानीय निकायों को अलग-अलग तरह की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां सौंपी हैं।

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों का गठन किया था। अधिकांश राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000-05 के दौरान नागरिक सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, सड़कों की रोशनी, स्वच्छता तथा जन-सुविधाओं के वित्त पोषण और रखरखाव हेतु पंचायतों के लिए 8000 करोड़ रु. तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2000 करोड़ रु. के स्थानीय निकाय अनुदान की सिफारिश की थी। यह अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा रिलीज किया जाता है।

भारत सरकार राज्य के मुख्यमंत्रियों और पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठकों और पत्राचार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां सौंपने के लिए सक्रिय रूप से कहती रही है। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 11.7.2001 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह संकल्प किया गया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में कार्य अंतरित करेंगे और प्रत्येक स्तर की पंचायतों को विशेष कार्यकारी शक्तियां सौंपने के संबंध में अनुदेश जारी करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सुझाव दिया गया है कि वे चर्चा के दौरान सहमति हुई समयावधि के भीतर सम्मेलन के संकल्प को कार्यान्वित करें।

शहरी विकास और संसाधन जुटाव योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 1996 में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें वित्तीय संसाधन जुटाने और अन्य अभिनव संसाधन जुटाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण भी शामिल हैं। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने संपत्ति कर प्रणाली को सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाने के लिए भी 1998 में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

*302. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला लाभार्थियों के संबंध में राज्य-वार और योजना-वार प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ,

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों का 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए और प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए समूहों का 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए। चालू वर्ष के लिए, जे.जी.एस.वाई. और ई.ए.एस., एस.जी.आर.वाई. के भाग के रूप में जारी रहेंगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के जे.जी.एस.वाई. घटक के अंतर्गत, रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है।

विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक, पूर्ववर्ती आई.आर.डी.पी., ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. (इस वर्ष एस.जी.आर.वाई. में विलय कर दिया गया है) तथा एस.जी.एस. वाई. के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के संबंध में हुई राज्यवार प्रगति को संलग्न विवरण–I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

पूर्ववर्ती आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत 1998–99 के दौरान और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1999–2000 से 2001–2002 (अक्टूबर, 2001 तक) के दौरान सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों, महिला स्वरोजगारियों और महिलाओं का प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(सं.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99			1999–2000		
		आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी	महिलाओं का प्रतिशत	आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी	महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	140880	56683	40.23	165190	114262	69.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	12432	6580	52.93	3060	1169	38.20
3.	असम	47264	11443	24.21	17974	5850	32.55
4.	बिहार	176213	27194	15.43	106393	35727	33.58
5.	छत्तीसगढ़			0.00			0.00
6.	गोवा	895	454	50.73	0	0	0.00
7.	गुजरात	39598	13750	34.72	19341	6618	34.22
8.	हरियाणा	16743	7838	46.81	17348	9527	54.92
9.	हिमाचल प्रदेश	7331	2759	37.63	8638	3610	41.79
10.	जम्मू व कश्मीर	13992	असूचित	0.00	5835	असूचित	असूचित
11.	झारखंड			0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	88007	34169	38.83	19184	10946	57.06
13.	केरल	39836	18594	46.68	29485	15443	52.38
14.	मध्य प्रदेश	126617	23392	18.47	112118	29435	26.25
15.	महाराष्ट्र	145667	64891	44.55	87994	36268	41.22
16.	मणिपुर	1638	486	29.67	असूचित		असूचित
17.	मेघालय	4219	1849	43.83	741	403	54.39
18.	मिजोरम	3138	1172	37.35	0	0	0.00
19.	नागालैंड	5773	1764	30.56	4749	2454	51.67
20.	उड़ीसा	105008	33467	31.87	74633	21713	29.09
21.	पंजाब	10357	3873	37.39	1694	1040	61.39
22.	राजस्थान	62922	22645	35.99	34120	13847	40.58
23.	सिक्किम	1937	467	24.11	686	270	39.36
24.	तमिलनाडु	142813	59855	41.91	65427	52139	79.69
25.	त्रिपुरा	18816	6296	33.46	8450	2757	32.63
26.	उत्तर प्रदेश	391832	152300	38.87	60647	15642	25.79
27.	उत्तरांचल			0.00	असूचित	असूचित	असूचित
28.	प. बंगाल	71134	24742	34.78	88826	36974	41.63
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	604	154	25.50	795	223	28.05
30.	दमन व द्वीव	119	4	3.36	0	0	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	71	42	59.15	6	4	66.67
32.	लक्षद्वीप	9	5	55.56	3	0	0.00
33.	पांडिचेरी	1317	838	63.63	531	369	69.49
	कुल	1677182	577706	34.45	933868	416690	

पूर्ववर्ती आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत 1998–99 के दौरान और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1999–2000 से 2001–2002 (अक्टूबर, 2001 तक) के दौरान सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों, महिला स्वरोजगारियों और महिलाओं का प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(सं.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–01			2001–2002 (अक्टूबर, 2001 तक)		
		आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी	महिलाओं का प्रतिशत	आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी	महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	83084	56960	68.56	32296	25193	78.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1403	607	43.26	157	56	35.67
3.	असम	12282	4717	38.41	214	73	34.11
4.	बिहार	125792	34726	27.61	55234	17871	32.36
5.	छत्तीसगढ़	25423	3544	13.94	7682	2088	27.18
6.	गोवा	23	7	30.43	21	14	66.67
7.	गुजरात	29241	8803	30.10	9894	2827	28.57
8.	हरियाणा	25853	13130	50.79	7179	3499	48.74
9.	हिमाचल प्रदेश	11647	6033	51.80	2972	1665	56.02
10.	जम्मू व कश्मीर	9302	4700	50.53	1955	0	0.00
11.	झारखंड	55038	12970	23.57	17598	6582	37.40
12.	कर्नाटक	29026	17174	59.17	13032	7293	55.96
13.	केरल	37926	20790	54.82	6570	4123	62.75
14.	मध्य प्रदेश	71823	19124	26.63	11343	3111	27.43
15.	महाराष्ट्र	87998	33897	38.52	13125	3974	30.28
16.	मणिपुर	असूचित	असूचित	असूचित	0	0	0.00
17.	मेघालय	1671	1339	80.13	2023	883	43.65
18.	मिजोरम	1352	437	32.32	2891	507	17.54
19.	नागालैंड	1364	498	36.51	0		0.00
20.	उड़ीसा	86171	21347	24.77	13498	3267	24.20

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	11990	4512	37.63	3273	1114	34.04
22.	राजस्थान	44504	17888	40.19	10467	4648	44.41
23.	सिक्किम	1873	439	23.44	591	149	25.21
24.	तमिलनाडु	83393	73384	88.00	20929	18786	89.76
25.	त्रिपुरा	14640	5421	37.03	2276	1175	51.63
26.	उत्तर प्रदेश	124064	28865	23.27	50086	13211	26.38
27.	उत्तरांचल	31555	15203	48.18	37890	18275	48.23
28.	प. बंगाल	21230	15317	72.15	3812	1173	30.77
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	448	119	26.56	8	0	0.00
30.	दमन व द्वीव	6	0	0.00	0		0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0.00	0		0.00
32.	लक्षद्वीप	4	2	50.00	0		0.00
33.	पांडिचेरी	39	24	61.54	146	29	19.86
	कुल	1030165	421977	40.96	327162	141586	43.28

विवरण-II

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (नवंबर, 2001 तक) के दौरान कुल सृजित श्रमदिन, सहायता प्राप्त महिलाएं और कुल श्रमदिवस में से उनके प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(लाख श्रमदिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99			1999–2000		
		कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत	कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	370.67	116.54	31.44	175.63	58.59	33.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.29	12.67	33.09	26.25	8.60	32.76
3.	असम	259.86	25.50	9.81	148.52	14.22	9.57

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	400.89	110.62	27.59	384.62	101.89	26.49
5.	गोवा	2.65	1.13	42.64	1.05	0.45	42.86
6.	गुजरात	63.07	19.01	30.14	48.49	12.97	26.75
7.	हरियाणा	18.02	4.53	25.14	22.65	5.29	23.36
8.	हिमाचल प्रदेश	35.45	2.52	7.11	25.65	1.22	4.76
9.	जम्मू व कश्मीर	69.37	असूचित		26.27	असूचित	
10.	कर्नाटक	292.41	85.01	29.07	185.95	55.33	29.76
11.	केरल	55.75	19.14	34.33	42.94	14.65	34.12
12.	मध्य प्रदेश	429.43	144.78	33.71	288.90	97.09	33.61
13.	महाराष्ट्र	205.62	69.04	33.58	234.67	84.01	35.80
14.	मणिपुर	16.97	1.61	9.49	9.70	2.76	28.45
15.	मेघालय	10.69	3.29	30.78	7.67	2.93	38.20
16.	मिजोरम	19.56	6.78	34.66	4.95	1.68	33.94
17.	नागालैंड	51.59	5.53	10.72	22.92	6.90	30.10
18.	उड़ीसा	340.14	101.00	29.69	215.42	62.41	28.97
19.	पंजाब	19.74	0.84	4.26	16.81	0.58	3.45
20.	राजस्थान	209.61	79.21	37.79	91.89	33.31	36.25
21.	सिक्किम	8.20	2.45	29.88	5.34	1.60	29.96
22.	तमिलनाडु	457.09	166.03	36.32	166.79	53.06	31.81
23.	त्रिपुरा	40.86	12.47	30.52	17.91	5.27	29.42
24.	उत्तर प्रदेश	754.31	138.27	18.33	485.73	72.47	14.92
25.	प. बंगाल	106.37	20.54	19.31	127.70	29.16	22.83
26.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.49	0.08	16.33	0.39	0.05	12.82
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.13	0.09	69.23	0.21	0.15	71.43
28.	दमन व द्वीव	0.03	0.02	66.67	0.00	0.00	
29.	लक्षद्वीप	1.72	0.55	31.98	0.87	0.18	20.69
30.	पांडिचेरी	0.38	0.01	2.63	0.29	0.11	37.93
	अखिल भारत	4279.36	1149.26	26.86	2786.18	726.93	26.09

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (नवंबर, 2001 तक) के दौरान कुल सृजित श्रमदिन, सहायता प्राप्त महिलाएं और कुल श्रमदिवस में से उनके प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(श्रमदिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001			2001–2002 (नवंबर, 2001 तक)		
		कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत	कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	111.32	42.51	38.19	53.24	19.31	36.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.10	4.88	24.28	2.75	0.92	33.45
3.	असम	78.04	11.99	15.36	3.95	0.45	11.39
4.	बिहार	211.65	49.94	23.60	57.35	14.01	24.43
5.	छत्तीसगढ़	83.32	26.49	31.79	73.79	26.81	36.33
6.	गोवा	0.86	0.37	43.02	0.08	0.02	25.00
7.	गुजरात	80.00	22.13	27.66	18.23	4.68	25.67
8.	हरियाणा	20.19	4.85	24.02	4.50	0.91	20.22
9.	हिमाचल प्रदेश	11.51	0.67	5.82	4.40	0.34	7.73
10.	जम्मू व कश्मीर	25.75	0.01	0.04	3.80		0.00
11.	झारखंड	100.31	33.82	33.72	31.82	12.27	38.56
12.	कर्नाटक	103.56	32.40	31.29	50.83	15.99	31.46
13.	केरल	30.49	9.02	29.58	8.71	2.52	28.93
14.	मध्य प्रदेश	159.37	57.23	35.91	69.47	25.43	36.61
15.	महाराष्ट्र	216.82	71.95	33.18	47.10	16.71	35.48
16.	मणिपुर	3.97	1.13	28.46	0.00	0.00	
17.	मेघालय	5.87	1.96	33.39	0.48	0.14	29.17
18.	मिजोरम	5.97	2.06	34.51	1.94	0.67	34.54
19.	नागालैंड	26.43	7.57	28.64	3.17	0.42	13.25
20.	उड़ीसा	195.20	57.40	29.41	60.46	15.94	26.36

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	15.72	0.54	3.44	3.75	0.11	2.93
22.	राजस्थान	76.38	28.68	37.55	24.59	9.74	39.61
23.	सिक्किम	9.15	3.00	32.79	2.01	0.69	34.33
24.	तमिलनाडु	110.38	36.69	33.42	32.77	11.56	35.28
25.	त्रिपुरा	19.53	6.05	30.98	5.34	1.54	28.84
26.	उत्तर प्रदेश	333.02	50.45	15.15	60.60	7.26	11.98
27.	उत्तरांचल	11.07	4.42	39.93	7.10	1.19	16.76
28.	प. बंगाल	116.27	27.13	23.33	33.93	7.64	22.52
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.39	0.01	2.56	0.05	0.00	0.00
30.	दमन व द्वीव	0.18	0.13	72.22	0.00	0.00	
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00		0.00	0.00	
32.	लक्षद्वीप	0.34	0.10	29.41	0.00	0.00	
33.	पांडिचेरी	0.76	0.21	27.63	0.06	0.00	0.00
	कुल	2183.92	595.99	27.29	666.27	197.27	29.61

नोट : रिक्त कॉलम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूचना न मिलने के सूचक हैं।

विवरण-III

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (नवंबर, 2001 तक) के दौरान कुल सृजित श्रमदिन, सहायता प्राप्त महिलाएं, और कुल श्रमदिवस में से उनके प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(लाख श्रमदिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99			1999–2000		
		कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत	कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	224.68	76.08	33.86	133.89	50.14	37.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.96	0.00	0.00	5.92	1.78	30.07

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	199.57	23.96	12.01	132.86	16.09	12.11
4.	बिहार	584.91	159.55	27.28	424.90	111.94	26.35
5.	गोवा	1.70	0.73	42.94	1.26	0.55	43.65
6.	गुजरात	59.18	15.62	26.39	44.75	12.95	28.94
7.	हरियाणा	23.84	4.92	20.64	18.84	3.82	20.28
8.	हिमाचल प्रदेश	15.39	0.74	4.81	14.43	82.68	572.97
9.	जम्मू व कश्मीर	20.59	0.00	0.00	9.74		0.00
10.	कर्नाटक	222.16	67.78	30.51	175.49	50.78	28.94
11.	केरल	39.39	13.65	34.65	37.17	11.13	29.94
12.	मध्य प्रदेश	319.34	109.80	34.38	265.27	89.18	33.62
13.	महाराष्ट्र	403.81	141.19	34.96	341.55	117.14	34.30
14.	मणिपुर	5.59	0.50	8.94	1.11		0.00
15.	मेघालय	5.91	1.89	31.98	2.76		0.00
16.	मिजोरम	4.36	1.54	35.32	2.23	2.23	100.00
17.	नागालैंड	23.73	5.46	23.01	6.96		0.00
18.	उड़ीसा	296.84	91.55	30.84	211.51	60.93	28.81
19.	पंजाब	13.89	0.39	2.81	6.62	0.25	3.78
20.	राजस्थान	148.30	49.17	33.16	105.06	37.40	35.60
21.	सिक्किम	6.13	1.94	31.65	2.89	0.86	29.76
22.	तमिलनाडु	280.97	105.36	37.50	170.27	69.93	41.07
23.	त्रिपुरा	34.72	9.89	28.49	14.49	4.15	28.64
24.	उत्तर प्रदेश	691.39	157.25	22.74	438.89	99.26	22.62
25.	प. बंगाल	134.45	32.02	23.82	113.86	21.24	18.65
26.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.38	0.08	21.05	0.21		0.00
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.67	0.51	76.12	0.01		0.00
28.	दमन व द्वीव	0.11	0.07	63.64	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	लक्षद्वीप	0.42	0.18	42.86	0.11		0.00
30.	पांडिचेरी	0.03	0.00	0.00	0.03		0.00
	अखिल भारत	3766.41	1071.82	28.46	2683.08	844.43	31.47

नोट : रिक्त कॉलम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूचना न मिलने के सूचक हैं।

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (नवंबर, 2001 तक) के दौरान कुल सृजित श्रमदिन, सहायता प्राप्त महिलाएं और कुल श्रमदिवस में से उनके प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा

(लाख श्रमदिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001			2001–2002 (अक्टूबर, 2001 तक)		
		कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत	कुल सृजित श्रमदिन	महिलाओं के लिए सृजित श्रमदिन	कुल सृजित श्रमदिनों में महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	156.37	54.31	34.73	66.56	22.28	33.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.59	2.23	33.84	0.86	0.33	38.37
3.	असम	132.86	16.09	12.11	0.11	0	0.00
4.	बिहार	249.85	62.36	24.96	59.65	12.43	20.84
5.	छत्तीसगढ़	68.96	25.75	37.34	45.28	13.54	29.90
6.	गोवा	2.61	1.17	44.83	0.68	0.2	29.41
7.	गुजरात	46.72	11.36	24.32	3.93	1	25.45
8.	हरियाणा	18.84	3.82	20.28	7.35	1.52	20.68
9.	हिमाचल प्रदेश	13.89	0.9	6.48	5.22	0.45	8.62
10.	जम्मू व कश्मीर	16.24		0.00	2.31		0.00
11.	झारखंड	172.51	54.2	31.42	42.06	11.32	26.91
12.	कर्नाटक	129.95	39.97	30.76	59.26	22.76	38.41
13.	केरल	27.93	9.35	33.48	8.7	3.17	36.44
14.	मध्य प्रदेश	208.44	75.74	36.34	123.88	34.95	28.21

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	316.43	103.66	32.76	69.33	22.31	32.18
16.	मणिपुर	1 96		0.00			
17.	मेघालय	11.21	3.84	34.26	1.05	0.31	29.52
18.	मिजोरम	3.95	1.37	34.68	1.42	0.58	40.85
19.	नागालैंड	14.17	5.83	41.14	1.93	0.68	35.23
20.	उड़ीसा	248.51	73.31	29.50	86.68	24.73	28.53
21.	पंजाब	12.31	0.27	2.19	4.53	0.21	4.64
22.	राजस्थान	96.71	33.53	34.67	33.19	10.2	30.73
23.	सिक्किम	3.80	1.02	26.84	1.43	0.49	34.27
24.	तमिलनाडु	137.02	46.34	33.82	44.32	14.47	32.65
25.	त्रिपुरा	24.84	5.11	20.57	3.7	0.99	26.76
26.	उत्तर प्रदेश	10.39	9.81	94.42	11.77		0.00
27.	उत्तरांचल	412.59	73.13	17.72	143.85	23.3	16.20
28.	प. बंगाल	136.65	20.52	15.02	31.67	5.16	16.29
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.49	10.54	2151.02	0.01	0	0.00
30.	दमन व द्वीव						
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0					
32.	लक्षद्वीप	0.33		0.00	0.04	0.02	50.00
33.	पांडिचेरी	0.16	0.01	6.25	0.02	0.01	5.00
	कुल	2683.18	745.54	27.79	860.79	227.40	26.42

नोट : रिक्त कॉलम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूचना न मिलने के सूचक हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम

***303. डा. संजय पासवान :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) के मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ख) उक्त निगम किन–किन संस्थाओं/व्यक्तियों और अन्य संगठनों को ऋण देता है;

(ग) इसके लिए ऋण की अधिकतम कितनी सीमा निर्धारित है;

(घ) क्या ऋण देने की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार कुछ संगठनों/संस्थानों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम द्वारा दिए गए ऋण का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए इस निगम को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के साथ कार्य निम्नलिखित हैं :

- राज्य माध्यम एजेंसियों (एस सी ए) के जरिए अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए व्यवहार्य आय सृजनकारी परियोजना (परियोजनाओं)/योजना (योजनाओं) का वित्त पोषण करना।
- राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करना।
- आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य माध्यम एजेंसियों के अधिकारियों के कौशल स्तर का बढ़ाना।
- अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगी हुई वर्तमान एजेंसियों के कार्य को दोहरा करने की अपेक्षा उसमें नवीनता लाना, प्रयोग करना और प्रोत्साहन करना।
- वर्तमान राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को अधिक प्रभावी बनाना।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) राज्य माध्यम एजेंसियों (एस सी ए) तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामांकित अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं को उन अनुसूचित जनजातियों के लिए, व्यवहार्य आय सृजनकारी परियोजनाओं/योजनाओं के वास्ते वित्त प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से दुगुना नीचे (लक्षित समूह) है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त निगम है, ने 30.00 लाख रुपए की ऊपरी सीमा को परि–योजनाओं/योजनाओं की प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र की लागत के रूप में अपनाया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम अप्रैल, 2001 में निगमित किया गया है। नव–गठित एन एस टी एफ डी सी के निदेशक मंडल ने (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष निगमों को 5.00 लाख रुपए की ऊपरी सीमा को रखने के लिए पहले जारी किए गए दिशा–निर्देशों, (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जैसे अन्य निगमों द्वारा 5.00 लाख रुपए निर्धारित सीमाओं, (ग) केवल गरीबी की रेखा से दोगुना आय सीमा तक वार्षिक आय वाले लक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों को ध्यान में रखते हुए 10.00 लाख रुपए प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र तक की परियोजनाओं/योजनाओं की ऊपरी सीमा रखने का निर्णय किया है।

(च) और (छ) वर्तमान में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) एन एस टी एफ डी सी (निगमन के बाद) द्वारा मंजूर ऋण तथा धनराशि के वितरण के राज्यवार/माध्यम एजेंसीवार ब्यौरा क्रमशः विवरण–I तथा विवरण–II पर है।

(झ) भारत सरकार एन एस टी एफ डी सी को अंश पूंजी के रूप में निधियां प्रदान करती है। एन एस टी एफ डी सी की प्राधिकृत अंश पूंजी 500.00 करोड़ रुपए है।

अप्रैल, 2001 में एन एस टी एफ डी सी के निगमन के परिणामस्वरूप, इस निगम ने अभी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से अनंतिम आधार पर 17.00 करोड़ रुपए नकद तथा 167.81 ऋण खाते के रूप में प्राप्त किए हैं। वर्ष 2001–2002 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अंश पूंजी के रूप में अभी तक 25.00 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	माध्यम एजेंसी का नाम	यूनिटों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	एन.एस.टी.एफ. डी.सी. का अंश
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम	235	235	206.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम	2	2	7.45
3.	असम	असम के मैदानी जनजातीय विकास लि.	65	65	308.85
4.	गुजरात	गुजरात जनजाति विकास निगम	188	188	742.32
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल अ.जा./अ.ज.जा. विकास निगम	92	92	245.27
6.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर अ.जा./अ.ज.जा. व अ.पि. वर्ग विकास निगम	67	67	28.78
7.	कर्नाटक	कर्नाटक अ.जा./अ.ज.जा. विकास निगम	350	350	88.90
8.	उड़ीसा	उड़ीसा अ.जा. व अ.ज.जा. विकास एवं वित्त निगम लि.	24	24	76.56
9.	राजस्थान	राजस्थान अ.जा. व अ.ज.जा. विकास निगम	90	90	142.95
		कुल योग	1113	1113	1847.08

विवरण-II

वितरण का ब्यौरा (निगमन के बाद) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	माध्यम एजेंसी का नाम	राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम	30.88
2.	असम	असम के मैदानी जनजातीय विकास निगम	117.33
3.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल अ.जा./अ.ज.जा. विकास निगम	158.15
4.	उड़ीसा	उड़ीसा अ.जा. व अ.ज.जा. विकास एवं वित्त सहकारी निगम लि.	76.55
5.	सिक्किम	सिक्किम अ.जा. एवं अ.ज.जा., अ.पि. वर्ग विकास निगम	14.55
		कुल योग	397.47

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की बिक्री

***304. प्रो. आई. जी. सनदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में राजधानी में कोकीन और नशीले पदार्थों की बिक्री के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये नशीले पदार्थ राजधानी में उन संगठित गिरोहों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की बस्तियों सहित कई भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में बेचे जा रहे हैं जिनके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ संबंध होने का संदेह है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोग गिरफ्तार किए गए और राजधानी में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह व्यापार चल रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) हालांकि इस बात के कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं हैं कि दिल्ली में नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ संपर्क रखने वाले संगठित गिरोहों द्वारा किया जाता है, तथापि नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करने वाले संगठित गिरोहों द्वारा संपर्क की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस वर्ष दिल्ली पुलिस ने दो मामले पकड़े हैं। इनमें से एक में अभियुक्त अफगानी राष्ट्रिक था और दूसरे मामले में अभियुक्त को बार–बार अफगानिस्तान की यात्रा करते पाया गया।

(ङ) 1999 से 2000 (15 नवंबर, 2001 तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस ने, नशीले पदार्थ और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शहर के विभिन्न भागों से 2118 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। हजरत निजामुद्दीन, पहाड़गंज और नबी–करीम पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी अन्य क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से मामूली सी अधिक थी।

औषध क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*305. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों ने कम कीमत पर औषधियों का उत्पादन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा जिन औषधियों का उत्पादन किया जाता था उनका भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने औषधियों के आयात पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार पैकेज के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) सरकार ने कम कीमत पर औषधियों के उत्पादन के लिए घरेलू औषध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति बनाई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा भेषज क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) रुग्णता के कारण हैं–प्राइवेट सेक्टर से भारी प्रतिस्पर्द्धा, कर्मचारी से संबंधित भारी खर्च, सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान करने में असमर्थता और विभिन्न सामाजिक दायित्वों का भारी बोझ।

(घ) से (च) कुछेक मामलों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के उत्पादन रेंज सहित सभी दवाओं के आयात की अनुमति है। आयात, देश में आवश्यकता, स्वदेशी उत्पादन तथा घरेलू मूल्यों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर हैं।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल), स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल), बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल) तथा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीपीसीएल) के पुनरुद्धार पैकेजों की मंजूरी दी थी। तथापि, आईडीपीएल, एसएसपीएल और बीआईएल के मंजूरशुदा पैकेज इन कंपनियों का पुनरुद्धार करने में असफल रहे हैं।

(छ) औषध नीति, 1986 का उद्देश्य भेषज उद्योग में नए निवेश को सरणीकृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना, किफायती पैमाने के साथ प्रभावी लागत उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा नई प्रौद्योगिकियों और नए औषधों की शुरूआत करना तथा औषधों के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ करना है। भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा सभी प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों में से कुछ ही को छोड़कर सबके लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना समाप्त कर दिया गया है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में बुनियादी स्तर से उत्पादन के लिए अधिक लाभ तथा स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर आधारित उत्पादन के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.आई. द्वारा खेल सुविधाओं का विकास

*306. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिवर्ष भारी लाभ अर्जित करता था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2000 में मार्च के अंत तक बोर्ड ने कुल कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) बोर्ड को किन–किन स्रोतों से आय होती है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कोष से वर्षवार और मदवार खेल सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 और 2000–2001 के लिए बी.सी.सी.आई. की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए आय और व्यय के विवरण के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	व्यय की तुलना में आय की अधिकता
1998–99	83,714,734 रु.
1999–2000	301,922,623 रु.
2000–2001	313,045,459 रु.

(ग) बी.सी.सी.आई. के लिए आय के कई साधन जैसे– वार्षिक अंशदान, दौरों से अधिशेष, निवेशों पर ब्याज, टी.वी. अधिकारों की बिक्री, स्वदेशी टूर्नामेंटों के लिए प्रवेश–शुल्क, प्रवेश–शुल्क, प्रायोजन शुल्क और विविध आय को वार्षिक रिपोर्टों में सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) बी.सी.सी.आई. से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं

*307. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये योजनाएं इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ग) इन योजनाओं के शुरू किए जाने के बाद इनके लिए राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक राज्यवार और योजनावार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) : चालू वर्ष में चल रही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना एस जी आर वाई के भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(iii) इंदिरा आवास योजना

(iv) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(v) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(vii) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

(viii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(ix) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

(x) अन्नपूर्णा योजना

(xi) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(xii) काम के बदले अनाज कार्यक्रम।

ये सभी भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री द्वारा अलग से प्रायोजित कोई योजना नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को छोड़कर उपर्युक्त योजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

शुरूआत से अब तक, इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार, राज्यवार कुल आवंटन तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राज्यवार और योजनावार आवंटन और

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे.जी.एस.वाई.		एस.जी.एस.वाई.		आई.ए.वाई.	
		कुल आवंटन (राज्य+केंद्र) (लाख रु.)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)	कुल आवंटन (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (सं.)	कुल आवंटन (राज्य+केन्द्र) (लाख रु.)	निर्मित आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37291.17	356.82	19454.52	280570	105901.28	651465
2.	अरुणाचल प्रदेश	1574.90	13.37	771.21	4620	3002.36	12191
3.	असम	40921.39	265.83	20039.20	30470	50261.84	185435
4.	बिहार	87648.56	734.40	53721.76	287419	198855.21	1170302
5.	छत्तीसगढ़	12389.87	114.24	5895.28	33105	3844.17	25988
6.	गोवा	548.67	4.55	213.04	44	625.51	4729
7.	गुजरात	14037.10	95.40	7323.01	58476	44904.50	225120
8.	हरियाणा	8258.27	45.03	4308.28	50380	11482.63	69837
9.	हिमाचल प्रदेश	3477.87	33.54	1814.52	23257	4559.39	23514
10.	जम्मू व कश्मीर	4304.35	28.29	2245.55	17092	6703.23	44471
11.	झारखंड	34513.06	390.06	10008.99	72636	8733.04	72425
12.	कर्नाटक	28160.13	189.21	14690.91	61242	55929.35	333940
13.	केरल	12635.35	73.80	6591.76	73981	26477.43	240430
14.	मध्य प्रदेश	49530.63	597.59	26408.17	195284	110705.05	818139
15.	महाराष्ट्र	55665.64	727.31	29040.32	189117	104225.67	534628
16.	मणिपुर	2743.36	2.96	1343.40	एन आर	1834.74	5966
17.	मेघालय	3073.55	15.02	1505.12	4435	2714.93	9780
18.	मिजोरम	711.20	7.60	348.29	4243	1404.23	9010
19.	नागालैंड	2108.32	23.06	1032.44	6113	4514.71	32087
20.	उड़ीसा	42653.43	546.70	22251.95	174302	138479.43	547828
21.	पंजाब	4013.44	23.46	2093.77	16957	7139.31	38775
22.	राजस्थान	21382.91	234.96	11155.32	89091	44163.14	343747
23.	सिक्किम	787.44	8.12	385.61	3150	1159.56	7350

शुरूआत से अब तक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.एस.एस.#		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी		सी.आर.एस.पी.	
		कुल आवंटन (केंद्र) (लाख रु.)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)	2001-02 के लिए कुल आवंटन (केन्द्र) (लाख रु.)	कवर की गई बसावटें	कुल आवंटन (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	निर्मित शौचालयों की संख्या
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	113999.14	2175.31	13044.00	69732	4710.91	4918775
2.	अरुणाचल प्रदेश	10766.97	244.75	4476.00	4298	245.785	66632
3.	असम	58806.92	1169.58	7561.00	70669	3339.5	152410
4.	बिहार	137864.69	2265.35	7274.00	105340	7824.99	77840
5.	छत्तीसगढ़	5464.20	84.64	3877.00	50379	129.44	@
6.	गोवा	4242.27	7.52	1455.00	396	103.65	132444
7.	गुजरात	35123.59	557.89	7837.00	30269	2025.18	1427728
8.	हरियाणा	20427.54	208.80	2200.00	6745	917.405	3415732
9.	हिमाचल प्रदेश	9439.53	134.19	5552.00	45367	751.73	4035270
10.	जम्मू व कश्मीर	35472.61	539.54	9896.00	11184	1097.155	592660
11.	झारखंड	5594.57	121.12	3619.00	100096	205.62	@
12.	कर्नाटक	76408.56	1746.05	12414.00	56682	3794.785	4039191
13.	केरल	27895.44	273.15	6331.00	9763	2892.175	939913
14.	मध्य प्रदेश	149026.61	2550.81	8877.00	109489	5716.06	1671890
15.	महाराष्ट्र	68357.98	1905.98	19159.00	85930	6115.95	5233832
16.	मणिपुर	6719.90	123.95	1643.00	2791	348.585	159316
17.	मेघालय	3604.17	47.99	1760.00	8639	386.695	149120
18.	मिजोरम	18471.58	172.50	1257.00	911	171.595	35224
19.	नागालैंड	13074.70	380.83	1308.00	1525	273.07	32032
20.	उड़ीसा	100861.10	2231.25	6522.00	114099	3456.54	737724
21.	पंजाब	7183.19	58.30	2277.00	13449	898.665	543052
22.	राजस्थान	81496.55	1467.60	18705.00	93946	3159.795	3122656
23.	सिक्किम	3196.83	60.61	536.00	1679	173.805	119644

विवरण

राज्यवार और योजनावार आवंटन और

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफ.एफ.डब्ल्यू.		अन्नपूर्णा		एन.ओ.ए.पी.एस.	
		आवंटित खाद्य (टन में)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)	कुल आवंटन (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	2001-02 में लाभार्थियों की संख्या	आवंटन (लाख रु.)	2001-02 में लाभार्थियों की संख्या
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	850000	एन आर	1604.02	93200	28362.11	513254
2.	अरुणाचल प्रदेश			79.79	एन आर	564.91	1063
3.	असम			1155.27	एन आर	8446.94	123553
4.	बिहार	100000	एन आर	2283.86	166601	42068.09	399708
5.	छत्तीसगढ़	626007	एन आर	223.51	29740	2359.85	104870
6.	गोवा			12.34	एन आर	144.96	2201
7.	गुजरात	148105	1585.20	296.94	एन आर	5371.55	5834
8.	हरियाणा			115.64	एन आर	2824.60	28755
9.	हिमाचल प्रदेश	11549	16.94	104.46	एन आर	1076.90	22512
10.	जम्मू व कश्मीर			140.10	10220	1816.67	12107
11.	झारखंड			753.13	एन आर	3288.38	35401
12.	कर्नाटक	100000	एन आर	455.86	एन आर	19240.82	167145
13.	केरल	5000		616.61	31859	8813.82	34575
14.	मध्य प्रदेश	232919	एन आर	802.64	एन आर	27465.08	354915
15.	महाराष्ट्र	50000	93.33	1836.40	एन आर	25922.96	105874
16.	मणिपुर			143.97	4831	1064.93	5593
17.	मेघालय			155.25	एन आर	1114.85	16436
18.	मिजोरम			43.37	एन आर	353.30	9050
19.	नागालैंड			112.75	एन आर	803.10	8106
20.	उड़ीसा	250000	429.00	888.31	64800	20145.47	416171
21.	पंजाब			83.48	एन आर	2290.56	38618
22.	राजस्थान	739505	1072.52	983.81	61402	9712.65	55672
23.	सिक्किम			41.63	2411	289.98	0

शुरूआत से अब तक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.एफ.बी.एस.		पी.एम.जी. एस.वाई$	आई.डब्ल्यू. डी.पी.$	डी.पी.ए.पी.$	डी.डी.पी.$
		आवंटन (लाख रु.)	लाभार्थियों की संख्या	कुल आवंटन (केन्द्र) (लाख रु.)	रिलीज की गई कुल राशि (लाख रु.)	रिलीज की गई राशि (लाख रु.)	रिलीज की गई राशि (लाख रु.)
1	2	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	18137.88	182779	38000.00	8571.45	29533.00	3393.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	206.71	251	7000.00	9.00		
3.	असम	5996.43	29376	15000.00	1293.28		
4.	बिहार	13415.78	99570	30000.00	613.64	7801.00	
5.	छत्तीसगढ़	1883.18	12353	17400.00	1138.63	1268.00	
6.	गोवा	76.86	885	1000.00			
7.	गुजरात	2186.89	8341	10000.00	4809.42	13634.00	14715.00
8.	हरियाणा	507.87	3231	4000.00	1454.88	1719.00	10188.00
9.	हिमाचल प्रदेश	211.67	2024	12000.00	3474.91	975.00	5230.00
10.	जम्मू व कश्मीर	422.36	3031	4000.00	814.59	3466.00	6918.00
11.	झारखंड	832.45	3611	22000.00	734.55	1569.00	
12.	कर्नाटक	4688.62	16026	19000.00	2991.97	16790.00	3610.00
13.	केरल	2376.28	23019	4000.00	1300.56		
14.	मध्य प्रदेश	21561.17	208448	42600.00	4384.26	20537.00	
15.	महाराष्ट्र	8201.83	61635	26000.00	1786.86	20391.00	
16.	मणिपुर	246.89	813	8000.00	1221.03		
17.	मेघालय	283.36	1189	7000.00	318.16		
18.	मिजोरम	91.04	534	4000.00	1219.89		
19.	नागालैंड	141.88	655	4000.00	3575.15		
20.	उड़ीसा	9238.35	77635	35000.00	3153.55	6900.00	
21.	पंजाब	844.97	6528	5000.00	977.43		
22.	राजस्थान	3692.93	26678	26000.00	4948.31	11147.00	75445.00
23.	सिक्किम	68.09	202	4000.00	1752.04		

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	32973.57	351.61	17202.04	169749	81203.72	658251
25.	त्रिपुरा	4953.22	43.03	2425.60	25366	6954.76	35980
26.	उत्तर प्रदेश	5584.73	461.05	68127.13	234797	228566.71	1230255
27.	उत्तरांचल	128855.22	556.44	2009.00	69445	2768.13	16023
28.	पश्चिम बंगाल	47400.77	282.18	24728.60	113868	80502.78	419487
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
30.	चंडीगढ़	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
31.	दादरा व नगर हवेली	274.72	0.71	159.78	1251	490.22	470
32.	दमन व द्वीव	181.33	0.01	159.78	6	238.90	690
33.	दिल्ली	87.86	0.00	159.78	6	67.91	368
34.	लक्षद्वीप	137.72	0.48	159.78	7	86.72	326
35.	पांडिचेरी	275.66	0.21	159.78	716	451.67	2204
	कुल	689155.42	6227.04	357933.69	2291195	1338952.20	7771211

एन ए–लागू नहीं

एन आर–असूचित

1	2	15	16	17	18	19	20
24.	तमिलनाडु			1179.76	एन आर	22321.87	886545
25.	त्रिपुरा			248.92	10972	1771.62	58676
26.	उत्तर प्रदेश			89.03	एन आर	56198.93	40213
27.	उत्तरांचल			3894.33	एन आर	765.10	660081
28.	पश्चिम बंगाल			1311.63	एन आर	21540.58	133189
29.	अ. नि. द्वीपसमूह			110.22	एन आर	1364.25	0
30.	चंडीगढ़			6.03	एन आर	77.39	0
31.	दादरा व नगर हवेली			7.68	23	67.86	0
32.	दमन व द्वीव			5.21	380	44.39	
33.	दिल्ली			1.10	एन आर	14.01	241
34.	लक्षद्वीप			0.82	58	8.85	15
35.	पांडिचेरी			21.66	एन आर	192.77	
	कुल	3113085	4062.90	19809.52	476497	317909.52	4240373

एन आर–असूचित

1	2	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	102465.66	2134.92	7956.00	66631	4919.04	1961441
25.	त्रिपुरा	17933.69	298.38	1559.00	7412	596.655	114400
26.	उत्तर प्रदेश	177836.24	2936.30	3356.00	31008	12545.56	@
27.	उत्तरांचल	639.03	25.24	13269.00	243633	44.69	5692029
28.	पश्चिम बंगाल	65842.79	1044.14	8773.00	79036	4466.675	3107277
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	एन ए	एन ए	5.00	219	48.11	8770
30.	चंडीगढ़	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	44.97	20352
31.	दादरा व नगर हवेली	237.36	2.55	13.00	504	61.185	0
32.	दमन व द्वीव	202.36	2.08	7.00	518	58.735	102840
33.	दिल्ली	1180.97	0.90	0.00	32	44.22	5052
34.	लक्षद्वीप	4192.22	7.81	0.00	10	52.79	4532
35.	पांडिचेरी	7025.26	1.59	5.00	267	61.36	184.76
	कुल	1371054.22	24981.62	182523.00	1422646	71683.07	42758561

@वास्तविक उपलब्धि को अविभक्त राज्यों के साथ मिला दिया गया है। एन ए—लागू नहीं एन आर—असूचित
#313.99 तक। ई.ए.एस. मांग आधारित योजना थी और रिलीजों को आवंटन के रूप में लिया गया है।

1	2	21	22	23	24	25	26
24.	तमिलनाडु	12172.68	138248	16000.00	2846.59	11139.00	
25.	त्रिपुरा	516.78	4556	5000.00	134.58		
26.	उत्तर प्रदेश	22534.07	229155	63000.00	504.12	709.00	
27.	उत्तरांचल	440.66	7535	12000.00	7675.65	18858.00	
28.	पश्चिम बंगाल	7567.86	46855	27000.00	807.49	4922.00	
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	252.23	1219	0.00	265.00		
30.	चंडीगढ़	22.89	93	0.00			
31.	दादरा व नगर हवेली	22.82	4	2000.00			
32.	दमन व द्वीव	22.78	118	1000.00			
33.	दिल्ली	22.78	129	1000.00			
34.	लक्षद्वीप	22.77	81	1000.00			
35.	पांडिचेरी	22.90	137	1000.00			
	कुल	136934.71	1196944	474000.00	62776.99	171358.00	119499.00

$राज्यवार वास्तविक उपलब्धि की जानकारी नहीं दी गई है।

प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश

*308. **श्री जोरा सिंह मान :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन' द्वारा किए गए अध्ययन के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट उन जिलों में व्यापक सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई है, जहां केन्द्र सरकार प्राथमिक विद्यालयों को चलाने में होने वाली कुल व्यय का 85% धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की घटती संख्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। नवंबर, 2001 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के चरण–I वाले 39 जिलों में नामांकन 1995–96 के 69.32 लाख से बढ़कर 2000–2001 में 80.36 लाख हो गया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000–2001 के नामांकन में थोड़ी कमी आई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के चरण–II/III वाले 86 जिलों में कुल नामांकन में निरंतर वृद्धि हुई है। यह संख्या 1997–98 में 185.31 लाख थी जो बढ़कर 2000–2001 में 206.94 लाख हो गई है।

(ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 85% लागत राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। नीपा की रिपोर्ट के तहत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों के सभी सरकारी और मान्यताप्राप्त स्कूल शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुछ राज्यों में आयु विशिष्ट बाल आबादी में हुई कमी तथा शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक तथा अन्य प्रकार के स्कूलों में बच्चों के नामांकन के कारण कुछ जिलों में नामांकन में नाममात्र की कमी आई है। इस मामले में और अध्ययन तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्यों से कहा गया है।

[अनुवाद]

मानित विश्वविद्यालय

*309. **श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार मानित विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) इस समय देश में 52 सम विश्वविद्यालय हैं। इन सम विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विचाराधीन प्रस्तावों के त्वरित निपटान और उदीयमान क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभावना वाली नई संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिणामतः सम विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2000 में 5 संस्थाओं को और वर्ष 2001 में 6 संस्थाओं को सम विश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(घ) और (ङ) जिन संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है वे अपने–अपने संगम ज्ञापन–नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होती हैं। सामान्यतया उनके ये संगम ज्ञपन तथा नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए 'मॉडल संगम ज्ञापन/नियमों' पर आधारित होते हैं। सम विश्वविद्यालय स्वायत्त संगठन हैं और इन सम विश्वविद्यालयों का अनुवीक्षण उनके निदेशक/कुलपति द्वारा तथा अन्य आंतरिक तंत्रों के माध्यम से किया जाता है। इन सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली 'सर्च समिति' में तथा प्रबंधन बोर्ड, वित्त

समिति और सिंडीकेट इत्यादि जैसे उनके अन्य आंतरिक निकायों में केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। कालांतर में इन विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा निरीक्षण केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा करने की व्यवस्था है।

विवरण

मानित विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	सम विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	1
5.	झारखंड	2
6.	कर्नाटक	3
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	9
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	8
12.	उत्तरांचल	2
13.	उत्तर प्रदेश	6
14.	पश्चिम बंगाल	1
15.	नई दिल्ली	6

जनजाति उप-योजना के अंतर्गत योजनाएं

***310. श्री शमशेर सिंह दूलो :** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 1978 से जनजाति उप–योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कौन–कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम बनाए गए/बनाए जा रहे हैं और उनके स्वरूप, क्षेत्र और लक्ष्य समूह क्या थे;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए मांगी गई और प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या लाभ और लक्ष्य प्राप्त हुए; और

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के आवास और गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य योजना आवंटनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, वित्त एवं विकास संस्थानों की योजनाओं/कार्यक्रमों से जनजातीय विकास के लिए निधियों का प्रवाह कम से कम जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना से जनजातीय उपयोजना कार्यनीति अपनाई गई। इसके अतिरिक्त, 20 जनजातीय उप–योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जनजातीय उपयोजना की दिशा में उनके आवंटनों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। ये अनुदान बुनियादी रूप से कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिताओं, मात्स्यिकी, लघु उद्योगों तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्षेत्रों में परिवारोन्मुखी आय सृजक योजनाओं के लिए हैं।

(ग) मंत्रालय राज्य सरकारों को एक अतिरिक्तता के रूप में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उपलब्ध की गई निधियां निम्नलिखित हैं :

वर्ष	आवंटित राशि
1997–98	330.00
1998–99	380.00
1999–2000	400.00
2000–01	400.00
2001–02	500.00

(घ) मंत्रालय लक्ष्य निर्धारित करता है और 20–सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत सूचना एकीकरण के माध्यम से गरीबी उपशमन तथा आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति को मानीटर करता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 44,17,444 अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले 40,18,944 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है जो लक्ष्य का 90.9% है। वर्ष 2001–02 के लिए 11,45,867 अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के आवासों के लिए तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कोई विशेष योजना/कार्यक्रम नहीं है। तथापि, मंत्रालय की अनेक योजनाएं/कार्यक्रम जैसा कि विवरण में दिया गया है, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी उपशमन को परोक्ष रूप से तथा अपरोक्ष रूप से कम करने में जनजातियों को लाभान्वित करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से गरीबी उपशमन और आवास के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	संविधान के प्रथम परंतुक के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4.	जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास
5.	जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास
6.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन
7.	जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
9.	लघु वन उत्पादन कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान
10.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
11.	ग्राम अन्न बैंक
12.	समेकित आदिम जनजातीय समूहों का विकास
13.	जनजातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना
14.	जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक
15.	जनजातीय विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन
16.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
17.	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

*311. **श्री एन. टी. षणमुगम : क्या शहरी विकास और गरीब उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' किस तरीके से देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में गरीबों में सर्वाधिक गरीबों तक पहुंचती है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना सद्भावना समूहों और समुदाय विकास आदि की स्थापना को प्रोत्साहित करती है; और

(घ) यदि हां, तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं और बच्चों के विकास में यह योजना किस तरीके से सहायता करती है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एक वृहत केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से चला रहा है। जिसके द्वारा (i) नौवीं कक्षा तक पढ़े लोगों को स्व–रोजगार उद्यम लगाने के प्रोत्साहन के जरिए और (ii) मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया किया जाता है। कार्यक्रम के लिए धन केन्द्र और राज्यों से 75:25 के अनुपात में दिया जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामुदायिक अधिकारिता की नींव पर निर्भर करती है। लक्ष्य क्षेत्रों में परिवेश समूह परिवेश समितियां और समुदाय

विकास समितियां (एनएचजी, एनएचसी, एंड सीडीएस) जैसे सामुदायिक संगठन स्थापित किए जाते हैं।

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होना चाहिए। शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 'शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास' (डीडब्ल्यूसीयूए) नामक एक विशेष उप घटक भी है। शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास के अंतर्गत शहरी गरीब महिला समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, अभिरुचि और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप आर्थिक कारोबार के लिए सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर और उन्हें स्व–रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराके उन्हें अधिकारिता प्रदान करना है। कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाओं वाला डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. समूह 1,25,000 रुपए अथवा परियोजना लागत का 50%, जो भी कम हो, सब्सिडी पाने का पात्र है। उन्हें विभिन्न सेवाओं और निर्माण व्यवसायों के साथ–साथ स्थानीय कौशल और स्थानीय शिल्प में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्व–रोजगार उद्यम लगा सकें। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास समूह एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी गठित करते हैं जो 1000/– रुपए प्रति सदस्य की अधिकतम दर पर आवर्ती कोष के रूप में 25,000/– रुपए का एकमुश्त अनुदान पाने की हकदार होती है। आवर्ती कोष कच्ची सामग्री की खरीद तथा विपणन, शिशु देखभाल गतिविधि के एक बार के खर्च; उनके अपने स्वास्थ्य/जीवन/दुर्घटना अन्य बीमा योजना के लिए थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी सदस्य के नाते दी जाने वाली प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए है, बशर्ते कि उसके द्वारा थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटी आदि 12 माह की किसी स्थायी जमा योजना में कम से कम 500/– रुपए की बचत राशि जमा की गई हो।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन

***312. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से ग्रामीण विकास की धीमी गति के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अंतरिम अनुमान के अनुसार यह सुझाव दिया गया कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या और उनके अनुपात में कमी के संबंध में किए गए अनुमानों (नौवीं योजना के लिए किया गया) को योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान वास्तविक रूप नहीं दिया गया था। योजना आयोग के अनुसार, ऐसा अन्य बातों के साथ–साथ असामान्य कृषि उपज, श्रमिकों को काम में लगाने में बढ़ोत्तरी न हो पाने के कारण वास्तविक मजदूरी की धीमी प्रगति पूर्वी और उत्तरी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोगों में अपर्याप्त पहुंच, सामाजिक क्षेत्रों में कम व्यय होने के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र की सीमित वृद्धि की वजह से हुआ।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात वर्ष 1993–94 के 36 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 26 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है।

विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रगति की सतत गहन संवीक्षा होती रहती है ताकि योजनाओं के कारगरता/प्रभाविता में आगे सुधार हो, प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर किया जाए और लीकेज को कम किया जा सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रचालन के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम को यथापेक्षित रूप से पुनः तैयार/पुनर्गठित किया गया है। सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर जवाबदेही/सामाजिक लेखा–परीक्षा को लागू करने से संबंधित प्रभावों में सुधार लाने के लिए बहुमुखी कार्यनीति भी बनाई है।

[अनुवाद]

बिना मूल्य नियंत्रण वाले उर्वरकों पर तदर्थ छूट

*313. **श्री जी. एस. बसवराज :**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **रसायन और** उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बिना मूल्य नियंत्रण वाले विभिन्न उर्वरकों और उनके अमोनिया जैसे अवयवों पर तदर्थ छूट को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) जी, नहीं। एस एस पी के सिवाय बिना मूल्य नियंत्रण वाले फासफेटिक और पोटासिक (पी और के) उर्वरकों पर रियायत की दरों को कच्चे माल/मध्यवर्तियों (अमोनिया और फासफोरिक एसिड) के मूल्यों और विनिमय दर के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डी ए पी के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के अनुसार तिमाही आधार पर समायोजित किया जाता है। विभिन्न बिना मूल्य नियंत्रण वाले उर्वरकों के लिए रियायत दरों में कोई अधोगामी कमी करने का वर्तमान में, कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कच्चे माल/मध्यवर्तियों आदि के मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में रियायत की दरें भी तदनुसार कम हो जाएंगी।

भारत सरकार के मुद्रणालयों को चालू रखना/बंद करना/पुनर्गठित करना

*314. **श्रीमती प्रेनीत कौर :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के मुद्रणालयों/इकाइयों को चालू रखने/बंद करने/पुनर्गठित करने के मामले पर विचार किया है और ऐसे मुद्रणालयों और इकाइयों की पहचान की है जिनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्रणालयों/इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 2001–2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों पर व्यय

*315. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में राज्यवार नवोदय विद्यालयों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि की लेखा परीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को लेखापरीक्षा में कुछ अनियमितताओं के बारे में बताया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार तथा झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, हां। आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा समिति के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुसूचियों के अनुसार नियमित रूप से की जाती है।

(ग) से (ङ) मोटे तौर पर उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां और इंगित की गई अनियमितताएं (i) प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं; (ii) स्कूलों में स्टॉक, विशेषकर राशन के स्टॉक, के संबंध में सटीक रिकार्ड का न रखा जाना; (iii) दूरी और स्कूलों तक कठिन पहुंच की वजह से लागत में थोड़ी वृद्धि और (iv) वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अपर्याप्त ज्ञान से संबंधित थीं। लेखा–परीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इनमें उठाई गई आपत्तियों/इंगति की गई अनियमितताओं की ओर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है तथा उनका निवारण किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1998–99 से 2000–2001 तक नवोदय विद्यालयों पर होने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.86	0.04	1.19	1.38	1.07	0.16
2.	आंध्र प्रदेश	14.16	4.70	15.69	6.83	17.15	3.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.84	2.68	3.37	4.81	3.27	3.65
4.	असम	4.65	10.00	6.22	18.56	7.37	25.15
5.	बिहार	21.92	13.52	24.34	14.63	19.19	8.96
6.	चंडीगढ़	0.21	0.90	0.40	0.03	0.21	0.32
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	3.97
8.	दादरा और नगर हवेली	0.33	0.22	0.36	0.12	0.35	0.06
9.	दमन और द्वीव	0.66	0.31	0.65	0.17	0.63	0.37
10.	दिल्ली	2.36	1.61	1.35	0.28	1.31	0.15
11.	गोवा	0.95	0.51	1.07	0.52	1.13	1.93
12.	गुजरात	5.03	7.05	5.99	8.91	6.51	6.36
13.	हरियाणा	5.43	4.97	8.13	5.68	8.75	6.08
14.	हिमाचल प्रदेश	5.65	9.89	5.73	5.44	6.26	4.07
15.	जम्मू व कश्मीर	5.50	0.90	6.36	2.25	6.67	2.96
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	5.40
17.	कर्नाटक	11.64	8.84	13.24	7.16	14.55	6.93
18.	केरल	7.90	5.29	8.80	4.50	9.36	3.68
19.	लक्षद्वीप	0.40	2.16	0.43	1.01	0.45	1.76
20.	मध्य प्रदेश	21.74	25.63	26.01	18.11	23.59	18.51
21.	महाराष्ट्र	13.29	15.62	15.76	14.28	16.96	11.43

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मणिपुर	3.94	2.45	4.74	3.95	4.78	3.07
23.	मेघालय	2.33	0.28	2.56	1.11	2.55	2.30
24.	मिजोरम	0.60	0.44	0.45	0.00	0.43	0.02
25.	नागालैंड	0.95	0.23	1.07	1.43	0.99	0.83
26.	उड़ीसा	8.59	15.27	8.89	1.71	9.38	3.73
27.	पांडिचेरी	1.77	1.91	1.93	2.93	1.93	2.23
28.	पंजाब	6.46	5.34	7.54	5.11	8.57	4.55
29.	राजस्थान	15.91	12.12	15.86	8.55	17.60	14.06
30.	सिक्किम	0.96	0.53	1.08	0.35	1.06	0.32
31.	त्रिपुरा	5.27	4.22	1.36	3.91	1.32	3.75
32.	उत्तर प्रदेश	24.97	17.88	28.83	21.29	27.80	25.42
33.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	3.59
	कुल	193.27	174.63	219.40	165.01	236.36	179.48

[अनुवाद]

विदेशों से ग्रहण उच्च स्तर की शिक्षा को विनियमित करना

*316. **श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी दिशा–निर्देश को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा उनके संचालन के लिए विनियमों का प्रारूप तैयार किया है। विनियमों का यह प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

पॉलीटेक्निक शिक्षा हेतु विश्व बैंक से सहायता

*317. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पॉलीटेक्निक शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक से प्राप्त सहायता राज्य सरकारों को वितरित कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों के बीच सहायता देने के क्या मानदंड हैं; और

(च) इससे राज्यवार कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुईं और कितने पॉलीटेक्निक का उन्नयन/आधुनिकीकरण किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) जी, हां। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 2 परियोजनाएं अर्थात् तकनीशियन शिक्षा परियोजना–I और II नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण कर ली गई हैं जिनमें 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पॉलीटेक्निक प्रणाली की क्षमता का विस्तार करना; पॉलीटेक्निक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना; तथा पॉलीटेक्निक प्रणाली के प्रबंधन और संचालन की क्षमता में वृद्धि करना है।

शेष 8 इच्छुक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए तकनीशियन शिक्षा परियोजना–III जनवरी, 2001 से लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पॉलीटेक्निक शिक्षा की कार्य क्षमता में विस्तार करना, उसकी गुणवत्ता और कार्यकुशलता को बेहतर बनाना एवं समाज के वंचित वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं) को पॉलीटेक्निक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने को और सुलभ बनाना है।

तकनीशियन शिक्षा परियोजना I और II में उपयोग की गई विश्व बैंक सहायता का ब्यौरा तथा तकनीशियन शिक्षा परियोजना–III के लिए किए गए परियोजनागत आबंटन का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। राज्य क्षेत्रीय परियोजनाएं होने के कारण किए गए/उपयोग किए गए वित्तीय आबंटन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार थे। तकनीशियन शिक्षा परियोजना–I व II की महत्वपूर्ण उपलब्धियां विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक की संख्या और विश्व बैंक सहायता के संबंध में राज्य–संघ शासित प्रदेशों के अनुसार सूचना

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I (तकनीकी शिक्षा-I)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पॉलीटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1	2	3	4
1.	बिहार	25	54
2.	गोवा	4	21
3.	गुजरात	22	80
4.	कर्नाटक	39	75
5.	केरल	30	46
6.	मध्य प्रदेश	40	135
7.	उड़ीसा	13	63
8.	राजस्थान	21	64
9.	उत्तर प्रदेश	86	215
	कुल	280	753

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II (तकनीकी शिक्षा-II)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पॉलीटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	59	109
2.	असम	9	44
3.	हरियाणा	16	137
4.	हिमाचल प्रदेश	5	33
5.	महाराष्ट्र	50	221
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9	44
7.	पांडिचेरी	3	17
8.	पंजाब	17	92
9.	तमिलनाडु	52	80
10.	पश्चिम बंगाल	32	115
	कुल	252	892

तकनीकी शिक्षा परियोजना-III (तकनीकी शिक्षा-III)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पॉलीटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	23
3.	जम्मू एवं कश्मीर	4	65
4.	मेघालय	3	53
5.	मिजोरम	2	35
6.	नागालैंड	3	47
7.	सिक्किम	2	57
8.	त्रिपुरा	1	12
	कुल	18	314*

*आशा है कि विश्व बैंक सहायता इस राशि का 80 प्रतिशत है।

विवरण-II

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I वाले राज्यों की मुख्य उपलब्धियां

क्र.सं.	पैरामीटर	बिहार	गोवा	गुजरात	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1.	परियोजना पॉलीटेक्निक	25	4	22	39	30	40	13	21	86
2.	नवीन सह शिक्षा पॉलीटेक्निक	3	शून्य	1	2	1	6	1	2	2
3.	नवीन महिला पॉलीटेक्निक	1	शून्य	शून्य	1	1	8	2	2	4
4.	पुरुष छात्रों के लिए छात्रावास	200	60	880	300	400	810	166	168	2625
5.	छात्राओं के लिए छात्रावास	200	60	450	444	440	433	625	270	1361
6.	सह शिक्षा छात्रों के लिए नया डिप्लोमा कार्यक्रम	6	9	8	8	5	6	24	9	73
7.	सह शिक्षा छात्रों के लिए नया उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	6	1	21	1	3	शून्य	12	3	20
8.	विशेष रूप से छात्राओं के लिए नया डिप्लोमा तथा उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	15	4	16	7	5	34	15	9	43
9.	छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों	1690	1030	2235	1490	1830	4755	1825	1460	8260
10.	छात्राओं की प्रतिशतता	16.5	26	26	28.4	45	45	29	28	22.6

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II वाले राज्यों की मुख्य उपलब्धियां

क्र. सं.	पैरामीटर	आंध्र प्रदेश	असम	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	पांडिचेरी	पंजाब	तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल
1.	परियोजना पॉलीटेक्निक	59	9	16	5	50	9	3	17	52	32
2.	नवीन सह शिक्षा पॉलीटेक्निक	1	शून्य	3	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	2
3.	नवीन महिला पॉलीटेक्निक	2	1	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	3	शून्य	2
4.	पुरुष छात्रों के लिए छात्रावास	160	शून्य	912	270	860	40	शून्य	150	शून्य	645
5.	छात्राओं के लिए छात्रावास	2044	240	641	240	1206	70	शून्य	1200	1215	410
6.	सह शिक्षा छात्रों के लिए नया डिप्लोमा कार्यक्रम	26	शून्य	19	4	26	10	3	14	27	30
7.	सह शिक्षा छात्रों के लिए नया उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	3	शून्य	1	1	16	6	1	शून्य	10	10
8.	विशेष रूप से छात्राओं के लिए नया डिप्लोमा तथा उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	11	2	9	1	13	3	2	15	12	14
9.	छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें	5350	210	2569	375	4085	1360	480	2597	3605	3719
10.	छात्राओं की प्रतिशतता	33	16	19	22	26	30	42	35	40	22

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III वाले राज्यों की मुख्य उपलब्धियां

इस परियोजना को लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आदिवासी कल्याण योजनाएं

*318. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए राज्य के पास धनराशि की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए केन्द्र सरकार का गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार का किस तरीके से आदिवासियों का कल्याण करने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) राज्य सरकारों को जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत अपनी योजना निधियों की प्रतिशतता कम से कम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर निर्धारित करनी होती है।

(ख) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। इस मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अपनी योजना निधियों का कम से कम 8% खर्च करना होता है।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य सरकार को जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2620.60 लाख रुपए की राशि तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 2250.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है और उसे पहले ही राज्य को निर्मुक्त की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य को 160.95 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की आगे निर्मुक्ति राज्य सरकार से प्रस्तावों पर निर्भर करेगी। सरकार राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए सच्चे प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक

*319. **श्री शिवाजी माने :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राज्यीय परिषद् की हाल में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कितने राज्यों के मुख्य मंत्रियों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने भाग लिया था;

(ग) किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और आम सहमति से कौन से निर्णय लिए गए; और

(घ) सरकार द्वारा इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान। अंतर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 16.11.2001 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) इक्कीस राज्यों के मुख्य मंत्रियों, विधान मंडल वाले दो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, एक राज्यपाल, एक उप राज्यपाल तथा संघ राज्य क्षेत्रों के दो प्रशासकों ने इस बैठक में भाग लिया।

(ग) इस बैठक में विभिन्न विषयों अर्थात् वैधानिक संबंधों, राज्यपाल की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाएं, अंतःशासकीय परिषद, खानों व खनिजों, मास मीडिया आदि के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में शामिल इक्यावन सिफारिशों पर विचार किया गया। परिषद द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

(i) कानून बनाने की सभी अवशिष्ट शक्तियों, जिसमें कराधान के मामले भी शामिल हैं; को संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए।

(ii) समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाते समय राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श किया जाना चाहिए सिवाय आकस्मिक मामलों के।

(iii) संघ सरकार की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संपत्तियों पर स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाने के संबंध में एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए।

(iv) राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति का चयन करने के मामले में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ परामर्श किया जाना संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनिवार्य बनाया जाए।

(घ) अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा-पत्र

*320. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा–पत्र (चार्टर) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घोषणा–पत्र को तैयार करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री : (क) जी, हां। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय बाल नीति और चार्टर का प्रारूप तैयार कर लिया है।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय बाल नीति तथा चार्टर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

यह चार्टर नीति निर्देशक दस्तावेज है, जिससे बाल अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषाहार और जीवन स्तर का अधिकार।

(2) विश्राम, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा का अधिकार।

(3) आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।

(4) बालिका की सुरक्षा का अधिकार, किशोरों को शिक्षा और कौशल विकास का अधिकार।

(5) समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता और पहचान का अधिकार।

(6) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार।

(7) संघ बनाने और शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता का अधिकार।

(8) परिवार का अधिकार।

(9) शरणार्थी बच्चों, विकलांग बच्चों, सीमांत व सुविधाविहीन समुदायों के बच्चों के अधिकार।

(10) पीड़ित बच्चों के अधिकार।

(11) बाल–अनुकूल प्रक्रिया का अधिकार।

प्रस्तावित राष्ट्रीय बाल नीति और चार्टर में केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न बाल कार्यक्रमों तथा हमारी मौजूदा और प्रस्तावित नीतियों के सभी पहलू व उद्देश्य शामिल हैं। चार्टर में इस बात को भी दोहराया गया है कि बच्चों के अधिकार परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के संदर्भ में होने चाहिए और इसके लिए उन्हें सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। चार्टर में इस बात पर बार–बार बल दिया गया है कि राज्य और समुदाय दोनों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई से ही बाल अधिकारों को कार्यान्वित किया जा सकता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

(ग) राष्ट्रीय बाल नीति और चार्टर के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) चार्टर में बच्चों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इसमें बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित सभी मुद्दे शामिल होंगे और यह चार्टर कार्यक्रम निरूपण का आधार होगा।

(ii) चार्टर में व्यापक सामाजिक संदर्भ में बाल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सभी मुद्दों से संबंधित संरचनात्मक कारणों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

(iii) चार्टर में परिवार, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाते हुए बच्चों को उनके अधिकारों के हनन से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय की सहभागिता की मांग की गई है।

(iv) चार्टर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य और समुदाय को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

(घ) राष्ट्रीय नीति तथा चार्टर बाल कल्याण तथा विकास गतिविधियों को चलाने के लिए सरकार का नीति दस्तावेज होगा। इससे देश के सभी बच्चों को लाभ प्राप्त होगा।

भूमि आवंटन

3326. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री भूमि आवंटन के बारे में 28 नवंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपायुक्तों/कलैक्टरों ने जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

3327. श्री महबूब जहेदी :
श्री विकास चौधरी :
श्री रघुनाथ झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिन से अधिक के अवकाश/छुट्टी पर गए दिल्ली विश्वविद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न अध्यापक वर्गों तथा उन कर्मचारियों जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में सरकारी आवास आवंटित किया गया है, को परिवहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.डी.ए. को हानि

3328. श्री सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. को मार्च, 2000 तक रोहिणी/द्वारका के चारों तरफ वर्षा के पानी के लिए नाले के निर्माण कार्य को पूरा न करने और ठेका समाप्त करने के कारण 1.31 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो इस हानि के लिए अन्य उत्तरदायी कारकों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हानि और विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार योजना

3329. श्री एम. के. सुब्बा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्रोतों, सर्वेक्षणों और रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत लोगों के बारे में एकत्र किए गए अद्यतन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य में किस सीमा तक ग्रामीण बेरोजगारी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) 25 सितंबर, 2001 से शुरू की गई है। सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई) नई योजना में पूर्णतः विलय हो जाएंगी। हालांकि, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नई योजना के भाग या हिस्से के रूप में वर्तमान वर्ष में जारी रहेंगी। राज्य सरकारों व संघ राज्य प्रशासनों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत प्रति वर्ष 5000 करोड़ रुपए कीमत के (किफायती मूल्य पर) 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। शेष निधियां (5000 करोड़ रुपए) मजदूरी के नकद घटक व सामग्री लागत को पूरा करने के लिए खर्च की जाएगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ श्रमदिवस सृजित करने का विचार है।

(ख) प्रत्येक राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत ग्रामीण बेरोजगारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

*दिनांक 30.9.2001 को रोजगार कार्यालय के उपलब्ध रजिस्टरों में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रोजगार चाहने वालों की संख्या***

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संख्या (लाख में)
1	2	3
	(क) राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	20.11

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03
3.	असम	9.17
4.	बिहार	11.36
5.	छत्तीसगढ़	4.72
6.	दिल्ली	2.27
7.	गोवा	0.73
8.	गुजरात	5.76
9.	हरियाणा	4.38
10.	हिमाचल प्रदेश	7.92
11.	जम्मू और कश्मीर	0.87
12.	झारखंड	9.34
13.	कर्नाटक	9.24
14.	केरल	34.61
15.	मध्य प्रदेश	9.41
16.	महाराष्ट्र	20.58
17.	मणिपुर	2.66
18.	मेघालय	0.15
19.	मिजोरम	0.10
20.	नागालैंड	0.12
21.	उड़ीसा	6.27
22.	पंजाब	2.90
23.	राजस्थान	3.32
24.	सिक्किम*	शून्य
25.	तमिलनाडु	25.54
26.	त्रिपुरा	1.74
27.	उत्तरांचल	1.70
28.	उत्तर प्रदेश	9.28
29.	पश्चिम बंगाल	32.17
	(ख) संघ राज्य क्षेत्र	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
31.	चंडीगढ़	0.13
32.	दादरा और नगर हवेली	0.05
33.	दमन और द्वीव	0.03
34.	लक्षद्वीप	0.11
35.	पांडिचेरी	0.15
	(ग) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	
	कुल	236.92

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है। **श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी हालांकि श्रम मंत्रालय के अनुसार, रोजगार कार्यालय के उपलब्ध रजिस्टर में सभी रोजगार चाहने वाले पूर्ण रूप से बेरोजगार नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वैष्णोदेवी को जोड़ना

3330. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वैष्णोदेवी को जोड़ना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वैष्णो देवी को जोड़ने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ई.ए.एस. के अंतर्गत निधियों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में सी.ए.जी. रिपोर्ट

3331. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.ए.जी. ने गत पांच वर्षों के दौरान ई.ए.एस. के अंतर्गत निधियों के अन्यत्र उपयोग और अल्प उपयोग की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु गठित निगरानी और सतर्कता समितियां अप्रभावी सिद्ध हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा, यह सुनिश्चित करने हेतु कि योजना के अंतर्गत निधियां अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए खर्च की जाएं, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 'ग्रामीण रोजगार सर्जक कार्यक्रम का कार्यान्वयन' विषयक वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन में निधियों के अन्यत्र उपयोग एवं कम उपयोग जैसी कमियों को दर्शाया है। राज्यवार विवरण क्रमशः विवरण–I तथा II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सतर्कता और निगरानी समिति के अतिरिक्त, मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की जा रही है। मंत्रालय के उप सचिव एवं इनसे ऊपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण विकास सचिवों की बैठकों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

विवरण-I

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के अन्यत्र उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपये लाख में)

राज्य	वर्ष	राशि
1	2	3
मिजोरम	1993–98	466.76
मिजोरम	1996–98	24.77
मिजोरम	1993–99	46.02
मिजोरम	1995–99	316.3
*जम्मू व कश्मीर	1994–99	
*जम्मू व कश्मीर	1995–99	333
*असम	*दिसंबर 1995 और अप्रैल 1996	16.29
*असम	जनवरी, फरवरी और अप्रैल 1996, फरवरी 1998	14.91
*असम	1992–99	201.11
*असम		76.38
*मेघालय	1995–98	11.34
*मेघालय	1992–99	84.64
*मेघालय	1993–98	104.87
*मेघालय	1992–98	34.96
पंजाब	1998–99	134.49
पंजाब	मार्च 1997 और मार्च 1999	53.58
मध्य प्रदेश	1996–98	516
	1993–99	2956
मध्य प्रदेश	1993–99	4727
हरियाणा	1996–97	3.31
	1995–98	1.13
*हरियाणा	1996–97	3.5
हरियाणा	1994–98	103
हिमाचल प्रदेश	1996–97	1.8
*हिमाचल प्रदेश	सितम्बर 1995 से मार्च 1997 तक	1.58
हिमाचल प्रदेश	1998–99	1.55
अरुणाचल प्रदेश	1993–98	58.15

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	नवम्बर, 1995	2.17
*उत्तर प्रदेश	1992–99	1040
	मार्च–97	36.81
*उड़ीसा	1994–98	247.72
	1994–98	15
	1997–99	55.44
	1996–98	24
	1996–97	20
*मणिपुर	1993–98	22.82
*उत्तर प्रदेश	जनवरी से मई, 1995	40.24
*उत्तर प्रदेश	मार्च 1995 से जुलाई 1998	146
उत्तर प्रदेश	1997–98	19.73
उत्तर प्रदेश	जनवरी से सितम्बर, 1998	87
उत्तर प्रदेश	1997–99	91.57
उत्तर प्रदेश	1997–99	212
उत्तर प्रदेश	1992–93	42.14
उत्तर प्रदेश	1992–99	1040
राजस्थान	1996–97	71.94
राजस्थान	1994–95	7.58
*राजस्थान	1995–99	10
*राजस्थान	1994–96	231.39
*राजस्थान	1993–99	242
*राजस्थान	1991–99	52.25
*राजस्थान	1994–99	346
तमिलनाडु	1993–99	817.99
केरल	1993–98	966.98
महाराष्ट्र	1998–99	12.42
प. बंगाल	1994–1999	26.23,
*प. बंगाल	जनवरी 1996, जून 1995 से फरवरी 1997	86.68 278.21
*प. बंगाल	नवम्बर 1994 और जुलाई 1996 के बीच	652.72
*प. बंगाल	जनवरी 1998 और जून 1998 के बीच	5.05
*प. बंगाल	दिसम्बर 1995 और जून 1996 के बीच	92.82
*त्रिपुरा	1993–99	122
*बिहार		154
*बिहार		1028
*बिहार	1992–99	128
*नागालैंड	1996–97	3.53
नागालैंड		7.27
*कर्नाटक	1992–99	2148
*आंध्र प्रदेश	1994–99	236
गुजरात	1993–98	884

*नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना को कवर करने वाली ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम संबंधी संयुक्त रिपोर्ट। इसलिए जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अलग से ब्यौरे कई जगहों पर नहीं दिए गए हैं।

विवरण-II

सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के तहत अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी की गई कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां	उपयोग नहीं की शेष निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1026.62	1088.06	–61.44

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	109.88	99.25	10.63
3.	असम	564.40	447.97	116.43
4.	बिहार	1117.56	1025.72	91.84
5.	गोवा	5.00	4.87	0.13
6.	गुजरात	320.19	285.00	35.19
7.	हरियाणा	181.63	154.91	26.72
8.	हिमाचल प्रदेश	89.69	76.55	13.14
9.	जम्मू व कश्मीर	298.81	289.37	9.44
10.	कर्नाटक	660.63	652.66	7.97
11.	केरल	181.13	161.75	19.38
12.	मध्य प्रदेश	1367.28	1329.31	37.97
13.	महाराष्ट्र	594.48	561.16	33.32
14.	मणिपुर	66.63	64.00	2.63
15.	मेघालय	29.62	19.64	9.98
16.	मिजोरम	77.50	82.73	−5.23
17.	नागालैंड	137.82	123.44	14.38
18.	उड़ीसा	843.91	820.56	23.35
19.	पंजाब	69.25	40.24	29.01
20.	राजस्थान	702.25	688.78	13.47
21.	सिक्किम	17.07	24.97	−7.90
22.	तमिलनाडु	819.65	831.37	−11.72
23.	त्रिपुरा	112.85	122.02	−9.17
24.	उत्तर प्रदेश	1465.78	1456.03	9.75
25.	पश्चिम बंगाल	590.29	551.94	38.35
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	2.10	1.26	0.84
27.	दा. व न. हवेली	1.75	1.18	0.57
28.	दमन व द्वीव	0.45	0.38	0.07
29.	लक्षद्वीप	4.65	3.17	1.48
30.	पांडिचेरी	1.20	0.32	0.88
	कुल	11460.07	11008.61	451.46

स्रोत : अनुबंध–3 ख, सी. एण्ड ए. जी. 2000 (सिविल) रिपोर्ट संख्या–3

बिहार में एन.आई.टी.आई. की स्थापना

3332. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। बिहार के मुख्य मंत्री ने बिहार में एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्य बल ने सिफारिश की है कि सभी प्रमुख राज्यों में राज्य तथा केन्द्रीय वित्त पोषण और औद्योगिक सहयोग से विशेष सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के संवर्धन हेतु सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। जब कभी भी ऐसी केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, बिहार के प्रस्ताव पर विधिवत विचार किया जाएगा।

राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्र

3333. श्री सुकदेव पासवान : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्र ठीक से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने जिले ऐसे हैं जिनके केन्द्रों के कार्यकरण को अन्य जिला केन्द्र के समन्वयक देख रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्र ठीक से कार्य कर रहे हैं। तथापि, इन केन्द्रों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राजस्थान में अन्य जिलों के युवा समन्वयक 12 केन्द्रों के कार्यकरण को देख रहे हैं।

विवरण

राजस्थान से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत का सारांश	की गई कार्रवाई
1.	श्री खेमराज डींडोर तथा श्री कमलेश जोशी, भूतपूर्व राष्ट्रीय सेवा स्वंयेवी (ऐसी ही शिकायतें लेखा लिपिक–सहटंकक, नेहरू युवा केन्द्र, राजसमंद से प्राप्त हुई थीं)	युवा समन्वयक, ने.यु.के., बांसवाड़ा	कार्यालय की मोटर साइकिल का दुरुपयोग, कार्यालय तथा निवास के बीच स्थानीय सवारी का अनधिकृत दावा, सरकारी आवास में रिहायश तथा मकान किराया भत्ता आदि का दावा करना।	शिकायत दिनांक 26.9.2001 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 16.10.2001 के पत्र सं. 1164 के द्वारा अंचल निदेशक, ने.यु.के.सं., जयपुर को मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	भारतीय जनता युवा मोर्चा, बाड़मेर	युवा समन्वयक, ने.यु.के., बाड़मेर	श्री भुवनेश जैन, युवा समन्वयक पर काफी समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करने का आरोप है। उन्होंने अपने नियंत्रणाधीन एक कर्मचारी की बहन को कालेज के चुनावों में खड़ा किया था। उनकी पत्नी विश्वविद्यालय में कार्य कर रही है तथा उन्होंने चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए कार्य भी किया था।	शिकायत दिनांक 10.10.2001 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 19.10.2001 के पत्र सं. 1183 के द्वारा अंचल निदेशक, ने.यु.के.सं., जयपुर को मामले की जांच करने के लिए कहा गया था।
			जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्री जैन को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।	रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	श्री सत्यनारायण जैमन, सदस्य, जिला सलाहकार समिति, दौसा	युवा समन्वयक, ने.यु.के., दौसा	युवा समन्वयक, सरकार से प्राप्त निधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है। युवा समन्वयक, ने.यु.के.सं., दौसा के युवा विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए जिला सलाहकार समिति की बैठक के बारे में सूचित नहीं कर रहा है।	शिकायत दिनांक 15.10.2001 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 13.10.2001 के पत्र सं. 1222 के द्वारा अंचल निदेशक, ने.यु.के.सं., जयपुर को मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना

3334. श्री जे. एस. बराड़ : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना निर्धारित समय सीमा के अनुसार चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इस परियोजना को कितने चरणों में क्रियान्वित किया जाना है, इसका ब्यौरा क्या है और इसका पहला चरण कब तक पूरा होने और इसके चालू हो जाने की संभावना है;

(ङ) संपूर्ण परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) इसके इष्टतम प्रचालन स्तर पर प्रत्येक चरण में कितने दैनिक यात्रियों को अपनी सेवा का लाभ दे सकेगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कुछ संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण परियोजना वर्तमान में संशोधित समापन कार्यक्रम से 8 माह पीछे चल रही है। इस विलंब को कुछ हद तक परियोजना का संपूर्ण चरण–I पूरा होने तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) परियोजना के लिए ओईसीएफ (अब जेवीआईसी) से ऋण समझौता करते समय आंकलित परियोजना की समापन लागत 8155 करोड़ रु. है। परियोजना लागत का विदेशी मुद्रा घटक अनुमानित 3853 करोड़ रु. है। 30.11.2001 तक परियोजना पर हुआ खर्च 1574.63 करोड़ रु. है, जिसमें 416.51 करोड़ रु. का विदेशी मुद्रा घटक सम्मिलित है।

(घ) दिल्ली मेट्रो फेज–I परियोजना को चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण शाहदरा से तीस हजारी तक दिसम्बर 2002 में और पूरी परियोजना 2005 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ङ) संपूर्ण दिल्ली मेट्रो फेज–I परियोजना 2005 के मध्य तक पूरी होगी।

(च) 19.5 लाख यात्री (कम्प्यूटर) प्रतिदिन।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पुलों/पुलियों का निर्माण

3335. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत पुलों/पुलियों का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य ऐसी निर्माण गतिविधियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य, अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए, जिसमें आवश्यक पुलिया तथा क्रॉस जल निकासी ढांचे शामिल हैं, सड़क संपर्कता मुहैया कराना है।

सामान्यतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए सड़क कार्यों में, जहां आवश्यक हो, सेतुक और अवगाहन–क्षम पुलों के अलावा पुलिया तथा लघु पुल (15 मीटर की दूरी तक का) शामिल होते हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर (राज्य तकनीकी एजेंसी और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण में निर्धारित किए जाने वाले) इससे थोड़ी अधिक लंबाई के पुलों के निर्माण पर भी विचार किया जा सकता है।

जनजातीय विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण

3336. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार विशेषकर कर्नाटक के जनजातीय विद्यार्थियों को किस वर्ष से व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है; और

(ग) राज्य–वार विशेषकर कर्नाटक के उन आदिवासी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना देश में 1992–93 से कार्यान्वित की जा रही है। कर्नाटक राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 1996–97 में मंजूर किया गया।

(ग) कर्नाटक राज्य सहित राज्यवार जनजातीय क्षेत्र, जहां देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मंजूर किए गए हैं, विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

योजना की शुरूआत से स्वीकृत किए गए राज्यवार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र इस प्रकार हैं–

आंध्र प्रदेश

स्थान	जिला
सीतमपेट	श्रीकाकुलम
श्रीसैलम	कुरनूल
केरामेरी	आदिलाबाद
पंचीपेंटा	विजिनगरम
भद्राचलम	खम्माम
चिन्तापल्ली	विशाखापत्तनम
मरेदुमिल्ली	पूर्व गोदावरी
इथुरुनागारम	वारंगल
कोटारामचंद्रपुरम	पश्चिम गोदावरी
जीगिरम	विजयनगरम
येटपका	खम्माम
जयंतीपुरम	कृष्णा
पडेरु	विशाखापत्तनम
विजयवाड़ा	कृष्णा
नन्दीग्राम	कृष्णा

असम

स्थान	जिला
1	2
तुक्राझार	कोकराझार
दरंगा	नलबारी
बंगफार	मोरीगांव
धेमाजी	धेमाजी
कृष्णे	गोलपाड़ा
कदम	लखीमपुर
लंगचेरा	कचार
थेनगाकुट	डिब्रूगढ़
बिजिरी	बरपेटा
चम्पैया	बरपेटा
कुरचाकटी	धुबरी
चारीदौर	सोनितपुर
पत्थरकांडी	कचार
देहिंगमुख	सिबसागर
मेरापानी	गोलघाट
कालीबार	नगांव
काशियाबड़ी हाई स्कूल	कोकराझार
दिरमजाखिली हाई स्कूल	गोपालपाड़ा
रूपनाथ ब्रह्मा हाई स्कूल	धेमाजी
बागनपारा हाई स्कूल	नलबाड़ी
भीलपुरिया कॉलेज हाई स्कूल	उ. लखीमपुर
कोपाहेरा हाई स्कूल	मोरीगांव
पुरुलबाला गोस्वामी बामुनी बोरबारी हाई स्कूल	नागांव
श्री लुइत हाई स्कूल माजुली	जोरहाट
गुरमाऊ हाई स्कूल रंगिया	कामरूप
गोहपुर बोरो हाई स्कूल	सोनितपुर
कुरचकटी	धुबरी

1	2
चारिदुआर	सोनितपुर
पत्थरकांडी	कचार
देहिंगमुख	सिबसागर
मोरपानी	गोलघाट
कालीबार	नगांव
जोनाई	धेमाजी
सदिया	तिनसुकिया
कलईगांव	डांग
सिदली	बोंगईगांव
बिजरी	बारपेटा
धोपत्री	कामरूप

बिहार

स्थान	जिला
चिरिया	गड़वा
चपातोली	गुमला
कुंधित	दुमखा

गुजरात

स्थान	जिला
छोटा उदयपुर	वडोडरा
वन्सदा	बुलसार
राजापीपला	भरूच
मांडवी	सूरत
दांता	बनासकंठा
दहोद	पंचमहल
कापरादा	वलसाड़
खेदब्रह्मा	साबरकंठा
सोंगध	सूरत
अहवा	डंग्स
भिलोदा	साबरकंठा
वलसाड़	वलसाड़
पालनपुर	बनासकंठा
अन्धोखा	साबरकंठा
डंगहवा	डांग

जम्मू व कश्मीर

स्थान	जिला
कंगन	श्रीनगर

कर्नाटक

स्थान	जिला
बी. आर. हिल्स	मैसूर
एस.जे.पी. पॉलिटेक्नीक फॉर वीमैन	बंगलौर
सी.पी.सी. गवर्नमेंट पॉलिटेक्नीक, मैसूर	मैसूर
डी.आर.आर पॉलिटेक्नीक	देवनगीर
गवर्नमेंट पॉलिटेक्नीक	मंगलौर
गवर्नमेंट पॉलीटेक्नीक	रायचूर
गवर्नमेंट पॉलिटेक्नीक	बेल्लारी
दावंगीरे	दावंगीरे

केरल

स्थान	जिला
चेत्तियम्पारा	तिरुवनन्तपुरम
पठानमथित्ता	पठानमथित्ता
इदुक्की	इदुक्की
कारीकुल्लम	कारीकुल्लम

मध्य प्रदेश

स्थान	जिला
सोसर	छिन्दवाडा
अलीराजपुर	झबुआ
गाटीगांव	ग्वालियर
सिझोरा	मंडला
सैलाना	पतलम
चुरहट	सिधी
आई.टी.आई. डोंडिलोहारा	दुर्ग
आई.टी.आई बैहर	बालघाट
आई.टी.आई गीदम	दांतेवाडा
आई.टी.आई कोरबा	कोरबा
आई.टी.आई धमनोद	धार
आई.टी.आई पीतमपुर	धार
आई.टी.आई राजपुर	सरगुजा
आई.टी.आई बारवानी	बारवानी
टी.सी.पी.सी. झबुआ	झबुआ
टी.सी.पी.सी. मंडला	मंडला
टी.सी.पी.सी. अंबिकापुर	सरगुजा
टी.सी.पी.सी. जसपुरनगर	जसपुरनगर
बिलाकेशगंज	सिहोर
पोहरी	शिवपुरी
गौरव	सिहोपुर कलां
सेहोरा	जबलपुर
कुन्दम	जबलपुर

महाराष्ट्र

स्थान	जिला
1	2
कोटगुल	गाधचिरोली
कसानसुर	गााधचिरोली
विन्वल	थाने
पथराज	रायगढ़
शेन्दुर्याना	अमरावती
मलकापुर	बुल्डाना

मणिपुर

स्थान	जिला
हेंगलेप	चूरचंदपुर
चंदेल	चंदेल
माओ	सेनपती
तमेई	तमेंगलोंग
फुनग्यार	उखुल
थानलाउ	चूरचंदपुर
तेमंगाउपाल	चंदेल
कसोम खुल्लेन	उक्रुल
मारम	सेनपती
ताउसेम	तेमंगलांग

मिजोरम

स्थान	जिला
संगन	चिन्तनीपुई
सैहा	चिन्तनीपुई
चम्फई	चम्फई
सेरछिप	सेरछिप
कोलोसिब	कोलोसिब
लुंगलेई	लुंगलेई

उड़ीसा

स्थान	जिला
1	2
चित्रकोन्डा	मलकानगिरि

1	2
बालीगुडा	काधमल
कोडिंगा	नवरंगपुर
कालीपाड़ा	मयूरभंज
बनभुईन	बलारी
मोहाना	पारलखिमुंडी
भोजपुर	सोनारपुर
सुनाबेदा	कोरापुर
कैलाशपुर	रैगाडा
दारिंगीबाड़ी	काधमल
नालगोजा	मयूरभंज
नारनपुर	क्योंझर
बिरकालडिही	सुन्दरगढ़
धुमेरपड़ार (गोपालपुर)	कालाहांडी
बामिनीपुत	कोरापुट
मतकमबेदा	कंझार
गोपालपुर	सुन्दरगढ़

राजस्थान

स्थान	जिला
बिचीवाडा	डूंगरपुर
गिरवार	सिरोही
मामेर	उदयपुर
प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
कोटरा	उदयपुर
गिरवार	सिरोही

तमिलनाडु

स्थान	जिला
1	2
एस.ए. कलरायन हिल्स	दक्षिण आर्कट
जवाधी हिल्स	नार्थ आर्कट अम्बेडकर
कोली हिल्स	सालेम
सिथेरी हिल्स	धरमपुरी
पापनसाम.उप्पेरदम	थिरुनेलवेली कट्टाबोम्मन

त्रिपुरा

स्थान	जिला
बिश्रामगंज	पश्चिम त्रिपुरा
चन्द्रईपारा	धेलई
बैखोरा	दक्षिण त्रिपुरा
धरमनगर	उत्तर त्रिपुरा
तुलसीखार हा.से. स्कूल	पश्चिम त्रिपुरा
मंडई हा.से. स्कूल	पश्चिम त्रिपुरा
रूपईचारी हा.से. स्कूल	दक्षिण त्रिपुरा
बगफा हाई स्कूल	दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम बंगाल

स्थान	जिला
झिलमिल	बांकुरा
कालीनगर	उत्तर 24 परगना जिला
नागराकटा	जलपाईगुड़ी
सालबोनी	मिदनापुर
कलागांव	मिदनापुर
झारग्राम	मिदनापुर
बेलपहारी	मिदनापुर
चन्द्रकोना रोड	मिदनापुर

दमन व दीव

स्थान	जिला
जारी गांव	दमन

हिमाचल प्रदेश

स्थान	जिला
किल्लर	चम्बा
भारमोर	चम्बा
काजा	स्पिती (लोहुल व स्पिती)
केलांग	लाहेल (लाहुल व स्पिती)
लोटे	मंडी
चगांव	किऔर
टाबो	स्पिती (लाहुल स्पिती)
उदयपुर	लाहुल (लाहुल व स्पिती)
किल्लार	पांगी (जिला चम्बा)
होली	चम्बा

नागालैंड

स्थान	जिला
फेक	फेक
कोहिमा	कोहिमा
वोखा	वोखा
दीमापुर	दिमपुर
अटोइआऊ	वोखा

उत्तर प्रदेश

स्थान	जिला
कक्रहावा	सिद्धार्थनगर

कर्नाटक में विज्ञान शिक्षा में सुधार

3337. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु 700 लाख रुपए जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने अपने नौवें चरण में विज्ञान किटों, लायब्रेरी पुस्तकों की खरीद के लिए तथा 310 विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने, 510 विद्यमान प्रयोगशालाओं के प्रोन्नयन के लिए, 5000 स्कूलों में विज्ञान किटें उपलब्ध कराने, 820 स्कूलों में लायब्रेरी पुस्तकें प्रदान करने के लिए सी एस एस 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' योजना के अंतर्गत 700 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रस्ताव की जांच करने पर पाया गया कि 793 स्कूल इस योजना के अंतर्गत पहले ही शामिल किए जा चुके थे। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था जो अभी प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

हॉकी को बढ़ावा देना

3338. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक और झारखंड में स्थान–वार कितने हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हॉकी को बढ़ावा देने की कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हॉकी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कोच नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) महाराष्ट्र तथा झारखंड राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

महाराष्ट्र

1. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र कांडिवली,

2. भोंसले मिलिटरी स्कूल, नासिक (राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत अपनाया गया)

झारखंड

1. विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, रांची
2. सेट इग्नाशियस हाई स्कूल, गुमला (राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत अपनाया गया)
3. राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, रांची (राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत अपनाया गया)।

(ख) और (ग) किसी विशिष्ट खेल का संवर्धन मुख्यतः संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) की जिम्मेदारी है। इस प्रकार, हॉकी का संवर्धन भारतीय हॉकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार प्रशिक्षण तथा विदेशों में टूर्नामेंटों में सहभागिता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, सब-जूनियर, जूनियर तथा सीनियर वर्गों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन, राष्ट्रीय/विदेशी कोचों के अंतर्गत राष्ट्रीय टीमों को कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत दीर्घावधिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) के अनुसार अपेक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है। तदनुसार, सरकार भारतीय हाकी परिसंघ को अपेक्षित सहायता प्रदान कर रही है।

(घ) और (ङ) अभी तक, इस मंत्रालय को विदेशी कोच की नियुक्ति के लिए आई.एच.एफ. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में विकास निधि

3339. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में हाल ही में विकास निधि की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस विकास निधि के स्रोत क्या हैं;

(ग) इसके अंतर्गत व्यय के मद कौन-कौन से हैं तथा इसे खर्च करेन की कार्य प्रणाली क्या है;

(घ) इसकी स्थापना से दिल्ली क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों की विकास निधि में जुटाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शीर्ष-वार और धनराशि-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक छात्र से 100 रु. लेकर (कक्षा XI तथा XII के विज्ञान के छात्रों से 125 रु. प्रति माह लेकर) केन्द्रीय विद्यालयों में 1.4.2000 से विद्यालय विकास निधि की स्थापना की गई है।

(ग) विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इस निधि में से छात्र सोसायटी, स्काउट और गाईड कार्यकलापों, उद्यान कार्य, विद्यालय भवन के अनुरक्षण और मरम्मत, वार्षिक दिवस/खेल-कूद दिवस, अंशकालिक/ठेके पर निगरानी स्टाफ नियुक्त करने, किराया, दर व कर, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल उपकरण, कम्प्यूटर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा शुल्क, और छात्रों के अन्य विभिन्न शैक्षिक और पाठ्येतर कार्यकलापों पर व्यय किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इसकी स्थापना से विद्यालय विकास निधि में एकत्रित धनराशि तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

एयर इंडिया के शेयर धारकों का समझौता

3340. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के निर्धारित शेयर धारक समझौते में एक खंड जोड़ने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत इसके शेयर धारकों को इसकी अनुषंगी कम्पनी होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण पर उसकी बिक्री से प्राप्त आय को शेयर धारकों के बीच उनके अनुपात में बांटने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया

की एक सहायक कंपनी है। अतः इसके विनिवेश से जुटाई गई प्राप्तियां एयर इंडिया लिमिटेड को चली जाएंगी।

(ग) और (घ) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि से एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया इससे प्रभावित नहीं होगी।

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट शृंखला में क्रिकेट खिलाड़ियों को दंडित किया जाना

3341. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री किरीट सोमैया :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत–दक्षिण अफ्रीका टेस्ट शृंखला के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मैच रैफरी द्वारा दंडित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और बी.सी.सी.आई. ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मैच रैफरी द्वारा छः भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को दंडित किया गया था। बी.सी.सी.आई. ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी) के साथ उठाया है। चूंकि यह मुद्दा बी.सी.सी.आई. और आई.सी.सी. के बीच था, अतः सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

अप्रवासी निर्धन बच्चों को शिक्षा

3342. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अप्रवासी बच्चों जिनके माता–पिता एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) 'शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा' को 1.4.2001 से लागू किया गया है ताकि 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों, जिनमें अप्रवासी परिवारों के बच्चे भी शामिल हैं, को इस योजना के अधीन शिक्षा दी जा सके। इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना है। इस योजना में यह प्रावधान है कि जिन बस्तियों में स्कूल नहीं हैं उनमें एक किलोमीटर की परिधि के भीतर शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्रों की स्थापना की जाए; अप्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए सीजनल छात्रावासों अथवा सघन पाठ्यक्रम चलाए जाएं; सेतु पाठ्यक्रम चलाए जाएं; आवासीय शिविर आयोजित किए जाएं; बेकार घूमने वाले तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए प्रदेश केन्द्रों की स्थापना की जाए; औपचारिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए उपचारी कोचिंग व्यवस्था की जाए, तथा अल्पावधिक ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए जाएं, आदि।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में व्यय को वहन किया जाएगा। तथापि, स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं अनुमोदित सहायता पद्धति के अनुसार शत–प्रतिशत केन्द्र सहायता की पात्र हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन

3343. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का विचार दिसम्बर, 2001 के दौरान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की मुख्य कार्य–सूची क्या है; और

(ग) इसमें कितने देशों के भाग लेने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए पुरस्कार

3344. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में साक्षरता के प्रचार–प्रसार के लिए कोई पुरस्कार शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरस्कारों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) (i) सत्येन मैत्रा स्मारक साक्षरता पुरस्कार।

(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन–यूनेस्को पुरस्कार।

(iii) साक्षरता और महिला साक्षरता के लिए दशक उपलब्धि पुरस्कार।

(iv) प्रशस्ति प्रमाण–पत्र।

(ग) चयन के मानदंड निम्नवत हैं :

(i) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और उत्कृष्ट निष्पादन।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी की मात्रा और अवधि।

(iii) सामग्री विकास में योगदान।

(iv) प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान।

(v) कार्यक्रमों की गुणवत्ता, अंतर्वस्तु और प्रभाव।

(vi) साक्षरता के संबंध में 2001 की जनगणना में यथा प्रतिबिंबित प्रगति।

(घ) (i) सत्येन मैत्रा स्मारक पुरस्कार 21

(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन–यूनेस्को पुरस्कार 15

(iii) दशक उपलब्धि पुरस्कार 3

(iv) प्रशस्ति प्रमाण–पत्र 6

उड़ीसा में एकीकृत पनधारा परियोजनाएं

3345. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितनी एकीकृत पनधारा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या ये परियोजनाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया है;

(ग) राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी कितनी पनधारा विकास परियोजनाएं स्थापित की गईं और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निष्क्रिय स्थिति में हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) उड़ीसा राज्य में अभी तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), जिसे वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, के अंतर्गत तीस परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत तीस परियोजनाओं में से 16 परियोजनाएं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत की गई हैं। इस प्रयोजन के लिए 1507.71 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साइकिल रिक्शा और बैलगाड़ियों पर प्रतिबंध

3346. श्री माणिक राव होडल्या गावित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की कुछ सड़कों पर चौबीसों घंटे के लिए साइकिल रिक्शा और बैलगाड़ियों के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़कों पर उनके चलने पर प्रतिबंध लगने के बावजूद दिल्ली पुलिस की मिली–भगत से दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर साइकिल रिक्शा, बैलगाड़ी और हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियां चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस आदेश के कड़ाई से पालन हेतु कोई प्रावधान किया है और इस संबंध में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दिल्ली, सड़कों और गलियों में वाहनों और अन्य यातायात नियंत्रण विनियम, 1988 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार में संपूर्ण क्षेत्र और दिल्ली में अन्य जिलों के कुछ भागों में धीमी गति से चलने वाले वाहनों के चलने पर कुछ विशिष्ट समयावधि के लिए प्रतिबंध लगाया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष (30 नवम्बर, 2001 तक) के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस ने धीमी गति से चलने वाले 10,918 वाहन उन पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए जब्त किए हैं।

(ङ) और (च) यातायात पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अधिकारी के अधीन एक जन–संपर्क और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया है। वर्ष 2001 (30 नवम्बर, 2001 तक) के दौरान इस प्रकोष्ठ ने 35 कामयाब छापे मारे जिसके कारण 90 यातायात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हुई है। इसके अलावा, उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच के आधार पर 38 यातायात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।

डी.डी.ए. द्वारा प्लाट की बिक्री

3347. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र में 'डी.डी.ए. ने एक ही प्लाट को दो विभागों के हाथों बेच दिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पूरे मामले में जांच करवाने के बाद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार मंडावली फाजलपुर में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एक स्थल आवंटित किया गया था और उन्हें कब्जा दे दिया गया था।

दूसरा स्थल वेस्ट विनोद नगर/मंडावली फाजलपुर में मिडल स्कूल के लिए था, जिसके लिए 1993 में शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव दिया गया था। चूंकि भूमि के लिए मांगी गई कीमत का भुगतान समय पर नहीं किया गया, इसलिए शिक्षा निदेशालय विलंब अवधि के लिए ब्याज देने का जिम्मेदार था। ब्याज के भुगतान और कब्जा सौंपने के विचाराधीन समय के दौरान शिक्षा निदेशालय ने भूमि आवंटन के लिए तकाजा किया। शिक्षा निदेशालय का अनुरोध केवल एक स्थल के लिए था। लेकिन डीडीए में मामले पर दो समानान्तर फाइलों में कार्रवाई चली, एक अन्य स्थल, जो पहले ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को आवंटित हो चुका था वह भी शिक्षा निदेशालय को गलती से आवंटित हो गया। तथापि, रिकार्ड का आगे मिलान करने पर डीडीए ने गलती को दूर कर लिया और महानगर टेलीफोन निगम के लिए निर्धारित स्थल का आवंटन, जो शिक्षा निदेशालय को गलती से कर दिया गया था, वापस ले लिया गया।

[अनुवाद]

अतिरिक्त तल और तल क्षेत्र अनुपात में वृद्धि

3348. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार आवासीय भवनों के लिए अतिरिक्त तल और तल क्षेत्र अनुपात में वृद्धि के लिए हाल ही में सहमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) मल्होत्रा समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सभी सिफारिशों की जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उनमें से कितनी सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है;

(च) उनमें से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(छ) सभी सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलंब होने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (छ) दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एकीकृत भवन उप–नियमों संबंधी मामले की जांच के लिए दिनांक 4.12.1997 को प्रो. वी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई इस समिति की रिपोर्ट की जांच करने पर शहरी विकास मंत्रालय ने 23 जुलाई, 1988 की अधिसूचना के तहत दिल्ली मास्टर प्लान–2001 में कुछ संशोधन किए थे। इस अधिसूचना की एक प्रति विवरण–I पर है।

सरकार ने 7 जून, 2000 को एक और अधिसूचना जारी की जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि 1998 के संशोधित भवन उप–नियमों के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली भवन योजनाएं पहले से स्वीकृत सेवा योजनाओं तथा विन्यास नक्शों के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे तथा अपेक्षित नगरपालिका सेवाओं का प्रावधान किए जाने तक विन्यास नक्शों तथा सेवा योजना में संशोधन नहीं किया जाए (विवरण–II)।

तदोपरांत सरकार ने दिनांक 7.8.2000 की एक अन्य अधिसूचना (विवरण–III) के तहत दिल्ली के मास्टर प्लान–2001 में संशोधन किए, जिसमें फार्म हाउसों के लिए आयोजना व विकास नियंत्रण मानदंड वही बनाए जो 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना से पहले मौजूद थे।

सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि आवेदकों की इस वचनबद्धता की शर्त पर कि कोई अतिरिक्त रिहायशी मकान नहीं बनाया जाएगा, मंत्रालय की दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना में अनुमत्य तलों की संख्या तथा बढ़ाए गए फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए भवन योजना स्वीकृत की जाए। यह भी शर्त लगाई गई थी कि बढ़े हुए फर्शी क्षेत्र अनुपात पर एकत्रित कर एक अलग एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से नागरिक अवस्थापना सेवाओं के सुधार के लिए किया जाएगा।

विवरण-I

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का.आ. 623(अ)–यतः, भवन निर्माण उप नियम 1983 पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है,

यतः, एकीकृत भवन निर्माण उप नियम तथा दिल्ली की मास्टर प्लान–2001 में तज्जन्य उपांतरणों की, विशेषकर प्रो. वी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विस्तृत जांच की गई है।

यतः, दिल्ली मास्टर प्लान–2001, में प्रस्तावित उपांतरणों के बारे में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा 20.5.98 को सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे।

यतः, ये नोटिस दिनांक 24.5.98 के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

यतः, मंत्रालय में प्राप्त 290 आपत्तियों/सुझावों की नगर और ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने जांच की तथा समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.7.1998 को सरकार को प्राप्त हो गई है।

और यतः, मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान–2001 में उपांतरण करने का निर्णय लिया है।

अतः, अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खंड 11 ए के उप–खंड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना

के प्रकाशन तारीख से दिल्ली मास्टर प्लान–2001 के अनुलग्नक के अनुसार उपांतरण करती है।

(संख्या के–12016/5/79–डीडी 1ए/वीए/1बी)

सुरेन्द्र मोहन, डेस्क अधिकारी

अनुलग्नक

उपांतरण

1. भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159 (दायीं ओर) तथा 15.5.95 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, रिहायशी भूखंड–प्लाटबद्ध आवास (001) की तालिका और पाद टिप्पणी का निम्नलिखित प्रकार से उपांतरण किया जाता है :

क्र.सं.	प्लाट का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (प्रतिशत)	फर्शी क्षेत्र अनुपात	रिहायशी मकानों की संख्या	अधिकतम ऊंचाई (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1.	32 से कम	75	225	1	12.5
2.	32 से 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से 500 तक	50	150	3(4)	12.5
6.	500 से 1000 तक	40	120	6(8)	12.5
7.	1000 से 1500 तक	33.33	100	6(8)	12.5
8.	1500 से 2250 तक	33.33	100	9(12)	12.5
9.	2250 से 300 तक	33.33	100	12(16)	12.5
10.	3000 से 3750 तक	33.33	100	15(20)	12.5
11.	3750 से अधिक	33.33	100	18(24)	12.5

टिप्पणी :

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत एफ ए आर (फर्शी क्षेत्र अनुपात) बेसमेंट सहित से अधिक, उपर्युक्त तालिका के अनुसार अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क की अनुमति होगी, और/या भवन निर्माण उप नियमों में निर्दिष्ट दरों पर या समय–समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित आदेशों के अनुसार विकास प्रभार लिए जाएंगे।

(ii) 250 वर्गमीटर से अधिक के प्लाटों के प्रसंग में, जो 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर या इसके सामने पड़ते हैं (क) एफ ए आर का विस्तार अधिकतम ग्राउंड फ्लोर कवरेज तक किया जाएगा, (ख) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी, तथा (ग) रिहायशी मकानों की संख्या वह होगी, जो कोष्ठक में दी गई है।

(iv) (क) बेसमेंट

(1) प्लाटबद्ध के विकास में यदि बेसमेंट का निर्माण हो गया है तो उसे एफ ए आर में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) बेसमेंट का क्षेत्रफल ग्राउंड फ्लोर के कवरेज से अधिक नहीं होगा और यह ग्राउंड फ्लोर के नीचे होगा। तथापि, बेसमेंट के क्षेत्रफल को भीतरी आंगन तथा शाफ्ट के नीचे बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना की शेष सभी पाद टिप्पणी अर्थात् (i) और (v) से (xi) यथावत रहेंगी।

2. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ संख्या 160 (बायीं ओर) पर रिहायशी प्लाट–समूह आवास (002) के नीचे निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन किए जाते हैं :

अधिकतम एफ ए आर	167
अधिकतम ऊंचाई	33 मीटर

टिप्पणी :

अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क और/या अतिरिक्त एफ ए आर के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

अन्य नियंत्रण

(i) प्रति हेक्टेयर 175 रिहायशी मकानों की दर से आवास घनत्व की अनुमति होगी, जिसमें 15 प्रतिशत की घट–बढ़ हो सकती है। इसका उल्लेख, क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व को ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय नक्शे/विन्यास में करना होगा। स्वीकृति के स्तर पर घनत्व में अधिकतम घट–बढ़ 5 प्रतिशत की होगी।

बंगला क्षेत्र (भाग डिवीजन घ) तथा सिविल लाइन्स क्षेत्र (भाग डिवीजन ग) के प्रसंग में, समूह आवास कालोनियों में रिहायशी घनत्व विस्तृत नक्शों के आधार पर नियत किया जाएगा।

(iv) सामुदायिक/मनोरंजन हाल, क्रैच, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सोसायटी कार्यालय जैसी सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकतम 400 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त एफ ए आर की अनुमति दी जाएगी।

रिहायशी प्लाट–ग्रुप हाऊसिंग (002) के नीचे के भाग में अनुमत्य गतिविधियों के अंतर्गत पृष्ठ 155 (बाएं ओर) पर क्रेच तथा डे–केयर सेंटर के अधीन प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

सामुदायिक/मनोरंजन हाल, पुस्तकालय, वाचनालय और सोसायटी कार्यालय के लिए ग्राउंड फ्लोर पर इनकी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 166 (बाएं हाथ पर) व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन उपबंध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी :

आवास के एक भाग, जो एफ ए आर का अधिकतम 25 प्रतिशत या 100 वर्गमीटर इनमें से जो भी कम हो, को व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं मुहैया कराने के लिए गैर ध्वनि प्रदूषण वाली गतिविधियों के लिए रिहायशी कार्यों से अलग उपयोग किया जा सकता है।

फार्म हाऊस (135)

4. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 164 (आर एच एस) पर सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा :

(i) फार्म हाउस का न्यूनतम आकार	0.8 हेक्टेयर
(ii) अधिकतम ग्राउंड कवरेज	5 प्रतिशत
(iii) अधिकतम एफएआर	5 (अधिकतम 500 वर्ग मीटर की शर्त पर फार्म का आकार कितना भी हो)
(iv) मंजिलों की संख्या	2
(v) अधिकतम ऊंचा	8 मीटर

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हो, को एफ ए आर में शामिल किया जाएगा।

भूस्वामियों को ले–आउट प्लान के अनुसार परिचालन नेटवर्क पर आधारभूत आवश्यकताओं के लिए मुफ्त में भूमि देनी होगी। इससे उनको कुल क्षेत्र पर एफ ए आर में लाभ प्राप्त होगा।

दिनांक 1.8.90 की भारत सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त अनुमत्य के अलावा अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क और/या विकास प्रभार समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

विवरण-II

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2000

का.आ. 557(अ)–दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 349ए और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 260 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 483 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, की धारा 388 में यथा अपेक्षित एकीकृत भवन उप–नियम, 1983 उस सीमा तक उपांतरित समझे जाएंगे, जिस सीमा का मंत्रालय की 23 जुलाई, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुलग्नक के पैरा 1 से 3 में उल्लेख है। संशोधित भवन उप–नियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाने वाले भवन नक्शे, विन्यास नक्शे और सर्विस नक्शे जो पहले से मंजूर हैं, के अनुसार होंगे और ऐसे कोई भी विन्यास/सर्विस नक्शे तब तक संशोधित नहीं किए जाएंगे जब तक बढ़ी हुई निगम सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गन्दे पानी की निकासी, सड़क चौड़ाई, परिचालन, वाहन ठहराव स्थल, उद्यान (हरित क्षेत्र) आदि के प्रावधान नहीं किए जाते। किसी भी भू–खंड आवास को समूह आवास में नहीं बदला जा सकता।

[सं.के.12016/5/79–डीडीआईए/वीए/आई बी(भाग)]

आर.एस.गुसाईं, अवर सचिव

विवरण-III

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2000

का.आ.738(अ)—यतः, केन्द्र सरकार का दिल्ली मास्टर प्लान—2001 में फार्म हाऊसों हेतु योजना/विकास नियंत्रण मानकों बाबत कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव है;

2. यतः, इस मंत्रालय द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान—2001 में प्रस्तावित उपांतरणों के बारे में आपत्तियां/सुझाव मांगते हुए 7 जून, 2000 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी;

3. यतः, ऐसी सूचना 14 जून, 2000 के समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की गई थी;

4. यतः, प्रस्तावित उपांतरण बाबत 273 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे, और यतः केन्द्र सरकार ने, मामलों के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान—2001 में उपांतरण करने का निर्णय किया है;

5. अतः अब कथित अधिनियम की धारा 11—ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिल्ली मास्टर प्लान—2001 में निम्नलिखित उपांतरण करती है :

उपांतरण

फार्म हाऊस (135)

फार्म हाऊसों के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 1—8—1990 के पृष्ठ 164 (आर एच एस) पर तथा बाद में दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा उपांतरण योजना/विकास नियंत्रण मानक यथावत वही रहेंगे, जो 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान थे।

[सं. के. 12016/5/79—दिल्ली डिवीजन 1ए/Vए/1बी(पार्ट)]

डा. निवेदिता पी. हरन संयुक्त सचिव

आतंकवाद संबंधी अध्याय

3349. श्री वाई. वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय पाठ्यक्रम में आतंकवाद से संबंधित कुछ अध्यायों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश के 'आर्थिक और सामाजिक विकास' के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और समाज पर आतंकवाद और विद्रोह के दुष्प्रभाव के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के निमित्त सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में 'आतंकवाद और विद्रोह' को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए तैयार वर्तमान नए पाठ्यचर्या कार्य ढांचे में एक मुद्दे के रूप में शामिल किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों का पुनर्गठन

3350. श्री राम टहल चौधरी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्द्ध सैनिक बल को पुनः वर्गीकृत करने और पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अर्द्ध—सैनिक बलों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

(ख) ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

[अनुवाद]

मध्यस्थता संबंधी मामलों की निगरानी और प्रबंधन में कमियां

3351. श्री अबुल हसनत खां : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थता संबंधी मामलों की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली में कमियों के कारण अनुवर्ती कार्रवाई में विलंब होता है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 94 प्रतिशत दावे अस्वीकृत हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) में मध्यस्थता मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए यथोचित प्रणाली है जो संगठन में कार्यपालक इंजीनियर से लेकर मुख्य इंजीनियर स्तर तक विभिन्न चरणों और विभिन्न स्तरों द्वारा मध्यस्थता मामलों की निगरानी के लिए विभागीय अनुदेश के रूप में हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और शिकागो को समानुरूप शहर बनाए जाने की घोषणा

3352. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने विश्व के अन्य शहरों के साथ–साथ दिल्ली और शिकागो को समानुरूप शहर बनाए जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा का ब्यौरा क्या है और ऐसी घोषणा द्वारा क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) ऐसी घोषणा पर केन्द्र सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने बताया है कि शिकागो के मेयर के आमंत्रण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिनांक 8 से 11 अक्तूबर, 2001 तक शिकागो का दौरा किया। कथित दौरे के दौरान 10 अक्तूबर, 2001 को दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा शिकागो के मेयर ने समानुरूपी शहर (संयुक्त सिस्टर सिटीज) घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। शिकागो कार्यक्रम सिस्टर सिटीज इंटरनेशनल से सम्बद्ध है और अब इसमें विश्व भर के 2649 शहरी शामिल हैं।

शिकागो और दिल्ली के बीच पारंपरिक मैत्री संबंधों को बढ़ाने तथा शिक्षा, संस्कृति, परिवहन, आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने शहरों तथा राष्ट्रों के लाभ के लिए मिलकर काम करने की अपनी पारस्परिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संयुक्त सिस्टर सिटीज घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया गया।

(ग) इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका एक सुविधाता और समन्वयक की होगी जिसकी निभाने की उम्मीद आमतौर पर ऐसे मामलों में स्थापित प्रोटोकॉल तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य परम्पराओं की परिधि के भीतर केन्द्र सरकार से की जाती है।

सिपाहियों को न्यायिक सुरक्षा

3353. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
डा. अशोक पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानून में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जो आतंकवाद से निपटने में और छद्म युद्ध में अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 जैसे विशेष कानूनों के अधीन अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन करने में पुलिस कर्मियों को पहले ही कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

देव नगर स्थित सरकारी क्वार्टरों में अधिकारियों का निवास

3354. श्री महेश्वर सिंह : क्या शहरी विकास और गरीब उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में देवनगर स्थित टाईप

V, डी ब्लाक के सरकारी क्वार्टरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कुछ क्वार्टरों में अधिकारियों के रहने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो खाली क्वार्टरों को न आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन क्वार्टरों के रख–रखाव के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो आवंटियों की शिकायतों को कई महीनों तक न निपटाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को किसी क्वार्टर की छत से लकड़ी की सिल्लियों के गिरने की शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 54 क्वार्टरों में से 24 क्वार्टर असुरक्षित घोषित किए गए हैं। शेष 30 क्वार्टर अधिकारियों के पास हैं क्योंकि वे अभी भी निवास हेतु अधिभोग के लिए सुरक्षित हैं।

(ग) असुरक्षित घोषित किए गए 24 क्वार्टर आर्थिक दृष्टि से मरम्मत लायक नहीं हैं और इसीलिए इन्हें आगे आवंटित नहीं किया जा रहा है। तथापि, सभी 54 क्वार्टर पुनर्विकास स्कीम में आ रहे हैं और इनका समय भी पूरा हो चुका है।

(घ) क्वार्टरों का रखरखाव अनुदान के अंतर्गत आवंटित एकमुश्त धनराशि से किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि एक छोटी काष्ट बीम गिरने की केवल एक शिकायत मिली थी, जिस पर अब कार्रवाई कर दी गई है।

विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा

3355. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत को कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके लिए क्या नियम–विनियम बनाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण की उक्त धनराशि के उपयोग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) 16 राज्यों अर्थात असम, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड और राजस्थान के 211 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 5137 करोड़ रु. का आई डी ए क्रेडिट अनुबंधित किया गया है। उपर्युक्त सहायता ब्याज मुक्त है। इसके लिए 0.5% की दर से प्रतिबद्धता प्रभार (यह फिलहाल नहीं लिया जा रहा है) तथा 0.75% की दर से सेवा प्रभार देय है। इस राशि को वर्ष 3९ वर्ष की अवधि में लौटाया जाना है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।

(ग) परियोजना लागत का 85% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसे राज्य कार्यान्वयन समितियों को अनुदान के रूप में जारी किया जाता है तथा किए गए व्यय के आधार पर इस राशि की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जाती है। शेष 15% लागत संबंधित परियोजना राज्यों द्वारा वहन की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वार जारी की गई निधियों तथा विभिन्न परियोजना राज्यों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.स.	राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां			व्यय		
		1998–99	1999–2000	2000–01	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	226.00	60.00	126.37	106.18	38.20

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	23.00	44.13	35.94	36.99	47.54	51.74
3.	बिहार/झारखंड	34.94	24.00	35.00	42.70	45.60	41.56
4.	हरियाणा	5.00	10.00	35.00	21.66	23.96	44.11
5.	हिमाचल प्रदेश	14.76	14.00	15.00	17.35	19.72	21.87
6.	कर्नाटक	84.00	34.10	79.00	85.89	80.10	81.62
7.	केरल	26.00	9.00	32.00	29.28	30.32	32.34
8.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	101.34	100.85	108.46	67.42	69.62	76.90
9.	महाराष्ट्र	23.49	39.00	42.00	37.74	45.27	54.13
10.	उड़ीसा	15.00	8.00	33.00	19.80	19.07	30.56
11.	राजस्थान	0.00	30.50	15.00		2.60	35.64
12.	तमिलनाडु	19.19	19.25	32.00	29.35	35.85	38.58
13.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	89.00	48.00	220.00	93.77	82.39	*231.49
	कुल	435.72	606.83	742.40	608.32	608.22	778.74

नोट : पिछले वर्षों की खर्च न की गई निधियों तथा राज्य हिस्से से उपलब्ध निधियों के उपयोग के कारण कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों से अधिक व्यय हुआ है।

बोडो लैंड का नक्शा

3356. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ लैंड (एन.डी.एफ.बी.) द्वारा अपने प्रस्तावित बोडो लैंड के हिस्से के रूप में असम के बोडो बहुल क्षेत्रों के अलावा उत्तरी बंगाल और नेपाल के मेचे अंचल के भाग पर दावा करने वाला नक्शा हाल ही में जारी किए जाने के बारे में अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन. डी.एफ.बी.) को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। शांति वार्ता के लिए केन्द्रीय सरकार की नीति के उत्तर में, बोडो के एक अन्य उग्रवादी ग्रुप बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और संविधान के दायरे के भीतर शांति वार्ता के लिए आगे आया है। बोडो समस्या का स्थायी हल तलाशने के लिए भारत सरकार ने असम सरकार और बी.एल.टी. को शामिल करके त्रिपक्षीय शांति वार्ता शुरू की है।

आई.पी.सी.एल. के लिए बोली

3357. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री–समूह ने इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) के लिए नई बोलियों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई.पी.सी.एल. की इक्विटी कम करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तरह से किया जाना है;

(ङ) क्या स्थानान्तरण की रूपरेखा बनाई गई है और मूल्य निर्धारण भी किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) विनिवेश के प्रथम चरण में आई.पी.सी.एल. में कितने प्रतिशत इक्विटी कम किए जाने की संभावना है;

(ज) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(झ) विनिवेश के दूसरे चरण के कब तक शुरू होने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (झ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया अंतर–मंत्रालयी परामर्शों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है और सभी प्रासंगिक आदानों को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण और कम से कम 25 प्रतिशत इक्विटी का आगे विनिवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ किसी अनुकूल साझीदार को कुल मिलाकर आई पी सी एल में इक्विटी धारित को 26 प्रतिशत की बिक्री करने का निर्णय लिया है। इक्विटी के आगे की बिक्री के लिए भी खाका तैयार कर लिया जाएगा। उपर्युक्त के अनुसरण में संभावित बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाला विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है। आई पी सी एल की इक्विटी में सरकारी भागीदारी का विनिवेश पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने, मानक मूल्य निर्धारण प्रणालियों के माध्यम से कंपनी का मूल्य निर्धारण करके किया जाएगा और करारों में उपयुक्त सुरक्षा उपाय रखे जाएंगे। विनिवेश के दूसरे चरण के लिए किसी समय सीमा का निर्णय अभी नहीं लिया गया है और इसके लिए भविष्य में एक खाका सुनिश्चित किया जाएगा।

दमन और दीव में ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क

3358. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क नेटवर्क में केवल 12.45 कि.मी. ग्रामीण सड़क ही जोड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो दमन और दीव में सड़कों का विकास इतना कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दमन और दीव में सड़क नेटवर्क के विकास और उसको मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख और (ग) दमन और दीव जिलों में, जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 112 वर्ग कि.मी. है, सड़कों की विद्यमान लंबाई 231.33 कि.मी. है जो क्षेत्रवार और जनसंख्यावार दोनों ही दृष्टि से अखिल भारतीय औसत से अधिक है। सभी गांव बारहमासी सड़कों से जुड़े हुए हैं।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि विद्यमान सड़क नेटवर्क में सुधार करने की योजनाओं को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है तथा इन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रस्तावित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट

3359. प्रो. रासासिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में विभिन्न देशों द्वारा दर्ज वृद्धि दर और विकास दर के संबंध में मानवाधिकारों संबंधी कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च जीवन स्तर और बेहतर मानव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या दर्जा दिया गया है; और

(घ) भारत किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और सरकार का उन क्षेत्रों में क्या उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। मानवाधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का कार्यालय प्रतिवर्ष मानवाधिकार आयोग के विचार हेतु एक दस्तावेज तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के वार्षिक सत्र में विचारार्थ एक अद्यतन पाठ तैयार करता है। इस रिपोर्ट में वृद्धि दरों के बारे में किन्हीं विशिष्ट शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही वे विभिन्न सदस्य राज्यों को बेहतर मानव कल्याण के लिए उच्च जीवन स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई दर्जा ही देते हैं।

[अनुवाद]

विद्यालय में योग

3360. डा. वी. सरोजा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विद्यालयों में योग को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के एक अंग के रूप में योग शिक्षा की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है ताकि उसमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया जा सके। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या सामग्री तैयार करने हेतु इस पाठ्यचर्या संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाने और अपने अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

महिलाओं की अश्लीलता और नग्नता के प्रदर्शन पर रोक

3361. श्री रामदास आठवले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं द्वारा अश्लीलता और नग्नता के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु भारतीय दंड संहिता, महिला प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और कुछ अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरणों में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करना

3362. श्री पी. सी. थामस : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विभिन्न समुदायों ने सरकार से स्वयं को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समुदायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक के मामले पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) 58 समुदायों ने केरल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अपने को शामिल करने के लिए अभिवेदन इस आधार पर किया है कि उनमें जनजातीय विशेषताएं हैं।

कीटनाशक अवशेष विश्लेषण प्रयोगशालाएं

3363. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक राज्य–वार कितनी कीटनाशक अवशेष विश्लेषण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने अंगूरों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बीजापुर में ऐसी एक प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने कीटनाशक अवशेष के संबंध में 1984–85 के दौरान एक अखिल भारतीय समन्वयमूलक अनुसंधान परियोजना आरंभ की। 17 समन्वयमूलक केन्द्र हैं जिनमें से 15 देश में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में और शेष 2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में अवस्थित हैं। इन केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में है। कृषि मंत्रालय ने 'कीटनाशक अधिनियम का कार्यान्वयन' योजना के तहत अपने राज्य में राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ करने/स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार को 8वीं योजना के दौरान 20 लाख रुपए और 1999–2000 के दौरान 9.84 लाख रुपए की व्यवस्था की है।

विवरण

केन्द्र का स्थान

1. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली
2. इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बंगलोर (कर्नाटक)
3. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना (पंजाब)
4. राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राजस्थान)
5. राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पुसा (बिहार)
6. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्यानी (पश्चिम बंगाल)
7. आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
8. सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार (हरियाणा)
9. उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
10. गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनंद (गुजरात)
11. असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना (असम)
12. डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फोरेस्ट्री, सोलन (हि.प्र.)
13. सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेकनोलॉजी, कानपुर (उ.प्र.)
14. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहमी (महाराष्ट्र)
15. तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर (तमिलनाडु)
16. केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वेल्लीयानी (केरल)
17. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

[हिन्दी]

केरल में लाल बारिश

3364. श्री अनंत गुढे :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में रक्त के रंग की बारिश होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उक्त घटना के संबंध में कोई वैज्ञानिक संगठन/संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों को इन परीक्षणों में कोई आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां। सरकार को केरल में रंगीन बारिश होने की जानकारी है।

(ख) प्रैस में पालाकड, कोट्टायम और अर्नाकुलम जिलों के विभिन्न भागों में रंगीन बारिश (मुख्य तौर पर लाल रंग की तथा कभी भूरी या हरे रंग की) होने की रिपोर्ट आई है। ये अत्यंत स्थानीय घटनाएं थीं और ये जुलाई तथा अगस्त,

2001 की अवधि के दौरान हुई। जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान इसकी तीव्रता शिखर पर थी।

(ग) भू–विज्ञान अध्ययन केन्द्र, थूरुविक्कल, तिरुवनंतपुरम ने ट्रापिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलोड, तिरुवनंतपुरम के सहयोग से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी उस समय फिलीपीन में हुए ज्वालामुखी उद्‌गार के साथ संभव संबंध पर एक अध्ययन की शुरूआत की है।

(घ) और (ङ) भू–विज्ञान अध्ययन केन्द्र ने अपने निष्कर्षों पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बारिश का रंगीन होना बारिश के पानी में भारी संख्या में जैविक जीवों, जैसे शैवाल बीजाणु बनाते शैवाक की उपस्थिति के कारण था। ये जीव स्थानीय उद्‌भव के हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बारिश का रंगीन होना बारिश के नमूनों में उल्कापिण्डीय ज्वालामुखी अथवा रेगिस्तान की धूल अथवा किसी घुली हुई गैस अथवा प्रदूषकों के कारण नहीं हैं। ये निष्कर्ष निर्णायक नहीं हैं।

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देना

3365. श्री मानसिंह पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.सी.डी. संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्रों का समय से उत्तर नहीं देती या कई बार उत्तर ही नहीं देती;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों ने एम. सी.डी. को कितने पत्र लिखे और उनमें से कितने पत्रों का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्टेडियमों के निर्माण हेतु धनराशि

3366. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि जारी की है;

(ख) क्या इंडोर और अन्य स्टेडियमों में किसी त्रुटि की सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन स्टेडियमों के निर्माण की गुणवत्ता और इनकी सुरक्षा हेतु किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) केन्द्र सरकार ने हाकिमपेट, सिकन्दराबाद में एक राज्य स्तरीय खेल परिसर निर्माण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 2000–2001 के दौरान 1.00 करोड़ रु. राशि जारी की है। उत्तरांचल सरकार को स्टेडियमों का निर्माण करने के लिए अभी तक कोई सहायता जारी नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3367. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी थी और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना था;

(ख) क्या यह सत्य है कि उस समय विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए आरक्षण की तुलना में वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद, राज्य विधायिकाओं, पंचायतों और सेवाओं में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों (गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	जनसंख्या	प्रतिशत
कुल	356,879,394	100.00
अनुसूचति जाति	51,343,898	14.39
अनुसूचित जनजाति	19,116,498	5.36
अन्य समुदाय (गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति)	286,418,998	80.25

टिप्पणी : इन आंकड़ों में जम्मू और कश्मीर राज्य की जनसंख्या तथा असम के भाग ख के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों की जनसंख्या के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वहां 1951 की जनगणना नहीं कराई गई थी।

(ख) से (घ) भारत की जनगणना 1991 के अनुसार देश में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 16.48 और 8.08 था। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में खुली स्पर्धा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है। खुली स्पर्धा से भिन्न अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में आरक्षण क्रमशः 16.66 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है। समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों जिन पर सामान्यतः उसी स्थान अथवा क्षेत्र के उम्मीदवार आकर्षित होते हैं, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सामान्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के समानुपात में निर्धारित किया जाता है। प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं बशर्ते कि इनमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक न हो।

यहां एक उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की सेवाओं में खुली स्पर्धा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पहले ही 49.5 प्रतिशत और खुली स्पर्धा से भिन्न अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में 50 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार उनके आरक्षण के प्रतिशत को संशोधित करना न तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अपेक्षित है और न ही व्यावहारिक है क्योंकि ऐसा संशोधन किए जाने से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा।

निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन के मौजूदा संवैधानिक प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक आगे बढ़ाने और साथ ही साथ 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले निर्वाचन क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य को लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में आवंटित सीटों की संख्या में कोई बदलाव लाए बगैर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजित करने और युक्तिसंगत बनाने का कार्य करने तथा वर्ष 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण करने से संबंधित संविधान (इक्यानवां संशोधन) विधेयक, 2000 दिनांक 27.11.2000 को लोक सभा में पेश किया गया था जिसे 21.8.2001 को लोक सभा द्वारा और 23.8.2001 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। उक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत इस पर राज्य विधान मंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त किया जा रहा है। विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर सरकार एक नया कानून लाएगी जिसमें उपर्युक्त संविधान संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था होगी।

जहां तक पंचायतों में सीटों के आरक्षण का संबंध है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में झुग्गी-बस्तियां

3368. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली को झुग्गी–बस्तियों से मुक्त करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में श्रमिकों की कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और इन कालोनियों में कितने श्रमिक रहते हैं;

(घ) क्या इनके पुनर्वास हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) सार्वजनिक भूमि पर नए अनधिकृत कब्जों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सरकार दिल्ली में स्लम तथा झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के प्रबंध के लिए त्रिआयामी नीति अपना रही है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) उन झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को अन्यत्र पुनर्स्थापित किया जा रहा है जो 31.12.98 के पहले से ऐसी भूमि पर बसे हैं जिसकी भू-स्वामी एजेंसी का किसी सार्वजनिक उद्देश्य वाली परियोजना के निष्पादन के लिए तत्काल आवश्यकता है।

(ii) झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी का स्व-स्थाने उन्नयन वहीं किया जाता है जहां भू-स्वामी एजेंसी को निकट भविष्य में भूमि की जरूरत नहीं है और इन समूहों के उन्नयन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देती है।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) श्रेणियों में न आने वाले झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में जलापूर्ति, पथ-प्रकाश, सड़क, बरसाती पानी की नालियों इत्यादि जैसी जन-सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसे कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार सभी भू-स्वामी एजेंसियों पर इस बात के लिए जोर डालती रही है कि अपनी खाली भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त रखने हेतु वे और अधिक सतर्कता बरतें।

[अनुवाद]

दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी

3369. श्री एम. चिन्नास्वामी :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों ने कुछ पाकिस्तानी और अफगानी आतंकवादियों को पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में घर या होटल मालिकों द्वारा किरायेदारों को मकान देते समय उनका ब्यौरा पुलिस को देने का कोई प्रावधान है या सरकार का ऐसा प्रावधान करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने 13 सितम्बर, 2001 को ग्रेन्डले सिनेमा के नजदीक एक पार्किंग स्थल से 2 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, डिटोनेटर, एक हथगोला और एक सेल-फोन बरामद किया। उनमें से एक आतंकवादी अफगानिस्तान में प्रशिक्षित है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की दिनांक 1 जुलाई, 1978 की अधिसूचना के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि आदेश में विनिर्दिष्ट पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मकान/सम्पत्ति का कोई भूस्वामी/स्वामी/व्यक्ति कोई आवास तब तक किसी व्यक्ति को किराये/उप किराये पर नहीं देगा जब तक वह संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाऊस आफिसर को उस किरायेदार के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर देता। उक्त आदेश के अधीन आगे यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो आवास किराये पर लेना चाहता है, इसके बारे में उस स्टेशन हाऊस आफिसर को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में वह परिसर पड़ता है। अचल सम्पत्ति का व्यापार करने वाले व्यक्तियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के किरायेदारों के ब्यौरे लिखित रूप में संबंधित स्टेशन हाऊस आफिसर को दें।

स्नातक इंजीनियरों को रोजगार

3370. डा. डी. वी. जी. शंकर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने स्नातक इंजीनियर उत्तीर्ण होते हैं;

(ख) क्या भारत में उन सबको समाहित करने हेतु पर्याप्त आधारभूत ढांचा है; और

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने हेतु सबको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश भर के इंजीनियरी कॉलेजों में छात्रों के दाखिले को अनुमोदन प्रदान करती है, इन इंजीनियरी कालेजों में दाखिले राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। देश–भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हजारों इंजीनियरी कॉलेजों से अंततः उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। इंजीनियरी कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भारत और विदेश के विभिन्न संगठनों में और स्व–रोजगार के क्षेत्र में भी रोजगार मिल जाता है।

बिहार में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण

3371. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण हेतु 18 स्थलों को स्वीकृति दी है;

(ख) प्रत्येक संस्थान के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) प्रत्येक का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, बिहार के 25 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का 1992 और 1993 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में स्तरोन्नयन का अनुमोदन किया गया था। उनमें से अब 7 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान झारखंड में हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण राज्य सकरार द्वारा निःशुल्क किया जाता है।

(ख) स्तरोन्नत किए गए 25 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सिविल कार्यों और उनके लिए उपस्करों की खरीद के लिए राज्य सरकार को 1173.30 लाख रु. की राशि जारी की गई। बिहार के 18 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यद्यपि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में 1173.30 लाख रु. की राशि इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि उनके द्वारा प्रथम किस्त की 50% या उससे अधिक राशि की उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण पूरा हो गया है, 6 का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 11 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण–कार्य अभी शुरू किया जाना है।

विवरण

बिहार के 18 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गई अनुदान राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	निर्माण कार्य	उपस्कर
1	2	3	4
1.	पटना	29.00	7.02
2.	सारन	50.00	7.02
3.	गया	19.50	7.02
4.	मधुबनी	29.00	7.02
5.	मुंगेर	29.02	7.02
6.	पुर्णिया	29.00	7.02
7.	भोजपुर	50.00	8.90
8.	मुजफ्फरपुर	50.00	8.90
9.	सीतामढ़ी	50.00	8.90
10.	भागलपुर	50.00	8.90
11.	वैशाली	50.00	8.90
12.	रोहतास	50.00	8.90

1	2	3	4
13.	नवादा	50.00	8.90
14.	बेगुसराय	50.00	8.90
15.	समस्तीपुर	29.00	7.02
16.	मधेपुरा	29.00	7.02
17.	पश्चिमी चम्पारन	29.00	7.02
18.	सीवान	29.00	7.02

बकाया आरक्षित पदों को भरना

3372. श्री रामजीलाल सुमन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष के आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गई बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत 4 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अति-पिछड़े जिलों के विकास की योजना

3373. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्री राजो सिंह :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वर्तमान में अति–पिछड़े जिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) देश में अति–पिछड़े जिलों की पहचान हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अति–पिछड़ा जिला योजना में और अधिक जिलों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ–साथ देश के 100 अत्यधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों की पहचान करने के लिए वर्ष 1997 में डा. ई.ए.एस. शर्मा, तत्कालीन प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने हेतु अपनाए गए विस्तृत मानदंडों में डिप्राईवेशन (गरीबी अनुपात) तथा सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के सूचकांक शामिल हैं। समिति ने देश में 100 अत्यधिक पिछड़े एवं निर्धनतम जिलों की पहचान की है। इन जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	जिला का नाम
1	2	1	2
	बिहार व झारखंड	2.	भोजपुर
1.	नालंदा	3.	रांची

1	2	1	2
4.	औरंगाबाद	31.	गिरडीह
5.	जहानाबाद	32.	हजारीबाग
6.	गया	33.	पलामू
7.	नवादा	34.	लोहारदगा
8.	सारन	35.	गुमला
9.	सीवान	36.	प. सिंहभूम
10.	गोपालगंज	37.	अररिया
11.	प. चम्पारन	38.	किशनगंज
12.	पू. चम्पारन		**दादरा व नगर हवेली**
13.	सीतामढ़ी	39.	दादरा व नगर हवेली
14.	मुजफ्फरपुर	40.	कैथल
15.	वैशाली		**हिमाचल प्रदेश**
16.	बेगूसराय	41.	हमीरपुर
17.	समस्तीपुर		**कर्नाटक**
18.	दरभंगा	42.	बीदर
19.	मधुबनी		**मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़**
20.	सहरसा	43.	टीकमगढ़
21.	मधेपुरा	44.	छत्तरपुर
22.	पुर्णिया	45.	पन्ना
23.	कटिहार	46.	सागर
24.	खगड़िया	47.	दमोह
25.	मुंगेर	48.	खरगौन
26.	भागलपुर	49.	खण्डवा
27.	गोड्डा	50.	विदिशा
28.	साहिबगंज	51.	सिहोर
29.	दुमका	52.	रायसेन
30.	देवगढ़	53.	बेतुल

1	2	1	2
54.	होशंगाबाद		**सिक्किम**
55.	नरसिंहपुर	78.	प. सिक्किम
56.	मण्डला	79.	द. सिक्किम
57.	छिंदवाड़ा		**उत्तर प्रदेश**
58.	सिवोनी	80.	सीतापुर
59.	बालघाट	81.	हरदोई
60.	राजनन्दगांव	82.	उन्नाव
61.	सरगुजा	83.	रायबरेली
	महाराष्ट्र	84.	जालौन
62.	औरंगाबाद	85.	ललितपुर
63.	जालना	86.	हमीरपुर
64.	परभनी	87.	बांदा
65.	बीड़	88.	फतेहपुर
66.	नान्देड़	89.	प्रतापगढ़
67.	ओस्मानाबाद	90.	बहराइच
68.	लातूर	91.	बाराबंकी
69.	बुलडाना	92.	सिद्धार्थनगर
70.	गड़चिरोली	93.	महाराजगंज
71.	यावतमल	94.	झांसी
	उड़ीसा	95.	मऊ
72.	फुलबनी	96.	कानपुर देहात
73.	कालाहांडी		**पश्चिम बंगाल**
74.	कोरापुट	97.	कूच बिहार
75.	क्योंझर	98.	जलपाईगुड़ी
	राजस्थान	99.	मालदा
76.	डूंगरपुर	100.	दार्जिलिंग
77.	बांसवाड़ा		

[अनुवाद]

शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र

3374. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक राज्य–वार कितने शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) अभी तक इससे राज्य–वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार ने 2002–2003 के लिए इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा का लक्ष्य सभी असेवित बस्तियों में 1 कि.मी. परिधि के भीतर शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा केन्द्र खोलकर स्कूली शिक्षा से वंचित 6–14 वर्षों की आयु–वर्ग के बच्चों को शिक्षित बनाना है। अब तक संस्वीकृत राज्य–वार केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या
कर्नाटक	574
मध्य प्रदेश	20378
महाराष्ट्र	2328
उत्तर प्रदेश	2179
उत्तरांचल	373

प्रति केन्द्र शिक्षुओं की संख्या लगभग 25 है। खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

3375. श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों और श्रेणियों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी–वार और विषय–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने से संबंधित विज्ञापन अक्तूबर, 2001 में जारी किया गया था।

विवरण

21.11.2001 की स्थिति के अनुसार शिक्षकों की श्रेणीवार तथा विषयवार रिक्तियां

क्र.सं.	पद तथा विषय	रिक्तियों की संख्या
1	2	3
क.	**स्नातकोत्तर शिक्षक**	
1.	गणित	42
2.	भौतिकी	27
3.	रसायन विज्ञान	28
4.	जीव विज्ञान	23
5.	अंग्रेजी	83
6.	हिन्दी	29
7.	इतिहास	14
8.	भूगोल	05
9.	अर्थशास्त्र	37
10.	वाणिज्य	20
11.	संस्कृत	शून्य
	कुल	308
ख.	**प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक**	
1.	गणित	64

1	2		3
2	जीव विज्ञान		88
3.	अंग्रेजी		158
4.	हिन्दी		83
5.	संस्कृत		25
6.	सामाजिक विज्ञान		73
		कुल	491
ग.	**हेडमास्टर**		196
घ.	**प्राथमिक शिक्षक**		249
ङ	**विविध श्रेणी**		
1.	ड्राइंग शिक्षक		87
2.	पी.ई.टी.		140
3.	योग शिक्षक		31
4.	डब्ल्यू ई टी		61
5.	संगीत शिक्षक		22
		कुल	341

(क) से (ङ) तक के रिक्त पदों की कुल संख्या : 1585

[अनुवाद]

जनजातीय जनसंख्या का शैक्षिक स्तर सुधारने हेतु धनराशि का आवंटन

3376. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय जनसंख्या का शैक्षिक स्तर सुधारने हेतु विशेषकर ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्रों में कम महिला साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु राज्य–वार कुल कितने आवासीय शैक्षिक परिसरों का निर्माण किया गया है; और

(ग) भविष्य में राज्य–वार ऐसे कितने परिसर निर्मित किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, जनजातियों के शैक्षिक स्तरों में सुधार लाने के लिए आवंटित की गई निधियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) वर्तमान योजना में शैक्षिक परिसरों को किराए के भवनों में या गैर सरकारी संगठनों के स्वामित्व के भवनों में स्थापित करने और चलाने का प्रावधान है। वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत आवासीय शैक्षिक परिसरों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) यह योजना परिसरों के निर्माण के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं करती है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2001–02 के दौरान आवंटित निधियां (रु. करोड़ में)
1.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	30.00*
2.	शैक्षिक परिसर	7.50
3.	लड़कियों के छात्रावास	10.50
4.	लड़कों के छात्रावास	10.00
5.	आश्रम स्कूल	12.50
6.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	300.00**
7.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	63.00
8.	पुस्तक बैंक	0.80
9.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	0.57
10.	प्रतिभा उन्नयन	0.30
11.	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	1.20
	कुल	436.37

*निधियों का एक हिस्सा आवासीय स्कूलों/गैर आवासीय स्कूलों/छात्रावासों, ग्रामीण रात्रि स्कूलों तथा पुस्तकालयों आदि की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने के लिए है।

**इस योजना के अंतर्गत आवंटन का एक हिस्सा अनुसूचित जनजातियों की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय स्कूलों के वास्ते है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया जाता है और व्यय प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों से पिछले अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्रों पर निर्भर करता है।

कृषि उत्पाद आधारित परियोजनाएं

3377. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) ने ऐसी कई कृषि उत्पाद आधारित परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी.एफ.टी.आर.आई. द्वारा प्रस्तावित इन परियोजनाओं को लागू करने हेतु कोई रणनीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। सी.एस.आई.आर. की एक घटक इकाई केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.), मैसूर ने महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.ए.आई.डी.सी.) के अनुरोध पर विदर्भ क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने के लिए एक प्रौद्यो–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। अन्य बातों के साथ–साथ इस रिपोर्ट में अनाजों, दालों, बेकरी उत्पादों और अनेक क्षेत्रीय कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण संबंधी जानकारी शामिल है।

(ग) और (घ) एम.ए.आई.डी.सी. के अनुरोध पर सी.एफ.टी.आर.आई. ने विदर्भ उद्योग संघ के साथ संपर्क किया है। विदर्भ उद्योग संघ के माध्यम से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कृषि आधारित परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु यह रिपोर्ट कार्यक्रमों की रूप–रेखा प्रस्तुत करती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश हेतु कार्ययोजना

3378. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री अनंत गुढे :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चालू वर्ष के लिए विनिवेश योजना की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र का तत्संबंधी उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिवेश के लिए क्रियान्वयनाधीन/विचाराधीन प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके लिए किन–किन उपक्रमों का चयन किया गया है व इनसे अनुमानतः कितनी धनराशि जुटाई जाएगी;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विचाराधीन/प्रस्तावित नवीन कार्य योजना/नई नीतिगत पहल का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करती है। विनिवेश के लिए प्रस्तावित कंपनियों में से, इस वित्त वर्ष में विनिवेश के लिए चिह्नित निम्नलिखित जिन कंपनियों के लिए दृढ़तापूर्वक समय–सीमा तय की गई है उन पर लगातार नजर रखी जा रही है : भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि. (वी एच पी वी), आई बी पी कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आई पी सी एल), भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी), इन्स्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि. (आई सी वी एल), जेसप एंड कंपनी लि., मारुति उद्योग लि., नेपा लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और विदेश संचार निगम लि.।

एच टी एल लि. और सी एम सी लि. और भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के कुछ होटलों के संबंध में विनिवेश सौदे चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले ही संपन्न कर लिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जिन अन्य कंपनियों में विनिवेश प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही हैं, ये हैं–एयर इंडिया लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. 'चरण–I', हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., इंडियन एयर लाइंस लि., इंस्ट्रूमैंटेशन लि., मद्रास उर्वरक लि., भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक लि., परादीप फास्फेट्स लि., स्पांज आइरन इंडिया लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., मेकॉन लि., नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.।

चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के लिए जुटाई जाने वाली निधियों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि विनिवेश से प्राप्त राशियां अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। तथापि, विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा करने के लिए विनिवेश की प्रणालियों में लगातार परिमार्जन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

3379. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्यशील हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक कार्य आरंभ हो गया है; और

(ग) शेष विद्यालयों में शैक्षिक कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) इस समय देश में 848 केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाली राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में अब शिक्षण कार्य शुरू हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाली राज्यवार सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालयों का का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	41
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	43
4.	बिहार	26
5.	गोवा	05
6.	गुजरात	40
7.	हरियाणा	25
8.	हिमाचल प्रदेश	19
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25
10.	कर्नाटक	32
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	69
13.	महाराष्ट्र	51
14.	मणिपुर	05
15.	मेघालय	07
16.	मिजोरम	01
17.	नागालैंड	06
18.	उड़ीसा	31
19.	पंजाब	40
20.	राजस्थान	51
21.	सिक्किम	02
22.	तमिलनाडु	29
23.	त्रिपुरा	05
24.	उत्तर प्रदेश	86
25.	पश्चिम बंगाल	49
26.	छत्तीसगढ़	19
27.	झारखंड	25
28.	उत्तरांचल	32
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	03
30.	चंडीगढ़	05

1	2	3
31.	दादरा और नगर हवेली	01
32.	दिल्ली	36
33.	पांडिचेरी	02
	कुल	848

छत्तीसगढ़ नगर पालिकाओं को समेकित सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत लाना

3380. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ की सभी नगर पालिकाओं को समेकित सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवा योजना संचालित कर रहा है। उस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नौवीं योजना अवधि के दौरान कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त हो रहे आवंटी के पुत्र को सरकारी आवास का आबंटन

3381. श्री अम्बरीश : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त हो रहे आवंटी के पुत्र को सरकारी आवास तभी आवंटित किया जा सकता है जब वह आवास भत्ता न ले रहा हो और कम से कम तीन साल की अवधि से पिता के साथ रह रहा हो;

(ख) यदि हां, तो क्या नेताजी नगर में अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद नियमित सेवा में आने वाले सी.पी.डब्ल्यू. डी. के कुछ पम्प आपरेटरों को सरकारी आवासों के आवंटनों के मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवंटन हेतु उक्त आवंटियों द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे अवैध आवंटन को रद्द करने और इनके लिए बाजार दर से किराया वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। श्री करण सिंह पम्प ऑपरेटर सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उसके पिता की सेवा निवृत्ति के पश्चात क्वार्टर सं. इ–1627, नेताजी नगर का आवंटन प्राप्त करने के संबंध में गलत तथ्य देने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) श्री करण सिंह पम्प ऑपरेटर को उनके पिता के 31.3.94 को सेवा निवृत्त होने के पश्चात् 2.6.94 से तदर्थ आधार पर 28.11.1994 को टाइप बी–क्वार्टर सं. इ–1627, नेताजी नगर आवंटित किया गया था। श्री करण सिंह को आरंभ में 1.9.93 से 25.12.94 तक अस्थायी आधार पर उपर्युक्त पद पर नियुक्त किया गया था और 1.9.93 से बिना अंतराल अवधि के 26.12.94 से उनको उसी पद पर नियमित कर दिया गया था।

(च) चूंकि लगाए गए आरोप आधारहीन पाए गए, अतः उपर्युक्त (ग) के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं बनती।

विदेशों में अधिकारियों को प्रशिक्षण

3382. श्री दलित इजिलमलाई : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपने शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/तैनात करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजिक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय के कितने व्यक्तियों ने लघु/दीर्घ अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे और उनका प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रबंध संस्थानों के उद्देश्य

3383. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबंध संस्थानों की जिन उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई थी उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसे कितने संस्थान हैं;

(ग) हाल ही में इनके कार्यनिष्पादन के विस्तृत मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसमें कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) देश में भारत सरकार द्वारा स्थापित छः भारतीय प्रबंध संस्थान हैं जो अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, लखनऊ, इंदौर और कोजीकोड में स्थित हैं। ये उत्कृष्ट संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना उच्च कोई की प्रबंध शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, शोध आयोजित करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रबंधन में परामर्शक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। भारतीय प्रबंध संस्थानों का अंतिम बार पुनरीक्षण 1992 में किया गया था। इन संस्थानों की प्रति वर्ष लेखा परीक्षा की जाती है तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों पर आवश्यक प्रक्रिया अनुसार की जाती है।

भारत-विरोधी सामग्री

3384. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 2001 के 'दि एशियन एज' में "पाथ टू पैराडाइज" शीर्षक के अंतर्गत इस्लामी कट्टरपंथी सामग्री के असम और देश के अन्य भागों में इस्लामी कट्टरपंथियों को इस्लाम पर अपराध करने वालों के खिलाफ जेहाद छेड़ने के उद्देश्य से भेजने और ओसामा बिन लादेन के भड़काऊ भाषणों वाले वीडियो सीडी की तस्करी से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी के माध्यम से भेजी गई ऐसी प्रचार सामग्री जब्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खेल योजनाएं

3385. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर में भंवरताल तरणताल निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या आज तक राज्य की कुछ खेल योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि मुख्य तरणताल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, गोताखोरी पूल से संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करने के पश्चात आरंभ किया जाएगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। विभिन्न प्रस्तावों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। संशोधित ब्यौरे/दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन पर विचार किया जाएगा।

विनिवेश नीति

3386. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विनिवेश नीति की केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के संबंध में इस नीति के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के गैर-महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की इक्विटी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों में मद-वार और वर्ष-वार निवेश का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) सरकार की घोषित विनिवेश नीति यह है कि साधारण मामलों में, सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सामरिक उद्यमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इसके निचले स्तर तक कम करेगी। सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे हैं जो हथियार और गोला-बारूद और प्रतिरक्षा उपस्करों के संबद्ध मदों, प्रतिरक्षा विमानों और युद्धपोतों (नाभिकीय विद्युत के उत्पादन और कृषि, औषधि और गैर सामरिक उद्योगों में विकिरण और रेडियो आईसोटोप के उपयोग से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर) परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात के क्षेत्रों में लगे हैं। अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर सामरिक हैं।

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के ब्यौरे लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण-1999-2000 (खण्ड-III) में दर्शाए गए हैं।

(ग) सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी का कोई विनिवेश नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कच्छ के गांवों में पेयजल हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण/अनुदान

3387. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के कच्छ जिले के गांवों में पेयजल की व्यवस्था हेतु एशियाई विकास बैंक से कोई ऋण अथवा अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ किसी कार्य-योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए दिनांक 26.3.2001 को 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित घटकों में से 103 मिलियन अमरीकी डालर का एक ग्रामीण आधारभूत ढांचा (जलापूर्ति तथा स्वच्छता) निर्मित करना है। घटक का मुख्य उद्देश्य सुदृढ़ जलापूर्ति तंत्र, क्षेत्र में भूकम्प, चक्रवात और सूखा प्रतिरोधक प्रणाली कायम करने के लिए वित्त पोषण करना है। जलापूर्ति घटक के लिए 498.62 करोड़ रुपये की विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें से 464.26 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 34.36 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए है।

[हिन्दी]

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खेल

3388. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु खेलों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित खेलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु खेल–वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) हालांकि नई राष्ट्रीय खेल नीति, खेल तथा पर्यटन क्षेत्रों के बीच अन्तर–निर्भरता तथा अन्तर–संबंध को मान्यता प्रदान करती है, अभी तक इस प्रयोजन के लिए कोई ठोस योजनाएं और प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए आवंटन दर्शाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास

3389. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और अन्य हितों को ध्यानपूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा रसायनों और उर्वरकों के परिवहन, भंडारण, वितरण और विक्रय से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उर्वरक कंपनियां हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार लगाती हैं तथा आर्थिक गतिविधियों यथा रासायनिक उर्वरकों की ढुलाई, भंडारण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में अपने उर्वरकों की बिक्री हेतु डीलरों की नियुक्ति करती हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए डीलरों की सभी भावी नियुक्तियों का 25% आरक्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उर्वरक विनिर्माण मूलक उपक्रमों को सितम्बर, 1978 में अनुदेश जारी किए थे तथापि, उर्वरकों की ढुलाई एवं भंडारण के मामले में आरक्षण हेतु ऐसे कोई अनुदेश नहीं *।

जहां तक रसायन उद्योग का संबंध है, रसायनों के मूल्य, वितरण और बिक्री पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

खेलों में महिलाओं, जनजातीय/ग्रामीण युवकों की भागीदारी

3390. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खेलों में महिलाओं, जनजातीय और ग्रामीण युवकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) खेलों में महिलाओं, जनजातीय युवाओं तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है :

1. **ग्रामीण खेल कार्यक्रम** : इस योजना के अंतर्गत ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर एथलेटिक्स, रस्साकशी, तीरंदाजी, हॉकी, खो–खो, कबड्डी, भारोत्तोलन, वालीबाल, कुश्ती, फुटबाल (केवल लड़के) खेल विधाओं में ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं जिनमें महिलाओं, जनजातीय युवाओं तथा ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाता है।

   इसके अलावा, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए वहां प्रतिवर्ष उत्तर–पूर्वी खेल महोत्सव आयोजित किया जाता है।

2. **महिलाओं के लिए खेल महोत्सव** : योजना के अंतर्गत, ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें महिला खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/प्रतिस्पर्धाओं में जीते गए पदकों की संख्या (लगभग) नीचे दी गई है :

वर्ष	उपलब्धि
1999	172
2000	183

इसके अलावा, 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 1999 तक काठमांडू में आयोजित आठवें दक्षिण एशियाई परिसंघ (सैफ) खेलों में भारतीय दल ने कुल 192 पदक जीते थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम

3391. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) को 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीबी मानदंड पर आधारित राज्य–वार आवंटनों के सिद्धांत से हटकर 'मांग जनित' नीति में बदल गया है। राज्यों को अभिज्ञात जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) परियोजनाएं बनाने की जरूरत होती है। यह कार्यक्रम समुदाय आधारित और जन केन्द्रित रूप में कार्यान्वित किया जाता है। जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान बढ़ाते हुए एक मांग जनित प्रणाली अपनाई जाती है ताकि वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली के साथ मांग को पूरा किया जा सके। ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक और प्रवेश बिंदु के रूप में शुरू किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 200 जिलों की पहचान की गई है। अब तक देश भर के 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 111 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चूंकि, संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक 'मांग जनित' कार्यक्रम है, इसलिए कोई राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर निधियां मुहैया कराई जा रही हैं। अब तक केन्द्रीय अंश की पहली किस्त के रूप में 193.75 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

उड़ीसा में गरीबी उपशमन योजनाएं

3392. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी गरीबी उपशमन योजनाएं प्रगति पर हैं/कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकार के पास उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्न शहरी क्षेत्रों में उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय उड़ीसा राज्य सहित सम्पूर्ण भारत में दिनांक 1.12.1997 से 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)' नामक एक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य (i) शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) घटक के तहत नौवीं कक्षा तक पढ़े लोगों को स्व–रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा (ii) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार युक्त व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम की केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के आधार पर वित्त व्यवस्था की जाती है।

(ख) एस.जे.एस.आर.वाई. कार्यक्रम के तहत शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एस.जे.एस.आर.वाई. कार्यक्रम अपने यू.डब्ल्यू.ई.पी. घटक के तहत किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान केवल नकद करता है।

विशेष घटक योजना और आदिवासी उप-योजना के तहत योजनाएं और कार्यक्रम

3393. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनमें से अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, के समग्र विकास के लिए वर्ष 1978 से चल रही विशेष घटक योजना (एस सी पी) और आदिवासी उप योजना (टी एस पी) के तहत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रकृति/क्षेत्र और लक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए कृषि क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष घटक योजना और आदिवासी उप–योजना के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही नई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान योजना आयोग से ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि मांगे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत क्या उपलब्धियां हासिल की गईं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विशेष घटक योजना (एससीपी) और आदिवासी उप–योजना (टीएसपी) के अंतर्गत कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन नहीं है। इसके अलावा, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसी कोई योजनाएं इस समय इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण

3394. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान उक्त कार्य के लिए आवश्यक धनराशि के आवंटन न होने के कारण केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के कार्य पर प्रतिकूल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सी पी एम एफ) का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने आधुनिक और अधुनातन हथियार और उपस्कर उपलब्ध करवाकर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की मारक क्षमता का उन्नयन करने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों को समयबद्ध करने और बढ़ती हुई आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों की चुनौती का सामना करने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं, जिसे केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के वार्षिक बजट में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में खेलों का विकास

3395. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई खेल नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि खेल के क्षेत्र में अग्रणी घोषित केरल राज्य में खेलों के विकास हेतु राज्य सरकार के माध्यम से खेल परिषद द्वारा भेजी गई विभिन्न योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) नई राष्ट्रीय खेल नीति की मुख्य–मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

1. खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;

2. अवस्थापना का उन्नयन तथा विकास;

3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन;

4. खेलों के लिए वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण समर्थन को सुदृढ़ करना;

5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना;

7. खेल संवर्धन में निगमित क्षेत्र को शामिल करना; तथा

8. जनसामान्य में खेल भावना के संवर्धन हेतु अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।

(ख) और (ग) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान 'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों' की योजना के अंतर्गत, खेलों के विकास के लिए, केरल सरकार से अभी तक दस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से निम्नलिखित चार प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है :

1. मुक्तुपुजहा, एर्नाकुलम में आऊटडोर स्टेडियम (श्रेणी–1);

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीकन्दापुरम, कन्नूर में खेल मैदान का विकास;

3. राजकीय व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, कय्यार, कसारगोडे में खेल मैदान का विकास;

4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वेल्लाथूवाल, इडुक्की में बास्केटबाल/वालीबाल मैदान का विकास।

शेष छः परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं पाई गई थीं, अतः केन्द्रीय सहायता के लिए उन पर विचार नहीं किया गया था। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

मल्टी लेयर कल्चर कम्पलेक्स का निर्माण

3396. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शहरी विकास विभाग के माध्यम से सामाजिक–सांस्कृतिक परिषद के नाम पर दिल्ली के यमुना पार क्षेत्रों में 'मल्टी लेयर कल्चर कम्पलेक्स' के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अन्य महानगरों में भी ऐसे परिसरों के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि उन्होंने दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र के जिला केन्द्रों में सांस्कृतिक परिसरों के लिए प्रावधान रखा है। शास्त्री पार्क जिला केन्द्र के सांस्कृतिक परिसर (कल्चर कम्पलेक्स) में बहुप्रयोजनीय सम्मेलन कक्ष/आर्ट गैलरी/पुस्तकालय, सभागार तथा रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) 'राज्यों में बाल एवं बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना' नामक योजना संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत स्वायत्त संगठन को अधिकतम 100 करोड़ रु. का अनुदान दिया जाता है। अब तक निम्नलिखित राज्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है :

	धनराशि (लाख रु.)
सिक्किम	65.00
नागालैंड	100.00+50.000 (पूर्वोत्तर पूल)
मणिपुर	10.00
मिजोरम	75.00
त्रिपुरा	25.00
पश्चिम बंगाल	35.00
मध्य प्रदेश	90.00
उड़ीसा	25.00
जम्मू एवं कश्मीर	100.00
कर्नाटक	140.00
बिहार	15.00
हरियाणा	50.00
केरल	100.00
पांडिचेरी	25.00
पंजाब	50.00

कर्नाटक में बालिका समृद्धि योजना

3397. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बालिका समृद्धि योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य में बालिकाओं के नाम ब्याज अर्जित करने वाले खातों में कुल कितनी राशि जमा कराई गई; और

(ग) राज्य में उपरोक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताय है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित अल्पसंख्यक परिवार

3398. योगी आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान कश्मीर घाटी से आतंकवाद के कारण कितने अल्पसंख्यक परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) सरकार ने अब तक कश्मीर के हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) घाटी के ऐसे विस्थापित परिवारों को कश्मीर में पुनः कब तक बसाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटी और जम्मू के जम्मू डिवीजन के आतंकवाद प्रभावित अन्य जिलों से राज्य के अंदर पलायन कर गए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या निम्न प्रकार है :

1998	262 परिवार
1999	288 परिवार
2000	638 परिवार

घाटी से पलायन कर गए लोगों के आंकड़े अलग से केन्द्र सरकार स्तर पर नहीं रखे जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवाद के कारण लोगों के जम्मू और कश्मीर से बाहर पलायन की कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ख) कश्मीर के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- सूचना एकत्र करना और सभी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान चलाना।
- अल्पसंख्यक समुदायों से बसे गांवों के नजदीक घात लगाना।
- रणनीतियों और अभियानों की योजना बनाने के लिए आसूचना के आदान–प्रदान हेतु विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि आवश्यकता के समय, इन गांवों के आस–पास सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता उपलब्ध हो।
- सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों/अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों में पुलिस, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों ओर सेना की पिकटें और नाका पार्टियां स्थापित करना।
- संवेदनशील स्थानों पर गश्त गहन करना।
- आसूचना नेटवर्क को और तेज करना।
- अल्पसंख्यक समुदायों से बसे लोगों के गांव में या उनके निकट वायरलैस स्टेशन स्थापित करना।

(ग) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने पलायन कर गए कश्मीरियों की सुरक्षित वापसी और उनके पुनर्वास के लिए पहले ही एक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना का कार्यान्वयन विस्थापितों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल पर निर्भर करेगा। इसलिए, पलायन कर गए कश्मीरियों की शीघ्र वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुकूल माहौल बनाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3399. श्री ए. के. एस. विजयन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां–10.38% और अनुसूचित जनजातियां–3.21%) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां–11.73% और अनुसूचित जनजातियां–2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है);

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'क' सेवाओं में 14.24% था (अनुसूचित जाति–10.8% तथा अनुसूचित जनजाति–3.44%) तथा समूह 'ख' सेवाओं में 15.37% था (अनुसूचित जाति–12.35% तथा अनुसूचित जनजाति–3.02%)।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दो भागों में बंट जाने के बाद अक्तूबर, 1999 के दौरान अस्तित्व में आया। अतः इस मंत्रालय की सूचना शून्य है।

प्राथमिक शिक्षा को पोषणिक सहायता

3400. श्री चन्द्र विजय सिंह :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा को केन्द्र द्वारा वित्तपोषित पोषणगत सहायता देने वाली योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार लाना और प्राथमिक स्तर पर अधिक दाखिला बढ़ाने और दाखिल छात्र/छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने की स्थिति में सुधार लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 11.5 करोड़ लक्षित बच्चों में से केवल 2 करोड़ बच्चों को ही पका–पकाया या प्रसंस्कृत खाना उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद कर दी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों से यह आशा की जाती है कि वे स्थानीय क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के आरंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि में पका हुआ/पूर्व पका भोजन प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था करें। तथापि, अंतरिम अवधि में, स्कूलों में पका/पूर्व पका भोजन प्रदान करने के प्रावधान के प्रारंभ के रूप में, पहली से पांचवीं कक्षा के सभी बच्चों को 3 किलो खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति माह की दर से वितरित किए जाएंगे बशर्ते कि छात्रों की उपस्थिति कम से कम 80% हो।

(ग) और (घ) इस समय गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ (जनजातीय ब्लाक), मध्य प्रदेश (जनजातीय ब्लाक), उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप पका हुआ भोजन प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली में संसाधित भोजन प्रदान किया जा रहा है। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभी भी खाद्यान्नों का वितरण कर रहे हैं क्योंकि वित्तीय दिक्कतों के कारण वे संसाधन की व्यवस्था कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

(ङ) से (छ) माल उठाने संबंधी आंकड़ों का सही मिलान न हो पाने और इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण जुलाई से सितम्बर, 1998 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों की पूर्ति को अस्थायी तौर पर रोक दिया था। बाद में भारतीय खाद्य निगम को निधियां जारी कर दी गई थीं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम

3401. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की प्रक्रिया में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का राज्य–वार योगदान क्या है;

(ख) अब तक योजना के तहत राज्य–वार कितने बेरोजगार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या प्रयास कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) काम के बदले अनाज योजना उन 11 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है जो आपदा प्रभावित हैं। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित 'प्राकृतिक आपदा प्रभावित' जिलों में मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र या राज्य सरकार की किसी योजना का एक भाग हो सकती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की योजनावार–निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) योजना के अंतर्गत सृजित श्रमदिनों के रूप में रोजगार सृजन की निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित राज्यवार श्रम दिनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पी एम जी वाई राज्य सरकारों द्वारा चयनित कार्यकारी एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। आवधिक बैठकों, सी आर आर आई नई दिल्ली की सेवाएं तथा अन्य ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थाओं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी और रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़क कार्यों की नियमित और प्रभावी निगरानी के अलावा अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए राज्य तकनीकी एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकारों के लिए त्रिस्तरीय गुणता नियंत्रण प्रणाली सुझाई गई है। कार्यकारी एजेंसी अपने कार्यकारी इंजीनियरों तथा स्वतंत्र गुणता नियंत्रण एजेंसी चाहे वे विभागीय या कोई और हों, जो कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों या क्षेत्र इंजीनियरों के स्वतंत्र नोडल विभाग के लिए उत्तरदायी है, के जरिए गुणता को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है। तीसरे स्तर के रूप में स्वतंत्र मॉनीटर राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो सड़क कार्यों की गुणता की जांच करेंगे तथा मॉनीटर द्वारा पता लगाए गए किसी प्रकार के अतिक्रमण को अगले भुगतान से पहले ठीक किया जाएगा।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित श्रमदिनों का ब्यौरा (अक्तूबर तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सृजित श्रम दिन (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	एन.आर.
2.	बिहार	एन.आर.
3.	छत्तीसगढ़	865.91
4.	गुजरात	1585.20
5.	हिमाचल प्रदेश	16.94
6.	कर्नाटक	एन.आर.
7.	केरल	एन.आर.
8.	मध्य प्रदेश	एन.आर.
9.	महाराष्ट्र	93.33
10.	उड़ीसा	429.00
11.	राजस्थान	1072.52
	कुल	4062.90

एन.आर.–राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं।

[अनुवाद]

गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण

3402. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में हुए विमान हमलों ने आपदा प्रबंधन में एक नया आयाम जोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त घटनाओं के दृष्टिगत सरकार नगर योजनाकारों की राय जानने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस प्रयोजनार्थ, विशेषतः बहुमंजिला आवासीय और वाणिज्यिक टावरों की समस्या से निपटने के लिए कौन सी अन्य सावधानियां अपना रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) अमेरिका में हुए हवाई हमलों ने आपदा–प्रबंधन में एक नया आयाम जोड़ा है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में आतंकवादी हमलों और मानव जनित आपदाओं की संभावनाओं के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तथापि, मानव जनित आपदाओं के प्रति सावधानी भी कानून का अनुपालन करने वाली एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) कस्बों और शहरों की विकास योजनाएं/मास्टर प्लान आकार और आवश्यकता के अनुसार विकास के सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। तदनुसार विकास नियंत्रण मानदंड बनाए जाते हैं और योजनाओं में शामिल किए जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा तैयार विनिर्देशन और व्यवहार–संहिताएं आग, तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ऊंची इमारतों सहित सभी प्रकार के संरचनाओं/भवनों के सुरक्षा पहलुओं के साथ–साथ संरचनात्मक सुरक्षा की अपेक्षाएं काफी हद तक पूरी करती हैं।

इस समय भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों की व्यवस्था भवन–उपनियम में संशोधनों के जरिए की जाती हैं। दिल्ली भवन उपनियमों के संशोधन के पश्चात भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा का प्रावधान शामिल कर लिया गया है।

गुजरात को माध्यमिक शिक्षा हेतु निधियां

3403. श्री दिन्शा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान गुजरात को माध्यमिक शिक्षा हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) राज्य में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कीं/प्रगति की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संविदा विचलन

3404. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं को ए.एच. आर. और ए.एल.आर. मदों के अलावा समझौता मद के संबंध में क्रमशः 10% और 30% के संविदा विचलन को अनुमति देने की शक्तियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विचलन प्रतिशत की गणना करते समय अतिरिक्त/स्थानापन्न मद की राशि शामिल नहीं की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सहायक अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं द्वारा विचलन की अनुमति देने संबंधी वित्तीय शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर और कार्यपालक इंजीनियरों को करार की अति उच्च दर मदों और अति निम्न दर मदों को छोड़कर सभी मदों के संबंध में ठेका राशि में निम्नलिखित विचलन स्वीकृत करने का अधिकार है :

सहायक इंजीनियर – निविदा राशि का 10% लेकिन अधिकतम 60,000/– रुपये

कार्यपालक इंजीनियर – निविदा राशि का 20% लेकिन अधिकतम 7 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

3405. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का विचार आगामी कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने के लिए एक रणनीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें/केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की उपेक्षा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) इस क्षेत्र के समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए सन् 1985 में स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2001, उप क्षेत्रीय योजनाएं और परिवहन (1995), बिजली (1996), दूरसंचार (1997) और उद्योग (1998) के लिए प्रयोजनमूलक योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां निर्धारित करती हैं। यह अब क्षेत्रीय योजना 2021 की तैयारी कर रहा है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। क्षेत्रीय योजना कार्यान्वयन केन्द्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र तथा बिजली, सड़क, रेलवे, दूरसंचार नेटवर्क और आर्थिक कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्रीय अवस्थापना के विकास के लिए लक्षित परस्पर संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है।

ओमान-इंडिया फर्टिलाइजर परियोजना में निवेश

3406. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओमान–इंडिया फर्टिलाइजर परियोजना में कुल कितनी राशि का निवेश किए जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना में भारत द्वारा कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना द्वारा प्रति वर्ष अमोनिया का कितना उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना का अन्य कोई ब्यौरा, यदि कोई हो, क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) ओमान–इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की अनुमानित पूंजी लागत 969 मिलियन अमेरिकी डालर है। इस प्रोजेक्ट के भारतीय प्रवर्तक नामतः इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लि. (इफको) और कृषक भारती कोओपरेटिव लि. इस प्रोजेक्ट की साम्य पूंजी में 80–80 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करेंगे।

(ग) यह प्रोजेक्ट प्रतिवर्ष लगभग 11.9 लाख मी.टन अमोनिया का उत्पादन करेगा जिसमें से 2.48 लाख मी.टन अधिशेष होगा और शेष की आवश्यकता यूरिया के उत्पादन के लिए होगी।

(घ) इस प्रोजेक्ट से प्रति वर्ष लगभग 16.52 लाख मी. टन दानेदार यूरिया का उत्पादन करने की आशा है। ओमान ने इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्य फीड–स्टॉक 'प्राकृतिक गैस' प्रथम 10 वर्षों के लिए 0.77 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन बी टी यू के प्रतिस्पर्धी मूल्य पर और तत्पश्चात उपयुक्त वृद्धि शर्त के साथ देने की पेशकश की है। प्रोजेक्ट का ऋण साम्य अनुपात 67 : 33 है। ऋण भाग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुटाया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का पाठ्यक्रम

3407. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 2001 को 'राष्ट्रीय सहारा' में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के पाठ्यक्रम की कमियों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने पाठ्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वह जिन विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ली जाती है उनमें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पाठ्य विवरण विश्वविद्यालय प्रणाली से बनाई गई विशेषज्ञ समितियों की सहायता से तैयार करता है। प्रोफेसर बी.एस. गोयल ने इस पाठ्य विवरण के संबंध में जिन कमियों का उल्लेख किया है उनसे उन विशेषज्ञों को अवगत करा दिया गया है जिनकी सहायता इस पाठ्य विवरण को तैयार करने के लिए ली गई थी ताकि वे इन पर अपने अभिमत दे सकें और इन सभी विशेषज्ञों के अभिमत प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बिहार के संस्कृत विद्यालयों को अनुदान

3408. श्री अरुण कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने गत तीन वर्ष के दौरान बिहार के संस्कृत विद्यालयों को दिया जा रहा अनुदान बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इन विद्यालयों को पुनः सीधे अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय योजनागत स्कीम, जिसका कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' कर रही है, के अंतर्गत चुनिंदा संस्थाओं, जिनके आवेदन पत्रों को संबंधित राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र सरकार अग्रेषित करती है, को संस्कृत शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकालय अनुदान, स्कूल भवन के निर्माण इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता संस्वीकृत की जाती है। फरवरी, 1997 और फरवरी, 1998 में सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर बिहार की विभिन्न संस्थाओं को अनुदान संस्वीकृत किया गया। इनमें से 124 संस्थाओं को बिहार सरकार की विशेष सलाह पर वर्ष 1999–2000 से अनुदान बंद कर दिया गया और बिहार सरकार ने केन्द्र को लिखा था कि उन आवेदन–पत्रों को राज्य सरकार ने अग्रेषित नहीं किया था।

(ग) और (घ) अगर इन संस्थाओं से बिहार सरकार द्वारा यथा अनुशंसित कोई नया आवेदन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को प्राप्त होता है, तो सहायता अनुदान समिति के समक्ष इसे विचारार्थ रखा जाएगा।

[अनुवाद]

कलकत्ता-हावड़ा के बीच जुड़वां-शहर परियोजना

3409. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को बंगाल के सर्वाधिक पुराने शहर हावड़ा की शोचनीय स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके विशेषतः मलिन बस्तियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की घनी बस्तियों के चहुंमुखी विकास के लिए कलकत्ता और हावड़ा नगरों के बीच एक व्यापक जुड़वां–शहर परियोजना पर विचार कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि कोलकाता म्यूनिसिपल विकास प्राधिकरण (केएमडीए) 1970 से कोलकाता और हावड़ा जुड़वां शहरों में अवस्थापना विकास की अनेक योजनाएं चला रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तीन कार्यक्रम अर्थात् कलकत्ता शहरी विकास परियोजना (सीयूडीपी), I, II और III नामक 1971–1992 के दौरान चलाए गए, जिनके अंतर्गत दोनों जुड़वां शहरों में बस्ती सुधार परियोजनाओं की मार्फत मलिन बस्तियों में समग्र सुधार पर विशेष बल के साथ जल आपूर्ति, सफाई, यातायात और परिवहन शामिल हैं। गंगा कार्रवाई योजना के अंतर्गत सीवरेज शोधन संयंत्र की अनेक योजनाएं, गार्डन रीच,

काशीपुर, चितपुर दक्षिणी उपनगर हावड़ा इत्यादि में चलाई गई थीं।

सीयूडीपी–III कार्यक्रमों के 1992 में अवसान के बाद, विकास परियोजनाएं कोलकाता म्यूनिसिपल विकास प्राधिकरण की आठवीं योजना परियोजनाओं के माध्यम से जारी थीं इसके बाद, 1994–1995 में शुरू मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत, दोनों शहरों को शामिल करते हुए 509 करोड़ रुपये की 57 योजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 277 करोड़ रु. अनुमानित लागत की 30 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रमुख परियोजनाएं थीं–गार्डन रीच और हावड़ा स्थित जल शोधन संयंत्रों की क्षमता वृद्धि, मोहम्मद अली पार्क बेहाला, गरफा, सलकिया, कोना इत्यादि में जलाशय, कोना एक्सप्रेस मार्ग, हावड़ा मैदान क्षेत्र के चारों ओर सड़कें, कोना ट्रक टर्मिनल, गरिया ब्रिज, ईएमबीपी व संयोजकों को चौड़ा करना, हावड़ा नगर निगम (1–16) में ड्रेनेज स्कीमें, कोलकाता के बड़े सीवर और नालियों का जीर्णोद्धार, गोल्फ ग्रीन, बैष्णवघाट पाटुली में आवास परियोजनाएं, हुगली नदी मुहाने का सौन्दर्यकरण इत्यादि। हुगली रिवर ब्रिज कमीशन द्वारा दूसरे हुगली पुल के निर्माण और नदी के दोनों किनारों पर संयोजन सड़कों के सुधार के बाद, जुड़वां शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार आया है।

केएमडीए विभिन्न योजनाओं जैसे कि सीयूडीपी–I, II और III, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी–यूके) से सहायता प्राप्त कलकत्ता मलिन बस्ती सुधार परियोजनाओं (चरण–I क, I ख और I ग), और दसवें वित्त आयोग आवार्ड के अंतर्गत, उपलब्ध कराई गई निधियों से शहरी मलिन बस्तियों के सुधार से संबंधित अनेक योजनाएं चला रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, सम्पूर्ण कोलकाता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की 21.5 लाख आबादी को लाभ मिला। अधिकतर मलिन बस्तियां कोलकाता और हावड़ा दोनों शहरों में हैं, जिनमें से किद्दरपुर, राजा बाजार, गार्डन रीच, पार्क सर्कस, पीलखाना इत्यादि अनेक इलाके ऐसे हैं जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है।

केएमडीए ने हाल ही में जुड़वां शहरों और कोलकाता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के अन्य इलाकों के समग्र व्यापक विकास के लिए 'विजन 2025' नामक परिप्रेक्ष्य योजना जारी की है। मेगा सिटी की परियोजनाओं सहित इन कार्यक्रमों को जारी रखना दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों पर निर्भर करेगी जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली में मलिन बस्तियों/क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं

3410. श्री साहिब सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की मलिन बस्तियों/क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई सरकारी नीति है;

(ख) यदि हां, तो ये मलिन बस्तियां कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं, इनकी संख्या कितनी है और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इनमें मलिन बस्ती अधिनियम, 1956 के तहत घोषित शहरी गांव, गांव और नामोद्दिष्ट मलिन बस्ती क्षेत्र शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें जनवरी, 1998 के बाद बसी मलिन बस्तियां भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आगामी पांच वर्ष के दौरान कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के मलिन बस्ती (स्लम) एवं झुग्गी–झोपड़ी विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली में दो प्रकार के स्लम हैं। स्लमों की पहली श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जिन्हें स्लम क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। ये अधिसूचित स्लम सामान्यतः 'वाल्ड सिटी' और उसके विस्तार क्षेत्र में अवस्थित हैं, 1991 की जनगणना के अनुसार यह अनुमान है कि अधिसूचित स्लमों में लगभग 10 लाख व्यक्ति रह रहे हैं।

स्लमों की दूसरी श्रेणी में दिल्ली में विभिन्न भागों में अवस्थित झुग्गी–झोपड़ी समूह/स्क्वेटर बसाव शामिल है। वर्तमान में लगभग 1100 झुग्गी–झोपड़ी समूह हैं जिनमें लगभग 6 लाख झुग्गियां हैं।

(ग) और (घ) स्लम सफाई (स्लम क्लियरेंस) अधिनियम, 1958 में अधिसूचित क्षेत्र 'स्लम क्षेत्रों' के अंतर्गत हैं और सामान्यतया 'वाल्ड सिटी' और उसके विस्तार क्षेत्र में अवस्थित हैं।

(ङ) ईंट खड़ंजे बिछाना, नालियां, सड़कों में बिजली,

शौचालय और स्नानागार, जल आपूर्ति आदि जैसी न्यूनतम बुनियादी नागरिक सुविधाएं दिल्ली में सभी झुग्गी–झोपड़ी समूहों में उसकी बसावट की कालावधि पर विचार किए बिना मुहैया की जाती हैं।

गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम

3411. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की ओर से उड़ीसा जैसे गरीबी प्रभावित राज्यों में शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता द्वारा एक त्वरित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में श्रम दिवस और रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार गरीब राज्यों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा में बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या से निपटने के लिए रोजगार और श्रम दिवस सृजन की बेहतर संभावनाओं हेतु केन्द्रीय उद्योग और परियोजनाएं लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार गरीब राज्यों को उनके वित्त की पुनः संरचना कर उच्च लागत ऋण के स्थान पर कम ब्याज दर वाले ऋणों की व्यवस्था का प्रस्ताव कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों के हित के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम उड़ीसा राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर 1.12.1997 से कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य के बीच 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है।

(घ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान शिक्षा की गिरती प्रवृत्ति

3412. श्री किरीट सोमैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि दिन–प्रतिदिन कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि कम होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि छात्रों को उच्च शिक्षा स्तर पर बुनियादी विज्ञान शिक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 1999–2000 के दौरान किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के नाम से एक योजना आरंभ की है। यह योजना स्कूल एवं कालेज स्तर पर युवा विज्ञान छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरी और मेडिकल के छात्रों को इन क्षेत्रों में अनुसंधान कैरियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

[हिन्दी]

स्कूल शिक्षा में विदेशी निवेश

3413. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों की राय ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। विगत में इस संबंध में प्राप्त कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया गया है। वर्ष 1983 से वर्ष 2000 तक के दौरान सरकार को दस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

उपर्युक्त दस प्रस्तावों में से सरकार ने कतिपय शर्तों के साथ निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर दिया है-(i) महिन्द्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया, पुणे, (ii) कनाडियन स्कूल, बंगलौर, (iii) महर्षि हेवन ऑन अर्थ डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, (iv) इंडो-कनाडियन अकादमी, कलकत्ता, और (v) वर्के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, लोनावाला (महाराष्ट्र)। इस संबंध में कोई सामान्य नीतिगत निर्णय लेने से पहले सरकार सभी संबंधितों की राय लेगी जिनमें राज्य सरकारें और शैक्षिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा संपत्ति की खरीद

3414. श्री जी. जे. जावीया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले अपराध जगत के अपराधी राजधानी की सरहदों पर स्थायी अड्डे स्थापित करने के उद्देश्य से संपदा की खरीद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में दिल्ली जा रहे विस्फोटक आर.डी.एक्स. सहित शस्त्रों एवं गोला-बारूद की बरामदगी की जांच के दौरान इसका पता सी.बी.आई. द्वारा लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गुजरात के पाटन जिले में संथालपुर से शस्त्रों के जखीरे की बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार किए व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि अभियुक्तों में से एक ने दिल्ली के जैतपुर क्षेत्र में बेनामी खरीद से एक भूखंड प्राप्त किया था तथा वहां फ्लैट का निर्माण करा रहा था। अभियुक्त व्यक्ति पाटन, गुजरात में न्यायिक हिरासत में है।

[हिन्दी]

भारतीय मूल के अफगानी

3415. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के अफगानियों को शरणार्थी मानने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। भारत मूल के अफगानियों को शरणार्थी मानने संबंधी कोई मांग इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की समीक्षा

3416. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आयोग की विभिन्न गतिविधियों में तेजी लाने के लिए इसके कार्यकरण को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन संबंधी अध्ययन

शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। यह अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में पनधारा विकास कार्यक्रम

3417. श्री के. येरननायडू :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पनधारा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किन वर्षा सिंचित क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) उक्त परियोजना के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें कितना खर्च हुआ है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं तथा निकट भविष्य में क्या उपलब्धियां हासिल किए जाने की परिकल्पना की गई है;

(ङ) क्या पनधारा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) पनधारा कार्यक्रमों के विकास में गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है; और

(ज) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) कृषि मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में केवल वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए ही एक योजना नामतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) कार्यान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश में नौवीं योजना अवधि के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत 94,850 हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है/को शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग भी तन वाटरशेड विकास कार्यक्रम नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पहले से अभिज्ञात खंडों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) अधिकांशतः गैर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा गैर मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में ही कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(i) कृषि उत्पादकता में सतत रूप में वृद्धि करना।

(ii) अवक्रमित और वर्षा सिंचित कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणालियों में इन क्षेत्रों को पेड़ों, झाड़ियों तथा घासों आदि के उपयुक्त मिश्रण के द्वारा हरा-भरा बनाकर पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के मामले में ये लक्ष्य मरुभूमि प्रवण, सूखा प्रवण तथा ऐसे अन्यथा अनुत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना है जहां पर सामुदायिक भूमि की अधिकता हो और इसके द्वारा गरीबी उपशमन और पर्यावरण में सुधार को सुनिश्चित करना है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्य और किए गए व्यय को विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2000-2001 तक) के दौरान स्वीकृत क्षेत्र और जारी निधियों का ब्यौरा क्रमश विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत जारी निधियां निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपये में)

वर्ष	निम्नलिखित के तहत जारी निधियां			
	वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटर–शेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1998–99	900.00	981.21	2291.00	483.00
1999–2000	900.00	949.08	2671.00	437.00
2000–2001	300.00	2007.93	4760.00	652.00
योग	2100.00	3938.22	9722.00	1572.00

आंध्र प्रदेश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत व्यय के आंकड़े विवरण–II में दिए गए हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाएं चार से पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां परियोजना–दर–परियोजना आधार पर सात किस्तों में जारी की जाती हैं। पहली किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है और बाद की प्रत्येक किस्त पहले जारी की गई किस्त की 50% से अधिक राशि के उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाती है। उपयोग में लाई गई कुल राशि का परिकलन परियोजना के पूरा होने के बाद किया जाता है। तथापि, निधियां जारी करने की प्रक्रिया से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी निधियों का उपयोग सुनिश्चित होता है।

(ङ) और (च) वाटरशेड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण–II, III और IV में दिया गया है।

(छ) कृषि मंत्रालय की 'वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना' (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) राज्य के समनुरूप विभागों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के मामले में परियोजनाएं जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पक्ष में स्वीकृत की जाती हैं। तथापि इन परियोजनाओं में गैर सरकारी संगठन भी जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां बन सकती हैं। गैर सरकारी संगठनों को सीधे कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत विकसित किए गए क्षेत्र का ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नौवीं योजना के लिए लक्ष्य	वर्ष				योग
			1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	94850	29037	36728	37484	10859	114108
2.	अरुणाचल प्रदेश	8020	200	830		619	1649
3.	असम	41910	17597	1715		100	19412
4.	बिहार	17640	7976	990	1925	0	10891
5.	छत्तीसगढ़	0				22562	22562
6.	गोवा	4410	400	1000	1000	750	3150

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	187510	17901	61780	91187	45124	215992
8.	हरियाणा	17640	3337	6544	5367	4148	19396
9.	हिमाचल प्रदेश	22060	587	2600	5915	7332	16434
10.	झारखंड	0				0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	8820	52	0	167	402	621
12.	कर्नाटक	216180	54768	92300	48372	41418	236858
13.	केरल	44300			18480	20123	38603
14.	मध्य प्रदेश	218390	16955	90230	90082	62158	259425
15.	महाराष्ट्र	216180	58036	71675	46660	55546	231917
16.	मणिपुर	26470		250	8900	5681	14831
17.	मेघालय	26470	1233	3552		9060	13845
18.	मिजोरम	52940	2820	11233	12500	10850	37403
19.	नागालैंड	50700		11149	11103	9307	31559
20.	उड़ीसा	88240	28000	13623	9815	1900	53338
21.	पंजाब	17640	632	1125		1130	2887
22.	राजस्थान	363900	75950	89459	85167	129127	379703
23.	सिक्किम	22060	2000	4500	4370	3522	14392
24.	तमिलनाडु	176400	25145	50567	48899	33736	158347
25.	त्रिपुरा	39700	1403	6412	10450	4233	22498
26.	उत्तर प्रदेश	220600	20311	69947	80556	39895	210709
27.	उत्तरांचल	0				16200	16200
28.	पश्चिम बंगाल	55150	13176	22408	19897	10468	65949
29.	दादरा और नगर हवेली	2200	0	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8820	517	972	920	635	3044
	योग	2250000	378033	651589	639216	546885	2215723

विवरण-II

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत हुए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नौवीं योजना के लिए आबंटन	वर्ष				योग
			1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4300.000	731.397	717.375	738.236	243.493	2430.501
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.000	45.288	41.287	0.000	30.000	116.575
3.	असम	1900.000	431.500	40.000	124.880	10.000	606.380
4.	बिहार	800.000	170.840	34.230	57.770	0.552	263.392
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.000	0.000	0.000	789.440	789.440
6.	गोवा	200.000	8.880	19.278	16.018	15.530	59.706
7.	गुजरात	8500.000	603.950	1270.100	2080.810	984.310	4939.170
8.	हरियाणा	800.000	71.120	138.670	115.640	95.020	420.450
9.	हिमाचल प्रदेश	1000.000	48.970	194.250	293.570	300.000	836.790
10.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11.	जम्मू और कश्मीर	400.000	9.704	0.000	14.905	20.495	45.104
12.	कर्नाटक	9800.000	1564.944	2427.280	1793.188	1586.030	7371.442
13.	केरल	2000.000	500.000	142.288	917.450	639.697	2199.435
14.	मध्य प्रदेश	9900.000	1208.000	1819.890	2622.370	1549.250	7199.510
15.	महाराष्ट्र	9800.000	1761.390	2150.240	1628.230	1666.380	7206.240
16.	मणिपुर	1200.000	25.000	30.000	445.000	250.000	750.000
17.	मेघालय	1200.000	81.520	200.000	20.260	262.750	564.530
18.	मिजोरम	2400.000	147.285	577.710	600.000	466.000	1790.995
19.	नागालैंड	2300.000	160.000	500.000	500.000	590.000	1750.000
20.	उड़ीसा	4000.000	917.690	888.770	432.330	150.570	2389.360
21.	पंजाब	800.000	24.710	50.650	0.000	53.000	128.360
22.	राजस्थान	16500.000	2300.700	3829.510	3932.710	3895.820	13958.740

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	1000.000	80.350	138.270	218.460	176.140	613.220
24.	तमिलनाडु	8000.000	736.090	1769.838	1704.957	1180.770	5391.655
25.	त्रिपुरा	1800.000	58.918	266.650	442.910	188.602	957.080
26.	उत्तर प्रदेश	10000.000	980.290	2327.450	2273.690	1387.850	6969.280
27.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	449.770	449.770
28.	पश्चिम बंगाल	2500.000	371.390	683.774	526.481	413.903	1995.548
29.	दादर और नगर हवेली	100.00	0.000	0.573	0.000	0.000	0.573
30.	अंडमान व निकोबर द्वीपसमूह	400.000	24.416	34.295	31.931	23.000	113.642
	योग	102000.000	13064.342	20292.378	21531.796	17418.372	72306.888

विवरण-III

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997–98 से 2000–01) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्र का ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2,72,932	9,61,000	1,28,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,500		
3.	असम	1,41,035		
4.	बिहार		14,000	
5.	छत्तीसगढ़	45,570	98,500	
6.	गोवा			
7.	गुजरात	2,16,571	3,16,500	3,75,000
8.	हरियाणा	20,510		1,60,000
9.	हिमाचल प्रदेश	1,96,622	47,000	61,500
10.	झारखंड	26,880	1,09,500	
11.	जम्मू और कश्मीर	18,642	82,000	1,02,500
12.	कर्नाटक	1,72,004	2,57,000	1,88,500
13.	केरल	19,471		
14.	मध्य प्रदेश	2,51,574	4,61,000	
15.	महाराष्ट्र	1,85,868	3,98,500	
16.	मणिपुर	66,468		
17.	मेघालय	34,725		
18.	मिजोरम	75,208		
19.	नागालैंड	1,23,150		
20.	उड़ीसा	1,52,067	55,500	
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	1,88,041	1,44,500	7,82,000

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	60,329		
24.	तमिलनाडु	1,48,409	2,01,000	
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश	2,91,130	2,17,500	
27.	उत्तरांचल	58,532	74,000	
28.	पश्चिम बंगाल		30,000	
29.	दादरा और नगर हवेली			
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
	योग	27,67,441	34,67,500	17,97,500

विवरण-IV

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997–98 से 2000–01) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50.14	120.15	19.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09		
3.	असम	7.79		
4.	बिहार		22.72	
5.	छत्तीसगढ़	4.51		
6.	दिल्ली (कपार्ट)	2.50		
7.	गोवा			
8.	गुजरात	21.03	36.11	71.57
9.	हरियाणा	2.98		26.70
10.	हिमाचल प्रदेश	20.03	4.59	8.86
11.	झारखंड	1.12		
12.	जम्मू और कश्मीर	6.08	7.42	20.80
13.	कर्नाटक	20.87	39.22	19.09
14.	केरल	2.39		
15.	मध्य प्रदेश	21.19	63.55	
16.	महाराष्ट्र	10.06	51.23	
17.	मणिपुर	9.18		
18.	मेघालय	2.07		
19.	मिजोरम	4.51		
20.	नागालैंड	18.42		
21.	उड़ीसा	17.00	10.57	
22.	पंजाब	0.89		
23.	राजस्थान	21.68	19.50	202.83
24.	सिक्किम	8.35		
25.	तमिलनाडु	17.13	27.15	
26.	त्रिपुरा	0.70		
27.	उत्तर प्रदेश	52.01	49.36	
28.	उत्तरांचल	4.00		
29.	पश्चिम बंगाल		6.04	
30.	दादरा और नगर हवेली			
3.1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
	योग	326.72	448.52	369.79

केरल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश

3418. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में विनिवेश हेतु निर्धारित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक ऐसी इकाई के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा विनिवेश के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : विनिवेश आयोग ने केरल स्थित उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) में अनुकूल बिक्री की सिफारिश की है। तथापि, सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि., कोटा (राजस्थान) और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच ओ सी एल) रासयानी (महाराष्ट्र) ऐसे हैं जिन्हें विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया है और इनकी एक-एक इकाई क्रमशः पालघाट (केरल) और कोचीन (केरल) में है। भारत पर्यटन विकास निगम की इकाई केरल स्थित कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट को भी विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया है।

इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. कोटा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड में पंजीकृत एक रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार ने अक्तूबर, 1998 में पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोटा, जयपुर और पालघाट की इकाइयों को सहायक कंपनियों में परिवर्तित करने और उनमें संयुक्त उद्यम का गठन करके इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. कोटा की पुनर्संरचना करने की व्यवस्था थी। सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुरूप, 51 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के विनिवेश के लिए जयपुर, कोटा और पालघाट स्थित तीनों इकाइयों के लिए हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की गई थीं। पालघाट इकाई के लिए हित की अभिव्यक्ति प्राप्त हो गई है। इन्स्ट्रूमैन्टेशन कंट्रोल वाल्वस लि. के मामले में अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सरकार ने हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. की 32.61 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार के पक्ष में करने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट के संबंध में हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन अभी जारी किया जाना है।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, सरकार की उस घोषित नीति के अनुसरण में किया जा रहा है जिसके अनुसार सरकार सभी गैर सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उसके निचले स्तर तक कम करेगी। उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि., हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. और भारत पर्यटन विकास निगम गैर सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में आवास तथा शहरी विकास हेतु योजनाएं

3419. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आवास तथा शहरी विकास के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त सभी राज्यों में इस संबंध में सरंचनात्मक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्य भूकंप संभावित क्षेत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आवास और शहरी विकास के लिए, केन्द्र सरकार पहले से ही निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित/केन्द्रीय सेक्टर योजनाएं चला रही है-(1) छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी), (2) मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए किफायती सफाई योजना (एलसीएस), (3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी), (4) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और (5) राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता विवरण में है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने अपने बजट की 10% राशि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अलग रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के आवास और शहरी विकास योजना के लिए इस मंत्रालय के बजट में 120.50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को परियोजना प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेजने के लिए कहा गया है। इस प्रकार इस मंत्रालय ने 54.11 करोड़ रु. की राशि की 9 परियोजनाएं मंजूर की

हैं जिनमें से चालू वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान 27.82 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर राज्य भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं क्योंकि यह पूरा क्षेत्र अत्यंत भयानक भूकंप जोन–V के अंतर्गत आता है। आई एस 18/3 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न नगरों और शहरों के भूकंपीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जोन–V में हैं और सिक्किम जोन IV में हैं। इस मंत्रालय ने देश में भूकंपरोधी आवास निर्माण पद्धतियों के प्रचार–प्रसार के लिए कई पहल प्रयास किए हैं। सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को समय–समय पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कहा जाता रहा है कि वे अपने भवन–निर्माण उपनियमों और विनियमों, भू–उपयोग जोनिंग और नगर और ग्राम नियोजन अधिनियमों में इस प्रयोजन से शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर संशोधन कर लें।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5
आईडीएसएमटी (छोटे एवं मझोले कस्बों की समेकित विकास स्कीम)				
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	33.00	0.00
2.	असम	15.00	80.11	31.00
3.	मणिपुर	10.50	0.00	32.00
4.	मेघालय	0.00	61.80	0.00
5.	मिजोरम	34.40	74.00	0.00
6.	नागालैंड	0.00	0.00	112.00
7.	सिक्किम	0.00	30.00	32.00
8.	त्रिपुरा	16.80	55.06	48.00
	कुल	79.90	333.97	255.00
एलसीएस (किफायती सफाई)				
1.	असम	0.00	0.00	0.00
2.	मणिपुर	0.00	16.24	0.00
3.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
4.	त्रिपुरा	58.79	0.00	0.00
	कुल	58.79	16.24	0.00
एयूडब्ल्यूएसपी (त्वरित शहरी जल आपूर्ति)				
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	149.08	50.00
2.	असम	198.87	324.26	0.00
3.	मणिपुर	63.16	160.51	206.00
4.	मेघालय	0.00	0.00	96.53
5.	मिजोरम	76.95	63.42	138.11
6.	नागालैंड	17.51	175.80	85.98
7.	सिक्किम	0.00	28.92	0.00
8.	त्रिपुरा	42.11	91.44	175.25
	कुल	398.60	993.43	751.87
एसजेएसआरवाई (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना)				
1.	अरुणाचल प्रदेश	65.01	88.65	0.00
2.	असम	823.08	191.07	63.30
3.	मणिपुर	191.12	44.24	0.00
4.	मेघालय	118.45	27.30	19.00
5.	मिजोरम	125.64	146.30	126.77
6.	नागालैंड	84.16	82.34	76.25
7.	त्रिपुरा	157.74	82.52	162.00
8.	सिक्किम	30.98	30.02	32.49
	कुल	1596.18	692.44	479.81
एनएसडीपी (राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम)				
1.	अरुणाचल प्रदेश	88.00	125.36	25.40
2.	असम	253.00	281.00	79.80

1	2	3	4	5
3.	मणिपुर	100.00	110.00	28.78
4.	मेघालय	88.00	110.00	28.55
5.	मिजोरम	88.00	122.00	110.00
6.	नागालैंड	88.00	122.00	28.55
7.	त्रिपुरा	90.00	120.00	110.00
8.	सिक्किम	100.00	88.00	25.40
	कुल	895.00	1078.00	436.48

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता

3420. श्री रामशकल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता की जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक आवासों की निम्न गुणवत्ता के संबंध में राजयवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मकानों के निर्माणार्थ प्रदान की जाती है। इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना है और इसलिए मकान के समुचित निर्माण का दायित्व लाभार्थियों का होता है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मकान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करता है। मंत्रालय को जब भी इनके संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो मामले पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए उसे तत्काल राज्य सरकारों की नोटिस में लाया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. योजना

3421. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले स्कूली शिक्षकों के लिए लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले स्कूली शिक्षकों के लिए सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना को संशोधित रूप में क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षक दिनांक 1.1.1986 से प्रभावी त्रि–स्तरीय वेतनमानों की एक पृथक योजना के अंतगत आते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए दिनांक 9.8.1999 से प्रभावी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम शिक्षकों के मामले में लागू नहीं होती है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3422. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं (आई.आर.डी.पी.) के परिणामस्वरूप लाभभोगियों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का आई.आर.डी.पी. को 'माइक्रो फाइनांस कार्यक्रम' बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में इन परियोजनाओं की कारगर ढंग से निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की ऋणग्रस्तता से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। तथापि, जुलाई, 1995 से जून, 1996 की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन से पता चलता है कि पुराने लाभार्थियों (अर्थात 31 मार्च, 1999 को अथवा इससे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी) के 55.41 प्रतिशत पर बहुत ज्यादा बकाया था जिसका मतलब कुछ मायने में ऋणग्रस्तता होगा। बकाया रह जाने के कारणों में आय सृजन में विलंब, परिसंपत्तियों से अपर्याप्त आय, उपभोग संबंधी जरूतों को पूरा करने के लिए आय का अन्यत्र उपभोग, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिसंपत्तियों का विक्रय आदि शामिल हैं। तथापि मूल्यांकन रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 23.4 प्रतिशत मामले में ऋणग्रस्तता जानबूझकर अदा न करने की वजह से है।

1.4.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अब अस्तित्व में नहीं है। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने हेतु 1.4.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं इसके सहायक कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्व सहायता समूहों को आवर्ती निधियों के रूप में सूक्ष्म वित्त पोषित करने अर्थात प्रति समूह 25000 रु. की दर से जिसमें सरकारी सवब्सिडी 10000 और 15000 रु. बैंक ऋण शामिल है, का प्रावधान है। यदि कोई स्व सहायता समूह 6 माह की अवधि से अस्तित्व में है और एक व्यवहारिक समर्थ समूह के रूप में कार्य करता है तो वह आवर्ती निधियां प्राप्त करने का पात्र है। आवर्ती निधियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समूह द्वारा निधियों का इस्तेमाल करने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाना है। ये निधियां उपभोग और उत्पादन दोनों के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल की जा सकती हैं।

(ङ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की निगरानी के लिए वर्तमान प्रावधान निम्न प्रकार है :

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें।

(ii) मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा और परिसंपत्तियों का मौके पर सत्यापन।

(iii) केन्द्रीय समन्वय समिति तथा निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा केन्द्र स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा राज्य स्तर पर तथा जिला एवं ब्लाक स्तरीय एस जी एस वाई समिति द्वारा जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा।

(iv) आवधिक मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययन।

(v) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समितियों द्वारा कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना

3423. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें पहले ही निवेश की जा चुकी धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाओं के अपनी समय–सीमा से पीछे होने के क्या कारण हैं तथा इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में ढील दिए जाने से दिल्ली आवास, व्यापार और अन्य दृष्टियों से योग्य स्थान नहीं रह गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या फ्लाई ओवर और मेट्रो रेल के निर्माण से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। सरकार ने संसद द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सं. 2) के अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडलों की सहमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया है। इसके पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी

और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि प्रयोक्ताओं और अव–संरचनात्मक विकास के नियंत्रण के लिए अधिदेश है ताकि इसमें होने वाले किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने, अपने गठन से ही, 148 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है, जिनमें से 68 पूरी हो चुकी हैं और शेष 80 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 4277.40 करोड़ रुपये है। जिसके लिए जून, 2001 तक विभिन्न सदस्य राज्यों को 1126.28 करोड़ रुपये की ऋण राशि भी जारी की गई है। राज्य सरकारों ने जून, 2001 तक 1546.85 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की जानकारी दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वित्त पोषित परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राज्यों/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जारी किए गए ऋणों का वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) 80 चल रही परियोजनाओं में से 15 में निर्धारित अवधि से अधिक समय लग रहा है और शेष 65 अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित और इसके द्वारा ऋण दिया गया है तथापि ये योजनाएं राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

विलंब मुख्यतः भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और इससे जुड़े कानूनी मसलों के कारण हुआ है। बोर्ड की 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजनाओं के वास्तविक और वित्तीय निगरानी का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कार्य–स्थल के निरीक्षण के अलावा, बोर्ड समय–समय पर समीक्षा बैठकों के आयोजनों द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी भी करता है।

(घ) से (च) 8518 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली दिल्ली एम आर टी एस परियोजना में निम्नलिखित अनुमोदित कारीडोर शामिल हैं :

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) से कनॉट प्लेस से केन्द्रीय सचिवालय (11 कि.मी.)।

(ii) शाहदरा से आई एस बी टी से त्रिनगर से नांगलोई (25 कि.मी.) (हालांकि त्रिनगर–नांगलोई का निर्माण कार्य वर्तमान में स्थगित है)।

(iii) त्रिनगर से बरवाला (15.98 कि.मी.)।

आशा की जाती है कि 2005 के मध्य में इस परियोजना के पूरा होने से प्रतिदिन 19.5 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। दिनांक 30.11.2001 की स्थिति के अनुसार 1574.63 करोड़ का कुल व्यय हुआ है। वास्तविक प्रगति 17% हुई है।

दिल्ली में 24 फ्लाई ओवर हैं जिनका निर्माण विभिन्न स्थानीय एजेंसियों द्वारा किया गया है।

इसके अलावा 11 फ्लाई ओवर और मार्ग विभाजक निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

मेट्रो रेल और फ्लाई ओवरों के बनने से यह आशा की जाती है कि दिल्ली में यातायात के आवागमन में पर्याप्त सुधार होगा।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

राज्य	स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी किए गए ऋण		जून 01 तक किया गया व्यय
				भारत सरकार	रा.रा.क्षे.यो.बो. एनसीआरपीबी	
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	58	1445.56	636.67	5.62	419.34	584.54
राजस्थान	45	375.54	151.30	3.37	137.98	182.71

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	41	2022.50	750.96	4.69	534.22	728.68
उप योग	144	3843.60	1538.93	13.68	1091.54	1495.93
सी.एम.ए.*	4	433.80	54.00	0.00	34.74	50.92
कुल	148	4277.40	1592.93	13.68	1126.28	1546.86

*काउंटर मैगनेट एरिया

राज्य/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जारी किए गए ऋण का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	सीएमए	योग
1985–86	1.25	1.75	0.75	0.00	3.75
1986–87	1.38	2.25	0.36	0.00	4.00
1987–88	2.79	3.76	0.68	0.00	7.23
1988–89	2.95	5.07	1.34	0.00	9.36
1989–90	1.83	5.67	1.70	0.00	9.20
1990–91	1.58	6.37	3.56	2.00	13.52
1991–92	2.74	5.52	10.88	0.00	19.15
1992–93	0.00	2.80	6.07	0.00	8.87
1993–94	2.00	6.94	4.84	2.00	15.77
1994–95	0.00	9.20	4.51	0.00	13.71
1995–96	42.73	42.01	21.50	4.00	110.24
1996–97	78.50	38.81	25.43	3.00	145.74
1997–98	0.00	26.36	45.38	13.00	84.74
1998–99	124.93	74.62	7.25	0.00	206.81
1999–00	124.30	103.41	0.00	10.74	238.45
2000–01	71.05	84.79	3.73	0.00	159.57
2001–02 (जून 2001 तक)	76.19	0.00	0.00	0.00	76.19
	534.22	419.33	137.98	34.74	1126.28

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों के विरुद्ध जांच

3424. श्री सुरेश पासी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध–सैनिक बलों को कश्मीर में आतंकवादियों को मारने पर पुरस्कार के स्थान पर जांच का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

असम गैस-क्रैकर परियोजना

3425. श्रीमती रानी नरह :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम गैस–क्रैकर परियोजना में बहुत विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल योजना के अनुसार उक्त परियोजना का कब पूरा होना तय था और इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(घ) इस विलंब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) उक्त परियोजना के पूर्ण होने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने मूल्य की गैस बह गई; और

(च) इस विलंब के क्या कारण हैं और इसके लिए क्रैकर परियोजना की स्थापना में रिलायंस उद्योग समूह की अरुचि किस हद तक जिम्मेवार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) असम औद्योगिक विकास निगम (ए आई डी सी) और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर आई एल) के संयुक्त उद्यम, नामतः मै. रिलायंस असम पेट्रो केमिकल्स लि. (आर ए पी एल) को असम गैस क्रैकर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 1995 में बनाया गया था। मुख्यतः फीटस्टाक से संबंधित मसलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण यह परियोजना कार्यान्वयन की अवस्था तक नहीं पहुंच सकी है। आर ए पी एल ने बताया है कि यह परियोजना ओ आई एल/ओ एन जी सी के साथ गैस आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर होने और उन्हें भूमि सुपुर्द कर दिए जाने, दोनों में से जो भी बाद में हो, से 44 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

असम गैस क्रैकर परियोजना के चालू होने में विलंब के कारण गैस का प्रवाह नहीं हो रहा है। तकनीकी कारणों से असम में इस समय प्रतिदिन लगभग 0.39 मिलियन मानक घन मीटर (एम एम एस सी एम डी) गैस का प्रवाह हो रहा है।

महासागर विकास विभाग को निधियों का आवंटन

3426. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000–2001 के वित्तीय वर्ष के लिए संघीय बजट में उनके विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वित्त वर्ष 2000–2001 के लिए विदेशी सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेतन/दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वित्तीय वर्ष 2000–2001 के केन्द्रीय बजट में महासागर विकास विभाग को 158.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) 2.22 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2000–2001 के दौरान किए गए व्यय योग्य विदेशी सहायता घटक थी।

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा 2.74 करोड़ रुपये की राशि वेतन/दौरों पर खर्च की गई।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी की स्थापना

3427. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव यूनाइटेड किंगडम की तरह उच्च शिक्षा में बी.आई.एस./बी.वी.क्यू.आई/आई.एस.ओ. जैसी गुणवत्ता आश्वासन–एजेंसी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में पहले ही कर चुका है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उच्चतर अध्ययन संस्थाओं का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करने का कार्य पहले ही कर रही है।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत निधियों के उपयोग के लिए मानदंड

3428. श्रीमती प्रभा राव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियों के व्यय हेतु क्या मानदंड है;

(ख) क्या उक्त मानदंडों का सभी राज्यों, विशेषकर, उत्तर प्रदेश में अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त मानदंडों का अनुसरण न करने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर की दर से देश की ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधा मुहैया कराने के लिए निधियां उपयोग की जानी हैं और 250 की आबादी के लिए जल स्रोत मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर की परिधि में और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए।

(ख) सामान्यतः सभी राज्यों द्वारा ये मानदंड अपनाए जा रहे हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश ने उपर्युक्त मानदंड के अनुरूप पूर्ण कवरेज प्राप्त कर लिया है। उन्हें इस शर्त पर मानदंड में ढील देने की अनुमति दी गई है कि आसान मानदंडों के अनुसार उच्चतर सेवा स्तर के कार्यान्वयन में समुदाय सक्रिय रूप से शामिल हो तथा संवर्द्धित सेवा स्तरों पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूंजी लागत में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी करते हों तथा इसके पश्चात पूर्ण संचालन और रखरखाव का दायित्व निर्वाह करते हों।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता

3429. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग में उन्नयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त समझौते को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर 23 नवंबर, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय भारत–यूरोपीय संघ सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए जिस पर भारतीय पक्ष की ओर से माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी तथा यूरोपीय समुदाय की ओर से महामहिम सुश्री एन्नेमी नाइट्स, बेल्जिआई व्यापार व कृषि, नीति मंत्री के साथ–साथ यूरोपीय समुदाय के यूरोपीय कमीशन की ओर से महामहिम श्री पास्कल लेमी, व्यापार आयुक्त ने हस्ताक्षर किए।

यह समझौता पारस्परिक हितों तथा विश्व सन्दर्भ से जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान तलाशने के लिए हमारे उत्कृष्ट वैज्ञानिक केन्द्रों एवं अलग–अलग वैज्ञानिकों के बीच सहयोग उपलब्ध कराता है। यह निम्नलिखित व्यवस्थाएं करता है :

- विकासात्मक क्षेत्रों के अलावा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी सहयोग का अधिकार प्रदान करना जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कृषि एवं स्वास्थ्य;
- यूरोपीय संघ तथा भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में संचालित अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं में वैज्ञानिकों को पारस्परिक उपलब्धता उपलब्ध कराने के साथ–साथ सहयोगियों के लिए आई पी आर सुरक्षित करना;
- लागत–हिस्सेदारी के आधार पर उत्कृष्टता वाले वैज्ञानिक केन्द्रों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित करना;
- उन्नत अनुसंधान सुविधाओं का मिलकर उपयोग करना विशेष तौर पर भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए यूरोपीय वृहद स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना;

समझौते के कार्यान्वयन में ये शामिल हैं–(i) हमारे भावी वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक कॉमन विजन विकसित करना, (ii) संयुक्त विषय निर्वाचन समिति द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करना, उनकी आवधिक समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।

ग्रुप-आवासीय समितियों को भूखंडों का आवंटन

3430. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूखंडों के आवंटन के लिए ग्रुप–आवासीय और आवासीय समितियों के कितने आवेदन/अनुरोध लंबित हैं तथा उक्त आवेदन/अनुरोध कब से लंबित हैं; और

(ख) प्रत्येक आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आवंटन रजिस्ट्रार सहकारी समिति, दिल्ली सरकार की सिफारिशों तथा सदस्यता के लिए उनके द्वारा दी गई अनुमति (क्लीयरेंस) के आधार पर की जाती है। अभी 172 समितियों को भूमि का आवंटन किया जाना है। सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का अंतिम आवंटन मार्च, 2000 में किया गया था।

(ख) सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आवंटन विकसित भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त 172 सोसायटियों में से 40 समितियों को दिनांक 2.11.2001 को भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

अर्द्ध-सैनिक बलों के मारे गए जवान/अधिकारी

3431. श्री वैको : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कार्रवाई के दौरान ड्यूटी पर अर्द्ध/सैनिक बलों के कितने जवान/अधिकारी मारे गए;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सरकार ने मृतकों के निकट संबंधियों को आर्थिक मुआवजा दिया;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सरकार ने मृतकों के निकट संबंधियों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां दीं;

(घ) मृतकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार केवल कार्रवाई के दौरान मारे गए अर्द्ध सैनिक बल के जवानों/अधिकारियों के बच्चों/अविवाहित विधवाओं/बुजुर्ग माता–पिताओं की देख–रेख के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करते हुए मारे गए अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	1998	1999	2000
संख्या	139	191	195

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार दुश्मन की कार्रवाई या आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्वों द्वारा हिंसा की कार्रवाई के कारण/ड्यूटी के निष्पादन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु पर निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रु./5.0 लाख रु. अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन मामलों की संख्या जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी करते हुए मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधी को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का भुगतान किया गया है :

वर्ष	1998	1999	2000
संख्या	200	269	179

संबंधित बल द्वारा समुचित जांच के पश्चात अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के अतिरिक्त, निकटतम संबंधी को मृत कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के बराबर लिब्रेलाइस्ड पेंशनरी अवार्ड (एल पी ए) या असाधारण पेंशन और यथा स्वीकार्य सभी अन्य पेंशन लाभ जैसे सामान्य भविष्यनिधि, सी जी ई जी आई एस, छुट्टी के बदले नकद भुगतान, डी सी आर जी इत्यादि दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) ड्यूटी के दौरान मारे गए कार्मिकों के आश्रितों/परिवारों का पुनर्वास करने के लिए, वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों के गुणावगुण के आधार पर, अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की जाती हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन मामलों की संख्या, जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध सैनिक बलों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं, निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	1998	1999	2000
कुल	251	324	236

रिटेल आउटलेट्स/डीलरों/एल पी जी वितरकों/एस के ओ–एल डी ओ डीलरों के मामलों में कार्रवाई में मारे गए अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

हरेक बल की अपनी–अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे ड्यूटी के दौरान कार्रवाई में मारे गए कार्मिक के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

काली-सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठन

3432. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा राज्यवार कितने गैर–सरकारी संगठनों के नाम काली–सूची में दर्ज किए गए हैं;

(ख) गैर सरकारी संगठनों के नाम काली सूची में दर्ज करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) मणिपुर के गैर–सरकारी संगठनों के वित्तपोषण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में लगे इस प्रतिबंध को कब तक हटा लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से, मणिपुर में कुछ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी निधियों को दूसरे कामों में लगाने के दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं।

गृह मंत्रालय ने दिसंबर, 2000 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से, मणिपुर में गैर–सरकारी संगठनों को तब तक आगे निधियों के आवंटन को स्थगित रखने के अनुदेश जारी किए जब तक कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निधियों की उपयोगिता का संपूर्ण सत्यापन नहीं कर लिया जाता। गृह मंत्रालय ने फरवरी, 2001 में अन्य बातों के साथ–साथ, यह स्पष्ट किया है कि यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि निधियों का सही उपयोग हुआ है तो केन्द्रीय मंत्रालय/केन्द्रीय एजेंसियां अनुमोदित योजनाओं के अनुसार आगे निधियां जारी कर सकती हैं। इसलिए वास्तविक गैर सरकारी संगठन, जिन्होंने निधियों का समुचित रूप से प्रयोग किया है, मंत्रालयों से आगे और निधियां पाने के पात्र हैं। यदि निधियों का उपयोग नहीं किया गया है या दुरुपयोग किया गया है तो केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों को चूक करने वाले गैर सरकारी संगठनों को काली–सूची में डालना चाहिए और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

बोडो कचारीस जाति को अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल किया जाना

3433. श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम के करबी–आंगलौंग और उत्तरी कोचर पर्वतीय स्वायत्त जिलों में रह रहे 'बोडो कचारीस' जातियों के भारतीय निवासियों को पर्वतीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई ठोस पहल की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संविधान (संशोधन) विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस तरह की अन्यायपूर्ण और अनुचित असमानता को शीघ्र दूर करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (च) बोरोकचारी समुदाय को असम के मैदानी क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। असम सरकार ने सिफारिश की है कि इस समुदाय को स्वायत्त जिलों के संबंध में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाए। इस प्रस्ताव की जांच ऐसे दावों की जांच के लिए निर्धारित अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है। शामिल किए जाने को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से प्रभावी किया जा सकता है और संविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत चुनाव न कराने के लिए राज्यों को दंडित किया जाना

3434. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा पंचायत और जिला परिषद के चुनाव न कराए जाने के कारण उन्हें अनुदान न देकर हाल ही में दंडित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों के अनुदान में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) 73वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नियमित अंतराल पर कराना है तथा ऐसी संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना है। हालांकि सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत आवंटित निधियों का 80 प्रतिशत सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप जारी किया जाता है, निधियों का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में तभी जारी किया जाता है, जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने चुनी हुई व सशक्त पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की है। वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरांचल और पांडिचेरी के संदर्भ में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत निधियों का 20 प्रतिशत रोक दिया गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे यथाशीघ्र चुनी हुई व सशक्त पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए उचित कदम उठाएं ताकि रोकी गई राशि उन्हें रिलीज की जा सके।

[हिन्दी]

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया जाना

3435. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों/विनियमों के अनुकूल न चलने वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2002–2003 के दौरान बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीटीई ने इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किया है/जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14 तथा 15 के उपबंधों के अंतर्गत परिषद की क्षेत्रीय समितियां परिषद के विनियमों में निर्धारित मानकों व प्रतिमानकों तथा अन्य शर्तों के पूरे किए जाने के आधार पर अध्यापक शिक्षा में पाइयक्रम चलाने वाले संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान करती हैं। तथापि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों/आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर मान्यता वापस ली जा सकती है।

(ग) और (घ) परिषद ने शिक्षक कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित मानकों एवं प्रतिमानकों को दिनांक 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।

आधुनिक जन-सुविधा परिसर

3436. श्री सुकदेव पासवान :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने वर्ष 2000–2001 के दौरान आधुनिक जन–सुविधा परिसर बनवाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका उपयोग करने वाले लोगों को उक्त सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या एनडीएमसी अपने क्षेत्रों में जन–सुविधा की निःशुल्क सेवा भी मुहैया करा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या आम जनता की सुविधाओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क सेवा के लिए पहले बनाए गए जन–सुविधा परिसरों की मरम्मत और उनका रख–रखाव भी कराया जा रहा है; और

(ङ) एनडीएमसी के क्षेत्रों में कितने पुराने और कितने आधुनिक जन–सुविधा परिसर स्थित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) पुराने बने हुए जन–सुविधा परिसरों का अभी भी रख–रखाव किया जा रहा है और वे जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। तथापि, कुछ पुराने शौचालय, जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा निर्मित नई आधुनिक जन–सुविधाओं के आस–पास थे, ढहा दिए गए हैं।

(ङ) इस समय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में 236 पुराने शौचालय और मूत्रालय तथा 33 आधुनिक जन–सुविधा परिसर हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग परिसरों में स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन

3437. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक–निर्माण विभाग के महानिदेशक के दिनांक 23.1.1982 की अधिसूचना संख्या 12/(2)/8/सी. पी.डब्ल्यू.डी./डब्ल्यू–II/19024 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग परिसरों में आपात कोटे में से केवल उन योग्य कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन किया जा सकता है जो पूछताछ परिसरों में तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सेक्टर–VIII, आर.के.पुरम, पूछताछ कार्यालय परिसर में किसी क्वार्टर के आवंटन में उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे अवैध आवंटन करने में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध और उपरोक्त आवंटन को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। सरकारी आवास आवंटन नियमावली, 1981 के अंतर्गत, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग परिसरों में उपलब्ध स्टाफ क्वार्टरों के, रखरखाव कार्य के साथ–साथ निर्माण कार्यों में लगाए गए आवश्यक स्टाफ को आवंटित किया जा सकता है।

(ख) सेवा (इंक्वायरी) कार्यालय, सेक्टर–VIII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों के आवंटन के मामले में आवंटन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री संसाधनों का दोहन

3438. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्र तट से प्राप्त होने वाले समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तटवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना अवधि के दौरान तटीय और अपतटीय दोनों ही समुद्री संसाधनों के दोहन की योजना बनाई है और यदि किसी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तो दसवीं योजना के लिए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से निर्जीव संसाधनों एवं भू–विज्ञान से संबंधित जांच के लिए सीमांतर्गत जल क्षेत्र एवं महाद्वीपीय शेल्फ में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करती है। सर्वेक्षणों के दौरान भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक तटों से दूर इलमेनाइट, रुटाइल, जिरकांन सिलिमिनाइट, मोनाजाइट, गारनेट युक्त आर्थिक भारी खनिज बालू; गुजरात तट से दूर 180 से 1200 मीटर गहराई में उच्च श्रेणी चूना पंक निक्षप, लक्षद्वीप सागर में 2800 से 4300 मीटर जल गहराई में सूक्ष्म मैंगनीज की 2–5 सेमी. मोटी परत; महाराष्ट्र व गुजरात तट से दूर 50 से 200 मीटर जल गहराई में ऊलाईट व कैल्सियमी बालू पाए गए; आंध्र तट से दूर 100 से 200 मीटर जल गहराई में उच्च श्रेणी चूना पंक निक्षेप; चेन्नै से दूर दक्षिणपूर्व 100 से 200 मीटर जल गहराई में फॉस्फेटित तलछटों (0.5 से 19.9% P_2O_5), अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में 1000 मीटर जल गहराई में कैल्सियमी तलछट; उथले अपतट एवं लक्षद्वीप के समुद्रतलों में उच्च श्रेणी के कैल्सियमी बालू पाए गए। सरकार द्वारा तटीय समुद्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में

स्थापित खनिज संसाधनों के विदोहन हेतु कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है।

मत्स्य संसाधनों के संबंध में कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र की मत्स्य क्षमता 3.9 मिलियन टन है। सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के विदोहन के लिए कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय और लड़कियों की शिक्षा

3439. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 46,236 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने और वहां लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996 से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुलपतियों का सम्मेलन

3440. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के सामने आ रही समस्याओं पर विशेष बल देते हुए विश्वविद्यालयों में मूल्यों पर आधारित शिक्षा, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों की भूमिका सहित व्यापक विषयों पर चर्चा हेतु सितंबर, 2001 को मैसूर में 'दक्षिणी क्षेत्रों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन' आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में कितने कुलपतियों ने भाग लिया;

(ग) मुख्य रूप से किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) इस सम्मेलन के क्या परिणाम सामने आए; और

(ङ) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को कपार्ट से सहायता

3441. श्री एम. के. सुब्बा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और चालू वर्ष के दौरान असम, नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में गैर–सरकारी संगठनों को कपार्ट द्वारा राज्यवार अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन गैर–सरकारी संगठनों के लिए परियोजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी जारी की गई, कितनी राशि का उपयोग किया गया और कितनी वापस की गई;

(ग) क्या इन गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा चालू वर्ष (30.11.2001 तक) की अवधि के दौरान असम, नागालैंड तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कपार्ट द्वारा गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन गैर सरकारी संगठनों

को स्वीकृत, जारी की गई और उनके द्वारा प्रस्तुत राशि का योजना वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कपार्ट द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली की समीक्षा परियोजना के विभिन्न स्तरों जैसे परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति के पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मध्यवर्ती मूल्यांकन तथा परियोजना की पूर्णता पर उत्तरवर्ती मूल्यांकन परियोजना मूल्यांककों की तैनाती करके की जाती है। अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II में है।

विवरण-I

असम (1999-2000)

(रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	लाभार्थियों का संगठन	20,980	20,980	20,980	पूर्ण
2.	सेंटर फॉर डेव. एक्शन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जू नारंगी रोड, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	52,000	52,000	52,000	पूर्ण
3.	ब्यूरो ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेव., सरवती अपार्ट., राजगढ़ रोड, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	65,654	65,654	65,654	पूर्ण
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप, वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	55,815	55,815	55,815	पूर्ण
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप, वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	42,500	42,500	42,500	पूर्ण
6.	नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जवाहर नगर, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	36,300	36,300	36,300	पूर्ण
7.	मार्डन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री समिति, इरालीगुल	जनसहयोग	4,94,710	1,65,736	1,65,736	चालू
8.	तेजपुर जिला महिला समिति, तेजपुर जिला–सोनितपुर	जनसहयोग	3,32,000	1,65,100	1,65,100	रद्द
9.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	जनसहयोग	4,40,000	4,40,000	4,40,000	चालू
10.	पहुमारा आंचलिक रूरल डेव. एसो. भवानीपुर, बारपेटा	जनसहयोग	2,97,860	1,49,100	1,49,100	चालू
11.	सोदो असोम पठार परिचालिनस समिति, बी.के. काकोटी रोड	जनसहयोग	3,61,240	3,61,240	3,61,240	पूर्ण
12.	डू नी पो लो यूथ सोसायटी कोजी विला, उत्तर लखीमपुर	जनसहयोग	8,22,399	5,28,069	1,07,569	चालू

1	2	3	4	5	6	7
13.	देश भक्त रूरल डेव. एसो., भक्तरडाबा बाजार, नालीगांव	जनसहयोग	8,57,040	8,57,040	8,57,040	पूर्ण
14.	आटा भोकामरी सोसायटी डेव. एसो., आटा भोकामरी, पकाबेतबाड़ी	जनसहयोग	7,98,275	7,98,275	7,98,275	पूर्ण
15.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिसर, जनिया, बारपेटा	जनसहयोग	5,46,530	5,46,530	5,46,530	पूर्ण
16.	तमुलपुर आंचलिक ग्रामदन संघ, कुमर काटा नलवाड़ी	जनसहयोग	9,00,470	4,60,530	4,60,530	चालू
17.	सेंअर फॉर यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट, बेंगटॉल, बुगांईगांव	जनसहयोग	5,87,400	5,87,400	5,87,400	पूर्ण
18.	सेल्समेन ऑफ डानबास्को सेक्रेड हर्ट कालेज, मावलत	जनसहयोग	5,87,400	निकाल लिया गया	–	रद्द
19.	ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन एंड पोपुलेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,67,250	निकाल लिया गया	–	रद्द
20.	वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड, आर.जी. बरूआ रोड, गुवाहाटी	अक्षम	50,000	50,000	50,000	पूर्ण

अरुणाचल प्रदेश (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	जी बी पंत हिमापया पर्यावरण एवं विकास संस्थान	आर्टस	70,000	70,000	70,000	पूर्ण
2.	हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन	आर्टस	54,311	54,311	54,311	पूर्ण
3.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण संस्थान	पी सी	1,30,900	1,30,900	65,450	चालू

मणिपुर (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	इन्टीग्रेटिड रूरल डेव. सर्विसेज वांगोल, इम्फाल	आर्टस	1,68,081	95,332	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चालू
2.	वालयूंटियर्स फार रूरल हेल्थ एंड एक्सन, वांगजिंग, थोबाल	वही	1,38,600	94,000	94,000	वही

1	2	3	4	5	6	7
3.	सोशल इन्वायर्मेंटल एंड रूरल टेक्नोलोजी काउंसिल, तालेल टंगियोपाल	डवाकरा	4,65,700	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–	मंजूरी रोक दी गई
4.	अन्नालोन क्रिसचियन डेव. कमेटी, स्टेडियम रोड, इम्फाल	ओ बी	93,100	38,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चालू
5.	यूनाइटेड एक्सन फार रूरल डेव., नुंगबा	पी सी	1,99,040	99,520	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	एफ ए एस श्रेणी में रखा गया
6.	रिनेवल मनिस्ट्री, जादोनंग बाजार	पी सी	1,18,360	1,18,360	63,320	चालू
7.	क्रिसचयिन सोशल डेव. आर्गे., जाफौ बाजार, चांदेल	पी सी	3,09,980	3,09,980	1,54,990	चालू
8.	यूनाइटेड वोल्यूटरी यूथ काउंसिल, मधुर भवन, इम्फाल	पी सी	3,68,932	3,68,932	2,03,882	चालू
9.	सेंटर फार सोशल डेव., पैलेस कम्पाउंड, इम्फाल	पी सी	3,26,305	1,29,577	1,29,577	चालू
10.	सर्विस फार एंडवांसमेंट फार रूरल डेव., सदर हिल्स वेस्ट	पी सी	1,32,420	66,210	66,210	चालू
11.	फ्रेंडशिप सेंटर, तिनसिड रोड, इम्फाल	पी सी	2,53,320	1,26,660	1,26,660	रद्द
12.	टी लाइलोफाल यूथस डेव. आर्गे., टी लाइलोफाल, सुगनु	पी सी	1,96,320	1,96,320	98,160	चालू
13.	गम्फागोल एरिया डेव. सोसाइटी, चक्पीकारोंग, मोरे	पी सी	1,81,500	1,81,500	1,81,500	पूर्ण
14.	ग्राम सेवा संघ, ब्रह्मपुर, नाहाबरन	आर्टस	1,04,464	1,04,464	51,482	चालू
15.	दा डिस्ट्रीक्ट हेंडीकेप्ड/डिसेबुल्ड इंस्टीट्यूट एंड रिहैबीलियेशन सोसाइटी, लमका	विकलांगता	50,000	50,000	50,000	पूर्ण

मिजोरम (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	मिजोरम मेचे इन्सीख्यान पावी	पी सी	2,55,100	1,27,550	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चालू

मेघालय (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	आई सी ए आर रिसर्च काम्पलेक्स फार एन ई एच रिजन	सैट	1,72,432	1,72,432	1,72,432	पूर्ण
2.	वोलेन्ट्री हेल्थ एशो. आफ मेघालय	ओ बी	16,000	16,000	16,000	पूर्ण

नागालैंड (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	फुड फार हंगरी वूमन	पी सी	3,22,080	2,14,720	2,14,720	रद्द
2.	इमराल्ड सोसाइटी	पी सी	2,94,718	1,26,600	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चालू

सिक्किम (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	नवज्योति संघ	आर्टस	1,47,750	1,47,750	80,325	चालू

त्रिपुरा (1999-2000)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	आर्टस	2,55,800	2,55,800	1,32,236	चालू
2.	स्वामीजी जनकल्याण संस्था	आर्टस	4,57,500	4,57,500	2,42,550	चालू
3.	सिपार्ड	ओ बी	20,000	20,000	20,000	चालू

असम (2000-2001)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	डू नी पो लो यूथ सोसायटी कोजी विला, उत्तर लखीमपुर	लाभार्थियों का संगठन	40,317	40,317	40,317	पूर्ण
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	59,038	59,038	59,038	पूर्ण
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनशिप, वशिष्ठ चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	53,856	53,856	53,856	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
4.	रूरल वालून्टीयर्स सेन्टर अकाजान, धीमाजी	लाभार्थियों का संगठन	4,61,300	2,04,300	2,04,300	चालू
5.	सोसायटी फॉर प्रोमशन ऑफ यूथ एंड मासेज, आश्रम रोड, उल्लूबाडी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	1,19,400	मंजूरी वापस ले ली गई	—	मंजूरी रोक/ रद्द कर दी गई
6.	सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, खानपाडा, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	2,76,00	2,76,00	2,76,00	पूर्ण
7.	ग्रीनहर्ट नेचर क्लब, वार्ड नं. 6, बाजार, कोकराझार	जनसहयोग	2,38,250	1,19,125	1,19,125	चालू
8.	निज जराबारी जनकल्याण ग्रामोद्योग उन्नयन समिति, कुमार गांव अटिकुची	जनसहयोग	79,890	79,890	50,840	चालू
9.	बरनीबारी युवक संघ, बरनीबारी, नलवाड़ी	जनसहयोग	8,53,575	8,53,575	8,53,575	चालू
10.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	जनसहयोग	3,60,300	1,32,025	1,32,025	चालू
11.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिसर, जनिया, बारपेटा	जनसहयोग	5,35,840	2,52,770	2,52,770	चालू
12.	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब, वार्ड नं. 3, गौरी पुर	जनसहयोग	8,37,340	4,18,670	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चालू
13.	रूरल वोमन अपलीफ्टमेंट एसो. ऑफ असम, जपोरीगौग हाईस्कूल, सुन्दरपुर, गुवाहाटी	जनसहयोग	4,35,750	57,500	57,500	चालू
14.	देवरी जागरण महिला समिति, आदर्श देवरी गांव	जनसहयोग	85,000	85,000	85,000	चालू
15.	राजीव ओपन इंस्टीट्यूट अंबिकापट्टी, सिलचर	जनसहयोग	8,29,000	3,57,000	2,00,000	चालू

मणिपुर (2000-01)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम व पते	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	प्रयुक्त राशि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोसायटी फॉर वूमनस एजुकेशन, एक्शन एंड रिफलेक्सन	आर्टस	3,34,475	अभी तक जारी नहीं	—	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
2.	अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	ओ.बी.	98,875	47,700	47,700	चल रही है
3.	मणिपुर नार्थ इकानॉमिक डेव. एसोस.	पी.सी.	2,12,850	1,06,100	1,06,100	चल रही है
4.	वालंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट	पी.सी	1,73,810	अभी तक जारी नहीं	–	चल रही है
5.	एस.सी./एस.टी. बैकवर्ड वूमन एंड चिल्ड्रेन डेव. ऑर्ग.	पी.सी.	3,10,387	1,62,370	1,62,370	चल रही है
6.	वीकर सेक्सनस डेव. सोसा.	पी.सी.	2,59,499	2,59,499	1,43,200	चल रही है
7.	यूथ वालंटरी आर्ग.	पी.सी.	2,83,710	2,45,250	2,45,250	चल रही है
8.	इंटीग्रेटेड रूरल वेलफेयर एसो.	पी.सी	2,02,600	2,02,600	1,05,340	चल रही है
9.	वालंटियर्रस फॉर रूरल हेल्थ एंड एक्शन	आर्टस	2,26,000	अभी तक जारी नहीं	–	चल रही है
10.	डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड/डिसेबल्ड इंस्टी. एंड रिहैबीलीटेशन सो. लामका	विकलांगता	18,24,950	अभी तक जारी नहीं	–	चल रही है

मिजोरम (2000-01)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम व पते	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	प्रयुक्त राशि	स्थिति
1.	मिजोरम मिची इन्स्वीखाम पावी	पी.सी.	5,37,290	2,54,259	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है

त्रिपुरा (2000-01)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम व पते	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	प्रयुक्त राशि	स्थिति
1.	वालन्टरी हेल्थ एसो. आफ त्रिपुरा	आर्टस	2,45,700	1,04,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
2.	सेंटर फॉर सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, अगरतला	आर्टस	40,00,000	10,40,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है

वर्ष 2001-02 (30.11.2001 तक)

(राशि रुपये में)

असम

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम व पते	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	प्रयुक्त राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आदिवासी बैपिस्ट चर्चेज एसो., असम	पी.सी.	2,53,200	1,26,600	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
2.	गांव उन्नयन संघ	पी.सी.	2,35,000	45,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
3.	असम गो सेवा समिति	पी.सी.	93,120	Yet to be released	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
4.	सेविका निकेतन	पी.सी.	4,80,000	2,10,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
5.	चांदमारी यूथ क्लब	पी.सी.	2,12,920	1,20,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
6.	गौणपुर विवेकानन्द क्लब	पी.सी.	4,50,000	1,50,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
7.	देशबन्धु क्लब	पी.सी.	6,61,805	3,30,783	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
8.	जलकल्याण खादी ग्रामोद्योग उन्नयन केन्द्र	पी.सी.	3,36,996	1,70,773	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
9.	टाटा एनजी इंस्ट. (टिरी) गुवाहाटी	डब्ल्यू.एस.डी.	2,00,000	2,00,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर						
1.	थांग जियायो वूमन वेलफेयर एसो.	ओ.बी.	45,000	31,500	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
2.	कम्यूनिटी डेव. ऑर्ग.	पी.सी.	52,000	10,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
3.	लेडीज गाइडेन्स सेंटर	पी.सी.	45,000	अभी तक जारी नहीं	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
4.	खांग जेरौंग वूमन सोसा.	पी.सी.	84,000	अभी तक जारी नहीं	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
5.	सोशल इकानॉमिक्स एंड कल्चरल डेव. ऑर्ग.	पी.सी	85,944	अभी तक जारी नहीं	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
6.	साइंटिफिक एंड ह्यूमन टेरियन एसो. फॉर नॉलेज ऑफ टेक्नो. इनोवेसनस	आर्टस	2,26,700	अभी तक जारी नहीं	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
7.	इंटीग्रेटेड रूरल वेलफेयर एसो.	आर्टस	3,23,160	1,61,580	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
मिजोरम						
1.	वी.एम.एल. महिला संगठन	पी.सी.	3,38,000	66,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
नागालैंड						
1.	कुकी यूथ कल्चरल क्लब	पी.सी.	52,304	6,600	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है
2.	विक्ट्री क्लब	आर्टस	5,97,850	1,73,250	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	चल रही है

विवरण-II

राज्य–वार उपलब्धियों का ब्यौरा

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पूरी हुई परियोजनाओं की सं.	रद्द परियोजनाओं की सं.	चालू परियोजनाओं की सं.	पहली किस्त की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं की सं.
1.	असम	20	12	3	5	–
2.	अरुणाचल	3	2	–	1	–
3.	मणिपुर	15	2	3	10	–
4.	मिजोरम	1	–	–	1	–
5.	मेघालय	2	2	–	–	–
6.	नागालैंड	2	–	1	1	–
7.	सिक्किम	1	–	–	1	–
8.	त्रिपुरा	3	–	–	3	–

वर्ष (2000-01)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पूरी हुई परियोजनाओं की सं.	रद्द परियोजनाओं की सं.	चालू परियोजनाओं की सं.	पहली किस्त की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं की सं.
1.	असम	15	4	1	10	–
2.	मणिपुर	10	–	–	6	4
3.	मिजोरम	1	–	–	1	–
4.	त्रिपुरा	2	–	–	2	–

वर्ष (2001-02) (30.11.2001 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पूरी हुई परियोजनाओं की सं.	रद्द परियोजनाओं की सं.	चालू परियोजनाओं की सं.	पहली किस्त की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं की सं.
1.	असम	9	–	–	8	1
2.	मणिपुर	7	–	–	3	4
3.	मिजोरम	1	–	–	1	–
4.	नागालैंड	2	–	–	2	–

वैज्ञानिक प्रगति संबंधी प्रदर्शनियां

3442. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक प्रगति को उजागर करने के लिए देश भर में लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, राज्यवार ऐसी कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गईं; और

(ग) इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए किसी शहर के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) सरकार आमतौर पर विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित नहीं करती है। वैज्ञानिक विभाग, आमंत्रित किए जाने के बाद ही स्थल, अवसर तथा आगन्तुकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के आधार पर प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई उन प्रमुख विज्ञान प्रदर्शनियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनमें सरकार ने भाग लिया था।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई वे प्रमुख विज्ञान प्रदर्शनियां जिनमें सरकार ने भाग लिया था

1. भारतीय वपिणन विकास केन्द्र (सी.बी.एम.डी.) द्वारा 2–6 फरवरी, 2000 तक आई आई टी, परिसर, नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशी विज्ञान मेला।
2. सी.बी.एम.डी. द्वारा 29 अप्रैल से 3 मई, 2001 तक पैलेस मैदान, बंगलौर में आयोजित स्वदेशी मेला–2000।
3. इलाहाबाद कुम्भ मेले के अवसर पर 16 से 31 जनवरी, 2001 तक आयोजित विज्ञान दर्शन प्रदर्शनी जिसमें आई ई आर टी इलाहाबाद तथा बी एस आई पी लखनऊ ने डीएसटी की ओर से भाग लिया।
4. विजिटैक्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 से 9 जून, 2001 तक शिमला में आयोजित शिमला नॉलेज, कॉम–2001।
5. सी.बी.एम.डी. द्वारा 2 से 8 अक्तूबर, 2001 तक इंदौर में आयोजित स्वदेशी मेला। एस.ओ.आई. इंदौर स्थित इकाई ने डीएसटी की ओर से भाग लिया।
6. हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा 17 से 25 नवंबर, 2001 तक लाल किला मैदान में आयोजित एमटीएनएल परफैक्ट हैल्थ मेला–2001।
7. कलकत्ता फेस्टिवल द्वारा 27 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2001 तक कलकत्ता में आयोजित विज्ञान, कृषि एवं औद्योगिक मेला। नेटमो इस प्रदर्शनी में भाग ले रहा है।
8. एन सी ई आर टी द्वारा 17 से 23 नवम्बर, 2001 तक के.पी. इंटर कालेज, इलाहाबाद में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में आरवीपीएसपी/डीएसटी ने नवप्रवर्तक विचारों का निर्देशन करने हेतु एक पांडाल लगाया।
9. 10 से 13 अक्तूबर, 2001 तक मुम्बई में इंडिया इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सपो–2001 आयोजित किया गया जिसमें महासागर विकास विभाग (डीओडी) ने भाग लिया।
10. 14 से 27 नवम्बर, 2001 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसमें महासागर विकास विभाग ने भाग लिया।
11. 14 से 27 नवम्बर, 2000 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसमें महासागर विकास विभाग ने भाग लिया।
12. इनके अलावा, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कई अन्य वैज्ञानिक विभाग भी समय–समय पर विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं।

स्कूली पाठ्यक्रम में एकलव्य योजना को शामिल करना

3443. श्री वाई. वी. राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में एकलव्य योजना को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जनजातियों का विकास

3444. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जनजातियों की एक व्यापक सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जनजातियों के विकास के लिए किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अंतर्गत कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि के क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न पृथक् लाभकारी योजनाएं कार्यान्वित की गईं। राज्य योजना से जनजातीय उपयोजना को प्रवाह 561 करोड़ रुपए, 580.59 करोड़ रुपए तथा 525.00 करोड़ रुपए क्रमशः वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 के लिए था। इसके अतिरिक्त, मेरे मंत्रालय ने 44.63 करोड़ रुपए, 40.82 करोड़ रुपए तथा 53.01 करोड़ रुपए क्रमशः 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 के लिए अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त किए गए हैं।

विवरण

भाग 9–महाराष्ट्र

1. अन्य
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामवा
5. मैना
6. भारिआ भूमिआ भुईहार, भूमिआ, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भुंजिया
10. बिंझवार
11. विरहुल, विरहोर
12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, नान्देड़, उस्मानाबाद और परभणी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडवी, तेतारिया वलवी
14. धनवार
15. घोडिया
16. दुबला, तलानिया, हलपति
17. गामित, गामता, गावित, मावचि, पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा, अगारिया असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, विसहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामि मारिया, धुरू, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिका, कुचाकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मत्रेवार, मोघया, मगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, औझा, राज, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे–मारिया, वडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कगार

21. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकारी

22. कवर, कवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनरवर, छती

23. खरवार

24. खड़िया

25. कोकणा, कोकणी, कुकणा

26. कोल

27. कोलाम, मन्ने्वरलू

28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा

29. कोली महादेव, डोंगर कोली

30. कोली मल्हार

31. कौंध, खौंड, कांध

32. कोरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोडेया

33. कोया, भित्रे कोया, राजकोया

34. नगेसिया, नागसिया

35. नायकडा नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिश नायक, मोटा नायक, नाना नायक

36. औरांव, धनगड

37. परधान, पथारी, सरौती

38. पारधी, अडविचिंचेर, फंस पारधी, फंसे पारधौ लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्तापारधी, शिकारी टाकनकार, टाकिया

39. परजा

40. पटेरलिया

41. पामेला

42. राथवा

43. सावर, सावरा

44. ठाकुर, ठाकर, म–ठाकर, का–ठाकर, मा–ठाकर र–ठाकर

45. थोटी (औरंगाबाद, बीड, नान्देड, उस्मानबाद, और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में)

46. वारली

47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया।

[अनुवाद]

एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत राशि जारी करना

3445. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत राशि आवंटित करने के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मानदंड के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या जनजातीय गांवों को कोई विशेष सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जनजातीय गांवों को दिए गए महत्व या प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के संबंध में राज्य सरकारों को निधियों का आवंटन मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) तथा विशेष वर्ग पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अनुमोदित आवश्यकता आधारित मानदंड, शेष कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या, गुणता प्रभावित बसावटों की संख्या तथा एक राज्य में उपलब्ध समग्र जल स्रोतों की संख्या के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत निधियों के आवंटन के लिए जनजातीय गांवों को कोई अलग वरीयता नहीं दी जाती है। तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को जनजातीय

क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत उपयोग करना होता है।

जनजातीय बहुल राज्यों के विद्यालयों/ छात्रावासों में सुविधाएं

3446. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न जनजातीय बहुल राज्यों के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की वर्तमान स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों और उनके छात्रावासों की विद्यमान सुविधाओं की स्थिति में सुधार किए जाने की जरूरत है;

(ग) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान और आगामी वर्षों के लिए इस संबंध में, विशेषकर उड़ीसा के आश्रम विद्यालयों के लिए क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) एक आश्रम स्कूल योजना के अंतर्गत आश्रम स्कूलों के कार्यकरण आदि में सुधार लाने के लिए मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल योजना के अंतर्गत 50 : 50 के आधार पर संबंधित वित्तीय सहायता केवल स्कूल भवन, छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण तथा व्यय के कुछ अनावर्ती मदों के लिए दी जाती है। इन आश्रम स्कूलों में, जब कभी अपेक्षित हो, सुधार सहित छात्रावासों के रख–रखाव तथा परिचालन व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सुविधाओं में यदि कोई कमी दिखाई देती है तो उसे उपचारी कदम उठाने के लिए राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश

3447. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विनिवेश की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिवेश मामले की कैबिनेट समिति को यह रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश प्रक्रिया अन्य सामरिक विनिवेशों के मामले के अनुसार सामान्य प्रक्रिया और संस्थागत ढांचे के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश प्रक्रिया 31.3.2002 तक पूरी कर ली जाने की संभावना है।

एस.जी.एस.वाई./डी.आर.डी.ए.

3448. श्री विकास चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस. वाई.) और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और इसमें केन्द्र का हिस्सा कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों, जारी की गई धनराशि और प्रयुक्त धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नलिखित हैं–

I. **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :** स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की भावी क्षमता निर्मित करने के लिए अनेक छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करना,
- स्व–सहायता समूहों नीति पर बल देना तथा गरीबों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना,

- प्रमुख गतिविधियों को चिन्हित करने के आधार पर कार्यक्रम का खंडवार कार्यान्वयन,
- सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर देना,
- प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में बैंकरों को पूर्ण रूप से शामिल करना,
- आधारभूत ढांचे के विकास हेतु स्वनिर्मित प्रावधान प्रत्येक वर्ष में निधियों के 20 प्रतिशत तक,
- अधिक से अधिक महिला समूह बनाने पर बल देना। प्रत्येक खंड में कम से कम आधे समूह महिलाओं के लिए होने चाहिए,
- ऋण की वापस अदायगी सहित ऋण के बाद की प्रभावी निगरानी,
- बहु ऋण पद्धति को बढ़ावा देना,
- क्षमता विकास,
- प्रौद्योगिकी समावेश,
- एस.जी.एस.वाई. उत्पादों, जिनमें बाजार आसूचना, सलाहकारी तथा संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल है, के लिए विपणन सुविधा को बढ़ावा देना,
- कमजोर समूहों पर ज्यादा ध्यान देना (कम से कम 50 प्रतिशत स्वरोजगारी अनु.जा./अ.ज. जाति के, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांक होने चाहिए),
- गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रति स्वरोजगारी अधिकतम 7500/– रुपये के आधार पर एस.जी.एस.वाई के तहत परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि सबसिडी के रूप में उपलब्ध है तथा अ.जा./अ.ज. जाति के मामले में सबसिडी अधिकतम 10,000 रुपये के आधार पर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है। ग्रुप स्वरोजगारियों के लिए सबसिडी अधिकतम 1.25 लाख रुपये के आधार पर योजना लागत का 50 प्रतिशत है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सबसिडी की कोई धन सीमा नहीं है। सबसिडी बैंक एंडेड है,
- एस.जी.एस.वाई के तहत निधियां केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के आधार पर वहन की जाती हैं।

II. **जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां** : जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- डी.आर.डी.ए. को एक ओर मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रबंध करने में सक्षम विशिष्ट एजेंसी के रूप में उभरना चाहिए और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी निवारण के समग्र प्रयासों में प्रभावी ढंग से समाविष्ट करना चाहिए।
- प्रभावी परिणाम हासिल करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां विभिन्न संबंधित एजेंसियों में क्रियाशील क्षमता विकसित करेंगी। इसलिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका अन्य एजेंसियों की भूमिका से अलग होगी।
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को केवल मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यों को ही देखना चाहिए। यदि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अन्य मंत्रालयों अथवा राज्य सरकारों के कार्य सौंपे जाते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनका संकेद्रण गरीबी उन्मूलन पर हो। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रम चाहे वह भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय का हो अथवा संबंधित राज्य सरकार का, संबंधित राज्य सरकार के ग्रामीण विकास सचिव के अनुमोदन से सौंपा जाएगा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से ऐसे अनुरोध की जांच करेगा। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक स्टाफ का पर्याप्त प्रावधान हो।
- ऐसे राज्यों के संबंध में, जहां पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की अलग पहचान नहीं है, जिला परिषद में एक सैल गठित किया जाएगा जिसका अलग खाता होगा ताकि खातों की लेखा परीक्षा हो सके।

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्टाफिंग संरचना में गरीबी उन्मूलन हेतु आयोजना बनाने, परियोजना तैयार करने, सामाजिक संगठन तैयार करने तथा क्षमता निर्माण करने, जेंडर संबंधी, इंजीनियरिंग देख–रेख तथा क्वालिटी नियंत्रण, परियोजना निगरानी, एकाउंटेंसी तथा आडिट संबंधी कार्यों के साथ–साथ मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन कार्यों वाले पद शामिल होंगे। अपनाए जाने वाले सिद्धांत से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यक्रमों का वास्तविक कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से बाहर किया जाएगा तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने, प्रगति का पर्यवेक्षण देखरेख तथा मानिटरिंग/करने, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और भेजने तथा निधियों का हिसाब रखने की होगी।

- प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अध्यक्ष परियोजना निदेशक होगा जो अपर जिलाधिकारी के स्तर का होना चाहिए। परियोजना निदेशक का पद अति महत्वपूर्ण है तथा इस पद पर आसीन व्यक्ति समर्पित और कड़ी मेहनत वाला होना अपेक्षित है। परियोजना निदेशक के पास सिर्फ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का काम होना चाहिए।

- ऐसे राज्यों में जहां पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशक के रूप में नामित किया जा सकता है।

- प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की निम्न–लिखित शाखाएं होंगी : स्वरोजगार शाखा, महिला शाखा, मजदूरी रोजगार शाखा, इंजीनियरिंग विंग (मजदूरी रोजगार तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के लिए), वाटरशेड शाखा (जहां पर मरुभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/ समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं), लेखा शाखा, निगरानी और मूल्यांकन शाखा तथा सामान्य प्रशासन शाखा। योजना में निर्देशात्मक स्टाफि पैटर्न की व्यवस्था है।

- प्रति जिला अधिकतम निर्धारित प्रशासनिक लागत नीचे दी गई है :

  श्रेणी 'क' जिले (<6 खंड) 46 लाख रुपये

  श्रेणी 'ख' जिले (6–10 खंड) 57 लाख रुपये

  श्रेणी 'ग' जिले (11–15 खंड) 65 लाख रुपये

  श्रेणी 'घ' जिले (>15 खंड) 67 लाख रुपये

  अधिकतम सीमा से अधिक की राशि को पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति आदि की वजह से हुई वृद्धि की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष इस सीमा में चक्रवृद्धि आधार पर 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।

- परियोजना निदेशक परियोजना अधिकारियों तथा सभी तकनीकी पदों के लिए व्यक्तियों का चयन विशिष्ट चयन समितियों द्वारा उद्देश्यपरक तरीके से किया जाएगा।

(ख) (i) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को निधियों का आवंटन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा गरीबी के आकलनों के आधार पर प्रत्येक राज्य में गरीबी के अनुपात में किया जा रहा है।

(ii) डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना के अंतर्गत निधियों के केन्द्रीय अंश का राज्यों को आवंटन प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित अधिकतम प्रशासनिक लागत के आधार पर किया जाता है जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है।

(ग) केन्द्र द्वारा निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। यदि पिछले वर्ष की दूसरी किस्त बिना किसी शर्त के रिलीज कर दी गई थी तो पहली किस्त की रिलीज जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से बिना औपचारिक अनुरोध के की जा सकती है। केन्द्रीय निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तें पूरा होने के बाद की जाती है :

- पिछले वर्ष की आडिट रिपोर्टें तथा उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- डी.आर.डी.ए. द्वारा बैंक मिलान, निधियों का अन्यत्र उपयोग न हुआ हो, निधियां ट्रेजरी आदि में जमा नहीं कराई गई हैं आदि से संबंधित प्रमाणपत्र जमा कराए जाने चाहिए।
- कैरी फारवर्ड निधियों सहित उपलब्ध निधियों की 60 प्रतिशत निधियों का उपयोग कर लिया गया हो तथा शीत मरुस्थलीय जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले में उपलब्ध निधियों की 75 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया हो।
- वार्षिक कार्य योजना डी.आर.डी.ए. के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- राज्य सरकार ने पिछले वर्ष का अपना मैचिंग अंश रिलीज कर दिया हो।
- पिछली रिलीज के समय लगाई गई अन्य किसी शर्त की अनुपालना हुई हो।

तथापि, उपरोक्त शर्तें शीत मरुस्थली क्षेत्रों वाले जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को प्रत्येक किस्त की रिलीज में लागू होती है क्योंकि इन जिलों को निधियां एक किस्त में रिलीज की जाती हैं।

एस.जी.एस.वाई कार्यक्रम और डी.आर.डी.ए. प्रशासन की योजनाएं 1.4.1999 से कार्यान्वित की जा रही हैं। एस.जी.एस. वाई. के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार रिलीज और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियां विवरण–I में तथा डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां विवरण–II में दी गई हैं। डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग की अलग से निगरानी नहीं रखी जाती है क्योंकि यह स्टाफ उन्मुख योजना है।

विवरण-I

1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय रिलीजें तथा उपयोग की गई कुल निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		केन्द्रीय रिलीज	उपयोग की गई कुल निधियां	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग की गई कुल निधियां	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	उपयोग की गई कुल निधियां (अक्टूबर, 01 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6219.57	10044.08	5283.98	7082.46	1534.16	2652.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.14	240.22	99.26	179.93	42.68	28.24
3.	असम	3062.36	4509.16	0.00	2071.74	0.00	39.73
4.	बिहार	11918.05	10068.16	2978.76	9984.514	1691.10	3576.59
5.	छत्तीसगढ़	*	*	1138.08	4815.87	682.65	318.98
6.	गोवा	59.78	11.22	25.00	2.59	0.00	0.91
7.	गुजरात	2340.56	2448.03	1216.65	3157.56	602.22	1155.00
8.	हरियाणा	1784.18	1963.41	1088.61	2380.23	552.47	676.28
9.	हिमाचल प्रदेश	475.99	667.379	245.91	771.019	151.13	278.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू एवं कश्मीर	411.69	787.32	195.23	599.189	183.98	214.24
11.	झारखंड	*	*	808.88	4003.17	433.04	1188.57
12.	कर्नाटक	2348.33	3969.52	1600.56	4212.4	619.27	1189.68
13.	केरल	2083.35	2506.81	919.53	3489.36	547.24	686.57
14.	मध्य प्रदेश	10013.58	9918.36	3420.63	9330.72	1742.45	1831.78
15.	महाराष्ट्र	9284.11	10257.28	5770.72	11333.89	2158.76	2319.99
16.	मणिपुर	119.10	एन आर	24.94	एन आर	0.00	एन आर
17.	मेघालय	131.52	75.02	23.89	88.94	0.00	9.13
18.	मिजोरम	58.15	9.975	62.56	110.477	37.22	11.31
19.	नागालैंड	102.09	228.94	174.94	143.4	0.00	
20.	उड़ीसा	7222.67	7457.65	4353.99	9780.81	1832.16	1724.16
21.	पंजाब	664.98	987.57	454.49	1232.06	252.10	326.53
22.	राजस्थान	3566.34	6270.68	2594.50	4460.719	990.45	1174.40
23.	सिक्किम	68.38	81.62	136.83	151.69	41.19	44.21
24.	तमिलनाडु	6999.46	10234.93	4626.30	8430.457	2665.21	2313.10
25.	त्रिपुरा	488.12	836.58	860.44	1231.262	423.77	297.16
26.	उत्तर प्रदेश	13337.96	6628.31	7737.07	19968.23	3461.17	6986.50
27.	उत्तरांचल	*	*	344.28	904.5	182.85	508.82
28.	प. बंगाल	3952.84	5652.119	0.00	1668.29	0.00	528.76
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	29.90	40.23	0.00	34.398	0.00	0.37
30.	दा.न. हवेली	29.89	2.33576	0.00	0.26	0.00	
31.	दमन व द्वीव	29.89	7.5	0.00	0	0.00	
32.	लक्षद्वीप	29.89	0.25	0.00	0.35	0.00	0.10
33.	पांडिचेरी	29.89	81.77	25.0	9.17	25.00	23.32
	जोड़	86954.73	95986.43	46211.03	111629.66	20852.27	30104.50

एन आर—असूचित

*वर्ष के दौरान ये राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे।

विवरण-II

1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई के तहत राज्यवार केन्द्रीय निधियां तथा उपयोग की गई कुल निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002 (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	489.30	944.12	486.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	211.55	351.21	176.69
3.	असम	463.03	534.24	271.53
4.	बिहार	1177.19	986.49	629.42
5.	छत्तीसगढ़	*	458.31	304.70
6.	गोवा	22.18	40.55	34.91
7.	गुजरात	491.02	731.22	382.99
8.	हरियाणा	332.00	476.15	329.79
9.	हिमाचल प्रदेश	209.85	295.03	208.44
10.	जम्मू एवं कश्मीर	271.95	322.78	250.80
11.	झारखंड	*	430.71	269.12
12.	कर्नाटक	489.30	627.89	431.84
13.	केरल	290.03	462.09	288.12
14.	मध्यप्रदेश	898.42	1315.72	839.21
15.	महाराष्ट्र	675.95	1096.54	617.20
16.	मणिपुर	148.77	208.74	94.90
17.	मेघालय	117.38	146.40	58.70
18.	मिजोरम	129.32	195.78	42.46
19.	नागालैंड	134.10	200.65	122.81
20.	उड़ीसा	606.00	1016.92	601.95
21.	पंजाब	318.70	453.56	300.97
22.	राजस्थान	597.47	1207.30	593.52
23.	सिक्किम	19.45	44.89	16.25
24.	तमिलनाडु	606.34	1020.88	602.34
25.	त्रिपुरा	76.77	115.07	64.11
26.	उत्तर प्रदेश	1701.98	1920.64	1425.92
27.	उत्तरांचल	*	320.93	245.39
28.	प. बंगाल	391.37	462.70	323.35
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	41.86	48.30	0.00
30.	दा. न. हवेली	29.93	24.15	0.00
31.	दमन व दीव	20.93	24.15	0.00
32.	लक्षद्वीप	20.93	24.15	20.79
33.	पांडिचेरी	25.93	41.58	25.76
	जोड़	11000.00	16549.84	10060.06

*वर्ष के दौरान ये राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे।

[हिन्दी]

'कापार्ट' द्वारा उड़ीसा में मंजूर परियोजनाएं

3449. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कापार्ट' द्वारा अपनी शुरूआत से लेकर अक्तूबर, 2001 तक उड़ीसा के जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं को कितनी धनराशि आवंटित की गई/उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या सरकार को इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों में पुरुष और महिला छात्रावास

3450. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेल-गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और इनमें देश के पिछड़े, ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों के युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने/उन्हें प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पुरुष और महिला छात्रावासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त-पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.), भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.), उत्कृष्टता केन्द्र नामक योजनाएं चलाता है जिनमें चयनित प्रशिक्षणार्थियों को अंतःगृह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन केन्द्रों में चयनित प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3451. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया मानवाधिकार प्रलेखन केन्द्र (एस.ए.एच.आर.डी.सी.) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत अपनी नवीनतम रिपोर्ट में गृह मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में दुराग्रह दिखा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कदम उठा रहा है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 1991 के 'पेरिस सिद्धांत' द्वारा प्रभावी शासन के लिए आवश्यक समझी गई स्वतंत्रता देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दक्षिण एशिया मानवाधिकार प्रलेखन केन्द्र (एस.ए.एच.आर.डी.सी.) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उसने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के बारे में की गई कुछेक सिफारिशों के संबंध में तथाकथित दुराग्रह की आलोचना की है।

(ग) आयोग द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्य को करने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिली हुई है।

न्यूयार्क में विश्व बाल शिखर-सम्मेलन

3452. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 2001 को न्यूयार्क में द्वितीय विश्व बाल शिखर-सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने 1990 में हुए प्रथम विश्व बाल शिखर-सम्मेलन के दौरान अंगीकृत अनिवार्यताओं और विनिर्णयों को पूरा कर लिया है;

(ग) क्या इस शिखर-सम्मेलन के द्वारा 1992 में बाल अधिकार अभिसमय की स्थापना की गई थी जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो प्रथम बाल शिखर-सम्मेलन में किए गए कितने निर्णयों पर भारत में अमल किया गया है; और

(ङ) सितम्बर, 2001 में आयोजित शिखर–सम्मेलन में किन–किन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन को भारत द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को स्वीकार किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न योजनाओं के लिए बजट-आवंटन और वास्तविक व्यय

3453. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कुल बजट–आवंटन कितना था और वास्तविक व्यय कितना किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन–किन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और उनका पैटर्न क्या था तथा उनके लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई; और

(ग) यदि उक्त अवधि के दौरान यदि किसी योजना के संबंध में बजटीय प्रावधान/आवंटन का उपयोग नहीं हो पाया तथा धनराशि अप्रयुक्त रही तो उसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संशोधित आवंटन तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बजटीय प्रावधानों/आवंटनों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं :

(i) लड़कों के छात्रावास, आश्रम स्कूल आदि जैसी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्य बजट में अनुदान के समान अंश उपलब्ध नहीं होना।

(ii) पहले के वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत नहीं किया जाना।

विवरण

वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बजट आवंटन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/आइटम का नाम	संशोधित बजट आवंटन	व्यय	संशोधित बजट आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	400.00	4000.00	400.00	400.00
2.	संविधान का अनुच्छेद 257(1)	100.00	100.00	200.00	191.29
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	–	–	44.05	63.10
4.	जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास	12.00	3.93	7.00	2.34
5.	जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास	12.00	6.98	7.80	2.51
6.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	5.00	2.97	4.00	4.00
7.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	4.50	1.78	2.05	1.25

1	2	3	4	5	6
8.	शैक्षिक परिसर	9.00	1.83	3.90	1.47
9.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	9.75	3.75	7.00	2.54
10.	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम का सहायता अनुदान	15.00	9.05	9.00	8.42
11.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	28.00	15.23	22.00	21.88
12.	ग्राम बैंक योजना	1.00	1.00	2.00	3.15
13.	जनजातीय समेकित समूहों का विकास	10.00	6.63	9.50	10.71
14.	कोचिंग एवं सम्बद्ध	–	–	0.40	–
15.	पुस्तक बैंक	–	–	0.40	–
16.	प्रतिभा उन्नयन*	–	–	0.20	–
17.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	15.00	5.32	7.00	–
18.	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान	–		21.00	–
19.	राज्य जनजातीय विकास और वित्त निगम	–	–	2.60	2.41
20.	ट्राइफेड में निवेश	0.25	0.25	0.00	–
	कुल	621.50	559.72	750.00	715.07

*अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह 1999-2000 तक अनुसूचित जातियों के साथ मिलकर था।

[हिन्दी]

'हडको' द्वारा मकानों का निर्माण

3454. श्री राजो सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आदेश पर 'हडको' ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आवासीय–योजना शुरू करने की अधिसूचना की थी और वर्ष 1985 से उसे कार्यान्वित किया; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में 'हडको' द्वारा राज्यवार, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में वर्षवार कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) एक आवास वित्त संस्थान है, जो विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेंसियों की पात्र आवास स्कीमों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। वह मकानों का निर्माण नहीं करता। तथापि, हडको की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास स्कीम के अंतर्गत 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार इसने 2629 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए 31.86 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया है। इन मकानों का राज्य–वार व वर्ष–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य–वार व वर्ष–वार मंजूर रिहायशी मकान

राज्य	1984–85	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1998–99	2000–01 (31.10.01 तक)	कुल
आंध्र प्रदेश			128								128
चंडीगढ़			204								204
केरल								200			200
कर्नाटक									15	11	26
महाराष्ट्र	15				120		240				375
पांडिचेरी						8		8			16
राजस्थान				533							533
तमिलनाडु	224	41		150	407						822
उत्तर प्रदेश		240	85								325
कुल	239	281	417	683	527	8	240	208	15	11	2629

[अनुवाद]

ग्रामीण और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

3455. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में ग्रामीण और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार को तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

3456. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन/उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्य–निष्पादन की रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को भी बढ़ावा दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रचार–प्रसार का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के साथ–साथ टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन करना और इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास करना है। वर्ष 2001–2002 के दौरान एस. जी.आर.वाई. के लिए 4996.74 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 2500 करोड़ रु. खाद्यान्नों के लिए हैं। उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि योजना हाल ही में शुरू की गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में गैर–सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी के जरिए लोगों की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान किया गया है। गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किए जाने हेतु निधियां, साधारणतया कपार्ट के जरिए दी जाती हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण ग्रामीण निर्मिति केन्द्र और वाटरशैड कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में लगाया जाता है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत एन. जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए स्वच्छता हेतु महसूस की जा रही आवश्यकताओं के सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

(ङ) एन.जी.ओ. सहित लक्षित समूहों और आम जनता के बीच जागरूकता सृजन करने और जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक (रेडियो और टी.वी.), आउटडोर पब्लिसिटी, क्षेत्रस्तरीय संचार अभियानों जैसे संचार के उपलब्ध अधिकांश माध्यमों के जरिए मंत्रालय द्वारा हिन्दी–अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के बारे में प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा निर्मित मकानों को खतरनाक घोषित किया जाना

3457. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अनेक मकानों को खतरनाक घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार ऐसे कितने मकानों को खतरनाक घोषित किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि घटिया स्तर के निर्माण की वजह से आठ स्कीमों में 1250 फ्लैटों को खतरनाक घोषित किया गया है। उपरोक्त 1250 फ्लैटों में से 1050 फ्लैटों को पहले ही गिरा दिया गया है और दिल्ली में दिलशाद गार्डन के 'आर' ब्लाक में बाकी 200 फ्लैट गिराये जाने की प्रक्रिया में हैं। खतरनाक घोषित किए गए फ्लैटों में से एक भी फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है। खतरनाक घोषित किए गए फ्लैटों के स्थान–वार ब्यौरे संलग्न हैं (विवरण)।

(ग) से (ङ) 32 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। 10 कार्मिकों पर बड़ी शास्ति लगाई गई, 4 कार्मिकों पर लघु शास्ति लगाई, 3 कार्मिकों के विरुद्ध मामले समाप्त कर दिए गए हैं और 6 मामले अनुशासनिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा 9 मामलों में न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा है।

विवरण

खतरनाक घोषित किए गए फ्लैटों के स्थान-वार ब्यौरे

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्थान	खतरनाक घोषित किए गए फ्लैटों की संख्या
1.	220 फ्लैटों का निर्माण 176 एलआईजी + एमआईजी	त्रिलोक पुरी (पाकेट-5, मूयर विहार, फेस-I)	220
2.	220 फ्लैटों का निर्माण 123 एलआईजी + 40 एमआईजी	त्रिलोकपुरी (पाकेट-5, मयूर विहार, फेस-I)	163
3.	96 एलआईजी + 96 एमआईजी फ्लैट (वास्तविक 100 एलआईजी + 100 एमआईजी)	आर-ब्लॉक दिलशाद गार्डन	200
4.	120 फ्लैटों का निर्माण ग्रेड-IV	मोतिया खान	12
5.	656 एमआईजी फ्लैटों का निर्माण	जहांगीरपुरी	224
6.	936 जनता फ्लैटों का निर्माण	पाकेट-V (पी) पीतमपुरा	276
7.	140 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण	हैदरपुरी (प्रशांत विहार)	140
8.	288 एमआईजी फ्लैटों का निर्माण (वास्तविक 264 फ्लैट)	पाकेट-I, ग्रेड-I विकास पुरी	15
		कुल	1250

इंदिरा आवास योजना के तहत आवासगृहों का निर्माण

3458. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, इंदिरा आवास योजना के तहत विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्यवार और जिलावार कितने आवासगृहों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में रहने वाले कितने व्यक्तियों के पास मकान नहीं हैं और उनकी उपेक्षा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए पेयजल-सुविधा उपलब्ध कराने और पक्के मकानों का निर्माण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन श्रेणियों के प्रत्येक परिवार को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) योजना की शुरूआत अर्थात् 1985-86 से आज तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित मकानों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है। इंदिरा आवास योजना पहले जवाहर रोजगार योजना की उप-योजना थी और उस योजना के लिए कोई जिलावार मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी। वर्ष 1996-97 से यह स्वतंत्र योजना बन गई। इसलिए योजना की शुरूआत से जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 137.20 लाख ग्रामीण मकानों की कमी थी। सरकार 10वीं योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की आवासहीनता को समाप्त करने तथा सभी बेकार कच्चे मकानों को पक्के/अधपक्के मकानों में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के भरसक प्रयास कर रही है। इंदिरा आवास योजना और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के अंतर्गत न्यूनतम लाभ 60

प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को दिया जाना है।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई व्यापक कार्य योजना में वर्ष 2004 तक देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की कल्पना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति की निधियों का कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

विवरण

शुरूआत अर्थात् 1985–86 से अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित आवासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	651465
2.	अरुणाचल प्रदेश	12191
3.	असम	185435
4.	बिहार	1170302
5.	छत्तीसगढ़	25988
6.	गोवा	4729
7.	गुजरात	225120
8.	हरियाणा	69837
9.	हिमाचल प्रदेश	23514
10.	जम्मू एवं कश्मीर	44471
11.	झारखंड	72425
12.	कर्नाटक	333940
13.	केरल	240430
14.	मध्यप्रदेश	818139
15.	महाराष्ट्र	534628
16.	मणिपुर	5966
17.	मेघालय	9780
18.	मिजोरम	9010
19.	नागालैंड	32087
20.	उड़ीसा	547828
21.	पंजाब	38775
22.	राजस्थान	343747
23.	सिक्किम	7350
24.	तमिलनाडु	658251
25.	त्रिपुरा	35980
26.	उत्तर प्रदेश	1230255
27.	उत्तरांचल	16023
28.	प. बंगाल	419487
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	470
30.	दा. न. हवेली	690
31.	दमन व द्वीव	368
32.	लक्षद्वीप	326
33.	पांडिचेरी	2204
	जोड़	7771211

7.12.2001 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

3459. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल

13.59% है। (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जन-जातियां 3.21%) और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां 11.73 और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'ल्युटिन क्षेत्र' स्थित बंगले

3460. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क स्थित 'विश्व स्मारक निधि' द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड मोन्युमोन्ट्स वॉच, 2002' पत्रिका में दिल्ली के 'ल्युटिन क्षेत्र' स्थित बंगलों, जिनका निर्माण वर्ष 1911 से 1931 के बीच किया गया था, को भी संरक्षण योग्य विरासत के रूप में स्थान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन बंगलों को विरासत के रूप में संरक्षण हेतु कोई निर्णय किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ल्ड मोन्युमेन्ट्स/फंड (विश्व स्मारक निधि) के प्रोग्राम वर्ल्ड मोन्युमेन्ट वॉच द्वारा प्रकाशित अति खतराग्रस्त स्थल 2002 की सूची में लुटियन्स बंगलो जोन का भी उल्लेख है। उसमें इस जोन के संरक्षण की जरूरत को रेखांकित करते हुए अधिक ऊंचाई और अधिक आबादी वाले आवासीय व वाणिज्यिक भवनों का निर्माण न करने पर बल दिया है।

लुटियन्स बंगला जोन, जो कम ऊंचाई और कम घनत्व वाला क्षेत्र है, में अपनाए जा रहे विकास नियमन मानक दिल्ली में अन्यत्र व्यवहृत मानकों से भिन्न हैं और दिल्ली के समरूप भवन निर्माण उपनियम, 1983 के अनुसार हैं। इस क्षेत्र के शहरी डिजाइन और संरचना के संरक्षण हेतु सरकार ने 1988 में दिशानिर्देश जारी किए थे।

महाराष्ट्र में महिला कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन

3461. उत्तमराव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन स्वैच्छिक महिला कल्याण संगठनों के बारे में ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान-सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) ऐसी अनुदान-सहायता को प्रदान किए जाने के क्या मानदंड हैं;

(ग) ऐसे संगठनों के कारणों का लेखा-परीक्षण करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान काली-सूची में डाले गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्रियान्वयनाधीन महिला कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

इस प्रकार का अनुदान प्राप्त करने का सामान्य मापदंड यह है कि संबंधित संगठन पंजीकृत हो, अपने सदस्यों के लाभार्थ कार्यरत न हो और उसे महिला विकास के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। स्कीमों के प्रतिमानों के अनुसार, यह मापदंड अलग-अलग है।

(ग) इन एजेंसियों के खातों का लेखा-परीक्षण सनदी लेखपालों द्वारा किया जाता है।

(घ) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) विभाग की स्कीमों की सूची विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

स्कीम/संगठन का नाम	1998–99			1999–2000			2000–2001		
	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त राशि
नोराड	7	390	13.83	11	1060	40.92	63	2940	83.06
स्टैप	1	500	04.88	–	–	–	1	0500	06.18
केसक बोर्ड	249	1343	169.23	257	2882	214.72	259	3285	224.26
महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–	1	90	–
कामकाजी महिला होस्टल	1	76	–	4	374	–	1	90	–

विवरण-II

काली सूची में डाले गए महाराष्ट्र के संगठनों का ब्यौरा

1. युवक प्रगति सहयोग, वाई.एल.आर. सेंटर कैम्पस, बुलदाना, महाराष्ट्र
2. रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल, हनुमान नगर, टोडोबा रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र

विवरण-III

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. महिला एवं बाल विकास विभाग, महिलाओं को सतत् रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी दो स्कीमों, नामतः महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम और महिला आर्थिक कार्यक्रम, के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठनों तथा महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है।
2. राष्ट्रीय महिला कोष ऋण द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमें हैं—स्व–सहायता समूह विकास स्कीम, ऋण संवर्धन स्कीम, मुख्य ऋण स्कीम, चक्रीयन निधि स्कीम, विपणन वित्त स्कीम, नोडल एजेंसी स्कीम, खाद्य सहायता, मृत्यु राहत एवं पुनर्वास स्कीम, भूमि क्रय, भूमि पुनर्भुगतान एवं भूमि पट्टाकरण कार्यकलापों हेतु ऋण तथा खाद्य ऋण।
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, ग्रामीण एवं गरीब निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं, परिवार परामर्श केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल की स्कीम, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह स्कीम, महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृह, व्यावसायिक प्रशिक्षण/नोराड कार्यक्रम, महिला मंडल कार्यक्रम एवं कल्याण प्रसार परियोजनाओं का संचालन करता है।
4. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तर तथा बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों के लिए सहायता स्कीम में अपने मूल निवास स्थान से दूर रहने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और सस्ती आवास व्यवस्था करने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन, महिला विकास निगम, विश्व–

विद्यालय, स्कूल, समाज कल्याण कालेज, स्थानीय निकाय, सहकारी संस्थाएं, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी स्कीमों का ब्यौरा इंटरनेट पर www.wcd.nic.in/ पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

कच्छ स्थित विद्यालयों को 'यूनिसेफ' द्वारा वित्तीय सहायता

3462. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनिसेफ' ने गुजरात के कच्छ जिलों के भूकम्प-प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों के लिए लगभग 7 मिलियन डॉलर की धनराशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो 'यूनिसेफ' द्वारा इस धनराशि का निवेश किस प्रयोजन से किया गया है;

(ग) उन विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें इस वित्तीय सहायता से कार्य आरंभ किया गया है;

(घ) क्या कच्छ जिले में सभी विद्यालय अपना कामकाज सामान्य रूप से करने लगे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए यूनिसेफ ने गुजरात सरकार को 85 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता देने का वचन दिया है।

(ख) इन निधियों को तंबुओं में चलने वाले स्कूलों, स्कूलों के लिए पूर्व-निर्मित ढांचों, शौचालयों, जेनरेटरों तथा पानी की टंकियों, शिक्षकों व छात्रों के लिए स्कूल किट, कीड़ा किट, संगीत किट तथा पुस्तकालय किट के लिए आवंटित किया गया।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्राथमिक स्कूलों के सामान्य कार्यकरण को चालू करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है यथा मध्यवर्ती शिक्षण कक्ष (826) यूनिसेफ द्वारा, तंबुओं (3670) का प्रदान किया जाना, मरम्मत कार्य का पूरा किया जाना (1491), नए कमरों का निर्माण (375), स्कूल के लिए अन्य सार्वजनिक भवनों के कमरों का उपयोग (75), खुले आकाश के नीचे कक्षाएं (47)।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन

3463. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी धनराशि रखी गई थी;

(ग) क्या कई राज्य प्रादेशिक शिक्षा के लिए किए गए आवंटन का पूरा उपयोग करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो नौवीं योजनावधि के दौरान, आज की तिथि तक, महाराष्ट्र को आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है और वह उस राशि का कितना उपयोग कर पाया है; और

(ङ) धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के लिए 16369.59 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

(ग) इस विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत कोई राज्यवार बजट आवंटन नहीं किए जाते। प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य को अब तक 258.06 करोड़ रु. की राशि जारी की गई जिसमें से 202.52 करोड़ रु. की राशि प्रयुक्त की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई अनुदान राशि के उपयोग का मानीटरन क्षेत्रीय दौरों, आवधिक-निष्पादन-मूल्यांकन, मूल्यांकन आदि के माध्यम से लगातार किया जाता है।

देश में आतंकवाद

3464. श्री जे. एस. बराड़ :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पराजय के पश्चात् उसके सैनिक जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में गोपनीय ढंग से घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता देने के लिए अब तक जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में तालिबान सैनिकों द्वारा घुसपैठ करने का कोई प्रयास किया गया है अथवा सीमापार पाकिस्तानी सेना को कोई मदद पहुंचाने के किसी प्रयास का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए आसूचना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। यद्यपि, ऐसी कोई विशिष्ट आसूचना रिपोर्ट नहीं है जिनसे यह पता चलता हो कि अफगानिस्तान के तालिबान सिपाही जम्मू और कश्मीर में घुसने का प्रयास करते रहे हैं। तथापि, अफगानिस्तान में उनकी हार के बाद विशेष रूप से पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तालिबान सिपाहियों की जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने के प्रयासों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सुरक्षा बलों और आसूचना एजेंसियों को उपर्युक्त संभावना के बारे में सुग्राही बना दिया गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर, आतंकवाद संबंधी चुनौतियों के बदलते स्वरूप का मुकाबला करने के लिए एकीकृत मुख्यालयों एवं विभिन्न आपरेशनल तथा आसूचना ग्रुपों में सुरक्षा बलों और आसूचना एजेंसियों की रणनीतियों की निरंतर और आवधिक समीक्षा और शोधन शामिल है।

[हिन्दी]

गैर सरकारी संगठनों को भूमि का आवंटन

3465. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय क्षेत्रों और जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वह राज्य कौन सा है जो जनजातीय क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य में सबसे आगे है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने तथा व्यापक कल्याणकारी कार्य कराने के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 25% भुगतान करने पर गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आवंटन करना प्रारंभ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन अन्य राज्यों यदि कोई है के नाम क्या हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार की नीति का अनुसरण किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जैसा कि संविधान की पांचवीं तथा छठी अनुसूची में परिभाषित है, जनजातीय क्षेत्र से सामान्यतः तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्र हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियां, विधियां, न्याय और कंपनी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव विधि नियम पुस्तिका में दी गई है।

(ख) मंत्रालय द्वारा राज्यों का कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार का जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्य संपादित करने के लिए छात्रावासों और स्कूल भवनों के वास्ते भूमि मुफ्त आवंटित करने का प्रावधान है।

यह एक राज्य विशेष प्रावधान है तथा राजस्थान सरकार की नीति का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किए जाने का उदाहरण इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

दमन व दीव में पेयजल

3466. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000–2001 के दौरान देश में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु कोई विशेष पायलट परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटिल) : (क) 2000–01 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यों को की गई रिलीजों सहित भारत सरकार द्वारा 1896.55 करोड़ रु. की राशि उपयोग की गई, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को 513.15 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र से क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(घ) भारत सरकार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा पी.एम.जी. वाई. के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत निधियां मुहैया कराकर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है। दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार दमन व दीव में 32 ग्रामीण बसावटों में से 31 पूर्णतः कवर हैं तथा एक आंशिक रूप से कवर है और संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी कवर न की गई बसावट नहीं है। पी एम जी वाई के अंतर्गत 2000–01 के दौरान दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र को 54.50 लाख रु. रिलीज किए गए थे तथा 2001–02 के लिए दमन व दीव को 53 लाख रु. आवंटित किए गए।

सहकारी गृह निर्माण समितियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

3467. श्री साहिब सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सहकारी गृह निर्माण समितियों' के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 शहरी स्थानों, विशेषकर आवासीय तथा औद्योगिक स्थानों को विकसित करने के लिए सहकारी आंदोलन के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या व्यापक सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाने के लिए इन कारणों की पुष्टि की जानी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या स्थिति है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जी, नहीं। तथापि मौजूदा दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 के स्थान पर एक नया दिल्ली सहकारी समिति विधेयक तैयार किया गया है ताकि इसे ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके। उक्त विधेयक को दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और दिल्ली विधान सभा में पेश करने से पूर्व अब यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

बोडो प्रादेशिक परिषद

3468. श्री जी. जे. जावीया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलग राज्य की बोडो मांग के स्थान पर एक बोडो प्रादेशिक परिषद बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य खतरनाक ढंग से बोडो तक गैर–बोडो लोगों के बीच आमने–सामने के संघर्ष की ओर बढ़ता लगता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाईगर (बी एल टी) के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता जारी है।

सरकार, समाज के सभी वर्गों के प्रजातांत्रिक अधिकारों और सामाजिक–आर्थिक हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) को सांविधिक दर्जा देना

3469. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) को सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किस सीमा तक बेहतर कार्य होने तथा समस्याएं हल होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए 1987 में संसद का एक अधिनियम, नामतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम बनाया गया था ताकि देशभर में तकनीकी शिक्षा पद्धति की समुचित आयोजना सुनिश्चित की जा सके व उसका समन्वित विकास किया जा सके, तकनीकी शिक्षा पद्धति तथा उससे संबंधित मामलों में योजनाबद्ध गुणात्मक विकास एवं मानदंडों तथा मानकों के विनियमन तथा उचित अनुरक्षण के संबंध में ऐसी शिक्षा में और अधिक गुणात्मक सुधार किए जा सकें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में तकनीकी शिक्षा में समग्र सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं नामतः आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित उपस्करों को हटाना, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम, अर्ली फेकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, कोटिपरक, सुधार कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रबंधन विकास, यात्रा/सेमीनार अनुदान, लब्धप्रतिष्ठ फेलोशिप, युवा शिक्षकों को कैरियर पुरस्कार आदि का संचालन करती है।

जनगणना-2001

3470. श्री के. येरननायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनगणना–2001 के आंकड़े तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न निष्कर्षों पर क्या अनुवर्ती कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी, हां। अनंतिम आंकड़े तैयार किए जा चुके हैं।

(ख) भारत की जनगणना, 2001 के अनंतिम आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1 मार्च, 2001 को 00.00 बजे भारत की जनसंख्या 1,027,015,247 थी जिसमें 531,277,078 पुरुष और 495,738,169 स्त्रियां सम्मिलित हैं।

1991–2001 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग 181 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई और प्रतिशत दशकीय वृद्धि जो 1981–91 में 23.86 थी 1991–2001 के दौरान घटकर 21.34 रह गई। इस प्रकार भारत की दशकीय वृद्धि दर में 2.52 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट दर्ज की गई है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सबसे तीव्र गिरावट है। तथापि, 1991–2001 के दशक के दौरान औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर 1.93 प्रतिशत है जिसे अभी भी अधिक माना जा सकता है।

स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या) 933 है। 1991 की जनगणना में यह अनुपात 927 था। इस प्रकार इसमें 6 प्वाइंट का सुधार हुआ है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि 0–6 आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या के स्त्री–पुरुष अनुपात में तेजी से कमी आई है। 1991 में यह अनुपात 945 था जो 2001 में घटकर 927 रह गया है।

देश में सात वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या की साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत है। पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दरें क्रमशः 75.85 और 54.16 प्रतिशत हैं। दूसरे शब्दों में, आज देश के तीन–चौथाई पुरुष और आधे से अधिक स्त्रियां साक्षर हैं। भारत ने साक्षरता दर को सुधारने की दिशा में अपने दृढ़ प्रयास जारी रखे हैं जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत प्वाइंट का उछाल आया है तथा यह दर 1991 की 52.21 से बढ़कर 2001 में 65.38 हो गई है। पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दरों में क्रमशः 11.72 और 14.87 प्रतिशत प्वाइंट की दशकीय वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई है। इस नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भ

निरोधकों, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य कार्मिकों की अपूर्ण जरूरतों को पूरा करने तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के देखभाल की मूलभूत सेवाएं समेकित तौर पर उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देना है। नीति का मध्यावधिक उद्देश्य परिचालन संबंधी अंतर्क्षेत्रीय नीतियों के सक्रिय कार्यान्वयन के माध्यम से कुल प्रजननता दरों को 2010 तक प्रतिस्थापना (रिप्लेसमेंट) स्तर तक लाना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य जनसंख्या को 2045 तक एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

0–6 आयु समूह में स्त्री–पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं जिनमें दहेज प्रथा प्रचलित होना, पुत्र को तरजीह देना और बालिका की उपेक्षा करना प्रमुख कारण हैं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस समय 1997 से माताओं और बच्चों की देखभाल से संबंधित सेवाओं के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सेवाओं की गुणवत्ता और लाभभोगियों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आशा है कि इससे शिशु बालिका मृत्यु दरों और मातृक दरों में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा भारत सरकार ने बालिका भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने के लिए प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का नियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 बनाया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जनता और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वालों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाएं।

जनगणना, 2001 के अनंतिम आंकड़े महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महिला और बाल विकास विभाग विद्यमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने और देश में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास से संबंधित अपने शासनादेश को और आगे बढ़ाने संबंधी नई रणनीतियां तैयार करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संगठनों के साथ कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रवेश

3471. श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू सत्र के दौरान माननीय मंत्री, संसद सदस्यों और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय–वार और कक्षा–वार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गईं; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने विशेष कोटे की नीति में परिवर्तन करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) वर्तमान सत्र के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री और माननीय संसद सदस्यों की सिफारिश पर जारी दाखिलों के आदेशों की संख्या क्रमशः 913 और 605 थी। ऐसे दाखिलों का विद्यालय–वार और कक्षा-वार रिकार्ड केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। विद्यालय प्रबंध समितियों के अध्यक्षगण अपने संबंधित विद्यालय में दो बच्चों का दाखिला करा सकते हैं जिसका रिकार्ड केवल विद्यालय स्तर पर ही रखा जाता है।

(ख) वर्तमान सत्र के दौरान माननीय संसद सदस्यों द्वारा की गई 104 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि ये सिफारिशें नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं।

(ग) और (घ) जी, हां। नीति में निम्नलिखित परिवर्तनों की मांग की गई–

(i) जिन संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उनकी सिफारिशों के आधार पर समीपवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले को अनुमति प्रदान की जाए;

(ii) पांच प्रतिशत की सीमा की शर्त को हटाया जाए, और

(iii) प्रत्येक कोटा को दो से बढ़ाकर पांच किया जाए।

(ङ) नीति में परिवर्तन के अनुरोध पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु वित्तीय निविदाएं

3472. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों (पीएसयूज) का निजीकरण करने हेतु वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय निविदाएं आमंत्रित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान एच टी एल लि., सी एम सी लि., हिन्दुस्तान जिंक लि. में विनिवेश के लिए और भारत पर्यटन विकास निगम और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की थीं।

वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्तियां मंगाना, डाटा कक्ष के दौरे और अहर्ताप्राप्त इच्छुक पार्टियों द्वारा विधिवत अध्यवसाय और सौदा दस्तावेजों (शेयर धारक करार, शेयर खरीद करार आदि) को अंतिम रूप देना जिनके आधार पर वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

तिरुपति को झुग्गीरहित नगर बनाने का प्रस्ताव

3473. डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में तिरुपति में यह घोषणा की है कि सभी झुग्गीवासियों को आवास प्रदान करके तिरुपति नगर को देश का पहला झुग्गीरहित नगर बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तिरुपति में कितने आवास निर्मित किए जाने की संभावना है;

(ङ) योजना हेतु कितनी वित्तीय आवश्यकता होगी और कौन सी एजेंसियां धन उपलब्ध कराएंगी और उसकी शर्तें क्या होंगी; और

(च) इसी प्रकार कौन से अन्य शहरों का विकास किया जाना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) अभी तक ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक-समान शैक्षिक योग्यता

3474. श्री सुरेश पासी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु एकसमान शैक्षिक योग्यता रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्यदिवसों में वृद्धि करना

3475. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक वर्ष में कार्यदिवसों की संख्या 180 से बढ़ाकर 220 करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी एच ई एल का विनिवेश

3476. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बी एच ई एल में बहुसंख्यक शेयर विनिवेश कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाल विकास योजना की परियोजनाएं

3477. श्रीमती प्रभा राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अक्तूबर, 2001 तक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत समेकित बाल विकास योजना की परियोजना की संख्या कितनी है; और

(ख) समेकित बाल विकास योजना की परियोजनाओं को किस प्रकार लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्र महाजन) : (क) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2001 तक 5652 समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) आईसीडीएस केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, कार्यक्रम की आयोजना एवं अवसंरचना के लिए निधियन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और पूरक पोषाहार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया जाता है।

पेयजल योजनाओं की योजना तथा प्रबंधन में लोगों की भागीदारी

3478. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेयजल योजनाओं की योजना तथा प्रबंधन में लोगों की भागीदारी हेतु अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस नई केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्थन-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) योजना को लागू करने के लिए जिला-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश ने और जिलों को योजना के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण जल आपूर्ति गतिविधियों में संस्थागत सामुदायिक भागीदारी के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार किए गए हैं ताकि ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए प्रयुक्त प्रणालियों और स्रोतों का दीर्घावधि स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। ये सुधार परियोजना मोड में कार्यान्वित किए जाते हैं तथा प्रायोगिक आधार पर इन क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा 26 राज्यों में 63 जिले चुने गए हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत समुदाय को अपनी पसंद की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, मंजूरी, आंशिक वित्तपोषण, कार्यान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव तथा व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेना होता है।

(ख) और (ग) प्रौद्योगिक जिलों की सूची तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इन जिलों के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) मध्य प्रदेश सहित कुछेक राज्यों ने सुधार के अंतर्गत अतिरिक्त जिले लेने का आग्रह किया है।

(ङ) सुधार के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में 63 प्रायोगिक परियोजनाओं का चयन किया गया है। प्राप्त अतिरिक्त प्रस्ताव राज्यों को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिए गए हैं कि इन पर दूसरे चरण के दौरान विचार किया जा सकता है।

विवरण

प्रायोगिक जिलों की सूची और इन जिलों के लिए आवंटित निधियां

क्र.सं.	राज्यों का नाम	क्र.सं.	जिलों का नाम	परियोजना परिव्यय
1	2	3	4	5
मंजूर तथा रिलीज की गई निधियां				
1	आंध्र प्रदेश	1	चित्तूर	4000.000
		2	खम्माम	3753.000
		3	नालगोंडा	4000.000
		4	नेल्लूर	4000.000
		5	प्रकाशम	4000.000
2	अरुणाचल प्रदेश	6	लोहित	900.000
		7	प. सियांग	700.000
3	असम	8	जोरहाट	1275.000
		9	कामरूप	1000.000
		10	सोनितपुर	1181.000
4	बिहार	11	वैशाली	4000.000
5	गुजरात	12	मेहसाना	4000.000
		13	राजकोट	4000.000
		14	सूरत	4000.000
6	हरियाणा	15	करनाल	1507.000
		16	यमुनानगर	986.180
7	हिमाचल प्रदेश	17	सिरमौर	2005.000
8	जम्मू और कश्मीर	18	श्रीनगर	2511.000
		19	उधमपुर	2500.000
9	झारखंड	20	धनबाद	4000.000
10	कर्नाटक	21	बेल्लारी	4000.000
		22	मंगलोर	4000.000
		23	मैसूर	4000.000
11	केरल	24	कसरागौड़	4000.000
		25	कोल्लम	4000.000
12	मध्य प्रदेश	26	ग्वालियर	2927.940
		27	होशंगाबाद	4000.000
		28	नरसिंहपुर	4000.000
		29	रायसेन	4000.000
		30	सिहोर	1795.000
13	महाराष्ट्र	31	अमरावती	2126.000
		32	धूले	3952.780
		33	नांदेड	4000.000
		34	रायगढ़	3793.000
14	मेघालय	35	राय–भोई	975.110
15	मिजोरम	36	सेरछिप	268.980
16	नागालैंड	37	दीमापुर	594.000
17	उड़ीसा	38	बालासोर	4000.000
		39	गंजम	4000.000
		40	सुंदरगढ़	4000.000
18	पंजाब	41	भटिंडा	752.190
		42	मोगा	344.000
		43	मुक्तसर	3992.800
19	राजस्थान	44	अलवर	4000.000
		45	जयपुर	4000.000
		46	सीकर	2171.000
20	सिक्किम	47	सिक्किम दक्षिण	1322.480
		48	सिक्किम पश्चिम	892.350
21	तमिलनाडु	49	कोयम्बटूर	4000.000
		50	कुड्डालोर	4000.000

1	2	3	4	5
		51	पेरमबलूर	4000.000
		52	वेल्लोर	4000.000
22	त्रिपुरा	53	प. त्रिपुरा	2819.400
23	उत्तर प्रदेश	54	आगरा	3000.000
		55	चंदौली	2500.000
		56	लखनऊ	4000.000
		57	मिर्जापुर	3000.000
		58	सोनभद्र	2500.000
24	पश्चिम बंगाल	59	मिदनापुर	4000.000
		60	उत्तरी 24 परगना	4000.000
	उप योग			178045.210
स्वीकृत किंतु निधियां जारी नहीं की गईं				
25	छत्तीसगढ़	61	दुर्ग	4000.000
26	उत्तरांचल	62	हरिद्वार	4000.000
	उप योग			8000.000
अभी स्वीकृत/अनुमोदित किया जाना है				
	राजस्थान	63	राजसमंद	
	कुल			186045.210

*पहले चुने गए बाड़मेर जिले की बजाय राजस्थान सरकार द्वारा राजसमंद को चुना गया।

कर्नाटक में ग्रामीण सफाई

3479. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य में ग्रामीण लोगों के लिए सफाई की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्य को कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 1999–2000 में भारत सरकार से नौवीं योजना अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति इकाई 2000 रु. की सब्सिडी बहाल करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार 02.10.95 से निर्मला ग्राम योजना नामक एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए राज्य की 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी (लगभग 20 लाख परिवार) की सहायता करना है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे अथवा ऊपर हों, को सब्सिडी वाले घरेलू शौचालयों के लिए प्रोत्साहित करना है। गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी को शौचालयों के निर्माण के लिए 2000 रु. की सब्सिडी दी जाती है। गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थी को इसके लिए 1200 रु. की सब्सिडी दी जाती है। गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थी को दी गई सब्सिडी को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य ने निर्मला ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए 2001–2002 के दौरान 15.00 करोड़ रु. का बजट मुहैया कराया है।

(घ) भारत सरकार कर्नाटक सरकार को संपूर्ण स्वच्छता अभियान सहित पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां मुहैया कराती रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत शौचालय हेतु सब्सिडी 500 रु. है जो भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 75 : 25 के दर पर वहन की जाती है। 2001–2002 के दौरान, पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 62.19 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। पहली किस्त के रूप में 31.10 लाख रु. रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा, 1999–2000 में बेल्लारी, मैसूर तथा मंगलोर जिले के लिए 3 संपूर्ण स्वच्छता अभियान को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 17.87 करोड़ रु. होगा जिसमें से 5.36 करोड़ रु. रिलीज किए जा चुके हैं। कर्नाटक सरकार को जानकारी दी गई है कि भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि लाभार्थियों द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा सुपरस्ट्रक्चर तथा/या एक अतिरिक्त पिट के निर्माण पर

अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है। तथापि, भारत सरकार की सब्सिडी बुनियादी किफायती इकाई की लागत के संदर्भ में स्वीकार किए जाने के लिए ही रहेगी जैसा कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में दिया गया है तथा किसी भी स्थिति में भारत सरकार की सब्सिडी की संपूर्ण मात्रा अनुमेय राशि से अधिक नहीं होगी।

मध्याह्न भोजन योजना

3480. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत निर्धन विद्यार्थियों को सड़ा हुआ गेहूं वितरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि विद्यार्थियों को केवल अच्छी किस्म का गेहूं/भोजन वितरित किया जाए; और

(घ) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना पर राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निदेशों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छे किस्म के गेहूं की पूर्ति की जानी है।

(ख) और (ग) पूर्ति किए गए खाद्यान्नों की किस्म के संबंध में इस मंत्रालय को प्राप्त कोई भी शिकायत भारतीय खाद्य निगम/संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाई जाती है। तदनुसार, इस अवधि के दौरान गेहूं की किस्म के संबंध में प्राप्त तीन शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई भी राशि आवंटित नहीं की जाती है। गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय निम्नानुसार हैं :

वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)
1999–2000	1500.00
2000–2001	1299.00

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का सर्वेक्षण करना

3481. श्री दिन्शा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सर्वेक्षण संबंधी औपचारिक योग्यता रखने वाले संकाय सदस्यों द्वारा सर्वेक्षण करना पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भारतीय प्रौद्योगिकी–वार अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में सर्वेक्षण करना विषय में कोई शिक्षा न रखने वाले संकाय सदस्यों द्वारा पढ़ाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को वर्तमान संकाय सदस्यों को हटाने तथा इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नियोजित करने का निर्देश देने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सर्वेक्षण करना विषय समुचित योग्यता रखने वाले संकाय सदस्य द्वारा पढ़ाया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में यह विषय सर्वेक्षण, दूरसंवेदी अनुप्रयोग, फोटोग्रामेट्री, जी आई एस इत्यादि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संकाय सदस्यों द्वारा पढ़ाया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सर्वेक्षण विषय स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रेट डिग्री के साथ–साथ सिविल इंजीनियरी में औपचारिक स्नातक डिग्रीधारी सुयोग्य संकाय सदस्य द्वारा पढ़ाया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

राजस्थान में समेकित बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत स्वसहायता समूह

3482. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत गठित की गई स्वसहायता समूहों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त स्वसहायता समूहों में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) जिले की ग्रामीण महिलाओं के लिए ये समूह किस सीमा तक वरदान साबित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) स्व–सहायता समूहों का गठन समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) स्कीम के अंतर्गत नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के मद्देजनर, प्रश्न नहीं उठता।

शहरी गरीब

3483. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी गरीबों की राज्य–वार संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ख) शहरी गरीबी की अद्यतन परिभाषा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी गरीबी के उन्मूलन हेतु राज्य–वार क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त योजनावधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) योजना आयोग ने बताया है कि वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस आ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर उपभोक्ता खर्च पर कराए गए विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर करता है। वर्ष की प्रायोजित आबादी का प्रयोग करते हुए, गरीबी में जीने वाले व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों के प्रतिशत से निकाली जाती है। भारत में घरेलू उपभोक्ता खर्च के विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें, दौर के मूल परिणामों में 30 दिन की (रिकॉल टेबुलेशन) के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के नवीनतम आकलनों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में शहरी क्षेत्रों में 23.62 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। वर्ष 1999–2000 के लिए शहरी गरीबी का राज्य–वार आकलन विवरण–I में है।

(ख) योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति उपभाग व्यय का मानदंड अपनाया है। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग 1973–74 के मूल्यों पर 56.64 रु. प्रति माह नियत किया गया है जो शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की दैनिक आवश्यकता के मानदंड के आधार पर प्रदत्त वस्तुओं व सेवाओं दोनों के बराबर है। इस गरीबी रेखा को राज्य–वार गरीबी रेखाओं में बांटा जाता है।

(ग) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से संपूर्ण भारत में 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)' नामक एक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य (i) अपने शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम घटक के तहत नौवीं कक्षा तक पढ़े लोगों को स्व–रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा (ii) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी) के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगारयुक्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम को केंद्र तथा राज्यों से 75 : 25 के अनुमात में धन दिया जाता है।

(घ) एस जे एस आर वाई के विभिन्न घटकों के तहत वास्तविक उपलब्धि विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1999–2000 में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की संख्या और प्रतिशतता

(तीस दिन की रिकाल पीरियड)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	60.88	26.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	7.47
3.	असम	2.38	7.47
4.	बिहार	49.13	32.91
5.	गोवा	0.59	7.52

1	2	3	4
6.	गुजरात	28.09	15.59
7.	हरियाणा	5.49	9.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.29	4.63
9.	जम्मू और कश्मीर	0.49	1.98
10.	कर्नाटक	44.49	25.25
11.	केरल	20.87	20.27
12.	मध्य प्रदेश	81.22	38.44
13.	महाराष्ट्र	102.87	26.81
14.	मणिपुर	0.66	7.47
15.	मेघालय	0.34	7.47
16.	मिजोरम	0.45	7.47
17.	नागालैंड	0.28	7.47
18.	उड़ीसा	25.40	42.83
19.	पंजाब	4.29	5.75
20.	राजस्थान	26.78	19.85
21.	सिक्किम	0.04	7.47
22.	तमिलनाडु	49.97	22.11
23.	त्रिपुरा	0.49	7.47
24.	उत्तर प्रदेश	117.88	30.89
25.	पश्चिम बंगाल	33.38	14.86
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.24	22.11
27.	चंडीगढ़	0.45	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	0.03	13.52
29.	दमन व द्वीव	0.05	7.52
30.	दिल्ली	11.42	9.42
31.	लक्षद्वीप	0.08	20.27
32.	पांडिचेरी	1.77	22.11
	समग्र भारत	670.07	23.62

नोट :

1. असम के गरीबी अनुपात का उपयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय के वितरण का उपयोग गोवा के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू व कश्मीर के व्यय के वितरण का उपयोग जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात के आकलन के लिए किया जाता है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का उपयोग पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
5. पंजाब की शहरी गरीबी के अनुपात का उपयोग चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा एवं नगर हवेली के व्यय के वितरण का उपयोग दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात के आकलन के लिए किया जाता है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का उपयोग दमन व द्वीव के लिए किया जाता है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का उपयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
9. राजस्थान की शहरी गरीबी अनुपात को अनंतिम समझा जाए।

विवरण-II

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य–वार संचयी उपलब्धि (31.10.2001 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) यू.एस.ई.पी. के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या	शहरी सामुदायिक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	संरचना के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	47784	5049	77.09	34.93

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	सूचित नहीं	1.50
3.	असम	1632	0	3.49	0.74
4.	बिहार	590	0	4.65	4.28
5.	छत्तीसगढ़	2077	105	0.85	1.29
6.	गोवा	266	20	0.66	1.57
7.	गुजरात	13016	0	9.35	14.00
8.	हरियाणा	5914	910	1.27	2.46
9.	हिमाचल प्रदेश	954	64	5.68	0.12
10.	जम्मू और कश्मीर	4544	105	0.66	0.07
11.	झारखंड	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	17202	3072	40.65	8.07
13.	केरल	11158	7000	1.84	10.26
14.	मध्य प्रदेश	64853	2530	21.69	12.34
15.	महाराष्ट्र	28033	218	16.31	14.44
16.	मणिपुर	0	0	0.45	4.80
17.	मेघालय	414	0	0.26	0.03
18.	मिजोरम	286	0	4.22	0.40
19.	नागालैंड	255	312	1.12	0.85
20.	उड़ीसा	8111	8764	18.28	12.27
21.	पंजाब	5540	180	3.80	10.57
22.	राजस्थान	20749	71	14.65	0.46
23.	सिक्किम	189	0	2.84	0.02
24.	तमिलनाडु	9301	1339	56.39	25.38
25.	त्रिपुरा	425	0	21.19	0.30
26.	उत्तरांचल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	85229	1276	44.05	56.23
28.	पश्चिम बंगाल	0	25	26.92	54.70
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19	0	0.34	0.01
30.	चंडीगढ़	57	0	लागू नहीं	0.21
31.	दादरा और नगर हवेली	37	0	0.21	0.00
32.	दमन व द्वीव	57	0	0.04	0.01
33.	दिल्ली	277	0	लागू नहीं	13.19
34.	पांडिचेरी	661	117	0.02	1.81
	कुल	329630	32117	37827	297.01

ग्रामीण जलापूर्ति योजना में परिवर्तन

3484. प्रो उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपूर्ति प्रेरित, जन–भागीदारी से वंचित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लोकोन्मुखी, विकेंद्रीकृत और मांग आधारित ग्रामीण जलप्रपूर्ति योजना द्वारा धीरे–धीरे प्रतिस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिवर्तन को किस सीमा तक आरंभ किया गया है;

(घ) क्या किसी राज्य ने आगे बढ़ कर अपेक्षित परिवर्तन किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए ग्रामीण जल

आपूर्ति क्षेत्र में सुधार शुरू किए गए हैं ताकि ग्रामीण बसावटों में पेयजल मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले स्रोतों तथा प्रणालियों का स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। इन सुधारों में आपूर्ति आधारित सरकारोन्मुख, केंद्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के स्थान पर धीरे धीरे मांग आधारित, विकेंद्रीकृत, समुदायोन्मुख कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

इन सुधारों को परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है और सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर इन क्षेत्र सुधार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 26 राज्यों में 63 जिलों की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत समुदाय को अपनी पसंद की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने, आंशिक रूप से वित्तपोषित करने, कार्यान्वित करने, संचालन तथा रख–रखाव करने एवं उनका प्रबंध करने में सक्रिय रूप से भाग लेना होता है। 1860 करोड़ रु. की कुल लागत से 62 जिलों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से भारत सरकार का अंश लगभग 1736 करोड़ रु. है और 498 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(घ) और (ङ) अधिकांश प्रायोगिक जिलों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रॉसेस प्रोजेक्ट होने की वजह से, ये कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। कुछ संस्थागत अवस्था में हैं और अन्य कुछ जागरूकता पैदा करने की अवस्था में हैं। कुछ जिलों में, हार्डवेयर काम्पोनेंट फेज भी शुरू की गई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, 612 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर, कुड्डालोर, वेल्लूर और पेराम्बलूर एवं आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में समुदाय को सौंप दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

3485. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं कतिपय निर्धारित मानदंडों पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं का उद्देश्य 40 लीटर सुरक्षित पेयजल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन उपलब्ध करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजनाओं के अंतर्गत इस उद्देश्य को प्राप्त किया गया है;

(घ) इस योजना की अर्हता प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं;

(ङ) क्या खारे पानी वाले तटीय क्षेत्र भी इस उद्देश्य के लिए अर्हता रखते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस चूक को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) मानदंड के अनुसार, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर की दर से पेयजल उपलब्ध कराना है। मवेशी के लिए अतिरिक्त 30 लीटर प्रतिदिन प्रति मवेशी सिर्फ बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में मुहैया कराया जाना है।

(ग) से (च) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई ग्रामीण बसावट कवर की हुई तभी मानी जाती है यदि किसी पेय जलापूर्ति स्रोत से किसी बसावट को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल आपूर्ति की जाती है और मैदानी भागों में 1.6 किलोमीटर की परिधि के अंदर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर जल स्रोत हों। देश की सभी ग्रामीण बसावटों को उपर्युक्त मानदंड के अनुरूप पेयजल सुविधा मुहैया कराई जानी है। दिनांक 16.11.2001 तक राज्य सरकारों द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार देश की 1422664 ग्रामीण बसावटों में से 1250318 ग्रामीण बसावट पूर्णतः कवर हो गई हैं। 153981 ग्रामीण बसावट आंशिक रूप से कवर की गई हैं तथा सिर्फ शेष 18365 ग्रामीण बसावटों में उपुर्यक्त मानदंड के अनुसार पेय जलापूर्ति सुविधा मुहैया की जानी है। इनमें समुद्र तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं। तथापि, राज्य सरकार सब मिशन कार्यक्रम के तहत परियोजना कार्यान्वयन के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत उन्हें जारी निधियों का 20 प्रतिशत इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें खारापन/अत्यधिक लवणता से प्रभावित ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने वाली परियोजनाएं भी शामिल हो सकती हैं।

[हिन्दी]

महाविद्यालय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण में कम्प्यूटर प्रशिक्षण को अनिवार्य करना

3486. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाविद्यालय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण में कम्प्यूटर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सामान्य सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी को बी.एड. पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। परिषद ने एक सूचना प्रौद्योगिकी सीडी रोम तैयार की है तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को इसके प्रयोग के संबंध में अनुभव प्रदान करने के लिए परिषद उन शहरों में, जहां कई अध्यापक शिक्षा संस्थान मौजूद हैं, एक दिवसीय शिविरों का आयोजन कर रही है। परिषद ने पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या भी प्रकाशित की है तथा सभी राज्य सरकारों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक शिक्षा विभागों से अनुरोध किया है कि वे माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें।

[अनुवाद]

भारतीय नागरिकों के लिए बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र

3487. श्री एन. टी. षणमुगम :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नागरिकों को बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक व्यवसायिक परामर्शदात्री संस्था के जरिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली का विस्तृत संभाव्यता अध्ययन शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो संभाव्यता अध्ययन की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) इस कार्ड प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) इस संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में जारी फोटो पहचान पत्र की संभावित उपयोगिता क्या होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (च) जी हां, श्रीमान। सरकार का भारतीय नागरिकों को बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है जिसका विश्वसनीय पहचान प्रणाली का प्रावधान करने के अतिरिक्त बहुविध सामाजिक आर्थिक उपयोग भी किया जा सकेगा।

सरकार ने, भारतीय नागरिकों को बहु-प्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य एक व्यावसायिक सलाहकार फर्म को सौंपा था। फर्म से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट में एक अरब लोगों की पहचान प्रणाली के सृजन, पंचायत स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने तथा निरंतर अद्यतन बनाए जा सकने वाले वैयक्तिक पहचानों के समेकित डाटा बेस के सृजन के लिए संस्थागत के साथ साथ प्रौद्योगिकीय विकल्पों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय सभी संबंधित मामलों की गहराई से छानबीन करने तथा योजना को कानूनी समर्थन देने सहित इस प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक तैयारियों के बाद ही लेगी।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, भारतीय नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण 'अथवा जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण पर आधारित पहचान की सर्वप्रयोजनीय प्रणाली नहीं है।

भूमि दरों में संशोधन

3488. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण हेतु भूमि दरों में संशोधन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लिए भूमि दरों में संशोधन का मामला विचाराधीन है। डीडीए को विभिन्न श्रेणियों की भूमि–दरों में संशोधन हेतु व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। डीडीए से प्रस्ताव के प्राप्त होते ही मामले पर तत्काल विचार किया जाएगा और उस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा।

नेहरू युवा केंद्रों में युवकों की नियुक्ति

3489. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर के नेहरू युवा केंद्रों में युवा–समन्वयक नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति के साथ समाज निर्माण में नेहरू युवा केंद्रों की क्या भूमिका है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और अब तक नेहरू युवा केंद्रों द्वारा आवंटित, संवितरित एवं व्यय की गई धनराशि कितनी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) नेहरू युवा केंद्र जिला स्तर पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों, यथा, युवा क्लब विकास कार्यक्रम, कार्य शिविरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों आदि, के जरिए, ग्रामीण युवाओं को सामर्थ्य द्वारा सशक्त बनाते हैं तथा सामर्थ्य निर्माण (अभिप्रेरणा, शिक्षा संगठन व जागरूकता के जरिए) द्वारा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाते हैं ताकि वे सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति के साथ समाज– निर्माण में सार्थक भूमिका अदा कर सकें।

(घ) ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
1	2	3
1	1 आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
2	2	विजयवाड़ा
3	3	कुडप्पा
4	4	गुंदूर
5	5	श्रीकाकुलम
6	6	विजयानगरम
7	7	नेल्लोर
8	8	वारंगल

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश में एक युवा समन्वयक राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है। अतः, उपर्युक्त दर्शाए गए 8 केंद्रों में से, केवल 7 को रिक्त स्थान माना जाएगा।

9	1	असम	डिब्रूगढ़
10	2		धुबरी
11	3		नार्थ लखीमपुर
12	4		तेजपुर
13	5		हैफलोंग (एन.सी.हिल्स)
14	6		बरपेटा
15	7		कोकराझार
16	1	बिहार	पश्चिमी चंपारन (बेतिया)
17	2		धनबाद
18	3		कटिहार
19	4		मुजफ्फरपुर
20	5		मोतीहारी (पूर्वी चंपारन)
21	6		डाल्टनगंज (पलामू)
22	7		गया
23	8		पटना
24	9		समस्तीपुर
25	10		खागरिया (हाजीपुर उत्तरी)

1	2		3
26	11		किशनगंज
27	12		चैत्रा
28	13		गरवा
29	14		जमुई

टिप्पणी : पटना में एक युवा समन्वयक परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है तथा दूसरा राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है। अतः, उपर्युक्त 14 में से, केवल 12 स्थितियों को रिक्त माना जाएगा।

30	1	गुजरात	गोधरा
31	2		मेहसाणा
32	3		वलसाड
33	4		अहमदाबाद
34	5		बड़ौदा (छोटा उदयपुर)
35	6		राजकोट
36	1	हरियाणा	भिवानी
37	2		करनाल
38	3		सिरसा
39	4		जीन्द
40	1	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
41	2		चम्बा
42	3		किन्नौर
43	4		कुल्लू
44	1	जम्मू और कश्मीर	डोडा
45	2		पुंछ
46	3		राजौरी
47	4		श्रीनगर

टिप्पणी : एक युवा समन्वयक परियोजना के साथ कार्य कर रहा है। अतः उपर्युक्त दर्शाए गए 4 रिक्त केंद्रों में से केवल 3 को ही रिक्त माना जाएगा।

48	1	कर्नाटक	गुलबर्ग
49	2		मैसूर
50	3		धारवाड़
51	4		बंगलौर (रूरल)
52	1	केरल	कन्नूर
53	2		कोझीकोड
54	3		त्रिवेंद्रम
55	4		त्रिचूर
56	5		कोट्टायम
57	1	मध्य प्रदेश	धार
58	2		दुर्ग
59	3		दमोह
60	4		खंडवा
61	5		रीवा
62	6		रायपुर
63	7		उज्जैन
64	8		नरसिंहपुर
65	9		सतना
66	10		राजनंदगांव
67	11		चंपा–बिलासपुर–2

टिप्पणी : एक युवा समन्वयक निलंबित है तथा एक युवा समन्वयक आंचलिक कार्यालय के साथ संलग्न है। अतः उपर्युक्त दर्शाए गए 11 रिक्त केंद्रों में से केवल 9 स्थितियों को रिक्त माना जाएगा।

68	1	महाराष्ट्र	थाने
69	2		बुलधाना
70	3		नागपुर
71	1	मणिपुर	तमिंगलोंग

1	2		3
72	1	मेघालय	ईस्ट खासी हिल (शिलांग)
73	2		वैस्ट खासी हिल्स (नोंगस्टोइन)
74	1	नागालैंड	जूनेहबोटो
75	2		मोन
76	3		वोखा
77	1	उड़ीसा	फुलबनी
78	2		संबलपुर
79	3		सुंदरगढ़
80	4		नौपाडा

टिप्पणी : एक युवा समन्वयक आंचलिक कार्यालय के साथ संलग्न है। अतः उपयुक्त दर्शाए गए 4 रिक्त केंद्रों में से, केवल 3 स्थितियों को रिक्त माना जाएगा।

81	1	पंजाब	भटिंडा
82	2		जालंधर
83	3		कपूरथला
84	4		लुधियाना
85	5		पटियाला
86	1	राजस्थान	बीकानेर
87	2		बूंदी
88	3		चुरू
89	4		डूंगरपुर
90	5		जोधपुर
91	6		जालौर
92	7		सिरोही
93	8		उदयपुर
94	9		कोटा
95	10		पाली
96	11		धौलपुर
97	12		श्रीगंगानगर
98	1	सिक्किम	मोनगोन (उत्तरी जिला)
99	1	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
100	2		मदुरै
101	3		पुदुकोट्टई
102	4		दिंदीगुल
103	5		तिरूवरूर
104	6		नामाक्कल
105	1	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा
106	2		देहरादून
107	3		फतेहपुर
108	4		गाजीपुर
109	5		गोरखपुर
110	6		झांसी
111	7		लखीमपुर खीरी
112	8		मेरठ
113	9		मुरादाबाद
114	10		पिथौरागढ़
115	11		रायबरेली
116	12		रामपुर
117	13		आगरा
118	14		मैनपुरी
119	15		बस्ती
120	16		सोनभद्रा

टिप्पणी : एक युवा समन्वयक निलंबित है। अतः उपयुक्त दर्शाए गए 16 रिक्त केंद्रों में से केवल 15 स्थितियों को रिक्त माना जाएगा।

1	2	3
121	1 अरुणाचल प्रदेश	सियांग (एलोंग)
122	2	लोअर सुबानसीरी (जीरो)
123	3	अपर सुबानसीरी (दापोरिज़ो)
124	4	लोहित (तेज़ू)
125	1 नई दिल्ली	महरौली (नई दिल्ली)
126	2	नांगलोई (नई दिल्ली)
टिप्पणी : एक युवा समन्वयक आंचलिक कार्यालय में संलग्न है। अतः उपर्युक्त दर्शाए गए 2 रिक्त केंद्रों में से केवल 1 को रिक्त माना जाएगा।		
127	1 गोवा, दमन व द्वीव	पणजी
128	2	द्वीव
129	1 लक्षद्वीप	कावारत्ती
130	1 पांडिचेरी	कराईकल
131	2	यानम
टिप्पणी : एक युवा समन्वयक अध्ययन अवकाश पर है। अतः उपर्युक्त दर्शाए गए 2 रिक्त केंद्रों में से केवल 1 को रिक्त माना जाएगा।		
132	1 मिजोरम	छिमुतुई पुरी (साईहा)

विवरण-II

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2000–2002 (आज तक) के दौरान आवंटित, संवितरित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1999–2000			2000–2001			2001–2002	
		आवंटित	संवितरित	खर्च की गई	आवंटित	संवितरित	खर्च की गई	आवाटेत	खर्च की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12831174.00	12831174.00	10837439.00	13454480.00	13454480.00	8754439.00	13506150.00	13506150.00
2.	असम	14308020.00	14308020.00	14013016.00	14766880.00	14766880.00	9676533.00	13211500.00	132111500.00
3.	बिहार	25951512.00	25951512.00	17510908.00	26648000.00	26648000.00	19220705.00	28536500.00	28536500.00
4.	गुजरात	9224419.00	9224419.00	8781400.00	10180440.00	10180440.00	7430062.00	9293750.00	9293750.00
5.	हरियाणा	8624945.00	8624945.00	8664999.00	8686160.00	8686160.00	7658561.00	8323400.00	8323400.00
6.	हिमाचल प्रदेश	6348410.00	6348410.00	7244064.00	6492720.00	6492720.00	5886039.00	6699200.00	6699200.00
7.	जम्मू और कश्मीर	7616774.00	7616774.00	6533468.00	7569840.00	7569840.00	5971181.00	7667200.00	7667200.00
8.	कर्नाटक	11000662.00	11000662.00	9579101.00	11675200.00	11675200.00	6873636.00	11385200.00	11385200.00
9.	केरल	9331618.00	9331618.00	8468556.00	9316640.00	9316640.00	5347637.00	8970100.00	8970100.00
10.	मध्य प्रदेश	24428691.00	24428691.00	22406113.00	26078480.00	26078480.00	21353155.00	27970600.00	27970600.00
11.	महाराष्ट्र	15123362.00	15123362.00	14232945.00	18112800.00	18112800.00	14622736.00	17015900.00	17015900.00
12.	मणिपुर	5799224.00	5799224.00	5504104.00	5592040.00	5592040.00	4063402.00	4673500.00	4673500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मेघालय	2897901.00	2897901.00	2320305.00	3257800.00	3257800.00	2026966.00	2897100.00	2897100.00
14.	नागालैंड	3810844.00	3810844.00	2934173.00	3754920.00	3754920.00	2224456.00	3789500.00	3789500.00
15.	उड़ीसा	10779317.00	10779317.00	9075971.00	7951400.00	7951400.00	6900174.00	11658200.00	11658200.00
16.	पंजाब	7409171.00	7409171.00	7223867.00	7426640.00	7426640.00	6432793.00	7131300.00	7131300.00
17.	राजस्थान	14683413.00	14683413.00	12662876.00	16052800.00	16052800.00	12281709.00	16248700.00	16248700.00
18.	सिक्किम	1977680.00	1977680.00	1468133.00	2204240.00	2204240.00	1329338.00	2502800.00	2502800.00
19.	तमिलनाडु	15824373.00	15824373.00	13599314.00	16588040.00	16588040.00	10364458.00	17545100.00	17545100.00
20.	त्रिपुरा	2000779.00	2000779.00	2353362.00	1650680.00	1650680.00	1404294.00	2008900.00	2008900.00
21.	उत्तर प्रदेश	37197868.00	37197868.00	27057559.00	34253840.00	34253840.00	25086284.00	35671650.00	35671650.00
22.	पश्चिम बंगाल	12599557.00	12599557.00	11415475.00	11974720.00	11974720.00	10607816.00	13346900.00	13346900.00
23.	अरुणाचल प्रदेश	2246001.00	2246001.00	1409471.00	2134240.00	2134240.00	972830.00	2448800.00	2448800.00
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2748330.00	2748330.00	2519248.00	3201360.00	3201360.00	2543062.00	1839400.00	1839400.00
25.	चंडीगढ़	480353.00	480353.00	501961.00	524760.00	524760.00	515135.00	435250.00	435250.00
26.	नई दिल्ली	1378806.00	1378806.00	2109359.00	1634280.00	1634280.00	1874820.00	2595950.00	2595950.00
27.	गोवा, दमन व द्वीव	2001026.00	2001026.00	674160.00	1600680.00	1600680.00	679726.00	1796800.00	1796800.00
28.	लक्षद्वीप	84614.00	84614.00	84614.00	533560.00	533560.00	0.00	460900.00	460900.00
29.	पांडिचेरी	1587650.00	1587650.00	0.00	2199040.00	2199040.00	0.00	1728400.00	1728400.00
30.	मिजोरम	1645268.00	1645268.00	1626442.00	1600680.00	1600680.00	1022093.00	2000500.00	2000500.00
31.	दादरा व नगर हवेली	300753.00	300753.00	269093.00	563560.00	56350.00	312991.00	423100.00	423100.00

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के बकाया की स्थिति

3490. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बकाया की विश्वविद्यालय–वार स्थिति क्या है;

(ख) उनके भरे जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अब तक इस संबंध में की गई कार्रवाई और राज्य सरकारों को जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है? और

(घ) रिक्तियों को समय पर भरकर अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यार्थियों को न्याय दिलाने हेतु की गई निगरानी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है। शिक्षण पदों में आरक्षण केवल लेक्चरार स्तर पर ही लागू होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोग ने सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक मॉनिटरिंग समिति गठित की है। आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थाई समिति भी गठित की है जिसने अनेक केंद्र विश्वविद्यालयों का दौरा किया है और दाखिले, शिक्षण और गैर शिक्षण पदों दोनों में भर्ती और पिछली बकाया रिक्तियों को भरने इत्यादि के संबंध में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को बल देने के लिए कुलपतियों से कहा है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने पर रोकथाम

3491. श्री वाई. वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने पर रोकथाम लगाने संबंधी निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) 2010 तक 6–14 आयु के सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य स्कूल के कार्यों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा सभी सामाजिक और स्त्री–पुरुष संबंधी भेदभाव समाप्त करने के लिए 2010 तक सभी को संतोषजनक गुणवत्ता वाली लाभप्रद और संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

- वर्ष 2003 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना केंद्र/सेतु पाठ्यक्रम में शामिल करना;
- वर्ष 2007 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना; तथा
- वर्ष 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करवाना;
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
- महिला–पुरुष तथा सामाजिक श्रेणी में व्याप्त अंतर को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना;
- वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना ताकि कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई न छोड़े;

सर्वशिक्षा अभियान का अंतिम लक्ष्य पढ़ाई बीच में छोड़ने के स्तर को कम करना है।

[हिन्दी]

जनजातियों को पट्टे पर वन-भूमि का आवंटन

3492. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1980 के पहले से भूमि पर कब्जा रखने वाली जनजातियों को पट्टे पर वन भूमि आवंटित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की पुनरीक्षा करने हेतु महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यों से हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः उक्त अधिनियम के अंतर्गत छोटी परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने तथा प्रक्रियाओं को सरल व कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों को सीमित शक्तियां प्रत्यायोजित करने से संबंधित हैं ताकि वन संबंधी स्वीकृतियों को देने में लगने वाले विलंब को कम किया जा सके। तथापि 1980 के पहले से भूमि पर कब्जा रखने वाली जनजातियों को पट्टे पर वन भूमि आवंटित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को धन

3493. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जनजातियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए धन आबंटित किया गया था और वर्ष 1998–99, 1999–2000 एवं 2000–2001 के दौरान प्रत्येक गैर–सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई धनराशि राज्य–वार कितनी कितनी थी;

(ख) क्या कम्प्यूटर शिक्षा को जनजातीय छात्रों तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष संस्था गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो बड़ी संख्या में जनजातीय छात्रों को कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन गैर–सरकारी संगठनों के राज्य–वार नाम क्या हैं जो इस कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं और जिन्हें इस प्रयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान जनजातियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए धनराशि आवंटित किए गए गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में कोई ऐसा प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की वर्तमान योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को जनजातियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उन गैर सरकारी संगठनों के राज्यवार नाम विवरण–II में दिए गए हैं जो सहायता प्राप्त हैं और जिन्हें आवासीय स्कूलों को चलाने का काम सौंपा गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	संगठन का नाम	जिला	निम्नलिखित वर्षों में निर्मुक्त निधि		
				1998–99	1999–00	2000–01
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	चैतन्य एजुकेशन सोसायटी	कुरनुल	–	–	659610
2.	आंध्र प्रदेश	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति	चित्तूर	146000	181980	199440
3.	आंध्र प्रदेश	राघवेन्द्र रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	अनंतपुर			659340
4.	अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन (तिरप)	तिरप	146000	216360	216360

1	2	3	4	5	6	7
5.	असम	गारो वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन सोसायटी	धुबरी	–	–	585360
6.	असम	पाथरी वोकेशनल इंस्टीट्यूट (पीवीआई)	नौगांव	–	–	719369
7.	असम	विद्या विकास केंद्र	गुवाहाटी	146360		
8.	बिहार	दि.आर.के. मिशन विवेकानंद सोसायटी	ईस्ट सिंहभूम	256132	216360	216360
9.	जम्मू और कश्मीर	आल इंडिया सेंटर फार अर्बन एंड रूरल	कुपवाड़ा	1176640	432720	649080
10.	केरल	माता अमृतनंदामयी माथ	कोलाम	146000	216360	216360
11.	मध्य प्रदेश	आशादीप कल्याण समिति	जबलपुर	–	583710	–
12.	मध्य प्रदेश	बंधवाल शिक्षा समिति	भोपाल	–	584460	216360
13.	मध्य प्रदेश	रामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	भोपाल	–	584460	216360
14.	मध्य प्रदेश	सेवा भारती (मध्य प्रदेश)	भोपाल	–	–	1388000
15.	मध्य प्रदेश	श्री शांति निकेतन शिक्षा प्रसार समिति	मोरेना	–	–	584460
16.	महाराष्ट्र	श्री हनुमान वयानाम प्रसारक मंडल	अमरावती	–	–	319679
17.	मणिपुर	मणिपुर चिकिम एडवेंचर डेवलपमेंट	इम्फाल	203490	–	–
18.	मणिपुर	मणिपुर ईस्टर्न हिल पीपल डेवलपमेंट सोसायटी	इम्फाल	–	146000	175000
19.	मणिपुर	रिसोर्स सेंटर फार सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट	चांडेल	–	160290	204660
20.	मणिपुर	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन	इम्फाल ईस्ट	–	–	655560
21.	मणिपुर	द इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट फार वीकर सैक्शंस	इम्फाल	–	205740	174240
22.	मणिपुर	उखरूल जिला मल्टी परपज डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन यूडीएमडीओ	इम्फाल	–	–	658260
23.	मणिपुर	वैंगिंग वोमेन एंड गर्ल्स सोसायटी	वांगिग	203490	–	–
24.	नागालैंड	आओलिम सोसायटी	मोकाकचुंग	–	626580	–
25.	नागालैंड	एवीआई सोसायटी	कोहिमा	–	–	658260
26.	नागालैंड	इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सेंटर	दीमापुर	–	–	658260
27.	नागालैंड	लहिवे–यू–वेथो सोसायटी लि.	कोहिमा	–	620910	–
28.	नागालैंड	निसालेम इकोनोमिक वेलफेयर सोसायटी	कोहिमा	–	–	658260

1	2	3	4	5	6	7
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	नई दिल्ली	4335638	–	3694731 (2001–2002)
30.	उड़ीसा	काउंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल	भुवनेश्वर	70920	–	–
31.	उड़ीसा	आर्गेनाइजेशन फार रिमूविंग रिजनल लंबलेंसज एंड सोशल इनजस्टिस इन सोसायटी				
32.	उड़ीसा	उड़ीसा खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	कटक	118000	–	–
33.	उड़ीसा	उड़ीसा सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेंट	भुवनेश्वर	204840	216360	–
34.	उड़ीसा	रिसर्च एंड एनालिसस कंसलटेंट आरएसी	भुवनेश्वर	153270	352440	101880
35.	त्रिपुरा	रामाकृष्ण मिशन	विवेकानंद नगर	57060	152280	152280

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	संगठन का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	ए.पी. गिरीजन सेवल संघ
2.	आंध्र प्रदेश	बापू जी इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी
3.	आंध्र प्रदेश	क्रस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसायटी
4.	आंध्र प्रदेश	पीपल एजुकेशन सोसायटी
5.	आंध्र प्रदेश	रूरल आर्गेनाइजेशन फार सोशल एक्टिविटी
6.	आंध्र प्रदेश	सोसायटी फार इंटिग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट
7.	आंध्र प्रदेश	श्री गोविंदा राजा स्वामी सोशल डेवलपमेंट सोसायटी
8.	आंध्र प्रदेश	श्री मंगदलापु नारायण एजुकेशन सोसायटी
9.	आंध्र प्रदेश	श्री साइराम सेवा संगम
10.	आंध्र प्रदेश	विजय एजुकेशन सोसायटी
11.	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल गाली विद्यापीठ
12.	आंध्र प्रदेश	सेंटर फार बुद्धिस्ट कलचरल स्टडीज
13.	आंध्र प्रदेश	आर.के. मिशन (तिराप)
14.	असम	पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति
15.	असम	सरस्वती विद्या मंदिर प्रचालना समिति
16.	गुजरात	विवेकानंद एजुकेशन ट्रस्ट
17.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयान बुद्धिस्ट कलचरल एसो–सिएशन
18	हिमाचल प्रदेश	रिंचेन जांगपो सोसयटी फार स्पिती डेवलपमेंट
19	हिमाचल प्रदेश	दि इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलोस्पी एंड ट्राइबल कल्चरल
20.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी
21.	कर्नाटक	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट
22.	कर्नाटक	विवेकानंद गिरीजन कल्याण केंद्र
23.	केरल	वनवासी आश्रम ट्रस्ट
24.	मध्य प्रदेश	एम.पी. अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ

1	2	3
25.	मणिपुर	इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल
26.	मणिपुर	नार्थ ईस्टर्न ब्वाय स्काउट एंड गर्ल गाइड एसोसिएशन
27.	मणिपुर	टीयर फंड इंडिया कमेटी आन रिलीफ रिहैबिलिटेशन सर्विस
28.	मेघालय	आर.के. मिशन (चेरा बाजार)
29.	मेघालय	सेवा भारती (मेघालय)
30.	उड़ीसा	आदिवासी सोशल एंड कल्चरल सोसायटी
31.	उड़ीसा	बैहरावी क्लब
32.	उड़ीसा	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना
33.	उड़ीसा	महुलपाली युवक संघ
34.	उड़ीसा	निखिला उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ
35.	उड़ीसा	समाज कल्याण संस्था
36.	उड़ीसा	सोशल वीकर अवेयरनैस डेवलपमेंट एंड इकोनोमिक सर्विस इंस्टीट्यूट
37.	उड़ीसा	विश्वा जीवन सेवा संघ
38.	सिक्किम	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ सिक्किम
39.	तमिलनाडु	सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट
40.	तमिलनाडु	साउथ इंडिया एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन
41.	उत्तर प्रदेश	अशोक आश्रम
42	उत्तर प्रदेश	सीमांत अनसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान
43.	पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (बेलदांगा)
44.	पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (नाडिया)
45.	पश्चिम बंगाल	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेंटर
46.	पश्चिम बंगाल	सोसायटी फार रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट
47.	पश्चिम बंगाल	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम

[अनुवाद]

विद्यालयों/छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों को स्थापित करना

3494. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) - क्या यह सच है कि कई राज्य विद्यालय, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय स्थापित करने संबंधी अपने प्रस्तावों को भेज पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने प्रस्तावों को भेजे जाने की आवश्यकता के संबंध में में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आश्वस्त करने का प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की राज्य–वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो इस योजना के अंतर्गत उपर्युक्त अनुदान उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां। कुछ राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत अपने प्रस्ताव अभी भेजने हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रति इन राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया में सुधार लाने के लिए उन्हें पत्र लिखने और फोन पर वार्ता करने के अतिरिक्त, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ बैठकें तथा चर्चाएं की जाती हैं। मंत्रालय के प्रयासों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जा रहे प्रस्तावों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ङ) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्य बजटों में उपयुक्त प्रावधान करने के पश्चात अपने प्रस्ताव भेजती हैं। जहां राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते, उनके द्वारा प्रस्तावों को नहीं भेजने के कारण की सूचना नहीं दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	उन राज्यों के नाम जिनसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं
1.	आश्रम स्कूल	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार, दादरा व नगर हवेली।
2.	अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावास	मिजोरम, सिक्किम, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार।
3.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदर्श आवासीय स्कूल	असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।

कच्छ में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान

3495. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी में आए भूकंप के कारण गुजरात के कच्छ के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए मानव जीवन, पशुधन एवं संपत्ति के नुकसान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात के कच्छ जिले में अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित एवं आवंटित मकानों/निवास इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(घ) राज्य के भूकंप पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय एवं अन्य सहायताएं क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इमाम द्वारा जेहाद का आह्वान

3496. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अफगानिस्तान पर हवाई हमलों के संदर्भ में दिल्ली के इमाम द्वारा देश भर में जेहाद का आह्वाहन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह की सांप्रदायिक उत्तेजना के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं जिससे सार्वजनिक शांति को खतरा उत्पन्न होता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) बताया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अफगान उलेमा की शूरा द्वारा दिए गए जेहाद के आह्वान के समर्थन में कुछ बयान दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अभियोजन शाखा को भेजा है जो यह कानूनी राय देगी कि क्या शाही इमाम द्वारा दिए गए बयान संज्ञेय अपराध के तहत आते हैं।

शांति व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, विशेष रूप से, संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्क है तथा ऐसी घटनाओं में पहले संलिप्त रहे व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

नेहरू युवक केंद्रों द्वारा ग्रामीण युवाओं/ खेलकूद क्लबों को सहायता

3497. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केंद्र ग्रामीण युवाओं एवं खेलकूद क्लबों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अभिकरण आधार पर कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्लबों के कृत्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक स्थान वार इन क्लबों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण युवकों के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने में ये क्लब किस सीमा तक सफल रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ग्रामीण युवाओं एवं खेल क्लबों को सहायता देने संबंधी योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) इन क्लबों का कार्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक माध्यमों में दिशा–निर्देशित करने तथा खेल प्रतिभा को प्रात्साहित करने और उसका विकास करने एवं बुनियादी स्तर पर कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए मौजूदा क्लबों को प्रेरित करना है।

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण खेल क्लब जो ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों को सहायता देने की योजना का एक घटक है, ग्रामीण युवाओं में खेलों का विकास करने में सफल हुए हैं।

विवरण

ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–1999 जारी राशि	1999–2000 जारी राशि	2000–2001 जारी राशि	2001–2002 जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अं. व नि. द्वीप समूह	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	आंध्र प्रदेश	4,05,000	6,00,000	8,10,000	–
4.	असम	2,95,000	10,65,000	21,35,000	–
5.	बिहार	10,000	5,000	20,000	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–
7.	दिल्ली	10,000	10,000	10,000	–
8.	दमन व द्वीव	–	–	–	–
9.	दा. न. हवेली	15,000	15,000	–	–
10.	गोवा	–	–	60,000	–
11.	गुजरात	45,000	75,000	2,45,000	–
12.	हरियाणा	3,50,000	1,10,000	9,20,000	–
13.	हिमाचल प्रदेश	5,45,000	90,000	6,60,000	–
14.	जम्मू व कश्मीर	40,000	35,000	4,95,000	–
15.	कर्नाटक	14,55,000	4,85,000	5,90,000	–
16.	केरल	7,00,000	9,30,000	36,15,000	2,65,000
17.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
18.	मध्य प्रदेश	2,55,000	2,20,000	1,10,000	2,30,000
19.	महाराष्ट्र	6,30,000	10,65,000	2,10,000	5,60,000
20.	मणिपुर	1,55,000	1,25,000	–	–
21.	मेघालय	70,000	2,50,000	–	–
22.	मिजोरम	15,000	–	–	–
23.	नागालैंड	5,000	10,000	–	–
24.	उड़ीसा	3,60,000	40,000	90,000	25,000
25.	पंजाब	45,000	40,000	3,00,000	1,90,000
26.	पांडिचेरी	–	20,000	–	–
27.	राजस्थान	1,95,000	1,30,000	3,10,000	10,000
28.	सिक्किम	20,000	35,000	1,05,000	–
29.	तमिलनाडु	3,15,000	5,65,000	7,20,000	12,60,000
30.	त्रिपुरा	30,000	25,000	1,10,000	–
31.	उत्तर प्रदेश	6,70,000	1,90,000	7,90,000	2,30,000
32.	पं. बंगाल	2,10,000	1,40,000	5,40,000	3,80,000
	कुल	–	62,75,000	1,28,45,000	31,50,000

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए दमन और द्वीव को धन का आवंटन

3498. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान दमन द्वीव के संघ राज्य क्षेत्र को आईआरडीपी, ट्राइसेम, जेआरवाई, एसजीएस, वाई जैसी योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) आईआरडीपी और ट्राइसेम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के साथ मिला दिया गया है तथा जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया है और 1.4.99 से इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुनःनामित किया गया। 2000–01 के दौरान दमन व द्वीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन क्रमशः 50.00 लाख रु. और 27.07 लाख रु. था।

(ख) और (ग) 2000–01 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं भेजे जाने एवं कम उपयोग की वजह से और जेजीएसवाई के अंतर्गत अधूरे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वजह से दमन व द्वीव के संघ राज्य क्षेत्र को निधियां रिलीज नहीं की जा सकी थीं।

प्रौढ़ शिक्षा

3499. श्री साहिब सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में 25–60 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि का क्या रुझान रहा है;

(ग) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उच्च स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा का निष्पादन क्या है; और

(घ) प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 25–60 आयु–वर्ग में अशिक्षितों की प्रतिशतता और कुल संख्या के संबंध में राज्य वार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि जनगणना 2001 (अनंतिम) दर्शाती है कि देश ने पिछले दशक में विशिष्ट प्रगति की है। 21.34 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बावजूद 7+ आयु वर्ग में साक्षरता दर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि स्वतंत्रता से अभी तक किसी भी दशक में हुई वृद्धि में सबसे अधिक है। पहली बार अशिक्षितों की कुल संख्या में लगभग 3.2 करोड़ की कमी आई है। 7+ आयु वर्ग के 85.8 करोड़ लोगों में से अब 56.2 करोड़ शिक्षित हैं।

(ख) 7+ आयु वर्ग में साक्षरता दर वर्ष 1997 में 62 प्रतिशत (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 53वें दौर के अनुसार) से बढ़कर वर्ष 1998 में 63.1 प्रतिशत (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II 1998 के अनुसार) हो गई तथा वर्ष 2001 की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के प्रारंभ से 15 से 35 आयु वर्ग के 9.153 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनमें ये शामिल हैं :

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मानदंडों का संशोधन तथा वित्तीय मानकों की अभिवृद्धि।
- संपूर्ण साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता के चरणों का समेकन।
- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करना।
- सतत शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करना।
- जन शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों का विस्तार।
- अच्छी किस्म की अध्ययन–अध्यापन सामग्री तैयार करने तथा संशोधित कोटि के प्राशिक्षण के लिए राज्य संसाधन केंद्रों को पुनर्गठित करना।

उड़ीसा में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

3500. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) राज्य में कितनी अतिरिक्त ग्राम पंचायतें गठित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) 'पंचायत' राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी जानकारी संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

नैक द्वारा विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और रैंकिंग

3501. श्री के. येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडीसन काउंसिल को देश में विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने की सलाह दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय का मूल्यांकन और उसे दिए गए रैंक का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी महाविद्यालयों का भी इसी तरह से मूल्यांकन और उन्हें रैंक दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) ऐसे मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की थी और उसने सभी विश्वविद्यालयों/कालेजों को परिपत्र जारी करके उनसे कहा है कि उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा अपना मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करवाएं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की मूल्यांकन तथा प्रत्यायन प्रणाली का उद्देश्य किसी संस्था तथा/अथवा इसकी इकाइयों के कार्यनिष्पादन संबंधी मूल्यांकन करना है और इसे निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों का प्रयोग करके स्वतः अध्ययन और ऐसी समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है यथा पाठ्यचर्या पहलू, शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन, अनुसंधान परामर्श तथा विस्तार, बुनियादी सुविधाएं तथा अधिगम संसाधन, छात्र सहायता तथा प्रगति, संगठन तथा प्रबंधन, स्वस्थ्य पद्धतियों, आदि। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अब तक 39 विश्वविद्यालयों तथा 167 कालेजों को प्रत्यायन का दर्जा दिया जा चुका है।

भूमि संबंधी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

3502. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भूमि संबंधी अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या किसी राज्य में भूमि संबंधी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शत-प्रतिशत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां। भूमि के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1988-89 में आरंभ की गई थी। इस समय यह योजना देश के 569 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) राज्य-वार जारी की गई निधियों और इनके उपयोग की स्थिति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) गोवा की राज्य सरकार ने राज्य के सभी 11 तालुकों में भू-स्वामियों को अधिकारों के रिकार्ड की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां वितरित करने सहित भूमि के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अभी तक जारी की गई कुल निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1436.95	1182.68

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.30	0.00
3.	असम	335.50	67.56
4.	बिहार	548.00	35.30
5.	गुजरात	747.15	321.28
6.	गोवा	153.30	82.90
7.	हरियाणा	567.40	177.18
8.	हिमाचल प्रदेश	240.20	87.97
9.	जम्मू और कश्मीर	286.00	186.34
10.	कर्नाटक	1815.03	1112.57
11.	केरल	576.25	535.40
12.	मध्य प्रदेश	2889.58	1673.72
13.	महाराष्ट्र	2168.26	919.42
14.	मणिपुर	188.23	68.07
15.	मेघालय	14.00	0.00
16.	मिजोरम	290.56	172.78
17.	नागालैंड	110.30	25.15
18.	उड़ीसा	1759.15	950.46
19.	पंजाब	282.62	53.92
20.	राजस्थान	1434.94	917.37
21.	सिक्किम	67.20	40.00
22.	तमिलनाडु	1392.77	1013.52
23.	त्रिपुरा	343.80	153.48
24.	उत्तर प्रदेश	1332.60	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	2211.35	1375.50
26.	छत्तीसगढ़	156.80	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	12.38	0.00
28.	दिल्ली	8.03	0.00
29.	पांडिचेरी	62.10	23.55
30.	चंडीगढ़	15.00	0.00
	योग	21520.72	11626.12

स्व-सहायता समूहों के लिए समूह बीमा योजना

3503. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर स्व–सहायता समूहों के लिए समूह बीमा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या पहले ही वर्ष में सभी स्व–सहायता समूहों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) सामूहिक जीवन बीमा योजना 1.4.1988 से पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और वर्तमान में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चल रही है। योजना के अंतर्गत बीमा का कवरेज ऋण स्वीकृत होने की तारीख अथवा ऋण अदा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 5 वर्षों की अवधि के लिए उन सभी स्वरोजगारियों के साथ साथ स्व–सहायता समूहों के सदस्यों के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं है। स्वाभाविक मृत्यु के मामले में मृतक के नामिती को 5000/– रुपये की राशि भारतीय जीवन बीमा योजना द्वारा देय है। दुर्घटना के मामलों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 10,000/– रुपये की राशि देय है।

खेल स्टेडियमों का प्रयोग

3504. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा खेलों के आयोजन हेतु निर्मित कुछ इंडोर और आउटडोर स्टेडियमों का रख–रखाव और विकास भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न भागों में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करते समय ऐसे स्टेडियमों का पूरा उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या कुछ विद्यालय और महाविद्यालय भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने स्टेडियम उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उन विद्यालयों और महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने खेलों का आयोजन किया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) निजी विद्यालय और महाविद्यालय अपने इंडोर और आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण और रख–रखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण से परामर्श नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.), योजना के अंतर्गत अपनाए गए 32 स्कूलों में उपलब्ध इंडोर और आउटडोर खेल मैदानों का योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूर्णरूपेण उपयोग किया जाता है। एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत अपनाए गए स्कूलों के ब्यौरे विवरण में हैं।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण एन.एस.टी.सी. स्कूलों/अखाड़ों के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र/स्कूल
1	2
दक्षिणी	
1.	सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर
2.	वी.पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा (आं.प्र.)
3.	माउंट कार्मल स्कूल, कोट्टायम
पूर्वी	
4.	सेंट इगनेशियस हाई स्कूल, गुमला (बिहार)
5.	सुकंतानगर विधानिकेतन, साल्टलेक सिटी, कलकत्ता
6.	बी.एस. हाई स्कूल, सुंदरगढ़
7.	उमाकांत अकादमी, अगरतल्ला, त्रिपुरा
8.	ताशीनामग्याल अकादमी, गंगतोक
9.	राजकीय कन्या हाई स्कूल, रांची
10.	जी.जी. हाईस्कूल, कृष्णा नगर
11.	सेंट मेरी जी.एच. स्कूल, सुंदरगढ़
12.	डाऊहिल जी.एच. स्कूल, कुर्सियांग
केंद्रीय	
13.	महादेवी कन्या पाठशाला इंटर कालेज (उ.प्र.)
14.	गवर्नमेंट मल्टीपरपज एच.एस. स्कूल, इंदौर (म.प्र.)
15.	उदय प्रताप इंटर कालेज, वाराणसी
16.	कोलविन तलोकदर कालेज, लखनऊ
17.	महारानी लक्ष्मीबाई मल्टीपरपज एच.एस. जबलपुर, (म.प्र.)
पश्चिमी	
18.	मुक्तांगना इंग्लिश स्कूल, पुणे (महाराष्ट्र)
19.	प्रवर पब्लिक स्कूल, प्रवर नगर, अहमदाबाद
20.	भूपाल्स नूल्स एच.एस. स्कूल, उदयपुर (राजस्थान)
21.	भोंसला मिलिट्री स्कूल, नासिक (महाराष्ट्र)
22.	संजीवन विद्यालय, पचगनी
23.	सेंट एंथोनी एच.एस., गोवा
24.	श्री गुरु नानक खालसा स्कूल, श्रीगंगानगर

1	2
उत्तर-पूर्वी	
25.	डोनी पोलो विद्या भवन, इटानगर
26.	डोन बोस्को एच.एस., गुवाहाटी
27.	सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर
28.	एंथोनी एच.एस., शिलांग
उत्तरी	
29.	डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़
30.	गवर्नमेंट गर्ल्स एस.एस. स्कूल, जालंधर
31.	मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राई, हरियाणा
32.	सी.आर.जेड. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोनीपत

राज्य विश्वविद्यालयों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तन

3505. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ विश्वविद्यालय शिक्षा के पर्याप्त स्तर को नहीं बना पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासन में ऐसे परिवर्तन के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरा करने पर राज्य नियंत्रित विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जो शिक्षा के उपयुक्त स्तर को बनाए रखने का ध्यान नहीं रख रहा है।

घरेलू उर्वरक उद्योग की उपयोग क्षमता

3506. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान घरेलू उर्वरक उद्योग की कुल उपभोग क्षमता कितनी है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह कितनी अधिक है;

(ग) क्या उद्योग ने अधिकतम उपभोग क्षमता को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के लिए अनुमान कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 2000–01 में पोषक अर्थात नाइट्रोजन व फासफेट के रूप में घरेलू उर्वरक उद्योग का क्षमता उपयोग 94.9 प्रतिशत और 87.1 प्रतिशत था। पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त हुए क्षमता उपयोग स्तरों की तुलना में नाइट्रोजन तथा फासफेट के मामले में यह क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत कम था।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1997–98 में, उर्वरक उद्योग ने नाइट्रोजन का 101.5 प्रतिशत और फासफेट का 101.0 प्रतिशत का अधिकतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। तथापि, वर्ष 2001–02 में, नाइट्रोजन का लगभग 91 प्रतिशत और फासफेट का 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त होने की आशा है।

सड़कों पर वाणिज्यिक और औद्योगिक अवैध ढांचे

3507. श्री साहिब सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा ईमानदारी से प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न सड़कों पर बने हजारों वाणिज्यिक और औद्योगिक अवैध ढांचे यातायात आदि को बाधित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे कि इन ढांचों पर रोक और नियंत्रण लग सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत व्यापारिक ढांचों के विस्तार को रोकने के लिए ऐसी योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी साक्षरता दर

3508. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासी पुरुष–महिला साक्षरता के राज्यवार और जिलावार प्रतिशत क्या हैं;

(ख) छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग में आदिवासी बच्चों की साक्षरता राज्यवार और जिलावार कितनी है और उसका प्रतिशत क्या है;

(ग) छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के उन आदिवासी विद्यार्थियों का राज्यवार और जिलावार प्रतिशत क्या है जो कि बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं।

(घ) क्या सरकार ने उक्त आयु वर्ग के आदिवासी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन और विद्यालय बीच में न छोड़े जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई आदिवासी विशिष्ट कार्यक्रम की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या समय सीमा निर्धारित की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासी आबादी की साक्षरता दरें जारी नहीं की गई हैं।

(ग) कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों की विद्यालय बीच में छोड़ जाने की सकल दरें केवल राज्य वार ही उपलब्ध हैं, जिसे (वर्ष 1999–2000 के लिए) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आदिवासियों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2000–2001 में सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया है जिसमें आदिवासियों सहित ऐसे वर्गों पर विशेष बल दिया जाता है जिनका स्कूलों तक पहुंचना कठिन है। सर्वाधिक अभियान जिले पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक समग्र और संकेंद्रित दृष्टिकोण है। सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों वाले अन्य बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर विशेष बल देते हुए सर्वशिक्षा अभियान के तहत पूरे देश को शामिल किया जाएगा।

बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं;

(I) सभी बस्तियों के एक किलोमीटर के अंदर स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना जैसी वैकल्पिक सुविधा स्थापित किया जाना

(II) शिक्षा गारंटी योजनाओं का नियमित स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन

(III) वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा घटक के तहत स्कूल न जाने वाली बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुख्य धारा में लाए जाने हेतु विशेष शिविर।

(IV) महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रक्रिया आधारित सामुदायिक सहभागिता का प्रावधान।

(V) बालिकाओं की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए संदर्भित विशिष्ट नवाचारी कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष प्रति कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपये तक का तथा निश्चित वर्ष में एक जिले में प्रति कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपये तक का प्रावधान रखा गया है। नवाचारी कार्यक्रमों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

- नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखने संबंधी अभियान।
- विशेष शिविर तथा सेतु पाठ्यक्रम।
- वैकल्पिक स्कूलों के विशिष्ट मॉडल तैयार करना।

– समुदायिक गतिशीलता जिसमें नए कार्यदलों का गठन तथा मौजूदा कार्यदलों की कार्यशैली शामिल है।

– उपस्थिति की मॉनीटरिंग।

– उपचारी/कोंचिग कक्षाएं।

– स्कूल के अंदर तथा बाहर अनुकूल शैक्षिक वातावरण प्रदान करना।

(VI) स्कूल प्रबंध के लिए क्षमताएं विकसित करने हेतु समुदाय के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(VII) आठवीं कक्षा तक सभी बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें।

(VIII) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को इसी रूप में जारी रखा जाएगा।

(IX) सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त पठन–पाठन सामग्री।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित लक्ष्य हैं :

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, "वापस स्कूल शिविर" में हों।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करें।
- जीवन के लिए शिक्षा को महत्व देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर बल।
- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2007 तथा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर 2010 तक सभी महिला–पुरुष भेदभाव और सामाजिक अंतराल को पाटना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को शिक्षारत बनाए रखना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	83.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.74
3.	असम	73.29
4.	बिहार	80.68
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	68.01
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	46.48
9.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	56.04
11.	केरल	29.63
12.	मध्य प्रदेश	68.06
13.	महाराष्ट्र	65.33
14.	मणिपुर	64.93
15.	मेघालय	77.97
16.	मिजोरम	66.09
17.	नागालैंड	42.40
18.	उड़ीसा	62.81
19.	पंजाब	–
20.	राजस्थान	56.32
21.	सिक्किम	70.33
22.	तमिलनाडु	59.51
23.	त्रिपुरा	81.64
24.	उत्तर प्रदेश	43.40
25.	पश्चिम बंगाल	71.54

1	2	3
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	39.69
27.	चंडीगढ़	–
28.	दादरा व नगर हवेली	63.18
29.	दमन व द्वीव	21.61
30.	दिल्ली	–
31.	लक्षद्वीप	23.11
32.	पांडिचेरी	–
	भारत	68.85

टिप्पणी : गोवा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी राज्यों में कोई अनुसूचित जनजाति के छात्र नहीं हैं।

जम्मू व कश्मीर राज्य का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3509. श्री के. येरननायडू : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण गरीबी की व्यापकता की तुलना में सरकार गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों पर कम व्यय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मांगी गई और वास्तविक रूप से राज्यों को उपलब्ध कराई निधियों के आवंटन के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निधियों का प्रर्याप्त आवंटन करती रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एस.जी.एस.वाई./आई.आर.डी.पी.), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.), जवाहर ग्राम समद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.), अन्नपूर्णा योजना, समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आवंटित निधियों तथा वास्तविक रिलीजों के राज्यवार ब्यौरे विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।

विवरण

1998–99 से 2001–02 के दौरान केंद्रीय आवंटन तथा केंद्रीय रिलीज

कार्यक्रम : जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)/जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)##

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय		1999–2000 केंद्रीय		2000–01 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11703.94	11702.49	9319.52	9617.32	8727.55	8945.17	8728.14	3089.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	257.32	475.26	204.90	142.71	456.91	367.68	456.91	228.46
3.	असम	6686.18	15112.28	5324.02	3787.01	11872.04	0.00	11872.04	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	38340.77	29733.82	30529.68	28484.06	16476.68	13707.02	16477.80	8077.35
5.	छत्तीसगढ़#	0.00	0.00	0.00	0.00	5094.75	3604.68	3692.75	2098.83
6.	गोवा	172.20	103.32	137.12	124.11	128.41	134.41	128.42	64.21
7	गुजरात	4405.58	4449.43	3508.04	3508.03	3285.21	6273.12	3285.44	1596.02
8.	हरियाणा	2591.88	2591.88	2063.84	2063.87	1932.75	1863.61	1932.88	1098.58
9.	हिमाचल प्रदेश	1091.54	1022.15	869.16	1752.41	813.95	736.17	814.01	458.36
10.	जम्मू और कश्मीर	1350.93	1094.62	1075.71	897.74	1007.38	720.25	1007.45	519.36
11	झारखंड#	0.00	0.00	0.00	0.00	12113.79	9644.14	12114.60	5456.86
12.	कर्नाटक	8838.13	10838.13	7037.56	7037.56	6590.54	5165.38	6590.99	3375.49
13.	केरल	3965.64	3965.65	3157.73	3157.72	2957.15	2725.50	2957.35	1478.67
14.	मध्य प्रदेश	19433.93	18314.14	15474.69	16926.38	9397.00	10623.87	10799.98	10799.98
15.	महाराष्ट्र	17470.82	17180.81	13911.52	13911.47	13027.87	9673.91	13028.76	6143.41
16.	मणिपुर	448.24	501.64	356.92	115.54	795.90	530.58	795.90	276.54
17.	मेघालय	502.19	951.75	399.88	132.18	891.69	763.61	891.69	554.86
18.	मिजोरम	116.21	296.89	92.53	92.37	206.33	206.33	206.33	103.17
19.	नागालैंड	344.48	775.99	274.30	223.90	611.66	454.48	611.66	466.03
20.	उड़ीसा	13386.90	13443.31	10659.61	15974.14	9982.52	9489.07	9983.20	4991.60
21.	पंजाब	1259.63	1559.63	1003.01	975.08	939.30	1201.02	939.36	643.04
22.	राजस्थान	6711.09	6008.50	5343.85	5343.85	5004.41	4914.88	5004.75	5004.75
23.	सिक्किम	128.66	288.00	102.45	102.45	228.45	228.45	228.45	114.23
24.	तमिलनाडु	10348.85	10348.85	8240.50	9163.14	7717.07	8256.72	7717.59	3858.79
25.	त्रिपुरा	809.31	1824.38	644.43	487.95	1437.02	1437.02	1437.02	718.51
26.	उत्तर प्रदेश	42194.35	42235.90	33598.18	33593.14	29503.89	25314.21	29505.85	17167.73
27.	उत्तरांचल#	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.17	1513.13	1960.34	980.17
28.	पश्चिम बंगाल	14876.87	10061.21	11846.03	10800.26	11093.58	9469.13	11094.33	5850.13
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	117.89	39.70	93.87	13.00	84.64	54.04	84.64	42.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31..	दादरा और नगर हवेली	77.81	48.94	61.96	30.98	55.87	54.23	55.87	27.84
32.	दमन व द्वीव	37.70	10.06	30.02	0.00	27.07	0.00	27.07	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	59.10	35.46	47.06	23.53	42.43	0.00	42.43	21.22
35.	पांडिचेरी	115.42	82.14	91.91	45.96	86.00	66.56	86.00	43.00
	अखिल भारत	207843.56	205096.33	165500.00	168527.86	164549.98	138138.37	164560.00	85240.22

##1.4.99 से कार्यान्वित की जा रही है।

$अक्टूबर, 2001 तक

#1998–99 तथा 1999–2000 में मौजूद नहीं

1998–99 से 2001–02 के दौरान केंद्रीय आवंटन तथा केंद्रीय रिलीज

कार्यक्रम : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार##/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय		1999–2000 केंद्रीय		2000–01 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज$
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	3867.15	3870.32	6219.55	6219.57	5303.03	5283.98	3068.31	1534.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	201.91	202.78	136.74	92.14	276.91	99.26	164.76	42.68
3.	असम	5246.36	5246.36	3553.09	3062.36	7195.18	0.00	4281.13	0.00
4.	बिहार	12668.33	6608.31	20374.56	11918.05	12616.76	2978.76	7300.00	752.24
5.	छत्तीसगढ़#	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.88	1138.08	1620.58	566.10
6.	गोवा	8.91	24.43	59.78	59.78	50.00	25.00	50.00	0.00
7.	गुजरात	1455.67	1455.67	2341.15	2340.56	1996.15	1216.65	1154.96	577.35
8.	हरियाणा	856.39	692.00	1377.36	1784.18	1174.37	1088.61	679.48	339.74
9.	हिमाचल प्रदेश	360.66	323.26	580.06	475.99	494.67	245.91	286.16	136.16

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	जम्मू और कश्मीर	446.37	319.20	717.90	411.69	612.10	195.23	354.16	177.71
11.	झारखंड#	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.33	808.88	2751.41	301.65
12.	कर्नाटक	2920.24	2439.51	4696.65	2348.33	4004.53	1600.56	2317.00	373.90
13.	केरल	1310.30	1346.69	2107.37	2083.35	1796.82	919.53	1039.63	464.74
14.	मध्य प्रदेश	6421.25	6421.25	10327.33	10013.58	6004.58	3420.63	3474.22	1533.63
15.	महाराष्ट्र	5772.61	5772.63	9284.11	9284.11	7915.98	5770.72	4580.15	1965.71
16.	मणिपुर	351.71	87.76	238.19	119.10	482.36	24.94	287.00	0.00
17.	मेघालय	394.05	144.49	266.87	131.52	540.42	23.98	321.55	0.00
18.	मिजोरम	91.18	104.25	61.75	58.15	125.06	62.56	74.41	37.22
19.	नागालैंड	270.30	86.70	183.06	102.09	370.70	174.94	220.57	0.00
20.	उड़ीसा	4423.22	4384.65	7113.90	7222.67	6065.56	4353.99	3509.50	1721.77
21.	पंजाब	416.20	416.18	669.38	664.98	570.73	454.49	330.22	214.62
22.	राजस्थान	2217.44	2084.45	3566.34	3566.34	3040.77	2594.50	1759.38	849.87
23.	सिक्किम	100.95	90.57	68.38	68.38	138.45	139.83	82.38	41.19
24.	तमिलनाडु	3419.41	3463.58	5499.44	6999.46	4689.03	4626.30	2713.06	1356.53
25.	त्रिपुरा	635.03	635.03	430.08	488.12	870.92	860.44	518.20	259.10
26.	उत्तर प्रदेश	13941.61	13889.50	22422.38	13337.96	18163.60	7737.07	10509.37	2569.99
27.	उत्तरांचल#	0.00	0.00	0.00	0.00	954.45	344.28	552.30	84.74
28.	पश्चिम बंगाल	4915.53	2321.76	7905.65	3952.84	6740.66	0.00	3900.11	0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	69.58	63.00	59.78	29.90	50.00	0.00	50.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	41.53	21.88	59.78	29.89	50.00	0.00	50.00	0.00
32.	दमन व द्वीव	27.43	1372	59.78	29.89	50.00	0.00	50.00	0.00

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	6.85	3.43	59.78	29.89	50.00	0.00	50.00	0.00
35.	पांडिचेरी	56.83	38.93	59.78	29.89	50.00	25.00	50.00	25.00
	अखिल भारत	72915.00	62563.29	11049.97	86954.76	100000.00	46211.03	58150.00	15925.80

##1.4.99 से कार्यान्वित की जा रही है।

$अक्टूबर, 2001 तक

#1998–99 तथा 1999–2000 में मौजूद नहीं

1998–99 से 2001–02 के दौरान केन्द्रीय आवंटन तथा केन्द्रीय रिलीज

कार्यक्रम : सुनिश्चित रोजगार योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय		1999–2000 केंद्रीय		2000–2001 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज$
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	10288.76	10288.76	6586.59	6483.22	6900.16	5520.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2140.00	2140.00	226.21	719.27	406.80	812.95	359.98	180.00
3.	असम	11018.00	11048.00	5877.72	4701.11	10546.62	5273.31	9353.70	0.00
4.	बिहार	18596.00	18596.00	33704.77	25388.02	13184.87	9714.15	13812.55	5525.02
5.	छत्तीसगढ़#	0.00	0.00	0.00	0.00	15420.90	15420.90	3902.75	3231.17
6.	गोवा	180.00	180.00	23.72	55.00	15.18	15.18	15.90	7.95
7.	गुजरात	4410.00	4410.00	3872.86	4301.49	6514.32	7814.32	2597.35	1038.94
8.	हरियाणा	1660.00	1660.00	2278.48	1981.53	1458.62	2007.25	1528.07	611.23
9.	हिमाचल प्रदेश	2050.00	2050.00	959.56	945.06	1266.80	1081.80	643.53	321.76
10.	जम्मू और कश्मीर	4760.00	4760.00	1187.58	2755.00	760.26	2251.46	796.45	430.36
11.	झारखंड#	0.00	0.00	0.00	0.00	8385.06	6870.60	8784.24	3393.67

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
12.	कर्नाटक	10350.00	10350.00	7769.46	6670.05	4973.80	5577.10	5210.60	4092.36
13.	केरल	3861.00	3861.00	3486.13	3486.12	2231.73	2200.90	2337.98	1168.99
14.	मध्य प्रदेश	22033.00	22033.00	17084.06	17464.11	10136.20	10630.11	7560.81	7560.81
15.	महाराष्ट्र	8167.17	8167.17	15358.33	11002.98	10277.00	7730.68	10300.07	3963.69
16.	मणिपुर	890.00	890.00	394.04	307.87	707.18	478.58	627.08	261.17
17.	मेघालय	610.00	610.00	441.47	220.74	792.68	500.88	702.54	120.67
18.	मिजोरम	800.00	800.00	102.16	402.16	183.36	183.36	162.58	81.29
19.	नागालैंड	2100.00	2100.00	302.82	276.09	543.30	403.52	481.90	147.01
20.	उड़ीसा	12752.00	12752.00	11768.22	17621.12	12883.70	16216.23	7892.36	6313.89
21.	पंजाब	2720.00	2720.00	1107.32	813.98	708.88	615.60	742.62	297.05
22.	राजस्थान	8935.00	8935.00	5899.60	6888.13	8679.80	8412.98	3956.58	3934.11
23.	सिक्किम	320.00	320.00	113.10	313.10	203.84	403.84	180.02	90.01
24.	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	9097.50	10597.49	5824.00	5824.00	6101.26	3050.63
25.	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	711.47	711.46	1276.22	1276.22	1132.20	566.10
26.	उत्तर प्रदेश	35153.65	35153.65	37092.40	36155.49	22258.95	18544.23	23318.62	11659.31
27.	उत्तरांचल#	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.15	1135.06	1553.76	565.15
28.	पश्चिम बंगाल	8270.00	8270.00	13078.02	9483.71	8372.22	6631.13	8770.78	3881.39
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	40.00	40.00	54.73	27.36	35.04	0.00	36.70	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	30.00	30.00	54.73	27.36	35.04	17.52	36.70	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	1.82	0.91	1.17	0.00	1.22	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	100.00	100.00	3.65	1.82	2.34	0.00	2.45	0.00

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	69.32	34.66	44.38	0.00	46.49	0.00
	अखिल भारत	198845.82	198845.82	182410.01	173641.95	156200.00	144527.08	129850.00	68013.87

$अक्टूबर, 2001 तक

#1998–99 तथा 1999–2000 में अस्तित्व में नहीं।

1998–99 से 2001–02 के दौरान केन्द्रीय आवंटन तथा केन्द्रीय रिलीज

कार्यक्रम : इंदिरा आवास योजना

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय		1999–2000 केंद्रीय		2000–2001 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज$
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	आंध्र प्रदेश	8370.41	9515.81	11036.00	11095.40	11036.00	11001.91	11794.45	5903.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	184.03	118.47	754.00	841.47	726.86	519.91	555.06	230.80
3.	असम	4781.82	5004.32	15658.00	13820.00	19354.79	8177.40	12489.11	0.00
4.	बिहार	27420.52	23478.11	38598.00	29527.20	29832.84	17866.73	32038.79	12532.90
5.	छत्तीसगढ़#	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.34	1874.67	2016.89	992.02
6.	गोवा	19.20	29.21	68.00	62.26	68.00	27.20	76.20	30.48
7.	गुजरात	3150.78	3503.67	3243.00	3228.33	3243.00	8143.00	3389.62	4260.01
8.	हरियाणा	1853.66	2035.25	1171.00	1447.92	1171.00	1151.94	1146.14	573.07
9.	हिमाचल प्रदेश	780.64	712.84	515.00	449.39	515.00	443.89	507.06	236.66
10.	जम्मू और कश्मीर	966.16	1079.80	618.00	124.01	618.00	132.95	606.54	311.13
11.	झारखंड#	0.00	0.00	0.00	0.00	8765.16	4203.16	9413.29	1850.89
12.	कर्नाटक	6320.85	5657.27	5898.00	4337.38	5898.00	4203.28	6100.88	3050.44
13.	केरल	2836.20	3210.84	3552.00	3084.74	3552.00	2445.22	3780.58	1001.91
14.	मध्य प्रदेश	13898.74	14391.74	9183.00	9168.49	7137.66	6670.61	7038.38	3470.05

1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
15.	महाराष्ट्र	12494.77	13644.95	10585.00	10435.37	10585.00	9752.55	10824.79	5180.22
16.	मणिपुर	320.57	163.08	693.00	177.45	866.65	326.45	661.80	126.95
17.	मेघालय	359.16	159.16	1057.00	651.49	1151.46	498.65	879.29	0.00
18.	मिजोरम	83.11	85.75	260.00	297.05	276.42	251.97	211.09	105.55
19.	नागालैंड	246.36	454.13	653.00	773.28	743.31	660.31	567.62	283.81
20.	उड़ीसा	9574.03	10225.13	9154.00	13154.96	9154.00	31325.76	9494.97	20395.75
21.	पंजाब	900.86	950.27	745.00	678.66	745.00	708.58	759.25	379.63
22.	राजस्थान	4799.63	5221.40	3233.00	2705.87	3233.00	3924.66	3198.28	1599.14
23.	सिक्किम	92.02	104.13	122.00	123.90	199.28	199.28	152.17	76.09
24.	तमिलनाडु	7401.30	8675.09	5846.00	6236.91	5846.00	5846.00	5922.86	2961.43
25.	त्रिपुरा	578.80	654.95	1433.00	1455.29	1681.23	1681.23	1283.85	641.93
26.	उत्तर प्रदेश	30176.52	32561.68	23565.00	21682.91	21347.67	18645.17	21595.12	10638.64
27.	उत्तरांचल#	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.33	1427.54	2242.99	640.47
28.	पश्चिम बंगाल	10639.62	6363.00	12064.00	8209.33	12064.00	9906.99	12729.32	5318.38
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	44.40	0.00	129.00	0.00	129.00	129.00	143.47	143.47
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	43.80	30.66	69.00	34.50	69.00	0.00	75.29	37.65
32.	दमन व द्वीव	182	0.00	27.00	0.00	27.00	11.15	31.16	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	3.65	0.00	3.00	1.50	3.00	3.00	2.44	1.22
35.	पांडिचेरी	65.57	64.01	67.00	33.50	67.00	33.50	71.22	0.00
	अखिल भारत	148400.00	147794.72	159999.00	143838.56	161369.00	152193.66	161799.97	82973.83

$अक्टूबर, 2001 तक

#1998–99 तथा 1999–2000 में मौजूद नहीं।

1998-99 से 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय आवंटन और केन्द्रीय रिलीज

कार्यक्रम : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय		1999–2000 केंद्रीय		2000–01 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय		अन्नपूर्णा## 2000–01 केंद्रीय		2001–2002 केंद्रीय	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज$
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4439.38	4361.76	4361.76	4361.76	4360.76	4360.76	2181.44	624.43	936.43	979.59	936.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	1.94	57.12	7.07	181.26	66.60	181.26	15.06	39.90	39.90	39.90	0.00
3.	असम	656.14	724.49	826.98	745.87	2624.34	2344.31	2624.34	1309.27	577.63	577.63	577.63	0.00
4.	बिहार	7248.38	6685.08	6877.24	5761.09	5144.85	4268.85	4423.01	2145.55	1116.20	1116.20	1167.65	0.00
5.	छत्तीसगढ़#	–	–	–	–	1243.22	1005.13	1068.79	461.70	–	–	223.51	213.66
6.	गोवा	10.30	23.17	27.94	27.94	27.94	27.94	27.94	13.98	6.03	6.03	6.31	0.00
7.	गुजरात	825.77	357.14	561.60	320.92	561.60	370.60	482.80	181.46	296.94	0.00	0.00	
8.	हरियाणा	352.87	295.46	535.80	498.94	535.80	450.14	460.62	200.03	115.64	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	108.58	125.53	236.55	233.29	236.55	200.12	203.36	101.70	51.05	51.05	53.41	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	248.98	201.91	317.26	299.55	317.26	228.02	272.75	100.19	68.47	68.47	71.63	0.00
11.	झारखंड#	–	–	–	–	1732.39	1250.95	1489.33	556.04	368.08	368.08	385.05	0.00
12.	कर्नाटक	2959.63	3649.63	2959.63	2959.63	2959.63	2899.69	2899.69	1412.97	455.86	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	1252.37	1377.55	1396.31	1274.72	1396.31	947.96	1200.40	484.48	301.36	301.36	315.25	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4584.52	4660.82	4585.46	4610.76	3342.24	3056.14	3056.14	1528.09	802.64	802.64	0.00	
15.	महाराष्ट्र	4695.91	3252.35	4158.51	3047.39	4158.51	3161.48	3575.05	1221.15	897.51	897.51	938.88	0.00
16.	मणिपुर	97.34	18.82	103.06	87.71	327.06	251.00	327.06	163.56	71.99	71.99	71.99	0.00

1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
17.	मेघालय	94.54	81.33	111.13	94.79	352.67	297.33	352.67	176.37	77.62	77.62	77.62	0.00
18.	मिजोरम	37.44	47.55	37.44	29.20	98.51	91.62	98.51	42.36	21.68	21.68	21.68	0.00
19.	नागालैंड	66.46	9.41	80.71	41.02	256.13	221.75	256.13	110.95	56.38	56.38	56.38	0.00
20.	उड़ीसा	3102.62	2289.62	3120.62	3573.63	3682.21	2962.35	3165.58	1582.79	434.15	434.15	454.16	434.15
21	पंजाब	341.64	159.72	386.79	317.91	386.79	429.15	429.15	214.63	83.48	83.48	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1030.50	941.57	1474.54	1420.79	1474.54	1390.60	1390.60	631.08	318.24	636.24	665.57	636.24
23.	सिक्किम	22.47	38.21	29.80	14.90	94.57	94.57	94.57	47.60	20.82	20.82	20.82	20.82
24.	तमिलनाडु	3668.19	2384.62	3276.00	3158.57	3276.00	3086.94	3086.94	1543.45	576.59	0.00	603.17	0.00
25.	त्रिपुरा	146.02	137.68	178.19	178.18	565.46	497.93	565.46	282.73	124.46	124.46	124.46	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	9617.40	7155.07	8264.83	7315.09	7861.76	6629.80	6758.72	3448.24	1681.93	2199.93	2212.40	0.00
27.	उत्तरांचल#	—	—	—	—	403.07	385.00	385.00	181.74	0.00	0.00	89.03	85.11
28.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2909.68	3312.50	4216.81	3312.50	2965.01	2965.01	1482.54	641.04	641.04	670.59	0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.81	0.00	17.38	8.69	17.38	0.00	14.94	7.47	3.75	3.75	3.92	0.00
30.	चंडीगढ़	6.08	0.00	13.66	13.66	13.66	8.83	11.74	5.87	2.95	2.95	3.08	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	2.81	1.41	11.80	0.00	11.80	10.62	10.62	5.31	2.55	2.55	2.66	0.00
32.	दमन व द्वीव	1.88	1.87	2.48	2.48	2.48	1.95	2.13	1.07	0.54	0.54	0.56	0.00
33.	दिल्ली	177.84	88.92	249.58	124.79	249.58	0.00	214.56	0.00	53.87	53.87	56.35	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.94	0.00	1.86	0.93	1.86	0.00	1.60	0.00	0.40	0.40	0.42	0.00
35.	पांडिचेरी	14.04	21.06	49.05	49.05	49.05	24.53	42.17	21.09	10.59	10.59	11.07	0.00
	अखिल भारत	49094.59	42080.99	47623.58	44797.13	51260.74	43987.60	46499.40	21860.66	9904.77	9904.68	9904.74	2326.41

#1998–99 से 1999–2000 में मौजूद नहीं।

$अक्टूबर, 2001 तक।

##1.4.2000 से कार्यान्वित की जा रही है।

1998–99 से 2001–02 के दौरान केन्द्रीय आवंटन तथा केन्द्रीय रिलीज

कार्यक्रम : सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम●/समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम●

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 केंद्रीय रिलीज	1999–00 केंद्रीय रिलीज	2000–01 केंद्रीय रिलीज	2001–02 केंद्रीय रिलीज*	1998–99 केंद्रीय रिलीज	1999–00 केंद्रीय रिलीज	2000–01 केंद्रीय रिलीज	2001–02 केंद्रीय रिलीज*
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54
1.	आंध्र प्रदेश	2290.62	2670.75	4759.58	1058.00	981.21	949.08	7868.87	2886.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	197.69	520.01	514.28
4.	बिहार	238.28	28.50	100.19	242.06	0.00	37.63	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़#	0.00	0.00	680.75	587.25	एन.ए	एन.ए.	1124.84	901.69
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	776.95	878.81	1427.34	898.37	546.17	491.73	3721.11	302.56
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	90.52	43.78	499.95	232.27
9.	हिमाचल प्रदेश	52.00	90.00	247.00	256.13	188.42	684.16	1000.27	690.32
10.	जम्मू और कश्मीर	40.00	219.56	368.76	297.00	136.40	100.00	272.00	94.38
11.	झारखंड#	0.00	0.00	686.59	882.12	एन.ए.	एन.ए.	74.21	27.84
12.	कर्नाटक	908.28	659.75	1425.96	1556.88	513.41	707.33	2210.96	443.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	78.55	0.00	474.95	120.64
14.	मध्य प्रदेश	882.51	1362.76	2495.50	4142.75	258.63	1011.12	5760.19	4054.48
15.	महाराष्ट्र	552.00	644.50	1939.75	1835.63	242.53	347.93	2303.80	947.35
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	285.52	167.56	368.91	116.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09	142.28	53.37
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.32	416.62
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	465.81	264.42	992.00	704.21
20.	उड़ीसा	274.55	46.25	671.69	909.60	263.19	536.39	1948.87	660.29
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	7.70	74.61	117.36
22.	राजस्थान	173.50	385.75	970.75	931.88	292.55	487.17	3357.84	1447.94

1	2	47	48	49	50	51	52	53	54
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	176.10	261.56	203.00	159.03
24.	तमिलनाडु	272.71	789.80	907.50	728.87	176.26	484.93	1037.94	413.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	838.61	958.55	1837.63	555.56	1464.51	1462.15	3726.37	871.95
27.	उत्तरांचल#	0.00	0.00	324.00	384.75	एन.ए.	एन.ए.	555.50	104.38
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	209.25	135.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारत	7300.01	8944.23	18977.99	15428.85	6199.90	8307.42	38689.80	16189.90

#1998 से 1999 में मौजूद नहीं।

$आबंटन आधारित नहीं। * अक्टूबर, 2001 तक।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत निधियां जारी करना

3510. श्री एन. टी. चणमुगम : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृद्ध और अनाथों को मध्यस्थों के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह योजना देश के दूर-दराज, दूरस्थ और निर्जन क्षेत्रों के लोगों तक नहीं पहुंचती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तरीय समितियों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियां रिलीज की जाती हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा में तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं द्वारा पड़ोस/मोहल्ला समितियों में चिहिन्त किए गए लाभार्थियों को भुगतान की जा सके। लाभार्थियों को डाकघर बचत बैंक या वाणिज्यिक बैंक में उनके खातों के जरिए या पोस्टल मनी ऑर्डर के जरिए भुगतान किया जाता है। नकद वितरण की भी अनुमति है बशर्ते कि भुगतान खासकर गांवों में ग्राम सभाओं तथा शहरी क्षेत्रों में पड़ोस/मौहल्ला समितियों की आम बैठकों में किया जाए। ग्राम पंचायतों के जरिए इस योजना को चलाए जाने से, यह योजना देश के दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु के असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सहायता मुहैया कराने में सफल रही है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती

3511. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने इस पहल का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षकों के संस्वीकृत पदों पर नियुक्तियां, संबंधित विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा ही की जाती हैं। तथापि, विज्ञान, शिक्षा जिसमें इस समय देश में गिरावट की प्रवृत्ति है, को पुनः सक्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले शैक्षिक सत्र में एम. एस.सी. परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेशनल लेक्चररशिप' योजना का प्रस्ताव किया है। ये केवल निर्धारित समय के लिए अधिसंख्य पद होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऊपर उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय लेक्चररशिप के लिए चयन को तीन माह के भीतर अंतिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में अनधिकृत फार्म हाउस

3512. श्री साहिब सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत फार्म हाउसों के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थितियों का आयाम, फार्म हाउसों की संख्या और तत्संबंधी क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या इन फार्म हाउसों से दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि के अर्जन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का ऐसी भूमि का अर्जन करने और उसका प्रयोग करने की क्या योजना है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अर्जित भूमि पर कुछ फार्म हाउसों और मोटलों के निर्माण को पहले ही स्वीकृति दे दी है और इस प्रकार से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फार्म हाउसों के मालिकों को लाभ पहुंचा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, स्वीकृति प्राप्त फार्म हाउसों में अनधिकृत निर्माणों के संबंध में सर्वेक्षण किए गए थे। दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा स्वीकृत किए गए 2284 फार्म हाउसों का सर्वेक्षण किया गया, इनमें से 600 प्लाटों पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। 1505 मामलों में अनुमत मापदंडों से अधिक निर्माण पाए गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि विकास क्षेत्र के 407 स्वीकृति प्राप्त फार्म हाउसों का सर्वेक्षण किया गया है और उनमें से 116 प्लाट खाली हैं। 250 मामलों में अनुमत मापदंडों से अधिक निर्माण पाया गया है।

(ग) और (घ) डीडीए ने सूचित किया है कि दिल्ली में भूमि अधिग्रहण 'बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और भूमि विकास योजना' के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। परियोजना भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव आवश्यकता पर आधारित होता है और यदि परियोजना क्षेत्र में कुछ फार्म हाउस हों तो वह भी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में शामिल किए जाते हैं।

(ङ) और (च) डीडीए ने सूचित किया है कि उसने विकास क्षेत्र में फार्म हाउसों/मोटलों की भवन निर्माण योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है।

भारतीय क्रिकेट टीम

3513. श्री के. येरननायडू : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट टीम एक प्रतियोगिता के बाद दूसरी प्रतियोगिता में लगातार असफल हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) राष्ट्रीय टीम के चयन के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्ण) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस वर्ष भारतीय टीम के प्रदर्शन को मिश्रित कहा जा सकता है।

(ग) टीम का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। बी.सी.सी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार, अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही अखिल भारतीय सीनियर तथा जूनियर चयन समितियों के सदस्यों के साथ प्रारंभिक बैठक कर ली थी तथा विभिन्न स्तरों पर भारतीय टीमों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। भारत और इंग्लैंड के बीच टैस्ट शृंखला के तत्काल बाद ही प्रशिक्षक, शारीरिक प्रशिक्षणदाता तथा टीम के सदस्यों के साथ भी एक बैठक प्रस्तावित है। बी.सी.सी.आई. ने कहा है कि ऐसे विचार विमर्श से निकलने वाले निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

परिवार संबंधित परामर्श के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3514. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को परिवार से संबंधित परामर्श गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाले गैर–सरकारी संगठनों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से अब तक कितने आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को आवंटित निधियों की निगरानी किस तरीके से की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान, परिवार परामर्श गतिविधियों के अंतर्गत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को गैर–सरकारी संगठनों से 82 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 3 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों को आवंटित राशि की मॉनीटरिंग संबंधित राज्य सलाहकार बोर्डों में स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो में कार्यरत परामर्शदाताओं और क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। क्षेत्र अधिकारी नियमित रूप से परिवार परामर्श केंद्रों का दौरा करते हैं और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं। तत्पश्चात, क्षेत्र अधिकारी/परामर्शदाता संबंधित राज्य बोर्ड/केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर आगे अनुदान राशि निर्मुक्त की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्वैच्छिक संगठन लेखा परीक्षित खाते और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष

3515. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय कर आदि में छूट देने के लिए केवल कुछ ही गतिविधियों को मान्यता प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000–2001 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कोष के अंतर्गत कितनी मात्रा में निधियां संग्रहित की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण कोष (एन.एफ.आर.डी.) की स्थापना 1984 में व्यक्तियों, निगमित और गैर निगमित निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी जिससे वे कोष में दान देकर ग्रामीण विकास के प्रति राष्ट्रीय प्रयासों में हिस्सेदारी कर सकें।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियों के लिए कोष में दिया जाने वाला दान वित्तीय अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 सी.सी.ए. व 80 जी.जी.ए. के तहत आयकर में 100 प्रतिशत छूट के योग्य है।

(ङ) वर्ष 2000–2001 के दौरान कोष में 20.000 रुपये प्राप्त हुए।

अंडमान और निकोबार में शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों से शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा वेतन प्राप्त किया जाना

3516. श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार में कितने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पी.एस.टी. और अन्य कर्मचारी विद्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वे वहां के शिक्षा निदेशालय में काम कर रहे हैं और उनका पद, विषय और विद्यालय कौन से हैं जिनसे वे वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या विभाग में निदेशालय के अनुसचीवयीय कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या की कोई रिक्तियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालयों से वेतन प्राप्त कर रहे निम्नलिखित चार शिक्षक निदेशालय में रिक्त पदों के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय में स्टाप गैप व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं :

1. पी.जी.टी. (राजनीति विज्ञान) एस.एस.एस. फ्रारगंज
2. जी.टी.टी. (कला) एस.एस.एस. कदमतला
3. पी.एस.टी.–एम.एस. अबेरदीन, पोर्ट ब्लेयर
4. पी.एस.टी.–एस.एस. साउथ प्वाइंट, पोर्ट ब्लेयर

(ख) और (ग) शिक्षा निदेशालय में अनुसचिवीय कर्मचारियों के रिक्तियों की संख्या 12 है।

नए परिसर की स्थापना

3517. श्री निखिलानन्द सर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने दो वर्ष की अवधि के भीतर नए परिसर के निर्माण हेतु वर्ष 1988 में डी.डी.ए. से जे.एन.यू. परिसर के निकट 20 एकड़ का भूखंड खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना मार्च 2000 के अंत तक शुरू नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 1.99 करोड़ रुपये का निवेश बेकार पड़ा रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1988 में आवंटित किए गए भूखंड का अधिग्रहण किया जिस पर हवाई अड्डे का एअर फनेल स्थित था। चूंकि वहां पर निर्माण कार्य शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्कूल को दूसरा भूखंड आवंटित किया गया था। स्कूल ने 1992 में भूमि का अधिग्रहण किया और तब से सड़क, नालियां, पानी, विद्युत आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ इस मामले को उठाता रहा है। उचित आधारभूत सुविधाओं के अभाव में भूमि पर अभी भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। इस समय स्कूल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सहायता से चाहरदीवारी का निर्माण करा रहा है। स्कूल 'जोनल प्लान' के लिए भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ इस मामले को उठा रहा है ताकि परिसर की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में आगे कार्रवाई की जा सके।

जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों पर रोक

3518. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जानवरों पर परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने से भारत की दवा कंपनियों के अनुसंधान और विकास प्रयासों में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों से नई दवाओं के किस प्रकार से परीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ग) उन भारतीय फर्मों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है जिन्हें अनुसंधान और विकास हेतु जानवरों पर परीक्षण के लिए विदेश जाना पड़ता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) पशुओं से संबंधित प्रजनन और प्रयोग

(नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियमावली, 1998 के तहत भेषज कंपनियों को पशु पर प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत शिकायत पंजीकरण आरंभ करना

3519. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) ने राजधानी में अपने कुछ पूछताछ कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत शिकायत पंजीकरण प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या इस सुविधा का विस्तार के.लो.नि.वि. के राजधानी स्थित सभी पूछताछ कार्यालयों में करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) के.लो.नि.वि. के पूछताछ कार्यालयों में स्थित कम्प्यूटरीकृत शिकायत पंजीकरण प्रणाली आवंटियों की विभिन्न शिकायतों को निपटाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। अनुरक्षण शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने चाणक्यपुरी और साउथ एवेन्यू, दो सेवा केंद्रों में परस्पर ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली (इंटरएक्टिक वायस रेसपांस सिस्टम) शुरू की है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह सुविधा धन उपलब्ध होने पर दिल्ली में सभी सेवा केंद्रों में चरणबद्ध रूप से मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) (1) आवंटी चौबीसों घंटे आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

(2) आवंटी आसानी से की गई शिकायत की स्थिति जान सकता है।

(3) वरिष्ठ अधिकारी आसानी से शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकेंगे और शिकायतों के निवारण में तत्परता के लिए निवारक उपाय कर सकते हैं।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्य-निष्पादन

3520. श्री विनय कुमार सोराके : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अंतर्गत चलाए जाने वाले ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कहां तक किया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्य–निष्पादन का आकलन मस्टर–रोल पर दर्ज श्रमिकों की वास्तविक संख्या से किया गया है अथवा आकलित व्यय के मजदूरी धारक को न्यूनतम मजदूरीकारक से भाग देने से; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के संचालन के संबंध में केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000–2001 के दौरान योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सुनिश्चित रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के लिए उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में एक रोजगार रजिस्टर रखना आवश्यक है। रजिस्टर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत काम में लगाए गए लोगों का ब्यौरा, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या भी होती है, कामगारों का जेंडर, तथा प्रत्येक कार्य के लिए सृजित श्रमदिनों की संख्या का उल्लेख होता है। रजिस्टर को कार्य–वार रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्टिंग माह कोड	अर्थशेष (1.4.2000 को)	निधियों का केंद्रीय आवंटन	राज्यों का सदृश अंश	कुल आवंटन	जारी केंद्रीय निधियां	जारी किया जाने वाला सदृश अंश	राज्यांश वास्तविक रिलीज	कुल केंद्र + राज्य	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	प्रयुक्त निधियां	कुल निधियों की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	3	2150.46	6586.59	2195.53	8782.12	6483.22	2161.07	1188.84	7672.006	90.43	9912.95	8168.13	82.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	201.63	406.80	135.60	542.40	812.95	270.98	259.54	1072.49	29.77	1303.89	1064.19	81.62
3.	असम	3	1771.29	10546.62	3515.54	14062.16	5273.31	1757.77	1042.00	6315.31		8086.60	5880.31	72.72
4.	बिहार	3	9681.23	13184.87	4394.96	17579.83	9714.15	3238.05	3407.02	13121.17		22802.40	18443.72	80.88
5.	छत्तीसगढ़	3	2398.86	3725.40	1241.80	4967.20	3725.40	1241.80	1243.27	4968.67	365.27	7732.80	7242.62	93.66
6.	गोवा	3	0.02	15.18	5.06	20.24	15.18	5.06	45.00	60.18		60.20	56.12	93.22
7.	गुजरात	3	2786.45	2479.32	826.44	3305.76	3779.32	1259.77	1298.16	5077.48		7863.93	6398.65	81.37
8.	हरियाणा	3	558.19	1458.62	486.21	1944.43	2007.25	669.08	663.94	2671.19	158.81	3388.19	3256.93	96.13
9.	हिमाचल प्रदेश	2	786.90	614.28	204.76	819.04	429.28	143.09	160.13	589.41		1376.31	1117.42	81.19
10.	जम्मू और कश्मीर	3	89.78	760.26	253.42	1013.68	2251.46	750.49	305.38	2556.84	17.84	2664.46	2240.22	84.08
11.	झारखंड	3	3952.62	8385.06	2795.02	11180.08	6870.60	2290.20	1457.23	8327.83	3.25	12283.70	8804.19	71.67
12.	कर्नाटक	3	1089.96	4973.80	1657.93	6631.73	5577.10	1859.03	1827.33	7404.43		8494.39	7282.76	85.74
13.	केरल	3	1266.81	2231.73	743.91	2975.64	2200.90	733.63	733.63	2934.53		4201.34	3458.67	82.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	मध्य प्रदेश	3	2984.73	7217.24	2405.75	9622.99	7711.15	2570.38	2403.69	10114.84	422.52	13522.09	12748.41	94.28
15.	महाराष्ट्र	3	6244.05	9832.00	3277.33	13109.33	7285.68	2428.56	2064.38	9350.06	1157.39	16751.50	13662.39	81.56
16.	मणिपुर	12	111.69	707.18	235.73	942.91	478.58	159.53	107.49	586.07	0.00	697.76	308.27	44.18
17.	मेघालय	3	223.30	792.68	264.23	1056.91	500.88	166.96	12.45	513.33	6.86	743.49	420.90	56.61
18.	मिजोरम	3	307.81	183.36	61.12	244.48	183.36	61.12	61.12	244.48	1.48	553.77	517.00	93.36
19.	नागालैंड	3	4.42	543.30	181.10	724.40	403.52	134.51	633.00	1036.52	5.20	1046.14	1025.17	68.00
20.	उड़ीसा	3	3035.08	7533.70	2511.23	10044.93	10866.23	3622.08	3288.85	14155.08		17190.16	13931.81	81.05
21.	पंजाब	3	1409.98	708.88	236.29	945.17	615.60	205.20	268.92	884.52		2294.50	2150.64	93.73
22.	राजस्थान	3	4411.15	3776.78	1258.93	5035.71	3509.96	1169.99	1441.38	4951.34		9362.49	8512.45	90.92
23.	सिक्किम	3	11.66	203.84	67.95	271.79	403.84	134.61	210.00	613.84	2.57	628.07	625.09	99.53
24.	तमिलनाडु	3	304.45	5824.00	1941.33	7765.33	7324.00	2441.33	2441.34	9765.34	241.94	10311.73	9931.65	96.31
25.	त्रिपुरा	3	0.00	1276.22	425.41	1701.63	1276.22	425.41	340.08	1616.30		1616.30	1401.74	86.73
26.	उत्तर प्रदेश	3	14720.90	22258.95	7419.65	29678.60	18544.23	6181.41	6616.43	25160.66	903.96	40785.52	33312.44	81.68
27.	उत्तरांचल	3	830.93	1483.15	494.38	1977.53	1135.06	378.35	588.71	1723.77	8.59	2563.29	1890.83	73.77
28.	पश्चिम बंगाल	3	7360.11	8372.22	2790.74	11162.96	6631.13	2210.38	2086.42	8717.55	350.37	16428.03	12096.67	73.63
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	62.87	35.04	0.00	35.04	0.00			0.00	0.23	63.10	37.84	59.97
30.	दादरा और नगर हवेली	3	0.00	35.04	0.00	35.04	17.52			17.52	0.00	17.52	27.56	157.31
31.	दमन व द्वीव	3	1.62	1.17	0.00	1.17	0.00			0.00		1.62		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	लक्षद्वीप	10	26.47	2.34	0.00	2.34	0.00			0.00		26.47	23.62	89.23
33.	पांडिचेरी	3	89.00	44.38	0.00	44.38	0.00			0.00		89.00	72.12	81.03
	अखिल भारत		68874.42	126200.00	42027.34	168227.34	116027.08	38669.85	36195.73	152222.81	3766.48	224863.71	186110.53	82.77

नोट : *अरुणाचल प्रदेश द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999–2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 500 लाख रुपये जारी किए गए किंतु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000–2001 में प्राप्त किया गया।

**हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999–2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 597.84 लाख रुपये जारी किए गए किंतु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000–2001 में प्राप्त किया गया।

***जम्मू व कश्मीर राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999–2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 1500 लाख रुपये जारी किए गए किंतु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000–2001 में प्राप्त किया गया।

****सिक्किम राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999–2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 200 लाख रुपये जारी किए गए किंतु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000–2001 में प्राप्त किया गया।

*****तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999–2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 1500 लाख रुपये जारी किए गए किंतु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000–2001 में प्राप्त किया गया।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रमदिन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्टिंग माह कोड	सृजित किए जाने वाले मजदूरी रोजगार (लक्ष्य)	सृजित श्रमदिन						कार्यों की संख्या	
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल	महिला	भूमिहीन	पूरे हो गए कार्य	जिन पर काम चल रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	152.47	30.90	18.39	62.03	111.32	42.51	66.32	10419	6948
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	13.44	0.00	20.10	0.00	20.10	4.88	0.00	1120	380
3.	असम	3	242.89	13.03	25.08	39.93	78.04	11.99	59.13	3542	1473
4.	बिहार	3	252.40	101.76	10.41	99.48	211.65	49.94	163.22	7071	7382
5.	छत्तीसगढ़	3	66.62	16.20	30.56	36.56	83.32	26.49	11.88	4743	3056
6.	गोवा	3	0.31	0.00	0.00	0.86	0.86	0.37	0.00	25	122
7.	गुजरात	3	32.02	15.14	24.51	40.35	80.00	22.13	29.41	3690	3317
8.	हरियाणा	3	18.30	12.46	0.00	7.73	20.19	4.85	18.33	3653	366
9.	हिमाचल प्रदेश	2	9.15	4.99	1.33	5.19	11.51	0.67	0.00	3294	1907
10.	जम्मू और कश्मीर	3	16.50	3.60	6.03	16.12	25.75	0.01	0.40	6278	1766
11.	झारखंड	3	160.52	23.89	41.82	34.60	100.31	33.82	31.38	3235	2924
12.	कर्नाटक	3	113.34	27.66	12.83	63.07	103.56	32.40	40.70	6511	6141
13.	केरल	3	41.88	8.77	0.69	21.03	30.49	9.02	2.27	1767	1997
14.	मध्य प्रदेश	3	129.06	41.61	66.65	51.11	159.37	57.23	71.36	5434	5140
15.	महाराष्ट्र	3	324.88	52.21	55.97	108.64	216.82	71.95	77.02	11289	11111
16.	मणिपुर	12	11.65	0.27	3.12	0.58	3.97	1.13	0.68	712	582
17.	मेघालय	3	17.20	0.34	5.53	0.00	5.87	1.96	0.18	614	97
18.	मिजोरम	3	3.10	0.00	5.97	0.00	5.97	2.06	0.00	1254	192
19.	नागालैंड	3	16.52	0.00	26.43	0.00	26.43	7.57	0.00	2291	424
20.	उड़ीसा	3	190.85	56.48	65.72	73.00	195.20	57.40	38.64	15691	15914
21.	पंजाब	3	9.28	12.57	0.00	3.15	15.72	0.54	15.04	1358	751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	राजस्थान	3	89.70	24.71	25.58	26.09	79.38	28.68	16.05	9501	2172
23.	सिक्किम	3	3.87	2.24	3.58	3.33	9.15	3.00	0.73	951	59
24.	तमिलनाडु	3	138.32	55.22	2.12	53.04	110.38	36.39	98.47	10331	707
25.	त्रिपुरा	3	30.31	4.47	10.33	4.73	19.53	6.05	8.23	2305	1183
26.	उत्तर प्रदेश	3	352.42	191.70	0.20	141.12	333.02	50.45	100.33	10686	5992
27.	उत्तरांचल	3	23.48	6.48	0.99	3 60	11.07	4.42	1.92	2628	1074
28.	पश्चिम बंगाल	3	132.56	43.97	19.29	53.01	116.27	27.13	50.47	7232	2346
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	0.39	0.00	0.01	0.38	0.39	0.01	0.14	11	30
30.	दादरा और नगर हवेली	3	0.50	0.00	0.18	0.00	0.18	0.13	0.00	7	8
31.	दमन व द्वीव	3	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
32.	लक्षद्वीप	10	0.04	0.00	0.34	0.00	0.34	0.10	0.00	11	17
33.	पांडिचेरी	3	0.48	0.54	0.00	0.22	0.76	0.21	0.30	68	18
	अखिल भारत		2594.47	751.21	483.76	948.95	2183.92	595.99	902.60	137722	85596

दवाओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण

3521. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन फार्मास्युटिकल्स अलाउंस' (आई.पी.ए.) ने सरकार के समक्ष सामान्य उपयोग की दवाओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई.पी.ए. के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना की रीतियों पर चर्चा करने के लिए उनके मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बीच विचार विमर्श हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सामान्य उपयोग की दवाओं के वितरण की दिशा में आगे और क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम प्रयोग की दवाइयों को वितरित करने के लिए भारतीय भेषज संघि (आईपीए) के प्रस्ताव के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जो बीमारियां मुख्यतः गरीबों को लगती हैं, उनमें से अधिकांश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हैं जहां सरकार द्वारा आवश्यक औषधें राज्य सरकारों के माध्यम से निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के जिलों का समावेश

3522. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के और अधिक जिलों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या भविष्य में इस वित्तीय सहायता को बढ़ाए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रेवाड़ी जिले हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) महेंद्रगढ़, भिवानी, करनाल जिलों और जींद जिले की जींद व सफिदोन तहसीलों और हिसार जिले की हांसी और नारनौंद तहसीलों को शामिल करने के प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के अनुरोध पर 12.7.2000 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 25वीं बैठक में वापस लिया गया माना गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैव-उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3523. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैव–उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने उर्वरक संयंत्र विद्यमान है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विद्यमान उर्वरक संयंत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) केंद्रीय कृषि मंत्रालय नौवीं योजना के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की एक अनवरत योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका शीर्षक जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना है। इस योजना के अधीन, कृषि उद्योगों/सहकारी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, निजी उद्यमियों को 150 टन वार्षिक क्षमता के जैव उर्वरक उत्पादन एकक की स्थापना करने हेतु 20 लाख रुपये का अनावृत्ति अनुदान दिया जाता है बशर्ते ये प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हों। अनुदान राज्य सरकारों के माध्यम से भी रिलीज की जाती है। चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैव–उर्वरक उत्पादन एकक स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस योजना के तहत प्रारंभण से गत 13 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 7 और 17 जैव–उर्वरक उत्पादन एकक स्वीकृत किए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जैव–उर्वरकों की एककवार क्षमता तथा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जैव–उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने रिहजोबियम, एजोटोबेक्टर, एजोस्प्रिल्लम और फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे महत्वपूर्ण जैव उर्वरकों की विनिर्दिष्टयां अधिसूचित की हैं। जैव उर्वरकों के उत्पादकों से इन विनिर्दिष्टियों के पालन करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उनके राज्य में उत्पादित किए जा रहे जैव–उर्वरक इन विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों।

विवरण

गत तीन वर्षों (1998–99 से 2000–01) के दौरान जैव उर्वरक उत्पादन एककों तथा उत्पादन के ब्यौरे

राज्य/एकक	क्षमता (मी. टन)	उत्पादन (मी.टन)		
		1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
1. नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंदौर	75	177.49	120.0	116.63
2. एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, भोपाल	225	762.78	782.05	698.06
3. नेफेड, इंदौर	75	554.6	554.60	362.90
4. एमपी आयलफेड, थार	150	123.29	186.3	212.34
5. एमपी आयलफेड सेहोर	75	–	–	–
6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, भोपाल*	75	5.92	28.95	22.30
7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, ग्वालियर*	75	3.29	31.94	26.28
योग	750	1627.36	1703.84	1438.51
महाराष्ट्र				
1. बीएआईएफ, पुणे	75	0	16.50	21.70
2. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., चैंबुर	75	63.67	61.65	129.80
3. जावेरी एग्रो. प्रा. लि., अमरावती	150	–	–	–
4. वसंतदादा सुगर इंस्ट., पुणे	150	51.00	102.00	100.00
5. इंस्ट. आफ नैचुरल आर्गेनिक एग्रील, पुणे (इनोरा)	150	0	16.50	25.00
6. पर्यावरण संरक्षा रेस. फाउंडेशन संगली	150	52.00	19.00	40.00
7. विकास कुरुती संशोधन केंद्र, लातुर	75	0	22.00	–
8. केवीएस–जीवनज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रभानी	75	0	0	15.59
9. नीकू बायोरिचर्स सेंटर, पुणे	150	0	29.50	24.50
10. निर्मल सीड प्रा. लि., पुणे	150	0	27.00	160.00
11. एस.एम.एस., मोहित पाटील एस.एस.के. लि., सोलापुर	150	0	0	7.35
12. अरुण बायोफर्टिलाइजर्स, कोल्हापुर	150	0	12.50	–
13. नीलायाम ग्रामोद्योग विकास संस्थान, सोलापुर	150	0	0	0

1	2	3	4	5
14. महाराष्ट्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सोलापुर	150	0	0	0
15. नव महाराष्ट्र चकन आयल मिल, संगली	150	0	0	4.40
16. के. फर्टिलाइजर्स लैब, ननदित	150	0	58.50	60.00
17. आविष्कार बायोफार्म प्रा. लि., अहमदनगर	150	0	0	0
योग	2250	166.67	365.15	588.14

*उर्वरक विभाग द्वारा वित्त पोषित।

"कापार्ट" के पास लंबित प्रस्ताव

3524. श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में राज्यों से प्राप्त कई प्रस्ताव "कापार्ट" के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं, विशेषकर महाराष्ट्र से संबंधित परियोजनाओं के कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) 30.11.2001 की स्थिति के अनुसार कपार्ट के पास लंबित प्रस्तावों के राज्य वार ब्यौरे विवरण–I पर विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उनके लंबित होने की अवधि और इसके कारण विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) जैसे ही विवरण–II में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में कार्यालय में उनके डेस्क मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और परियोजनाओं के संबंध में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों से कुछ आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही परियोजनाओं को विचारार्थ संबंधित राष्ट्रीय स्थाई समितियों/ क्षेत्रीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	30.11.2001 तक लंबित प्रस्तावों की सं.
1	2	3
1.	कर्नाटक	52
2.	केरल	35
3.	मणिपुर	29
4.	असम	13
5.	नागालैंड	7
6.	उड़ीसा	136
7.	पं. बंगाल	127
8.	राजस्थान	48
9.	दिल्ली	3
10.	उत्तर प्रदेश	81
11.	उत्तरांचल	11
12.	आंध्र प्रदेश	305
13.	तमिलनाडु	78
14.	महाराष्ट्र	113
15.	मध्य प्रदेश	87
16.	गुजरात	63

1	2	3
17.	हरियाणा	58
18.	हिमाचल प्रदेश	39
19.	पंजाब	6
20.	जम्मू व कश्मीर	7
21.	बिहार	130
22.	झारखंड	51
23.	मेघालय	2
	कुल	1481

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	लंबित होने की अवधि				लंबित होने के कारण		
		0–4 माह	4–8 माह	8–12 और अधिक माह	कुल	डेस्क मूल्यांकन के अंतर्गत	स्पष्टीकरण मांगे गए	वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कर्नाटक	43	5	4	52	3	27	22
2.	केरल	30	2	3	35	3	18	14
3.	मणिपुर	4	4	21	29	–	17	12
4.	असम	8	2	3	13	–	8	5
5.	नागालैंड	4	2	1	7	2	2	3
6.	उड़ीसा	43	29	64	136	63	42	31
7.	पं. बंगाल	42	36	49	127	82	29	16
8.	राजस्थान	14	13	21	48	9	11	28 (आर.सी. बैठक के लिए तैयार)
9.	दिल्ली	–	–	3	3	–	3	–
10.	उत्तर प्रदेश	63	9	9	81	32	17	32
11.	उत्तरांचल	11	–	–	11	6	3	2
12.	आंध्र प्रदेश	122	58	125	305	129	117	59
13.	तमिलनाडु	36	15	27	78	36	28	14
14.	महाराष्ट्र	40	22	51	113	30	70	13
15.	मध्य प्रदेश	19	27	41	87	10	63	14
16.	गुजरात	12	25	26	63	5	47	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	हरियाणा	11	20	27	58	21	19	18 (10 आर.सी. बैठक के लिए तैयार)
18.	हिमाचल प्रदेश	7	14	18	39	22	2	15
19.	पंजाब	5	1	–	6	1	5	–
20.	जम्मू व कश्मीर	4	3	–	7	3	4	–
21.	बिहार	36	49	45	130	32	65	33
22.	झारखंड	20	15	16	51	21	16	14
23.	मेघालय	1	1	–	2	2	–	–
	कुल	575	352	554	1481	512	613	356

कतिपय संगठनों पर लगे प्रतिबंध का फैसला करने हेतु न्यायाधिकरण

3525. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, 2001 (पोटो) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत कुछ संगठनों पर लगे प्रतिबंध का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायाधिकरण ने प्रतिबंध लगाने के कारणों का न्यायनिर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठनवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार, संगठन को आतंकवादी संगठन की सूची में सम्मिलित करने से प्रभावित कोई संगठन या व्यक्ति, सूची से अपना नाम हटाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है। यदि इस प्रकार दिए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदन आगे, केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पुनरीक्षा समिति को आवेदन कर सकता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षा समिति गठित की जा रही है। आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 की सूची में सम्मिलित संगठनों के नामों की पुनरीक्षा करने के बारे में केंद्र सरकार को अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत विधि विरुद्ध घोषित संगठनों के बारे में ब्यौरे स्थापित न्यायाधिकरणों की स्थिति और प्रत्येक मामले में न्याय निर्णय की स्थिति, संगठन वार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किए गए आतंकवादी संगठनों की सूची

संगठन का नाम	क्या न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है	क्या न्यायाधिकरण ने भारत सरकार के निर्णय की पुष्टि कर दी है
1	2	3
1. अचीक नेशनल वॉलिटिअर काउंसिल	जी हां	जी हां

1	2	3
2. हेन्नीवेद्रप नेशनल लिबरेशन काउंसिल	जी हां	जी हां
3. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और सभी गुट और विंग	जी हां	जी हां
4. नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड	जी हां	जी हां
5. यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट असम	जी हां	जी हां
6. दीनदार अंजुमन	जी हां	जी हां
7. लिबरेशन टाईगर ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे)	जी हां	जी हां
8. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इंडिया (एस.आई.एम.आई.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
9. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स	जी हां	कार्रवाई जारी है
10. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा	जी हां	कार्रवाई जारी है
11. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
12. दि रिवोल्यूशनरी पील्स फ्रंट (आर.पी.एफ.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
13. दि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
14. दि पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
15. दि कांगलिपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
16. दि कांग्ले याओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.)	जी हां	कार्रवाई जारी है
17. दि मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)	जी हां	कार्रवाई जारी है

निर्यात किए गए जाने वाले भेषजों की गुणवत्ता

3526. डा. वी. सरोजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात किये जाने वाले भेषजों की खराब गुणवत्ता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) भेषज उद्योग से प्राप्त फीडबैक के अनुसार भारतीय प्रपुंज औषध एवं सूत्रयोग जी.एम.पी, सी.जी. एम.पी. जैसे कड़े गुणवत्ता नियंत्रणमूलक उपायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विनिर्मित किए जाते हैं और ये विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 30 से अधिक विनिर्माणमूलक सुविधाएं, विश्व में कुछेक कठोरतम विनियामक एजेंसियों यथा यूएस, एफ.डी.ए., यूके, एम.सी.ए., आस्ट्रेलियाई टीजीए, डब्ल्यूएचओ आदि द्वारा अनुमोदित हैं।

कोलिन क्लोराइड के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क

3527. श्री अरुण कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू विनिर्माता कोलिन क्लोराइड के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या आयातित कोलिन क्लोराइड घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित इस रसायन से बहुत सस्ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सूचना के अनुसार यूरोपीय संघ तथा चीन जनवादी गणतंत्र से सामान्य से कम कीमत पर भारत में कोलीन क्लोराइड का निर्यात किया जा रहा था। तदनुसार, कोलिन क्लोराइड पर पाटन–रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3528. डा. बलिराम :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसंबर, 1999 में हुए सम्मेलन में प्रशासन/ प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों, वैधानिक, स्वायत्तशासी संगठनों, निगमों के निदेशक मंडल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के अन्य पदों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु–सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु उक्त चयन बोर्डों/समितियों के गठन के संबंध में वर्तमान अनुदेशों/प्रणालियों में क्या संरचनात्मक/संवैधानिक परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत उपरोक्त पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(घ) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है और कर्मचारियों की कुल संख्या में उनका प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ट्रैक्टरों का उपयोग

3529. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग के पास कितने ट्रैक्टर हैं;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके वेतन/मजदूरी और अन्य मदों पर वार्षिक कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) एक वर्ष में खेतों में इन ट्रैक्टरों का कितने घंटे उपयोग किया जाता है;

(घ) क्या इन ट्रैक्टरों का उपयोग केवल धान की खेती में किया जा रहा है और वर्ष की शेष अवधि के दौरान ये बिना उपयोग के पड़े रहते हैं;

(ङ) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप–राज्यपाल ने गत वर्ष 15 अगस्त को इन ट्रैक्टरों को पंचायतों को वितरित करने की घोषणा की थी जबकि अभी तक केवल दस ट्रैक्टर ही वितरित किए गए हैं, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शेष ट्रैक्टरों को कब तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) विभाग के पास चालू हालत में सैंतीस (37) ट्रैक्टर हैं जिनमें से 10 ट्रैक्टर उनके साथ लगने वाले उपकरणों के साथ ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 1018

है। वर्ष 2000–2001 के दौरान उनके वेतन के भुगतान पर किया गया कुल व्यय 7.78 करोड़ रु. था।

(ग) खेतों में कार्य के लिए एक ट्रैक्टर वर्ष में औसतन 200 घंटों तक कार्य पर लगाया जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान। इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल खरीफ और रबी मौसम, दोनों में तथा सब्जियों, दालों एवं तिलहनों की खेती के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, इनका उपयोग वृक्षारोपण और बागवानी के प्रयोजनार्थ भी किया जाता है।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। अभी तक ग्राम पंचायतों को दस ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं। चालू हालत वाले शेष ट्रैक्टरों का वितरण किया जा रहा है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों/ एसोसिएशनों की संख्या

3530. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, एसोसिएशनों और निकायों के नाम क्या–क्या हैं और वे कहां कहां हैं;

(ख) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार इन्हें कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इन संस्थानों/एसोसिएशनों और निकायों में से अनेक आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा

3531. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री अनंत गुढे :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में समेकित आधारभूत ढांचा स्थापित करने हेतु परियोजना तैयार और क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाएं और उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के अधिकांश गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम के लिए चुने गए गांवों का राज्य वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने गांव स्तर पर ज़रूरत पर आधारित ग्रामीण आधारभूत संरचना सृजित करने के बुनियादी उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की थी। यह योजना देश की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाती है। ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायत किसी अधिकारी से बिना तकनीकी व प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किए 50,000 रु. लागत की योजना कार्यान्वित कर सकती है। हालांकि 50,000 रु. से अधिक लागत वाली कार्ययोजना के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत को सक्षम अधिकारियों की तकनीकी व प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करनी होगी। केंद्रीय स्तर पर ग्रामवार विवरण मॉनिटर नहीं किया जाता है। 25.9.2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के शुरू होने के फलस्वरूप जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) का विलय नई योजना में हो गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के गैर-महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की शेयर पूंजी

3532. श्री दलित इजिलमलाई :
डा. विक्रम सरकार :

श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री मोहन एस. देलकर :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री रमेश सी. जीगाजीनागी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में सरकारी क्षेत्र के गैर–महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की शेयर पूंजी 26 प्रतिशत तक या उससे कम करने और विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के गैर–महत्वपूर्ण उपक्रमों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की शेयर पूंजी कम करने से ऐसे उपक्रमों के नियंत्रण/स्वामित्व/प्रबंधन पर वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) ऐसे उपक्रमों के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के हितों की रक्षा हेतु क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) सहायक कंपनियों सहित सरकार द्वारा विनिवेश के लिए अनुमोदित और इस समय क्रियान्वयन के अधीन उद्यम हैं : एयर इंडिया, भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसेल्स लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. 'चरण–I', हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इंडियन एयर लाइंस लि., भारतीय पेट्रो–रसायन निगम लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि., आई.बी.पी. लि., इंस्ट्रूमैंटेशन लि., जेसप एंड कंपनी लि., मद्रास उर्वरक लि., भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक लि., नेपा लि., पारादीप फास्फेट्स लि., स्पॉज आयरन इंडिया लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि., मारूति उद्योग लि., मेकॉन लि., नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि., होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.। बोधगया और हसन स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के दो होटलों के संबंध में विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

(ग) नियंत्रण/स्वामित्व/प्रबंधन पर प्रभाव, शेयर पूंजी में सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की प्रमात्रा पर निर्भर करता है। यदि सरकारी अंशदान को 50 प्रतिशत से कम स्तर तक घटाया जाता है तो कंपनी उसके बाद सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी।

(घ) और (ङ) कामगारों के हित का संरक्षण, विनिवेश नीति का एक अभिन्न संघटक होता है। इसे शेयर धारक करार में उपयुक्त उपबंधों की व्यवस्था करके सुनिश्चित किया जाता है। शेयर धारक करार में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए एक "सर्वोत्तम प्रयास" खंड वाक्य भी जोड़ा जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में कंपनी को प्रेरित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इस बारे में बाल्को के संबंध में किए गए उपबंध संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गैर–सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की शेयर पूंजी

विधिक अंश का विवरण

(ज) खंड 7.2 के अध्यधीन, पार्टियां इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

(झ) अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धांतों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अंत में हो।

अनुच्छेद 5.3

(ङ) इस अनुच्छेद 5 में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार अपने ही विवेक पर कंपनी के कर्मचारियों को इस करार की तारीख को मौजूद इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए अपने शेयरों को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों को बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को खंड 5.2 (ङ) में प्रदान किए गए आख्यान को पृष्ठांकित किए बिना, नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि हस्तांतरण पूरा हो जाने पर इस उप–खंड (ङ) के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे मत–व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम नामंजूर के अधिकार से।

अनुच्छेद 7.2

(ङ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अंतिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थाई अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के कार्य–बल के किसी भाग की छंटनी नहीं करेगा।

(च) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परंतु उपरोक्त उप–खंड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(छ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परंतु उपरोक्त उप–खंड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह से कंपनी द्वारा पेशकश की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसका उल्लेख शेयर खरीद करार की अनुसूची 7.4 में किया गया है, से कम अनुकूल न हो।

सी. पी. डब्ल्यू. डी. में ठेकेदारों के कार्य बिलों में से बिक्री कर की कटौती

3533. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. में ठेकेदारों के कार्य–बिलों में से 2 या 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर काटने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्राधिकारी निविदा का औचित्यकरण तैयार करते समय उक्त 2 या 4 प्रतिशत बिक्री दर का निविदा देने के लिए ध्यान में रखते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। इस विषय पर दिनांक 26.2.2001 का का.ज्ञ.सं.डी.जी.डब्ल्यू./एम.ए.एन./60 संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निर्माण कार्य देने के लिए जस्टिफिकेशन (औचित्यकरण) तैयार करते समय सामग्री की लागत में बिक्री कर/उत्पाद कर को शामिल किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यालय ज्ञापन

सं.डी.जी.डब्ल्यू./एम.ए.एन./60

निर्माण महानिदेशक के प्राधिकार से जारी

निर्माण भवन, नई दिल्ली 26 फरवरी, 2001

विषय : निर्माण कार्य संविदा पर अधिनियम, 1999 पर दिल्ली बिक्री कर।

1. निर्माण कार्य संविदा अधिनियम, 1999 पर दिल्ली बिक्री कर दिनांक 1.12.99 से लागू हुआ। इस संबंध में इस कार्यालय का दिनांक 14 दिसंबर, 1999 का परिपत्र सं. सीएसक्यू/एसई/सी एंड एम/डीईएलएसटी/435

देखा जा सकता है जिसमें सभी संबंधितों को आदेश दिया गया था कि वे दिनांक 1.12.99 से पूर्व की गई संविदाओं के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें और ठेकेदारों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण कार्य, 1998 के लिए संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 38 के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाए।

2. इस निदेशालय को अनेक ठेकेदारों और एसोसिएशनों से शिकायतें मिली हैं कि कुछ कार्यपालक इंजीनियर उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और उन्हें 1.12.99 से पूर्व की गई संविदाओं के संबंध में निर्माण कार्य संविदा कर के प्रति उनके बिलों से काटी गई राशि और उनके द्वारा बिक्री कर प्राधिकरणों को दी गई राशि की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है। इस संबंध में बिक्री कर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.11.2000 को जारी परिपत्र सं. सीएसटी/डीसी/डब्ल्यूसीसी/2000-2001/4602–4613 की प्रति दिशानिर्देश के लिए संलग्न है। निम्नलिखित अन्य स्पष्टीकरण भी जारी किए जाते हैं :

2.1) मानक संविदा दस्तावेज की धारा 38 के तहत ठेकेदार को बिक्री कर के रूप में काटी गई राशि/अधिनियम के अंतर्गत दी गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की विभाग की देयता केवल 1.12.1999 से पूर्व की गई संविदाओं के संबंध में है। इस प्रकार के मामलों में भी यह देयता केवल 1.12.1999 के बाद निष्पादित किए गए निर्माण कार्य पर लागू कर की सीमा तक ही होगी।

2.2) 1.12.1999 के बाद की गई संविदाओं के मामले में काटी गई/भुगतान की गई कर राशि की प्रतिपूर्ति करने की विभाग की कोई देयता नहीं है।

2.3) संविदा 1.12.1999 से पूर्व की गई हो या 1.12.1999 के बाद दोनों की मामलों में ठेकेदार के पास दो विकल्प हैं स्रोत पर समझौता राशि के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कुल कर कटौती अथवा स्रोत पर 2 प्रतिशत कटौती और बाद में मूल्यांकन। ठेकेदार को संविदा देने वाली एजेंसी को अपना विकल्प बताने वाला एक शपथपत्र देना होगा।

2.4) केवल 1.12.1999 से पहले किए गए ठेकों में यदि ठेकेदार पहला विकल्प चुनता है तो काटी गई 4 प्रतिशत समझौता राशि की उक्त (2.1) के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि वह दूसरा विकल्प चुनता है तो वह उक्त (2.1) के अनुसार स्रोत पर काटी गई 2 प्रतिशत राशि और मूल्यांकन के बाद देय कर की बकाया राशि के रूप में भुगतान के लिए अपेक्षित अथवा भुगतान की गई किसी अन्य राशि की प्रतिपूर्ति लेने का पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। यदि मूल्यांकन के बाद कुल देय कर स्रोत पर 2 प्रतिशत कटौती से कम पाया जाता है तो आधिक्य राशि वापस कर दी जाएगी अथवा ठेकेदार की देय राशि से वसूल कर ली जाएगी जिसके लिए 2 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के समय आवश्यक वचनबद्धता ली जाएगी।

2.5) अधिनियम तथा दिनांक 29.11.2000 के परिपत्र में विहित अन्य निर्देशों का कार्यपालक इंजीनियरों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

3. सभी कार्यपालक इंजीनियरों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का अनुपालन करें ताकि ठेकेदारों और उनकी एसोसिएशनों की शिकायतों से बचा जा सके।

हस्ता/–

(एस. के. मित्तल)

अधीक्षक इंजीनियर (सी. एंड एम.)

यूरिया की क्षति

3534. श्री किरीट सोमैया : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए खपत मानदंडों के आधार पर यूरिया उत्पादन एककों के संशोधित प्रतिधारण मूल्य से अनेक संयंत्रों का बंद होना अवश्यंभावी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप यूरिया की अनुमानित क्षति कितनी हुई;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) यूरिया एककों के खपत मानकों में अनंतिम संशोधन के कारण सरकार को यूरिया या खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण गिरावट होने की आशा नहीं है। सरकार यूरिया की मांग की तुलना में इसकी उपलब्धता पर निगरानी रख रही है और यूरिया की मांग तथा आपूर्ति में कोई बड़ा अंतर न है को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

भारतीय पुलिस सेवा में अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

3535. श्री रामजीलाल सुमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय पुलिस सेवा में उनके लिए आरक्षित कोटा क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में राज्य–वार कितने पद स्वीकृत हैं;

(घ) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर सामान्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार हुई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इनमें से कितनी रिक्तियों को अ.जा./अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य श्रेणियों से भरा गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणियों की भर्ती, इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के राज्यवार स्वीकृत पदों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से की गई सीधी भर्ती में किया जाता है। दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों का भारतीय पुलिस सेवा में सिविल परीक्षा, 1998 से पालन किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के कुल 3549 स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती के केवल 2460 पदों के मुकाबले भारतीय पुलिस सेवा के 2339 अधिकारी नियुक्त हैं। इन 2339 अधिकारियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्ग के क्रमशः 315, 159, 185 तथा 1680 अधिकारी हैं। इनकी प्रतिशतता क्रमशः 13.46 प्रतिशत, 6.79 प्रतिशत, 7.90 प्रतिशत और 71.82 प्रतिशत है। भारतीय पुलिस सेवा में अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लिए आरक्षण केवल सिविल सेवा परीक्षा, 1994 से शुरू हुआ है।

(ङ) और (च) 1998, 1999 और 2000 की सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की कुल 108 रिक्तियां भरी गई हैं। इन रिक्तियों को 200 प्वाइंट मॉडल रोस्टर के अनुसार भरा गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्गों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या क्रमशः 13, 09, 26 और 60 है।

विवरण

राज्य का नाम	स्वीकृत संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	194
अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम–सं. शा. क्षेत्र	162
असम–मेघालय	136
बिहार	163
छत्तीसगढ़	59
गुजरात	149

1	2
हरियाणा	125
हिमाचल प्रदेश	72
जम्मू और कश्मीर	120
झारखंड	87
कर्नाटक	156
केरल	139
मध्य प्रदेश	219
महाराष्ट्र	205
मणिपुर–त्रिपुरा	120
नागालैंड	58
उड़ीसा	159
पंजाब	144
राजस्थान	167
सिक्किम	25
तमिलनाडु	214
उत्तरांचल	42
उत्तर प्रदेश	375
पश्चिम बंगाल	259
कुल	3549

असम के कोच राजबंशी और आदिवासियों को अनुसूचित जानजाति की सूची में शामिल करना

3536. श्री सानथुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार असम के कोच राजबंशी और आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक देशज अनुसूचित जनजातियों और उनके संबंधित विभिन्न जनजातियों संगठनों और जनजातीय नेताओं से अब तक इस संबंध में परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक बातचीत की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के समग्र हितों की कीमत पर देशज अनुसूचित जनजातियों पर हानिकर नीतिगत निर्णय लादने का है जिससे उनकी उत्तरजीविता और अस्तित्व, उनकी प्रगति और विकास, उनके राजनीतिक अधिकारों की सीमित मात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पहुंच जिनमें रोजगार के अवसर शामिल हैं, और ऐसे अनेक अन्य गंभीर और संवेदनशील क्षेत्रों में उनके प्रश्न को जोखिम में डाल सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 6 समुदायों को शामिल करने का एक प्रस्ताव है।

(ग) से (च) भारत के संविधान अनुच्छेद 342 के प्रावधान तथा ऐसे दावों के निर्णय के लिए अनुमोदित प्रक्रियाएं केवल संबंधित राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जानजाति आयोग के साथ परामर्श को निर्धारित करते हैं। अनुमोदित प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल असली समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

राजधानी में राजनीतिक मिशनों द्वारा भवन उपनियमों का उल्लंघन

3537. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कुछ राजनयिक मिशनों ने अपने परिसरों पर अनधिकृत निर्माण करके भवन उपनियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी राजनयिक मिशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार ऐसे सभी राजनयिक मिशनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में भारतीय दूतावासों को विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपने परिसरों पर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं है; और

(ङ) यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सरकार की जानकारी में कुछ विसंगतियां आई हैं।

(ख) निम्नलिखित 12 राजनयिक मिशनों के मामले में एन.डी.एम.सी. द्वारा भवन उपनियमों के कुछ निर्माण संबंधी उल्लंघन पाए गए हैं :

(i) आस्ट्रेलियन उच्च आयोग

(ii) स्विट्जरलैंड दूतावास

(iii) कतर राज्य दूतावास

(iv) चीन गणराज्य

(v) अमेरिकी दूतावास

(vi) ब्रिटिश उच्च आयोग

(vii) हंगरी गणराज्य

(viii) यू.एस.ए. दूतावास, मालवा मार्ग

(ix) उजबेकिस्तान दूतावास गणराज्य

(x) यू.एस.ए. दूतावास पंचशील मार्ग

(xi) लीबिया दूतावास

(xii) सउदी अरब दूतावास

(ग) एन.डी.एम.सी. ने मुख्य न्यायाचार (चीफ ऑफ प्रोटोकोल) विदेश मंत्रालय को इन मामलों में समुचित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

(घ) जी हां, भारत सरकार को विदेश में धारित परिसम्पत्तियों में किसी भी तरह के अतिरिक्त निर्माण करने के लिए वहां के स्थानीय शासन द्वारा उनके भवन उपनियमों आदि के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ङ) लागू नहीं।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग

3538. डा. बलिराम : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग के तहत सरकारी उपक्रमों/उद्यमों, वैधानिक संगठनों/निगमों, स्वायत्तशासी संगनों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कितने पद हैं; और

(ख) इन पदों पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अंतर्गत इन कुल पदों पर पहचाने गए विभिन्न वर्गों का अलग–अलग प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) श्रेणी I और II वर्गीकरण विद्यमान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षण और गैर-शिक्षण संकायों में अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

3539. श्री दलित इजिलमलाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे सभी 116 विश्वविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर संकायों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 49 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत) के निर्धारित कोटे तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तपोषित किए जा रहे सभी 116 विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्राफेसर (रीडर), प्रोफेसर और इनके समस्तरीय कुल कितने पद हैं;

(ग) 2.7.1997 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में निहित अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर विभिन्न वर्गों का अलग–अलग प्रतिशत कितना है; और

(घ) तब से कितने नए रिक्त पद/पद बनाए गए हैं और इन पदों पर किन–किन वर्गों के व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है। शिक्षण पदों में केवल लैक्चरर स्तर पर ही आरक्षण होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षण पदों पर आरक्षण संबंधी मामला विचाराधीन है। तथापि, गैर–शिक्षण पदों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निर्देष जारी करता है कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में आरक्षित पदों की पिछली बकाया रिक्तियों को विज्ञापित करके भरा जा रहा है। अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में, संबद्ध राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में यह मंत्रालय कोई आंकड़ा नहीं रखता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में यूरिया की मांग और खपत

3540. श्री सुरेश पासी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, यूरिया की कुल कितनी मांग है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में यूरिया की कुल मांग के मुकाबले कम मात्रा में आपूर्ति से फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो देश में यूरिया का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए यूरिया की मांग का आकलन प्रत्येक फसल मौसम अर्थात खरीफ (1 अप्रैल से 30 सितंबर तक) तथा रबी (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक) के लिए किया जाता है। चालू रबी 2001–02 के लिए देश में यूरिया की मांग 107.44 लाख टन आकलित की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 23 लाख टन की मांग शामिल है।

(ख) जी नहीं, उत्तर प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति अभी तक बिक्री समर्थन में पर्याप्त रही है।

(ग) वर्ष 2000–01 के दौरान यूरिया का कुल उत्पादन 196.51 लाख टन हुआ था।

(घ) उत्तर प्रदेश सहित देश में यूरिया की आवश्यकता को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यूरिया की आवंटन पद्धति द्वारा पूर्णतः पूरा किया जाता है। संपूर्ण देश में यूरिया की सही समय और स्थल पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य को यूरिया की मासिक आपूर्ति नियंत्रित

की जाती है और संचलन नियंत्रण आदेश के माध्यम से इस पर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, रबी 2001–02 की व्यस्ततम खपत अवधि के दौरान चालू स्टाक का समुचित स्तर बनाए रखने हेतु 2.2 लाख टन यूरिया का आयात किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा

3541. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में केंद्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान निर्धारित किए गए तथा हासिल किए गए वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य के संबंध में योजना–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उत्पादक/सामुदायिक परिसम्पत्तियों/बुनियादी ढांचों के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास हेतु तैयार किए गए नए कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लिए योजनावार कितने परिव्यय का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में ग्रामीण विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा कर रहा है।

(ख) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का योजनावार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाओं (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने होते हैं। आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों से एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 53 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें से 42 प्रस्ताव मंजूर किए गए। सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तामिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इसमें से 41 प्रस्ताव मंजूर किए गए। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सी.आर.एस.पी. से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को विभिन्न राज्यों के लिए परियोजनाओं के आवंटन के मानदंड के अनुसार मंजूर किया जाएगा।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25.9.2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है तथा इन क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा ढांचागत विकास करना है। यह योजना सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं के स्थान पर बनाई गई है। चालू वर्ष के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत महाराष्ट्र को 39540.21 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है इसमें से 19793.33 लाख रु. खाद्यान्नों के लिए हैं।

विवरण

1999–2000 से 2001–02 के दौरान महाराष्ट्र के संबंध में वास्तविक और वित्तीय प्रगति

महाराष्ट्र (लाख रुपये में)

कार्यक्रम	कुल आवंटन			खर्च			लक्ष्य			वास्तविक उपलब्धि			वास्तविक इकाई
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
.ए.एम.	20477.26	13554.33	13733.43	13258.20	13662.39	3194.72	571.53	324.88	211.57	234.67	216.82	47.1	लाख श्रम दिन
आई.ए.वाई.	14113.33	14113.33	14433.05	20161.22	18391.11	3192.96	84.680	84680	86598.31	71958	81111	21187	आवासीय इकाईयां (सं.)
जे.जी.एस.वाई.	18548.69	17370.06	17371.68	18748.46	17860.22	4503.54	0	0	0	341.55	632.86	69.33	लाख श्रम दिन
एन.एफ.बी.एस	1014.01	1026.74	808.86	1334.59	741.69	43.94	9857	9872	7778	16884	11073	626	सहायता प्राप्त परिवार (सं)
एन.एम.बी.एस.#	453.49	453.49	एन.ए.	374.07	379.91	एन.ए.	87070	87210	एन.ए.	89895	87225	एन.ए.	सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं.)
एन.ओ.ए.पी.एस.	4158.51	4158.51	3575.05	2953.55	2711.37	380.74	444285	444285	381950	70714	319144	88408	सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं.)
एस.जी.एस.वाई.	12378.81	10554.64	6106.87	10257.28	1096.54	1848.30	0	0	0	87994	263994	10558	स्वरोजगारी (सं.)
डी.पी.ए.पी.	857.19	1939.75	1835.63	644.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	वाटर सेड (सं.)
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	347.93	2303.80	947.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5	0	0	वाटर सेड (सं.)
एल.आर.	1132.06	730.85	0.00	851.17	0.00	0.00	752731	670237	0	692361	642052	0	क्षेत्रफल एकड़ में
ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.	3614.41	16934.00	19159.00	18846.54	15862.71	6494.22	7000	17000	3000	4690	11216	689	कवर की गई बसावटें(सं.)
सी.आर.एस.पी.	804.89	287.11	108.55	2720.37	338.40	0.00	150000	275625	0	341992	5748	0	निर्मित स्वच्छ शौचालय (सं.)
कुल	87900.58	83426.61	78079.47	89849.95	71044.34	19658.42							

#14 2001 से समाप्त कर दिया गया।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

3542. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से राज्य हैं जिन्होंने इनकी सूची जारी की है;

(ग) शेष राज्यों द्वारा कब तक इस सूची को जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में ढिलाई दिखाने वाले राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) अप्रैल 1997 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की गणना कराने का निदेश राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिया था।

(ख) केरल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या से संबंधित जानकारी प्रदान की है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की संख्या से संबंधित आंकड़े/सूचना दिसंबर, 1998 तक भेज दें।

(घ) समय पर सूचना न भेजने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई थी कि यदि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों की जनगणना 1997 दिनांक 30.9.1999 तक पूरी नहीं की जाती है तो मंत्रालय विभिन्न काग्रक्रमों के तहत दूसरी किस्त की रिलीज को रोकने के विषय में विचार करने के लिए बाध्य होगा।

[हिन्दी]

आई.पी.सी.एल. के खेप एजेंट की नियुक्ति

3543. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई और देश के विभिन्न भागों में आई.पी.सी.एल. के खेप एजेंटों की नियुक्ति के लिए आमंत्रित निविदा को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एजेंटों की नियुक्ति के तरीके में परिवर्तन करने का है; और

(घ) नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) ने देश के विभिन्न भागों में खेप एजेंटों की नियुक्ति के लिए जनवरी, 2001 में विज्ञापन जारी किया था। प्रबंध नियंत्रण तथा बाजार गतिशीलता के हसतांतरण के साथ–साथ आई.पी.सी.एल. में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया को देखते हुए, आई.पी.सी.एल ने किसी नए खेप एजेंट की नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। इस समय आई. पी.सी.एल. द्वारा खेप एजेंटों की नियुक्ति की रीति में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी

3544. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कोई प्री पोस्ट–डिजास्टर विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रौद्योगिकियों को किस तिथि से विकसित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) बेहतर तैयारियां करने में सक्षमता के लिए प्राकृतिक आपदाओं के प्रति समझ को बेहतर बनाने तथा ऐसी आपदाओं के नतीजों के बारे में बेहतर आयोजना तैयार कर पाने के

लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता विकसित करने, नई प्रणालियां शुरू करने व मौजूदा प्रणालियों को उच्चीकृत करने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, समुद्री तूफान के बारे में पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली पहले ही विकसित की जा चुकी है तथा उपयोग में है। इस समय समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाली छः प्रणालियां कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई तथा अहमदाबाद में कार्य कर रही हैं। समुद्री तूफान की चेतावनी देने तथा आंकड़ों का प्रसार करने के लिए ये प्रणालियां प्रमाणिक व विश्वसनीय हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा उच्च वियोजन संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान वाले मॉडल विकसित कर उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है। ये मॉडल अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान (3 दिनों का पूर्वानुमान) व समुद्री तूफान के मार्गों के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्थल समुद्रीय वायुमंडलीय पेरामीटरों के आधार पर 1998 में एक दीर्घ अवधि पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया गया था।

इस समय, विश्व में कहीं भी ऐसी प्रामाणिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हैं जो भूकंपों के बारे में पूर्ण चेतावनी दे सके तथापि, भूकंपों के बारे में पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य आरंभ किए जा चुके हैं। भूकंपीयता अंचल IV तथा V के अंतर्गत आने वाले शहरों का सूक्ष्म अंचलीकरण करने के भी प्रयास शुरू कर लिए गए हैं ताकि जोखिमों के मूल्यांकन के माध्यम से बेहतर आयोजना व तैयारियां की जा सकें। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने डिजाइन प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संहिता तैयार की है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, समुद्री तूफान, भूकंप तथा बाढ़ इत्यादि के विरुद्ध सभी प्रकार के ढांचों/भवनों के लिए सुरक्षा संबंधी पहलू शामिल किए गए हैं। यदि भवनों का निर्माण करते समय इन संहिताओं का समुचित तरीके से अनुसरण किया जाए तो भविष्य में आने वाले भूकंपों से होने वाले विनाश के जोखिम को कम किया जा सकता है।

इसके अलावा, भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.), शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 1997 में भारत की एक अतिसंवेदनशीलता मानचित्रावली प्रकाशित की। इस मानचित्रावली को अनुरूपांतरण के माध्यम से मौजूदा भवनों की गुणवत्ता व प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने के लिए एक पूर्व सक्रिय औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानचित्रावली विनाश के बाद भवनों का पुनर्निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराती है। बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आवासीय भवनों की भूकंप तथा पवन/चक्रवात रोधकता सुधारने के संबंध में भी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश वास्तुकारों, इंजीनियरों तथा भवन निर्माताओं इत्यादि के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त तकनीकी जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं।

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

3545. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए स्वीकृत की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं/विश्व-विद्यालयों/अनुसंधान संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक अनुसंधान परियोजना को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अधिकतर सरकारी विभागों के कार्यकलापों का एक हिस्सा है और प्रत्येक विभाग से वैयक्तिक रूप से ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरों का पता लगाने की आवश्यकता होती है। वर्ष 1998-99 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर सरकार का कुल व्यय 9733 करोड़ था और 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान इसके क्रमशः 11328 करोड़ रु. और 13187 करोड़ रु. होने की संभावना है।

प्राकारबाह अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान विभाग है। अपनी अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत विभाग ने वित्तीय वर्ष 1998-1999 के दौरान 4202 लाख रु. की कुल लागत वाली 287 परियोजनाओं को; वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान 4815 लाख रु. की कुल लागत वाली 292 परियोजनाओं को तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 4940 लाख रु. की कुल लागत वाली 350 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया। उक्त अवधि के दौरान विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 737 (1998), 755 (1999) और 618 (2000) है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4654/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4655/2001]

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4656/2001]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4657/2001]

(3) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 4658/2001]

(4) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4659/2001)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4660/2001)

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4661/2001)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4662/2001)

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4663/2001)

(ङ) (एक) पायराईट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पायराईट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4664/2001)

(च) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4665/2001)

(2) (एक) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4666/2001)

(3) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4667/2001)

(4) (एक) कृषक भारती को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4668/2001)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल)–(2000 की संख्या 3ख) (निष्पादन मूल्यांकन)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4669/2001)

(2) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)–(2001 की संख्या 7क) ओपी विजय (सेना) के लिए खरीद की समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4670/2001)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा') : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इंडियन वैक्सिन कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सिन कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4671/2001)

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायो–लॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायो–लॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4672/2001)

(2) (एक) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4673/2001)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के

बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4674/2001]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, प्रो. रीता वर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई की स्थापना से पूर्व विद्यमान संस्थानों से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया) विनियम, 2001, जो 5 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 9–5/2001 एन.सी.टी.ई.–1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4675/2001]

(2) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4676/2001]

(3) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4677/2001]

(4) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4678/2001]

(6) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4679/2001]

(7) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4680/2001]

(8) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1997–1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1997–1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4681/2001]

(10) (एक) राष्ट्रीय प्रंबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4682/2001]

(12) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4683/2001]

(14) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4684/2001]

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4685/2001]

(16) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4686/2001]

(17) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज सूरतकल के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4687/2001]

(18) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई

के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4688/2001]

(19) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4689/2001]

(21) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4690/2001]

(23) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4691/2001]

(24) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4692/2001]

(26) (एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4693/2001]

अपराह्न 12.01½

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 दिसंबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवंबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित आवश्यक सेवा (बनाए रखने) अध्यादेश निरसन विधेयक 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का "पर्यटन अवसंरचना का विकास" संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

रक्षा संबंधी स्थाई समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2000–2001 की अनुदानों की मांगों के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति (तेरहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंर्तविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा "जनजातीय कार्य मंत्रालय–मध्य प्रदेश में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण के संबंध में आठवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" के बारे में समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही–सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केंद्र सरकार द्वारा बिहार को वित्तीय पैकेज न दिया जाना*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं योजना मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में वक्तव्य दें :

"केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को वित्तीय पैकेज देने से इनकार किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

लघु उद्योग, मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय

---

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4695/2001]

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : पूर्व बिहार राज्य के विभाजन से बिहार और झारखंड नामक नए राज्यों के निर्माण के समय से ही विभिन्न आधारों पर नए बिहार राज्य की सहायता के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर योजना आयोग ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समर्पित बिहार प्रकोष्ठ का गठन किया है। विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति से संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध को विचारार्थ और उपयुक्त कार्रवाई के निमित्त संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इन प्रस्तावों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों के साथ संपर्क बनाए रखे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 40,143 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।... *(व्यवधान)*

योजना आयोग ने राज्य विकास की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जिसका मसौदा प्राप्त हो गया है तथा इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार से कहा गया है कि वह राज्य के विकास के संबंध में पटना में परामर्शदात्री विचार गोष्ठी का आयोजन करे। योजना आयोग ने राज्य के लिए वर्ष 2000–2001 में 50 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2001–02 में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी मंजूर की है। हाल ही में अक्टूबर 2001 में योजना आयोग के एक दल ने उसी सदस्य की अध्यक्षता में दो दिन का पटना का दौरा किया तथा वहां मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया।...*(व्यवधान)*....

विभाजन के बाद राज्य के अपने संसाधन के संबंध में योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से यह विदित होता है कि विभाजन के फलस्वरूप राज्य के अपने संसाधनों में मामूली कमी आई है जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिक प्रतिशतता के कारण उसका केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा है।

केंद्र सरकार यथासंभव बिहार राज्य की सहायता करने की इच्छुक है। तथापि, विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य को अपनी व्यवस्था करनी होगी। यह ज्ञात हुआ है कि कई मामलों में, राज्य द्वारा मंत्रालयों और विभागों को अभी तक वह अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जो राज्य के परियोजना संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए वांछनीय है। राज्य में चल रही केंद्र की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पहले से ही उपलब्ध केंद्रीय सहायता का उपयोग बढ़ाए जाने की काफी गुंजाइश है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध राय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के बारे में दिनांक 14.8.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : 14.8.2001 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 328 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर के रूप में संलग्न अनुलग्नक में, महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2000–2001 के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या 1,72,409 बताई गई थी।

उपर्युक्त उत्तर में दिए गए आंकड़े "1,72,409" के स्थान पर, "2532" प्रतिस्थापित किए जाएं। यह भूल अनदेखी और टंकण के कारण हुई।

उत्तर को ठीक करने संबंधी विवरण प्रस्तुत करने में विलंब, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संशोधित ठीक, आंकड़े, मानसून सत्र के समाप्ति के बाद प्राप्त होने के कारण हुआ।

भूल के लिए खेद है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन।

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4694/2001]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 10 दिसंबर, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 10 दिसंबर, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.09 बजे

आतंकवाद निवारण विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालकृष्ण आडवाणी।

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रामचंद्र डोम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोइनुल हसन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

अपराह्न 2.01½ बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया, कुंवर अखिलेश सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, डा. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी–अपनी सीट पर जाएं। मैं आप सभी की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको सुनूंगा। कृपया आप पहले अपनी सीटों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा। आप पहले अपनी सीटों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आपनी सीटों पर वापस जाइए। मैं आपको जरूर सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाएं। मैं आप सबको सुनूंगा। कृपया क्या आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाएंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 12 दिसम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, बुधवार 12 दिसम्बर, 2001/21 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/21/16/2001 (एम०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।